



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से सेन्ट्रल आपके लिए CENTRAL TO YOU SINCE 1911



रिश्तों को बखूबी निभाते हुए...
1911 से हम अपनों का जीवन बेहतर बना रहे हैं.

Nurturing relationships.
Transforming lives since 1911.

35 मिलियन और आगे गिनती जारी है...

35 million and counting...

सफलता के सोपान

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

THE MARK OF SUCCESS

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

1956



बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.

1973



'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामयिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

1982



'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.



नया साइनेज - गतिशीलता का प्रतीक

हमारे बैंक के नये साइनेज में उसके वास्तविक स्वरूप के साथ-साथ वर्तमान प्रोफाइल झलकती है. साइनेज में नीला रंग, शांति एवं स्थिरता को दर्शाता है. लाल रंग की निचली पट्टी, उर्जस्वी विचार एवं सकारात्मक कार्यपद्धति का प्रतीक है. कुल मिलाकर, वे बड़ी कुशलतापूर्वक भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक बैंकों की श्रेणी में आने वाले हमारे बैंक की प्रगतिशील कार्यनीति एवं आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं. अपने विद्यमान 'लोगो' के साथ साइनेज के ये नये रंग इस तथ्य का यथार्थ चित्रण करते हैं कि हम अपने पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और साथ ही, एक सक्रिय तथा समकालीन संस्था की छवि भी प्रस्तुत करते हैं.

The new signage - a signature of Dynamism

The new signage of the bank projects its true character and present day profile. The Blue colour in the signage denotes peace and stability. The bottom strip in red stands for vibrant thought and positive action. Together, they aptly bring forth the forward-looking approach and new-age outlook of one of India's most historic banks. The new colours of the signage together with the existing logo is an apt depiction of carrying forward the old values yet presenting the image of a dynamic and contemporary organization.



उच्चतर उत्पादकता और ओजस्विता के लिए मानव पूंजी का उत्कृष्ट निवेशन. साथ ही, लाभप्रदता बढ़ाते हुए अपने बैंक को, व्यवसाय और अखंडित विकास की एक नई ऊंचाई प्रदान करना.

Operation Navchetna - The Rejuvenation Mission 2009-11

"To leverage human capital for higher productivity and vitality, to enhance profitability and take the Bank to new heights of business and sustainable growth."

विषय-सूची / Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश.....	2
निदेशक मंडल / Board of Directors	4
निदेशकों की रिपोर्ट 2009-2010	27
प्रबंधतंत्र विमर्श एवं विश्लेषण.....	32
कॉर्पोरेट गवर्नेंस.....	51
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	66
दिनांक 31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र	68
दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता	69
तुलन पत्र की अनुसूचियां.....	70
लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां.....	75
मुख्य लेखांकन नीतियां	76
खातों की घटक टिप्पणियां.....	79
दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	97
दिनांक 31 मार्च, 2010 का समेकित तुलन पत्र.....	109
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लि.....	133
सेन्टबैंक फायनेंशियल सर्विसेस लि.....	160
Chairman & Managing Director's Message.....	177
Directors' Report 2009-2010	180
Management Discussion and Analysis.....	185
Corporate Governance.....	205
Auditors' Report to the President of India.....	220
Balance Sheet as on 31st March, 2010.....	222
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2010.....	223
Schedules to Balance Sheet.....	224
Schedules to Profit & Loss Account	229
Principal Accounting Policies.....	230
Notes Forming Part of the Accounts.....	233
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2010.....	251
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2010.....	263
Centbank Home Finance Ltd.....	286
Centbank Financial Services Ltd.....	312



श्री एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक


अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

मुझे दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है.

इस वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा कृषि उत्पादों पर बहुत कम मात्रा में दक्षिण-पश्चिम मानसून के होने की वजह से इसके प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद पिछले वर्ष की 6.7% की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष कृषि उत्पादों में 7.4% की उच्चतर वृद्धि दर्ज हुई. यह उल्लेखनीय तथ्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में हुई यह वृद्धि व्यापक आधार वाली रही है तथा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनिर्माण, खान एवं उत्खनन, गैस तथा जल आपूर्ति, निर्माण के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन का आधार बनी. सामान्यतः वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सभी समष्टी आर्थिक संकेतकों ने सतत वृद्धि दर्शाई है. इन कारकों की वजह से, वर्ष 2010-11 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का दायरा अनुमानतः 8% - 8.5% रहा. भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि की संभावना पोर्टफोलियो आवक द्वारा निर्धारित पूंजी अंतर्प्रवाह में हुई आकस्मिक बढ़ोतरी में भी नजर आई.

बैंक दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा, अतः इस वर्ष अर्थात् पूर्व शताब्दी वर्ष के दौरान बैंक ने विस्मयकारी सर्वांगीण कार्य-निष्पादन दर्ज किया है. बैंक के इस सुदृढ़ कार्य-निष्पादन ने इस तथ्य को उजागर किया है कि प्रौद्योगिकी अंगीकरण, बढ़ी हुई उत्पादकता, उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि तथा लाभप्रदता के लिए प्रक्रिया, व्यक्ति, ग्राहक पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए पुनर्संचित व्यावसायिक कार्यनीति विशेषकर, ऑपरेशन नवचेतना काफी प्रभावशाली साबित हुआ है. बाजार की चुनौतियों का अधिक प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिए बैंक को सुसज्ज करने हेतु यह अनिवार्य है.



इन परिवर्तनों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने जमा तथा अग्रिम, इन दोनों ही क्षेत्रों में रु.51000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय अर्जित किया, जोकि बैंक के इतिहास में अब तक की 23.5% की सर्वाधिक वृद्धि दर्शाता है। कासा में 27.5% की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। सकल एनपीए पिछले वर्ष 2.67% की तुलना में घट कर 2.29% हो गया, जो अब तक का न्यूनतम स्तर रहा है, जबकि शुद्ध एनपीए भी घट कर 1% से कम अर्थात् 0.69% हो गया, जो पिछले वर्ष के दौरान 1.24% था। यह पुनः एक विशिष्ट उपलब्धि ही है। दिनांक 31 मार्च, 2010 को प्रावधान कवरेज अनुपात 70.40% था, जबकि दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक हमें विनियामक न्यूनतम 70% का लक्ष्य हासिल करना था। कर्मचारी उत्पादकता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि प्रति-कर्मचारी व्यवसाय तथा प्रति-कर्मचारी शुद्ध लाभ के आंकड़ों से झलकती है। औसत आस्तियों पर प्रतिफल भी वर्ष 2008-09 की 0.45% से बढ़ कर वर्ष 2009-10 में 0.66% हो गया। परिचालन लाभ में 43% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई तथा इस वर्ष के दौरान बैंक ने अब तक का सर्वाधिक रु.1058 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने कई अन्य ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। पहली उपलब्धि यह रही कि हमारा बैंक राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 का एकमात्र ऑफिशियल बैंकर बना, जो हमारे लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण उपलब्धि है। हमारे बैंक ने अपने सम्माननीय संस्थापक के नाम से सर सोराबजी पोचखानावाला मेमोरियल लेक्चर सीरिज की शुरुआत की। इसका पहला लेक्चर महामहिम कमलेश शर्मा, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, लंदन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में अंतर-सरकारी संगठन के एकमात्र भारतीय प्रमुख हैं। हमारे बैंक ने स्टार यूनिजन दायची लाइफ इन्श्युरेंस लिमिटेड के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों तथा उनके जीवनसंगियों के लिए आजीवन भुगतान प्राप्त करने हेतु उनके अपने कब्जे में स्थित परिसंपत्तियों को मॉर्गेज रख कर वार्षिकी-सह-रिवर्स मॉर्गेज ऋण नामक एक अभिनव वित्तीय सेवा की शुरुआत की है। हमारा बैंक यह सेवा प्रदान करने वाला देश का एकमात्र बैंक है। हमारे बैंक के इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ है कि हमारे दो अधिकारियों को सेन्ट ल्यूसिया वेस्टइंडीज में ग्रामीण सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण हेतु अपने बैंकिंग कौशल को बांटने हेतु आमंत्रित किया गया था।

हमारे बैंक ने अपने उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन हेतु कई अवार्ड प्राप्त कर अपने समकक्ष तथा बाह्य पर्यवेक्षकों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शैक्षिक ऋण में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु प्राप्त “द आउटलुक अवार्ड”, ग्राहकों के लिए की गई अभिनव पहल के तहत प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए आईबीए अवार्ड, पूर्वी अंचल में केवाईसी कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु प्राप्त राष्ट्रीय अवार्ड इत्यादि का यहां उल्लेख किया जा सकता है। मुझे भी बेस्ट बिजनेस मॉडल के लिए स्कॉच फाउंडेशन चैलेंजर अवार्ड 2010 प्रदान किया गया।


इक्विटी बाजार ने भी बैंक पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जिसका परिणाम यह है कि अप्रैल, 2009 में हमारा शेयर मूल्य रु.34.55 था और दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को यह रु.167.25 के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था तथा मार्च, 2010 के अंत में यह रु.146.55 पर बंद हुआ।

अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को समझते हुए हमारे बैंक ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट के सहयोग से 4 जिलों में उद्यमी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही, इन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी वित्तीय साक्षरता तथा समावेशित वृद्धि की परियोजना भी कार्यरत है। इस वर्ष के दौरान हमने 14047 गांवों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया है। हमारे बैंक ने इस वर्ष के दौरान रेकॉर्ड 34 लाख नो फ्रिल खाते भी खोले गए हैं। हमारे आठ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त इस तरह के तीन और भी संस्थान खोले जा रहे हैं।

इस अवसर पर मैं आपको एक बार पुनः आश्वस्त कराता हूँ कि हम अपने सभी स्टेकहोल्डरों, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, हमारे निवेशक, हमारा व्यापक ग्राहक समुदाय तथा स्टाफ सदस्यों के हित में मूल्यवर्द्धन हेतु महत्तम प्रयास करेंगे। इस सत्प्रयास में मैं आपके सतत निर्बंध समर्थन एवं के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,



एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010



निदेशक मंडल

Board of Directors



श्री एस.श्रीधर
Shri S. Sridhar



श्री रामनाथ प्रदीप
Shri Ramnath Pradeep



श्री अरुण कौल
Shri Arun Kaul




डॉ. शशांक सक्सेना
Dr. Shashank Saksena



श्री एम.के.भट्टाचार्य
Shri M.K. Bhattacharya



श्री एम.एस.जोहर
Shri M.S. Johar




श्री बृजलाल क्षत्रिय
Shri Brijlal Kshatriya



प्रो.एन.बालकृष्णन
Prof. N. Balakrishnan



श्री रोमेश सभरवाल
Shri Romesh Sabharwal



मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
Major (Retd.) Ved Prakash



श्री बी.एस.रामबाबू
Shri B.S. Rambabu

{ निदेशक मंडल की बैठक का चर्चा सत्र | MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS IN SESSION }



बैंक के वित्तीय वर्ष 2009-10 के तुलन-पत्र पर चर्चा और हस्ताक्षर करने के प्रयोजनार्थ मुंबई में दिनांक 02-05-2010 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक का चर्चा सत्र
Meeting of the Board of Directors in Session for discussing and signing of Bank's Balance Sheet for the Financial Year 2009-10,
at Mumbai on 02-05-2010

बायें से दायें : श्री बी. एस. रामबाबू, श्री रोमेश सभरवाल, श्री एम. एस. जोहर, डॉ. शशांक सक्सेना, श्री रामनाथ प्रदीप, श्री एस, श्रीधर,
श्री अरुण कौल, श्री एम. के. भट्टाचार्य, श्री बृजलाल क्षत्रिय, मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश

Left to Right : Shri B. S. Rambabu, Shri Romesh Sabharwal, Shri M. S. Johar, Dr. Shashank Saksena, Shri Ramnath Pradeep, Shri S. Sridhar,
Shri Arun Kaul, Shri M. K. Bhattacharya, Shri Brijlal Kshatriya, Major (Retd.) Ved Prakash

{ निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS }



बायें से दायें बैठे हुए : डॉ शशांक सक्सेना, श्री रामनाथ प्रदीप, श्री एस. श्रीधर, श्री अरुण कौल, श्री एम. के. भट्टाचार्य

बायें से दायें खड़े हुए : श्री बी. एस. रामबाबू, श्री बृजलाल क्षत्रिय, श्री एम. एस. जोहर, श्री रोमेश सभरवाल, मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश, प्रो. एन. बालकृष्णन

Sitting from Left to Right : Dr. Shashank Saksena, Shri Ramnath Pradeep, Shri S. Sridhar, Shri Arun Kaul, Shri M. K. Bhattacharya

Standing from Left to Right : Shri B. S. Rambabu, Shri Brijlal Kshatriya, Shri M. S. Johar, Shri Romesh Sabharwal, Major (Retd.) Ved Prakash, Prof. N. Balakrishnan

{ प्रबंधन टीम | MANAGEMENT TEAM }



श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री रामनाथ प्रदीप, कार्यपालक निदेशक एवं
श्री अरुण कौल, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधकगण, कॉर्पोरेट कार्यालय, आंचलिक प्रबंधकगण एवं उप महाप्रबंधकगण.

Shri S. Shridhar, Chairman & Managing Director, Shri Ramnath Pradeep Executive Director &
Shri Arun Kaul, Executive Director, General Managers, Corporate Office, Zonal Managers & Dy. General Managers

महाप्रबंधकगण General Managers

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. श्री एच.के.वेसुना | 1. SHRI H. K. VESUNA |
| 2. श्री के.ए.सोमयाजुलु | 2. SHRI K. A. SOMAYAJULU |
| 3. सुश्री डी.वसुन्धरा
कृष्णमूर्ति | 3. SMT. D. VASUNDHARA
KRISHNAMURTHY |
| 4. श्री पी.वी.रविन्द्रन | 4. SHRI P. V. RAVEENDRAN |
| 5. श्री पी.सी.श्रीवास्तव | 5. SHRI P. C. SRIVASTAVA |
| 6. श्री बी.एन.एस.रत्नाकर | 6. SHRI B. N. S. RATNAKAR |
| 7. श्री ए.बी.जोग | 7. SHRI A. B. JOG |
| 8. श्री एस. कण्णन | 8. SHRI S. KANNAN |
| 9. श्री प्रेमचन्द तिवारी | 9. SHRI PREM CHAND TIWARI |
| 10. श्री उपगुप्त मोहपात्रा | 10. SHRI UPAGUPTA MOHAPATRA |
| 11. श्री बासब मंडल | 11. SHRI BASAB MONDAL |
| 12. श्री जी.बी.सोनागांवकर | 12. SHRI G. B. SONGAONKAR |
| 13. श्री ए.पी.शुक्ला | 13. SHRI A. P. SHUKLA |

उप महाप्रबंधकगण Deputy General Managers

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. श्री विपिन कपूर | 1. SHRI VIPIN KAPOOR |
| 2. श्री टी.के. पाईक | 2. SHRI T. K. PAIK |
| 3. श्री एस.आर. शुक्ला | 3. SHRI S. R. SHUKLA |
| 4. श्री वाई.के. शुक्ला | 4. SHRI Y. K. SHUKLA |
| 5. डॉ. एस. राम संगापुरे | 5. DR. S. RAM SANGAPURE |
| 6. श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव | 6. SHRI JAI PRAKASH SRIVASTAVA |
| 7. श्री आर. बाबू गणेश | 7. SHRI R. BABU GANESH |
| 8. श्री ए.पी. द्विवेदी | 8. SHRI A.P. DWIVEDI |
| 9. श्री पी.जे. मैथ्यू | 9. SHRI P. J. MATHEW |
| 10. श्री आर. मिश्रा | 10. SHRI R. MISHRA |
| 11. श्री संदीप दासगुप्ता | 11. SHRI SANDEEP DASGUPTA |
| 12. श्री एस.सी. झंवर | 12. SHRI S.C. JHANWAR |
| 13. श्री जी.एस. राव | 13. SHRI G.S. RAO |
| 14. श्री एस. गोपालकृष्णन | 14. SHRI S. GOPALAKRISHNAN |
| 15. श्री ए.के. मल्होत्रा | 15. SHRI A. K. MALHOTRA |
| 16. श्री आई.पी.एस. ओबेरॉय | 16. SHRI I. P. S. OBEROI |
| 17. श्री सी.एस. खन्ना | 17. SHRI C.S. KHANNA |
| 18. श्री अतुल अग्रवाल | 18. SHRI ATUL AGARWAL |
| 19. श्री स्वपन कुमार गांगुली | 19. SHRI SWAPAN KUMAR GANGULY |
| 20. श्री वी.के. गुप्ता | 20. SHRI V. K. GUPTA |
| 21. श्री सी.के. पांडे | 21. SHRI C. K. PANDEY |
| 22. सुश्री विद्या जी. वागले | 22. SMT. VIDYA G. WAGLE |
| 23. श्री अनिल कुमार खडके | 23. SHRI ANIL KUMAR KHADKE |
| 24. श्री जे. सुन्दरराजन | 24. SHRI J. SUNDARARAJAN |
| 25. श्री बिजेन्द्र कुमार सिंघल | 25. SHRI BIJENDER KUMAR SINGAL |
| 26. श्री बालमुकुंद नंदवाना | 26. SHRI BALMUKUND NANDWANA |
| 27. श्री विजय मिश्र | 27. SHRI VIJAI MISRA |
| 28. श्री आर. सिवासुब्रमणियन | 28. SHRI R. SIVASUBRAMANIAN |
| 29. श्री उमेश के. सिंह | 29. SHRI UMESH K. SINGH |
| 30. श्री सी.एस. परमार | 30. SHRI C. S. PARMAR |
| 31. श्री वी.एन. कठाले | 31. SHRI V. N. KATHALE |
| 32. श्री आर.ए. मित्तल | 32. SHRI R.A. MITTAL |



कार्य-निष्पादन की खास बातें 2009-10
Performance Highlights 2009-10

कुल कारोबार

Total Business - Rs. 2,69,225 crore

कुल आस्तियां

Total Assets - Rs. 1,82,672 crore

शुद्ध लाभ

Net Profit - Rs. 1,058.23 crore

शुद्ध एनपीए

Net NPAs - 0.69%

पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बैसल I

Capital Adequacy Ratio - Basel I - 10.81%

पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बैसल II







Capital Adequacy Ratio - Basel II - 12.23%

ऋण जमा अनुपात

Credit Deposit Ratio - 66.08%

कुल मानवशक्ति

Total Manpower - 34826



उल्लेखनीय पल In the Limelight




श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के मारग्राम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 3564वीं शाखा का उदघाटन करते हुए. आपके दायीं ओर श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहे हैं.

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister inaugurating 3564th Branch of Central Bank of India at Margram, District Murshidabad in West Bengal. On his right, Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India, is seen.



श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मारग्राम, जिला मुर्शिदाबाद की 3564वीं शाखा के उदघाटन के अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए.

Hon'ble Finance Minister Sri. Pranab Mukherjee addressing the gathering on the occasion of inauguration of 3564th branch of Central Bank of India at Margram, Dist. Murshidabad.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार को रु. 64.83 करोड़ का लाभांश प्रदान किया। (बायें से चौथे) माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को दिनांक 18.08.2009 को दिल्ली में लाभांश का रु. 64.83 करोड़ का चेक (बायें से तीसरे) श्री एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रदान किया। श्री बी. एन. एस. रत्नाकर महाप्रबंधक, दिल्ली (बायें से दूसरे) श्री पी. सी. जोशी मुख्य प्रबंधक, जनसंपर्क दिल्ली, (एकदम बायें) एवं इस अवसर पर श्री तरुण बजाज, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (एकदम दायें) भी उपस्थित थे।

Central Bank of India, one of the leading Public Sector Banks in the country has paid a Dividend of Rs. 64.83 crores to the Government of India for the Financial Year ended 2008-09. Shir S Sridhar, Chairman & Managing Director, (3rd from left) Central Bank of India has handed over Dividend Cheque of Rs 64.83 crore to Hon'ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee (4th from left), on 18/08/2009 at New Delhi, Shri B N S Ratnakar, General Manager, Central bank of India, Delhi (2nd from left), Shri P. C. Joshi Chief Manager (PR) Delhi (extreme left) and Shri Tarun Bajaj, IAS, Joint Secretary, Govt of India, Ministry of Finance (extreme right) were also present on the occasion.



चित्र में दिखाई दे रहे हैं, श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से बेंगलूर में 9वें राष्ट्रमंडल-विकास कार्यक्रम में चर्चा करते हुए।

Seen in the picture - Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India having an interaction with former President of India Dr. A.P.J. Abdul Kalam at the 9th Commonwealth – Development Programme at Bangalore.



अत्यन्त लघु, लघु एवं उद्यम (एमएसएमई) सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और आईपीआईसीओएल के मध्य सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए. श्री एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एवं श्री सुरेश च. पटनायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 को भुवनेश्वर में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ. चित्र में श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा (बीच में) दिखाई दे रहे हैं.

एमएसएमएसई क्षेत्र को अन्य नीतिगत समर्थन के अलावा समय पर पर्याप्त ऋण पूंजी की आवश्यकता होती है जिसके लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने उड़ीसा राज्य में 5 वर्ष की अवधि में वृद्धिशील आधार पर लगभग रु 25,000 करोड़ की अतिरिक्त निधियों का निवेश किया.

In order to facilitate increase of credit flow to all the key sectors including Micro Small and Medium Enterprise (MSME), Memorandum of Understanding (MOU) between Central Bank of India and IPICOL has been signed.

MOU Was exchanged between Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India and Shri Suresh Ch. Pattanaik, Chairman & Managing Director, IPICOL on 23rd October 2009 in Bhubaneshwar. (Centre) Shri Naveen Patnaik, Hon'ble Chief Minister, Orissa is seen in the picture.

MSMSE sector needs adequate credit capital in time apart form other policy supports, for which the Central Bank of India to deploy additional funds of about Rs. 25,000 crores in orissa on incremental basis over a period of five years.



एडवांटेज कर्नाटक मीट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस. श्रीधर और माननीय मुख्यमंत्री, श्री बी.एस. येडीयूरप्पा, कर्नाटक (बेंगलूर में) मिलते हुए.

Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director with Shri B.S. Yeddyurappa, Chief Minister of Karnataka during the Advantage Karnataka Meet for Global Investors at Bangalore.



दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर महामहिम तेजेन्द्र खन्ना, हमारे बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा नई दिल्ली के पुनर्सज्जित परिसर का उद्घाटन करते हुए एवं साथ में श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य सेन्ट्रलाइट्स के साथ.

His Excellency Shri Tejendra Khanna, Lt Governor of Delhi inaugurating the Renovated Premises of Parliament Street branch, New Delhi and Shri S. Sridhar, CMD along with other Centralites.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर्स असोसियेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया. इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार का प्रयोजन चेन्नै के वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की सेंट स्वाभिमान (रिवर्स मार्गेंज ऋण-आरएमएल) योजना एवं सेंट स्वाभिमान प्लस (रिवर्स मार्गेंज ऋण सह वार्षिकी आरएमएलईए) की जानकारी प्रदान करना था. श्री के. एस. त्रिपाठी, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार आरएमएलईए योजनांतर्गत हितग्राही को ऋण स्वीकृति प्रदान करते हुए, श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस. कण्णन, महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं श्री आर. देसिकन, ट्रस्टी कंज्यूमर्स असोसियेशन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहे हैं. इस अवसर पर विभिन्न हितग्राहियों को रु 6.91 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.

Central Bank of India celebrated World Consumer Rights Day.

Central Bank of India celebrated World Consumer Rights Day, by organizing a seminar for senior citizens, in association with Consumer Association of India and National Housing Bank. The seminar aimed to disseminate information on the Bank's CentSwabhiman (Reverse Mortgage Loan-RML) scheme and CentSwabhiman Plus (Reverse Mortgage Loan enabled Annuity - RMLeA) scheme to the senior citizens at Chennai. Shri K.S. Tripathi, Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, handing over sanction under RMLeA Scheme to a beneficiary. Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Shri S. Kannan, General Manager, Central Bank of India respectively and Shri R. Desikan, Trustee, Consumer Association of India, look on. On the occasion over Rs. 6.91 crores sanctions have been handed over to various beneficiaries.



स्ट्रेटजी रिव्यू मीटिंग

सेंट लूसिया में ग्रामीण व्यक्ति एवं लघु उद्यमियों के लिए माइक्रो क्रेडिट पहल को तैयार करते हुए (मंगलवार दिनांक 24 नवम्बर 2009, बे गार्डन्स इन, रोडनी बे विलेज, सेंट लूसिया वेस्ट इंडीज).

STRATEGY REVIEW MEETING

Designing a Micro Credit Initiative for Rural Micro and Small Enterprises in Saint Lusia. (Tuesday 24th November 2009, Bay Gardens inn, Rodney Bay Village, Saint Lucia West Indies).



भारतीय बैंक संघ एवं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने दिनांक 8-10 सितम्बर, 2009 को मुम्बई में 'ग्लोबल बैंकिंग पैराडाइम शिफ्ट' 'अनलॉकिंग दि पोटेंशियल एमिडिस्ट ग्लोबल टरमोइल' पर कान्फ्रेंस आयोजित की.

बायें से दायें: खड़े हुए हैं डा. जनमेजय सिन्हा, अध्यक्ष आसिस बीसीजी, बैठे हुए हैं : 1.श्री कौशिक चटर्जी, ग्रुप सीएफओ, टाटा स्टील 2.सुश्री कल्पना कोचर, उप निदेशक, एशिया एण्ड पेसिफिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 3.सुश्री नैना लाल किदवाई, ग्रुप जीएम, एचएसबीसी 4.श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 5.श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, 6.सुश्री चंदा कोचर, सीईओ एवं एमडी, आईसीआईसीआई बैंक 7.श्री नीरज स्वरूप, क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक, इंडिया एवं साउथ एशिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 8.डा. संजया पंथ, वरिष्ठ निवासी प्रतिनिधि भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 9.श्री राणा कपूर, संस्थापक / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यॅस बैंक 10.श्री नारायण रामचन्द्रन, प्रबंध निदेशक एवं कंट्री हेड, मॉरगन स्टेनले इंडिया.

Indian Bankers' Association with Federation of India Chambers of Commerce & Industry (FICCI) had organised conference on "Global Banking: Paradigm Shift" - 'Unlocking the potential amidst global turmoil' held on 8-10 September 2009 at Mumbai.

From left to right: Standing-Dr. Janmejaya Sinha, Chairman, Asis, BCG, Sitting: 1. Mr. Koushik Chatterjee, Group CFO, Tata steel 2. Ms. Kalpana Kochhar, Deputy Director, Asia & Pacific, International Monetary Fund 3. Ms. Naina Lal Kidwai, Group GM, HSBC 4. Mr. S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India 5. Mr. M.V. Nair, Chairman, IBA & Chairman, Union Bank of India 6. Ms. Chanda Kochhar, CEO & MD, ICICI Bank 7. Mr. Neeraj Swaroop, Regional Chief Executive, India and South Asia, Standard Chartered Bank 8. Dr. Sanjaya Panth, Senior Resident Representative-India, International Monetary Fund 9. Mr. Rana Kapoor, Founder/Managing Director & CEO Yes Bank 10. Mr. Narayan Ramachandran, Managing Director and Country Head, Morgan Stanley India.



99 वें संस्थापना दिवस समारोह के अवसर पर (बायें से दायें) श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुरेश कलमाड़ी, अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 आयोजन समिति, श्री नमो नारायण मीना, माननीय वित्त राज्यमंत्री एवं श्री बी. एन. एस. रत्नाकर, महाप्रबंधक, दिल्ली अंचल.

On the occasion of 99th Foundation Day programme of our Bank at Delhi from left to right Shri S. Sridhar, CMD, Shri Suresh Kalmadi, Chairman, Organising Committee, Commonwealth Games 2010, Shri Namoo Harain Meena, Hon'ble Minister of State for Finance and Shri B.N.S. Ratnakar, General Manager, Delhi Zone.



श्री सुरेश कलमाड़ी, अध्यक्ष, आयोजन समिति राष्ट्रमंडल खेल 2010 एमओयू पर हस्ताक्षर करने के पश्चात श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ हाथ मिलाने हुए.

Shri Suresh Kalmadi, Chairman, Organising Committee Commonwealth Games 2010 shaking hands with Shri S. Sridhar, CMD, Central Bank of India after signing MOU with Central Bank of India.



दिनांक 09 जनवरी, 2010 को मुजफ्फरपुर अंचल के लालगंज प्रखण्ड में हमारे बैंक एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया. मेगा ऋण शिविर का उद्घाटन बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री, माननीय श्री सुशील कुमार मोदी ने किया. चित्र में दायें से डॉ. आर. संगापुुरे, अध्यक्ष उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, माननीय श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री बिहार को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए. चित्र में श्री टी. के. पाईक, आंचलिक प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय, मुजफ्फरपुर, एवं श्री संजय सिंह, उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम परिलक्षित हैं.

Our Bank and Uttar Bihar Gramin Bank has organised Mega Loan Camp at Lalganj Block of our Muzaffarpur Zone on 9th January, 2010. The camp was inaugurated by Dy. CM of Bihar State Shri Sushil Kumar Modi, Dr. R. Sangapure, Chairman Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur is giving Bouquet to Hon. Dy. CM Shri Sushil Kumar Modi, Shri T.K. Paik, Zonal Manager, ZO Muzaffarpur and Shri Sanjay Singh Dy. Chairman 20 Point Programme is visible in the picture.



श्री बी. एन. एस. रत्नाकर, महाप्रबंधक दिल्ली अंचल, श्री विलासराव देशमुख, केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग को हमारे बैंक का वीजा प्लेटिनम कार्ड सौंपते हुए. (बायें) श्री पी. सी. जोशी, मुख्य प्रबंधक जनसंपर्क दिखाई दे रहे हैं.

Shri B. N. S. Ratnakar, General Manager, Delhi Zone presenting Bank's Visa Platinum Card to Shri Vilas Rao Deshmukh, Union Minister of Heavy Industries. (Left) Shri P. C. Joshi, Chief Manager, Public Relations.



फिक्की द्वारा कोलकाता में 'बैंक्स : शेपिंग इंडिया इन चैलेंजिंग टाइम्स' पर बैंकिंग कॉन्क्लेव 2009 आयोजित किया गया श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिनांक 29 जुलाई, 2009 को कोलकाता में आयोजित बैंकिंग कॉन्क्लेव 2009 के सहभागियों को संबोधित करते हुए.

Banking Conclave 2009 was organised by FICCI at Kolkata on "Banks : Shaping India in Challenging Times."
Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director addressing the participants of Banking conclave 2009 on 29th July, 2009 at Kolkata.



भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार राज्य, देवघर जिले के गायखेरा गांव में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. हमारे बैंक की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भा.रि.बैं. की उप गवर्नर, माननीया सुश्री श्यामला गोपीनाथ के साथ बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एन. सिन्डोलिया एवं अन्य अधिकारी गण.

Under outreach programme of RBI Exhibition was organized at Giakhera Village of Deoghar District of Bihar. Mrs. Shymala Gopinath, Dy. Governor, RBI inspecting our Bank's exhibition. Along with her is Shri R.N. Syandolia, AGM.



श्री रामनाथ प्रदीप, कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (दायें) एवं श्री कमलजी, सहाय, प्रबंध निदेशक, स्टार यूनियन दाई-चि लाइफ इंश्योरेंस लि. (बायें) रिवर्स मॉर्गेज लोन सह वार्षिकी उत्पाद पर एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए. माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नमो नारायण मीणा (मध्य में) बायें से दायें श्री एम. बालचन्द्रन, 'चेयरमेन स्टार दाई-चि लाइफ इंश्योरेंस लि. श्री जी. सी. चतुर्वेदी, आई. ए. एस. अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एवं राष्ट्रीय आवास बैंक, श्री आर. वी. वर्मा, कार्यपालक निदेशक-राष्ट्रीय आवास बैंक भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं.

Shri Ramnath Pradeep, Executive Director, Central Bank of India (right) & Shri Kamalji Sahay, Managing Director, Star Union Dai-ichi Life Insurance Ltd. (left) exchanging MOU on Reverse Mortgage Loan enabled Annuity Product. Hon'ble Minister of State for Finance, Govt of India Shri Namu Narain Meena(centre) , - Left to right - Shri M Balachandran" Chairman, Star Union Di-ichi Life Insurance Ltd., Shri G.C. Chaturvedi IAS, Additional Secretary, Govt of India, Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India & National Housing Bank, Shri R. V. Verma, Executive Director, National Housing Bank are also seen in the picture.



बैंक के प्री पेड गिफ्ट कार्ड का शुभारम्भ करते समय (बायें से दूसरे) श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया तथा (मध्य में) श्री जी. सी. चतुर्वेदी, आई.ए.एस., अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं दिखाई दे रहे हैं. चित्र में (एकदम बायें) श्री रामनाथ प्रदीप, (दायें से दूसरे) श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण (दायें से तीसरे) श्री साइमन हिल्टन, आरईवी एशिया पैसिफिक के सीईओ, (एकदम दायें) श्री बी. एन. एस. रत्नाकर, महाप्रबंधक, आंचलिक कार्यालय दिल्ली भी दिखाई दे रहे हैं.

(Second left) Shri S Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India is seen with (centre) Shri G C Chaturvedi, IAS, Additional Secretary, Financial Services while launching Bank's Pre-paid Gift Card at Delhi. Also seen in the picture(extreme left) Shri Ramnath Pradeep , (second from right) Shri Arun Kaul, Executive Directors of Central Bank of India, (third from right) Shri Simon Hilton, CEO of REV, Asia Pacific and (extreme right) Shri B.N.S. Ratnakar, General Manager, Zonal Office, Delhi.



99वां संस्थापना दिवस

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 99वां संस्थापना दिवस सोमवार दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को टाटा थियेटर, एनसीपीए, मुम्बई में मनाया गया. इस अवसर पर बैंक द्वारा 'न्यू हॉरिजन' फ्यूजन म्यूजिक कन्सर्ट के साथ नृत्य का कार्यक्रम रखा गया. इसमें गणमान्य अतिथिगण एवं बैंक के सम्माननीय ग्राहकगण उपस्थित हुए. (बायें से चौथे) श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रोताओं को संबोधित करते हुए.

99th Foundation Day

The 99th Foundation Day celebration of Central Bank of India was held on Monday, 21st December, 2009 at Tata Theatre, NCPA, Mumbai. On this occasion the Bank hosted "New Horizons" - a Fusion Music Concert accompanied by dance, which was well attended by eminent dignitaries and customers of the Bank. Forth from the left, Shri S. Sridhar, Chairman and Managing Director speaking to the audience.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे के साथ मिलकर दिनांक 5 सितम्बर 2009 को एसपीबीटी महाविद्यालय, मुम्बई में 'जोखिम प्रबंधन एवं बासल II' पर एक राष्ट्रीय हिन्दी सेमिनार आयोजित किया गया.

सेमिनार के अवसर पर बैठे हुए बायें से दायें : श्री पी. सी. श्रीवास्तव (महाप्रबंधक-राजभाषा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया), सुश्री कमला राजन प्राचार्या (कैब, भारिबैं) श्री एस. श्रीधर (सीएमडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया), श्री बी. महापात्रा (सीजीएम-भारिबैं), श्री अरुण कौल, (ईडी-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया), सुश्री रुपम मिश्र (महाप्रबंधक- राजभाषा, भारिबैं).

National Seminar on Risk management and Basel II was organised by Central Bank of India under the auspices of College of Agricultural Banking Pune, Reserve Bank of India on 5th September, 2009 at Bank's SPBT College Mumbai.

On the occasion of the Seminar sitting from left to right: Shri P.C. Srivastava (GM, Rajbhasha - CBI), Ms. Kamala Rajan (Principal-CAB, RBI), Shri S. Sridhar (CMD - Central Bank of India), Shri B. Mahapatra (CGM - RBI), Shri Arun Kaul (ED -CBI), Roopam Mishra (GM-Rajbhasha-RBI).



स्कॉच कंसलटेन्सी सर्विसेस द्वारा नई दिल्ली में श्री एस. श्रीधर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2010 प्रदान किया गया। श्री एस. श्रीधर जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुखिया भी हैं तथा जो प्रौद्योगिकी अनुकूल बाजार प्रतिसंवेदी ग्राहकोन्मुख विशेषज्ञतापूर्ण एवं समाधान कारक संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने शाखाओं को अपग्रेड कर नया स्वरूप देने तथा अपने ग्राहकों को पेश किए जाने वाले उत्पाद एवं प्रक्रिया हेतु 'ऑपरेशन नवचेतना' प्रारंभ किया गया। नई दिल्ली में डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउन्सिल से अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री. एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया.

For innovative Business Model the Skoch Challenger Award 2010 was conferred on Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central bank of India by Skoch Consultancy Services at New Delhi. Shri S. Sridhar, as head of Central Bank of India is seeking to transform Bank into a techno-savvy, a market-responsive, customer-oriented, expertise laden and problem-solving institution. Under his leadership, the Bank has launched what is called "Operation Rejuvenation", which involves enhancing the capability of its employees, upgrading its branches to give them a new look and also in terms of processes and products that it is offering to its customers. Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India receiving the Award from Dr. C. Rangarajan, Hon'ble Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister, at New Delhi.



माननीय श्री सुल्तान अहमद, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री, भारत सरकार से श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करते हुए.

Sri S Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India is receiving Bank Excellence Award from Sri Sultan Ahmed, Hon'ble Minister of State for Tourism, Government of India.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खादी एवं ग्रामोद्योग में उत्कृष्टता के लिए नेशनल अवार्ड-2009 प्राप्त हुआ

दिनांक 28 अगस्त, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित शानदार समारोह में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खादी एवं ग्रामोद्योग में उत्कृष्टता के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ एवं पूर्वांचल में आरईजीपी/पीएमईजीपी योजनांतर्गत केवीआई प्रोग्राम का प्रचार करने के लिए 'सर्वोत्तम बैंक' चुना गया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई तथा माननीय श्री दिनशा पटेल, एमएसएमई राज्यमंत्री ने श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पुरस्कार प्रदान किया.

Central Bank of India was awarded National Award - 2009 for excellence in Khadi & Village Industries

In a glittering function held at Vigyan Bhavan, New Delhi on 28th August, 2009, Central Bank of India was awarded National Award - 2009 for excellence in Khadi & Village Industries and was adjudged as Best Bank in East Zone in propogating KVI Programme under REGP/PMEGP Scheme. The function was presided over by the Hon'ble Prime Minister of India and prize was awarded by Shri Dinsha Patel, Hon'ble Minister of State MSME, Govt. of India to Shri S Sridhar, Chairman& Managing Director of Central Bank of India.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए टीएफसीआई टेक्नॉलॉजी अवार्ड

श्री ए. के. मोहन्ती, प्रमुख आईटी प्रोजेक्ट (एकदम दायें) एवं श्री बी. गणेश, उप महाप्रबंधक आईटी (एकदम बायें) इन्फोसिस के श्री एम. हरगोपाल से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए मध्य में श्री एस. श्रीधर, सीएमडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया.

IBA/TFCI's Technology Award to Central Bank of India

Shri A K Mohanty, Head - IT Projects (extreme right) and Shri B. Ganesh, DGM-IT (extreme left), receiving the recitation from Shri M Haragopal of Infosys. Shri S Sridhar, CMD, Central Bank of India is in the centre.



रोटरी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस

रोटरी इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 3050, अहमदाबाद ने श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया (बीच में) को भारत में बैंकिंग क्षेत्र को प्रदत्त उनके अनूठे योगदान, जिसके तहत निराश्रित गरीबों एवं मध्यम श्रेणी के लोगों को आवास मुहैया कराने में आवासीय सूक्ष्म वित्त प्रदान करने की अद्भुत पहल करने तथा उनके द्वारा लोकोन्मुख बैंकिंग सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए कई उच्च स्तरीय सरकारी समितियों में टेक्नोक्रेट एवं मैनेजमेंट विशेषज्ञ के रूप में भूमिका निभाने हेतु 'रोटरी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस' प्रदान किया।

Rotary Award for Excellence

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRICT 3050, Ahmedabad, confers Rotary Award for Professional Excellence on Shri S. Sridhar, Chairman & Managing Director, Central Bank of India, (centre), for his unique contribution to the Banking sector in India, initiating housing micro finance to help the Shelter less poor and middle class to have their home and his role as technocrat and management expert on a number of high level government committees to evolve people oriented Banking services. The Award was conferred by leading management consultant Dr. M. B. Athreyan (Second form left).



सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया को 2010 आईएमएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान किया गया

श्री बी. एन. एस. रत्नाकर, महाप्रबंधक सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया, आईएमएम के संस्थापक एवं एक्जीक्यूटिव अध्यक्ष प्रोफेसर जगजीत सिंह से अन्य महानुभावों की उपस्थिति में अवार्ड प्राप्त करते हुए. सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया को दिनांक 11 फरवरी, 2010 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, दिल्ली में आयोजित 37 वीं वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस में 2010 आईएमएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एज एमिनेंट ऑर्गनाइजेशन का अवार्ड दिया गया.

Central Bank of India has been awarded 2010 IMM Award for Excellence

Shri B. N. S. Ratnakar, General Manager, Central Bank of India receiving the award from Prof Jagjit Singh, Founder & Executive President, IMM in presence of other dignitaries. Central Bank of India has been awarded 2010 IMM Award for Excellence as Eminent Organization at the 37th World Marketing Congress organized at India Habitat Centre in Delhi on February 11, 2010.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 'बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर' की श्रेणी में आउट लुक मनी एनडीटीवी प्रॉफिट अवार्ड 2009 प्राप्त किया। दिनांक 28 अक्टूबर 2009 को मुम्बई में आयोजित अवार्ड समारोह में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री रामनाथ प्रदीप ने योजना आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया से अवार्ड प्राप्त किया।

Central Bank of India received the Outlook Money NDTV Profit Award 2009 in the category of "Best Education Loan Provider". The Award was received by Shri Ramnath Pradeep, Executive Director of the Bank from Shri Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission, Government of India, at an award function held at Mumbai on 28th October, 2009.



भारतीय रिज़र्व बैंक ने हमारे बैंक को भाषिक क्षेत्र 'क' में भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए चौथा पुरस्कार प्रदान किया। श्री अरुण कौल, कार्यपालक निदेशक, सुश्री उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए डा. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं हमारे बैंक के श्री पी. सी. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक राजभाषा, भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

Reserve Bank of India has awarded 4th Prize to our Bank for excellent implementation of Official Language Policy of Govt. of India in Linguistic Region "A".

Shri Arun Kaul, Executive Director receiving Certificate from Mrs. Usha Thorat, Dy. Governor, RBI. Dr. D. Subbarao, Governor, RBI and Shri P. C. Srivastav, General Manager - Rajbhasha of the Bank are also seen.



सर सोराबजी पोचखानावाला स्मृति व्याख्यान

महामहिम श्री कमलेश शर्मा, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल ने दिनांक 31 मार्च, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के "सर सोराबजी पोचखानावाला स्मृति व्याख्यान" में व्याख्यान दिया. उनके दांये तरफ श्री एस. श्रीधर बैंक के सीएमडी एवं उनकी बायें तरफ डॉ. वी. कृष्णमूर्ति, अध्यक्ष नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पेटिटिवनेस काउंसिल.

Sir Sorabji Pochkhanawala Memorial Lecture.

H. E. Shri Kamalesh Sharma, Commonwealth Secretary General delivered Central Bank of India's "Sir Sorabji Pochkhanawala Memorial Lecture" on 31st March 2010 at Vigyan Bhawan, New Delhi. On his right is Shri S. Sridhar, CMD of the Bank and on his left Dr. V. Krishnamurthy, Chairman, National Manufacturing Competitiveness Council.



निदेशकों की रिपोर्ट
2009-10



निदेशकों की रिपोर्ट 2009-10

सम्माननीय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय 23.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.51213 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 269225 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियाँ 23.48 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.30835 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.162107 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल अग्रिम 24 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.20378 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.107118 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ 43.21 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, रु. 621 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.2058 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ 85.25 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.487 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.1058 करोड़ हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II के अनुसार) पिछले वर्ष के 13.12 प्रतिशत से घटकर 12.23 प्रतिशत हो गया।
- नेट वर्थ 30.15 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.1327 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.5728 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल एन.पी.ए. पिछले वर्ष के रु.2316 करोड़ में रु.142 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए, रु.2458 करोड़ हो गया। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले वर्ष के 2.67 प्रतिशत से घटकर 2.29 प्रतिशत हुआ।
- शुद्ध एन.पी.ए., जो पिछले वर्ष रु.1063 करोड़ रुपये था, घटकर रु. 727 करोड़ हो गया। शुद्ध एन.पी.ए., जो पिछले वर्ष (2009) 1.24 प्रतिशत था, घटकर 0.69 प्रतिशत हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम), वर्ष 2009 के 1.97 प्रतिशत से घटकर 1.86 प्रतिशत रहा। यह निवेश पर प्रतिफल में कमी होने की वजह से था, जो 6.89 प्रतिशत (2009) से घटकर 6.74 प्रतिशत रहा। औसत अर्जन आस्तियाँ पिछले वर्ष के रु.112578 करोड़ से बढ़कर रु.137085 करोड़ हो गईं।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय, जो पिछले वर्ष रु.560 लाख था, यह बढ़कर रु.712 लाख प्रति कर्मचारी हो गया।
- प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ वर्ष 2009 में रु.1.71 लाख था, यह बढ़कर रु.3.30 लाख हो गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 20.66 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष के रु.29332 करोड़ से बढ़कर रु.35393 करोड़ हो गये।
- बैंक के कृषि ऋण में 29.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह बैंक के शुद्ध ऋण का 21.31 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड 18 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 2.33 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, इसके अन्तर्गत रु.1639 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की गईं।
- नया उत्पाद सेन्ट्रल किसान गोल्ड कार्ड शुरू किया एवं ये 85113 किसानों को जारी किए गए।
- वर्ष के दौरान, कुल 17245 स्वयं सहायता समूह बनाये गये, इनमें से 15685 समूहों के साथ रु.158 करोड़ की ऋण सम्बद्धता रही।
- एमएसई क्षेत्र को अग्रिम में 59.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2009 के रु.5833 करोड़ से बढ़कर यह रु.9317 करोड़ पर पहुंच गया। समूह आधारित दृष्टिकोण के तहत, 60 एसएसआई विशिष्ट शाखाओं को 'एसएमई विशिष्ट शाखाएं' के रूप में पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।
- 14047 गांवों को शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत शामिल किया गया एवं वर्ष के दौरान, 34.08 लाख 'नो-फ्रिल' खाते खोले गए।
- बैंक का रिटेल ऋण 23.37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, रु.9070 करोड़ (2009) से बढ़कर रु.11190 करोड़ हो गया। सकल अग्रिमों में रिटेल ऋण का अंश 10.45 प्रतिशत रहा।
- शैक्षिक ऋण वर्ष के दौरान 44 प्रतिशत वृद्धि के साथ, रु.1189 करोड़ हो गया।
- वाहन-ऋण पोर्टफोलियो में 50.16 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई और यह रु.553.35 करोड़ हो गया।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का ऋण रु.24479 करोड़ हो गया।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने 49 नई शाखाएं खोली और दिनांक 31 मार्च 2010 को बैंक की शाखाओं का नेटवर्क 3577 की संख्या तक पहुंच गया।

- 1533 शाखाओं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत लाया गया.
- वर्ष के दौरान, सेन्ट गोल्ड काइन की रिटेल बिक्री शुरू की गई.
- वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.772.31 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ अर्जित किया.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान, आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

		(रु. करोड़ में)			
		31.03.2010	31.03.2009	कमी/बढ़ोतरी	%
1.	ब्याज आय	12064	10455	1609	15.29
	- अग्रिम	8648	7753	895	11.54
	- निवेश	3307	2563	744	29.02
	- अन्य	109	139	-30	-21.58
2.	अन्य आय	1735	1070	665	62.14
	(निवेशों की बिक्री पर लाभ)	772	410	362	88.29
3.	कुल आय (1+2)	13799	11525	2274	19.73
4.	प्रदत्त ब्याज	9519	8227	1292	15.70
	- जमाएं	9121	7913	1208	15.26
	- अन्य	398	314	84	26.75
5.	परिचालन व्यय	2222	1861	361	19.40
	- स्थापना	1544	1272	272	21.38
	- अन्य	678	589	89	15.11
6.	परिचालन व्यय (4+5)	11741	10088	1653	16.39
7.	कीमत-लागत अंतर (1-4)	2545	2228	317	14.22
8.	परिचालन लाभ (3-6)	2058	1437	621	43.21
9.	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	509	512	-3	-0.59
10.	कराधान के लिए प्रावधान	491	354	137	38.70
11.	शुद्ध लाभ	1058	571	487	85.25

- निवेशों से आय में 29.02% की वृद्धि दर्ज की, जबकि अग्रिमों से ब्याज आय में 11.54% की वृद्धि हुई. इस वर्ष ब्याज की आय में 15.29% की वृद्धि दर्ज की गई.
- शुद्ध ब्याज आय (कीमत-लागत अंतर) में 14.22% की वृद्धि हुई, जबकि ब्याज खर्च में 15.70% की वृद्धि हुई.
- अग्रिमों की ब्याज दर कम होने के कारण, शुद्ध ब्याज मार्जिन वर्ष 2009 के 1.97% से घटकर 1.86% रहा तथा अग्रिमों पर प्रतिफल 10.19% (2009) से घटकर 9.82% रह गया.
- परिचालन लाभ में 43.21% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2009-10 के लिए शुद्ध लाभ में भी 85.25% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई.

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 के लिए लाभ एवं हानि खाते से किए गए रु.1000 करोड़ के प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

	(रु. करोड़ में)		
	31.03.2010	31.03.2009	परिवर्तन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	30	45	-15
एनपीए के लिए प्रावधान	288	322	-34
निवेशों पर अवमूल्यन/ प्रावधान	65	91	-26
करों के लिए प्रावधान	491	354	137
अन्य	126	54	72
कुल	1000	866	134



4. स्प्रेड विश्लेषण

	(प्रतिशत में)	
	31.03.2010	31.03.2009
जमाओं की लागत	6.29	6.90
निधियों की लागत	6.34	6.94
अग्रिमों पर प्रतिफल	9.82	10.19
निवेशों पर प्रतिफल	6.74	6.89
शुद्ध ब्याज मार्जिन	1.86	1.97
लागत - आय अनुपात	51.91	56.44

- जमाओं की लागत वर्ष 2009 के 6.90% से घटकर वर्ष 2010 में 6.29% रही और निधि लागत भी गत वर्ष के 6.94% से घटकर 6.34% रह गई.
- पिछले वर्ष के अग्रिमों पर प्रतिफल एवं निवेशों पर प्रतिफल दोनों में कमी दर्ज हुई और यह पिछले वर्ष के 10.19% तथा 6.89% से घटकर क्रमशः 9.82% तथा 6.74% रह गया.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन, 1.97% (2009)से घटकर 1.86% रह गया.
- लागत आय अनुपात, वर्ष 2009 के 56.44% से घटकर 51.91% रह गया.

5. बैंकिंग अनुपात

	(प्रतिशत में)	
	2009-10	2008-09
औसत कार्यशील पूंजी (एडब्ल्यूएफ) की तुलना में ब्याज आय	7.56	8.22
औसत कार्यशील पूंजी की तुलना में गैर ब्याज आय	1.09	0.84
औसत कार्यशील पूंजी की तुलना में परिचालन लाभ	1.29	1.13
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.66	0.45
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. लाख में)	712	560
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु.लाख में)	3.30	1.71

6. जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नवत हैं :-

	31.03.2010		31.03.2009	
	बेसल - I	बेसल - II	बेसल - I	बेसल - II
जोखिम भारित आस्तियां (रु. करोड़ में)	104344	92181	79572	71270
पूंजीगत निधियां (प्रतिशत में)				
- टियर I	6.03	6.83	6.24	6.97
- टियर II	4.78	5.40	5.51	6.15
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.81	12.23	11.75	13.12

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

वर्ष 2009-10 के लिए, बैंक ने रु.1058 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है. निदेशक मंडल को 22% की दर से लाभांश संस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

- श्री अरुण कौल की कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 22 अप्रैल, 2009 से नियुक्ति की गई.
- श्री रोमेश सभरवाल अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 से पुनर्नियुक्ति की गई.
- मेजर (सेवानिवृत्त) वेदप्रकाश की अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 से पुनर्नियुक्ति की गई.
- श्री बी.एस.रामबाबू की कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में दिनांक 16 मार्च, 2010 से नियुक्ति की गई.

9. निदेशकों के दायित्व सम्बंधी विवरण

सभी निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है.
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय तथा प्राक्कलन किये गये हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबार का एवं दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही चित्रण प्रस्तुत किया जा सके.
- भारतीय बैंकों को प्रशासित करने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं.
- संस्था के परिचालन सातत्य को ध्यान में रखकर लेखे तैयार लिए गए हैं

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का बोर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने के लिए पूर्णरूपेण वचनबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उत्तम लिखित पद्धतियों तथा प्रथाओं को अपनाया है.

11. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा दर्शाये गए निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

एस श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 22 मई, 2010



प्रबंधतंत्र विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए - आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक गतिविधियां

प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 1998 की चौथी तिमाही के दौरान समुत्थान (मंदी से उबरने) की प्रक्रिया में तेजी परिलक्षित हुई, जिसकी वजह इन देशों की केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों द्वारा अपनाये गए सघन मंदी विरोधी उपाय थे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ अब वैश्विक समुत्थान का निर्धारण कर रही हैं यह अब भी स्वयमेव समुत्थान की तथापि, दशा एवं दिशा का निर्धारण नहीं कर पा रही है। आईएमएफ ने पिछले वर्ष के -0.8% वैश्विक वृद्धि के समक्ष वर्ष 2010 के लिए 3.9% की वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। विकसित तथा उभरती, इन दोनों ही बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2010 में सुदृढ़ समुत्थान दर्ज होने की संभावना है। तथापि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती बेरोजगारी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई तथा विभेदक वृद्धि में वैश्विक दृष्टिकोण के विचारणीय खतरे भी हैं। साथ ही, जो मौद्रिक जोखिम, वर्तमान में यूरोप के कुछ हिस्सों तक सीमित है, वह इन कुछ देशों की नाजुक वित्तीय स्थिति की वजह से अन्य विकसित देशों तक पैर पसार सकती है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

अल्प मात्रा में दक्षिण पूर्वी बरसात की वजह से देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तथापि, रबी की अच्छी फसल तथा अनुषंगी क्षेत्र में हुई सुदृढ़ वृद्धि ने इसके प्रभाव को मद्धिम कर दिया है, परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की प्रत्याक्षित गिरावट के साथ खाद्यान उत्पादन 216.9 मिलियन टन से भी कम होने की संभावना है। हालांकि, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल इत्यादि में गिरावट की संभावना है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, औद्योगिक प्रगति वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव से काफी उबर चुका है। पिछले वर्ष के 2.8% की संचयी वृद्धि की तुलना में अप्रैल-मार्च, 2010 के दौरान यह आंकड़ा 10.4% रहा। पिछले वर्ष के 2.8% के विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि के समक्ष इस वर्ष की 10.9% की वृद्धि ने औद्योगिक समुत्थान का निर्धारण किया है। इस समुत्थान का एक और पहलू यह है कि यह और अधिक व्यापक धरातल पर था, क्योंकि मार्च, 2010 में कुल 17 में से 14 औद्योगिक समूहों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उद्योगों का प्रयोग-आधारित वर्गीकरण यह दर्शाता है कि पूंजीगत वस्तुओं में 19.20% तथा तत्पश्चात अर्ध-निर्मित वस्तुओं में 13.6% और मूल वस्तुओं में 7.1% की वृद्धि हुई है। संभावना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले उद्योगों में भी यह प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। इसी तरह, वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही से सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी उछाल दर्ज हुआ।

हमारा निर्यात 12 महीनों की सतत गिरावट के चंगुल से बाहर निकला तथा नवम्बर, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि में इसमें 20.5% की औसत वृद्धि दर्ज हुई। हमारे निर्यात में भी स्थिति-परिवर्तन हुआ तथा दिसम्बर, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि में इसमें 43% की औसत वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल से दिसम्बर, 2009 की अवधि में भुगतान-संतुलन की स्थिति के अंतर्गत चालू खाता घाटे में मामूली वृद्धि हुई। भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा लगभग 27 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 280 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई।

इसी तरह सभी समष्टि आर्थिक संकेतक घरेलू अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ समुत्थान की ओर इंगित करते हैं।

वर्ष 2009-10 की पहली छमाही के दौरान अप्रैल से मई, 2009 के दौरान सुर्खियों में आई महंगाई संतुलित रही तथा तदनंतर जून से अगस्त, 2009 के दौरान आधारभूत प्रभाव के कारण यह नकारात्मक हो गई। आधारभूत प्रभाव से क्षीण होने तथा आपूर्ति सम्बंधी बाधाओं के कारण फरवरी, 2010 तक थोक मूल्य सूचकांक आधारभूत महंगाई 9.9% तक पहुंच गई। मार्च, 2010 के दौरान भी थोक मूल्य सूचकांक प्रायः इसी स्तर पर रहा। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का कारण, कृषि उत्पादन में कमी तथा कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में होना वर्ष की तदनंतर छमाही में गैर-खाद्यान उत्पादों में महंगाई सामान्य हो गई।

मौद्रिक स्तर पर गतिविधियां

फरवरी, 2010 में 75 बीपीएस की वृद्धि के माध्यम से आधिक्य तरलता को कम करने के बावजूद तरलता की स्थिति ठीक रही। वर्ष 2009-10 के दौरान, व्यापक मुद्रा में वृद्धि की गति का कारण घटक पक्ष में सकल जमा में तथा स्रोत पक्ष में वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक ऋण गिरावट थी। नवम्बर, 2009 में बैंक ऋण पुनः वृद्धि की वजह से एम3 में व्यापक बदलाव आया। गैर-बैंकिंग स्रोतों से संसाधनों की उपलब्धता का प्रभाव यह हुआ कि पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की 18.9% वृद्धि के समक्ष इस वर्ष उच्चतर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.8% रही। वर्ष के दौरान मौद्रिक विस्तार का प्रमुख संवाहक सरकार को प्रदत्त बैंकिंग प्रणाली ऋण था।

बैंकिंग

दिनांक 31 मार्च, 2010 को पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में सकल जमाओं में 17.1% की वृद्धि दर्ज हुई। निम्नतर नीति दरों के उदासीन प्रतिसाद में सावधि जमाओं पर ब्याज दरों में हुई क्रमिक गिरावट की मुख्य वजह से बैंकिंग प्रणाली द्वारा जमा संग्रहण की गति में मंदी नजर आई। समवर्ती पिछले वर्ष के 0.5% के आंकड़े के समक्ष मांग जमाओं में 22.80% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि समवर्ती पिछले वर्ष के 23.1% के आंकड़े के समक्ष सावधि जमाओं में 16.2% की वृद्धि हुई।

वर्ष इस अक्टूबर, 2009 तक गैर-खाद्यान्न ऋण घटकर 10.3% की सीमा तक पहुंच गया। चूंकि औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि हुई थी तथा वसूली अधिक व्यापक हो गई, अतः नवम्बर, 2009 के अंत से ऋण मांग में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण वृद्धि 16.9% तक पहुंच गई, जिससे कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण रु.32,40,399 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले दो वर्षों के दौरान अ.वा.बैंकों द्वारा निरपेक्ष स्वरूप में प्रदत्त वृद्धिशील ऋण सर्वाधिक रहा। उद्योगों ने वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न ऋण का 52.5% का उपयोग किया। उद्योग समूहों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोह तथा स्टील एवं धातुओं में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 19.5% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि विदेशी बैंकों में इसमें गिरावट पाई गई।

भाग बी - बैंक का कार्य-निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2010 को बैंक के कुल व्यवसाय में पिछले वर्ष के रु.218012 करोड़ से 23.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.269225 करोड़ हो गया। परिचालन लाभ में पिछले वर्ष के रु.1437 करोड़ में 43.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह रु.2058 करोड़ हो गया। बैंक ने रु.1058 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया है, जोकि पिछले वर्ष के रु.571 करोड़ के शुद्ध लाभ में 85.3% की वृद्धि दर्शाता है।

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2010 को कुल जमाराशि में 23.5% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर दर्ज करते हुए यह रु.162107 करोड़ हो गई। सभी प्रकार के घटक जैसे अन्य से मांग जमाराशियां अन्य की अर्थात् गैर-बैंक जमाकर्ता, बचत जमाराशियां तथा मीयादी जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करते हुए कासा में 27.5% की वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

ऋण

गत वर्ष के बैंक के सकल ऋण रु 86, 869 करोड़ के सापेक्ष, 23.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष दिनांक 31.03.2010 को रु.107,261 करोड़ रहा। हालांकि ऋण में हुई वृद्धि सभी घटकों में संवितरित हुई है, फिर भी बुनियादी संरचना (72.77%) एवं खुदरा व्यापार (23.4%) में वृद्धि अधिकतम रही है।

वर्ष के दौरान, बाज़ार की मांग को दृष्टिगत करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष में नई योजनाएं आरंभ की गईं। ये कमर्शियल पेपर जारी करने के लिए योग्य कंपनियों तथा उत्पाद संयंत्र वित्त योजना के लिए अल्पावधि ऋण हैं एवं बड़े कॉर्पोरेट की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुम्बई अन्तर-बैंक विदेशी मुद्रा प्रस्ताव दर सम्बद्ध अल्पावधि ऋण और खुदरा क्षेत्रों के लिए सेंट स्वाभिमान प्लस (वार्षिकी उत्पाद), सेंट डॉक्टर एवं सेंट व्यक्तिगत स्वर्ण ऋण हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान ऋण समूह न की शुरुआत भी की है एवं इसे बाजार से अच्छा प्रतिसाद भी प्राप्त हुआ है।

(रु. करोड़ में)

बकाया	दिनांक 31/03/2009 को	दिनांक 31/03/2010 को	वृद्धि (%)
खुदरा ऋण	9,070	11,190	23.37%
बुनियादी संरचना	14,169	24,479	72.76%
स्थावर सम्पदा	12,286	12,991	5.74%

प्राथमिकता क्षेत्र

हमारे बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पिछले वर्ष की वृद्धि दर 15% के सापेक्ष, 21% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2010 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर के अनिवार्य मानदण्ड को पार कर रु. 35393 करोड़ के अभी तक के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। हमारे बैंक ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि कृषि क्षेत्र में दर्ज है। हमने इस तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत 13.5% एवं कुल कृषि के अंतर्गत 18% के निर्धारित मानदण्डों को हासिल कर लिया है।


हमारे बैंक ने कमजोर वर्ग को सहायता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाते हुए कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानदण्ड 10% को हासिल किया है। सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता को अंकित करते हुए, हमारे बैंक को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 (राष्ट्रीय पुरस्कार-2009) के लिए पीएमईजीपी (पूर्व क्षेत्र) में श्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है।



(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	मार्च 2009	मार्च 2010	वृद्धि का %
(1)	(2)	(3)	(4)
एनबीसी /समायोजित शुद्ध बैंक ऋण	73619	85935	---
प्राथमिकता क्षेत्र (एनबीसी में अंश)	29332 (39.84)	35393 (41.19)	20.66
कृषि (एनबीसी में अंश)	14139 (19.20)	18309 (21.31)	29.92
- प्रत्यक्ष कृषि (एनबीसी में अंश)	8955 (12.16)	11607 (13.51)	29.61
- अप्रत्यक्ष (एनबीसी में अंश)	5184 (7.04)	6702 (7.80)	29.29
लघु एवं मध्यम उद्यम	5833	9317*	59.72
सूक्ष्म-ऋण एवं अन्य	197	468	137.56
शैक्षणिक ऋण	825	1180	43.03
आवास ऋण	6081	6119	0.62

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन आंकड़ों में खुदरा व्यापार के अंतर्गत अग्रिम शामिल हैं.





कृषि:

वर्ष के दौरान, बैंक ने कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह गतिशील बनाने को प्राथमिकता देना जारी रखा. कुल कृषि अग्रिम लगभग 30% की वृद्धि के साथ रु. 14,093 करोड़ से बढ़कर रु. 18,309 करोड़ हो गए. कृषि ऋण को दुगना करने के उद्देश्य से हमारी शाखाओं ने 4,66,813 कृषकों को रु. 7,608 करोड़ संवितरित किए हैं, जिससे हमारा बैंक 2,37,372 कृषकों को जोड़ने में सक्षम हुआ है एवं इन नए कृषकों को रु. 1813 करोड़ संवितरित किए गए हैं.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के अग्रिमों में वित्तीय वर्ष 2009-10 के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 59.72% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई. खुदरा व्यवसाय निवेश को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में शामिल करने के कारण भी यह तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई है.



हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को वित्त प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया है:

- समूह आधारित दृष्टिकोण :** बैंक ने देश भर में विभिन्न समूहों के अंतर्गत 60 लघु उद्योग विशेषीकृत शाखाओं को “लघु निर्माण उद्यम विशेषीकृत शाखाओं” के रूप में पुनः विनिर्दिष्ट किया है. उधारकर्ता इन शाखाओं को या किसी भी समूह शाखा को सीधे आवेदन भेज सकती हैं. ये शाखाएं हमारे बैंक के अन्य उत्पादों का प्रति विक्रय भी करेगी.
- चैनल वित्त :** बैंक ने चैनल वित्त पोषण करने के लिए विक्रेताओं एवं डीलरों के साथ अच्छा नेटवर्क रखने वाले कार्पोरेट से गठजोड़ किया है. बैंक वर्तमान में विभिन्न गठजोड़ योजनाओं के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बिल भुनाने एवं फैक्ट्रिंग की सेवा उपलब्ध करवा रहा है. यह योजनाएं उनकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं.
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तरीय उद्यमों को वित्त पोषण :** बैंक ने गठजोड़ व्यवस्था के तहत एवं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ग्रामस्तरीय उद्यमों को वित्त देने के लिए योजनाएं स्वीकृत की हैं. बैंक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 4167 ग्राम स्तरीय उद्यमों को वित्त प्रदान कर रहा है. प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र कम से कम 6 गांवों में ई-गवर्नेंस सेवाएं तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी साक्षरता प्रदान करेंगे.



- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रत्याभूति निधि न्यास (सीजीटीएमएसई):**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में नई एवं वर्तमान औद्योगिक इकाई को उन्नत बनाने के लिए संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष प्रतिभूति मुक्त संमिश्र ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बैंक इसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण प्रत्याभूति निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत कवर कर रहा है।

दिनांक 31.03.2010 को बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई कवरेज की स्थिति:

अवधि	वित्तीय वर्ष 2007-08	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10
खातों की संख्या	2624	3528	7034
संवृद्धि	निरंक	34.45%	99.37%
राशि (रु. करोड़ में)	118.87	189.94	414.97
संवृद्धि	निरंक	59.78%	118.47%

- **राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग के साथ उद्यमशीलता का विकास:**

इस प्रयोजन से बैंक ने 4 जिलों का चयन किया है।

- ए. मुर्शिदाबाद- पश्चिम बंगाल
- बी. सुलतानपुर- उत्तरप्रदेश
- सी. सवाई माधोपुर- राजस्थान
- डी. एर्नाकुलम- केरल

इन जिलों का विविध क्षेत्रों में वृद्धि की संभाव्यता के आधार पर चयन किया गया है। इस गठजोड़ व्यवस्था से बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए सक्रिय पहल की है।

सूक्ष्म ऋण :

सूक्ष्म ऋण, जो कि वित्तीय समावेशन एवं समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, को “महत्वपूर्ण क्षेत्र” चिह्नित करते हुए बैंक ने इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र के लिए उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाया है। बैंक ने विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को, वर्ष के दौरान अनंतिम लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए लगभग रु 1262.69 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड :

वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने रु. 1639 करोड़ की स्वीकृत सीमा के साथ 2.33 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वर्ष के अंत में, बकाया राशि रु. 5554 करोड़ के साथ कुल 9,59,161 कार्ड परिचालन में हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने किसानों के लिए उनके सभी आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए नया **सेंट्रल किसान गोल्ड कार्ड** शुरू किया है, जिसे कृषक ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। इस नई कार्ड योजना के कारण बैंक ने रु 964 करोड़ के कृषि वित्त के साथ 85,113 किसानों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम हुआ है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) :

वर्ष के दौरान, 17245 स्वयं सहायता समूह बनाए गए तथा 15,685 समूहों को रु. 158 करोड़ की कुल स्वीकृत ऋण सीमा के साथ ऋण सम्बद्धता प्रदान की गई। प्रारंभ से अब तक बैंक ने 78,716 समूहों को रु. 564 करोड़ की बकाया राशि के साथ ऋण सम्बद्धता प्रदान की है।

अग्रणी बैंक के अंतर्गत कार्य-निष्पादन :

बैंक के 48 अग्रणी जिलों में रु. 13055 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) 2009-10 लागू की गई है। जिसमें हमारे बैंक की साझेदारी रु. 3021 करोड़ थी, जो पूरे परिव्यय का 23.14% है। हमारे 48 अग्रणी जिलों में सभी बैंकों का कार्य निष्पादन 65.78% रहा, जबकि वर्ष के दौरान हमारे अग्रणी जिलों में वार्षिक ऋण योजना 2009-10 के कार्यान्वयन में हमारा कार्य निष्पादन 35% रहा।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, बैंक ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत 6161 हितग्राहियों को रु. 35 करोड़, तथा 8401 स्वरोजगारों को रु. 38 करोड़ तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत और 9689 स्वयं सहायता समूहों को रु. 113 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 2939 मामलों में रु. 119.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

कमजोर वर्ग को अग्रिम :

हमने कमजोर वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रु. 8697 करोड़ के ऋण दिए हैं, जो 10% के निर्धारित मानदण्ड की तुलना में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 10.12% है।

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम :

भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 121 चयनित जिलों में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को हाल ही में अंतिम रूप दिया था। इन अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों में हमारे बैंक की 921 शाखाएं हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रु. 2588 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 4,52,467 हितग्राहियों को रु. 3377 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हितार्थ जारी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 30.49% की वृद्धि दर्शाता है और यह हमारे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त अग्रिम का 9.61% है।

महिला लाभार्थियों को अग्रिम :

बैंक ने महिला लाभार्थियों को रु. 4679 करोड़ तक ऋण स्वीकृत किया है। इस क्षेत्र में, बैंक ने 5% के निर्धारित मानदंड के समक्ष शुद्ध बैंक ऋण का 5.44 प्रतिशत अनुपात हासिल किया है।

विभेदक ब्याज दर :

हमारे बैंक ने विभेदक ब्याज दर योजना के तहत रु. 23.69 करोड़ के ऋण प्रदान किए।

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना-2008 :

ऋण माफी योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 4,48,000 लघु एवं सीमांत कृषकों के कुल रु. 974.83 करोड़ माफ किए हैं।

भारत सरकार की ऋण सहायता योजना के समरूप कृषि उधारकर्ताओं के लिए हमारे बैंक की विशेष एकमुश्त निपटान योजना।

कृषक उधारकर्ताओं की सहायता के अभिप्राय से भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण सहायता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक विशेष एकमुश्त निपटान योजना तैयार की है, जिससे ऋण राहत योजना के अंतर्गत वसूली को बढ़ाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकमुश्त निपटान योजना के तहत बैंक/ ऋणदायी संस्थाओं को पात्र राशि के 75% से कम राशि भी प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि बैंक / ऋणदायी संस्थाएं अंतर राशि को स्वयं वहन करें एवं सरकार या कृषक से इसका दावा न करें। सरकार ऋण सहायता के अंतर्गत वास्तविक पात्र राशि का केवल 25% ही भुगतान करेगी, जैसा कि मूल योजना पुरस्कार-2008 में घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत बैंक के पास राशि रु. 1144 करोड़ के कुल 1,12,325 पात्र मामले हैं, जिनमें से ऋण सहायता योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2010 को 70376 कृषकों से रु. 608 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई है।

ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (रूडसेटी) की स्थापना :

हमारे बैंक द्वारा पहले ही 8 ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई हैं। अन्य 3 संस्थाओं को खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है एवं 5 नए स्थानों की पहचान भी की गई है। संबंधित राज्य की राज्य बैंकर्स समिति ने ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं (रूडसेटी) खोलने हेतु हमारे बैंक के लिए 25 नए सेंटर आबंटित किए हैं।

वित्तीय समावेशन

शाखा बैंकिंग द्वारा शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक को आबंटित किए गए 18,972 गांवों में से 14,047 गांवों में वित्तीय समावेशन का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करके 74% कवरेज प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 34.08 लाख 'नो - फ्रिल' खाते भी खोले हैं।

व्यवसाय अभिकर्ता मॉडल के उपयोग से सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित वितरण प्रणाली (गैरशाखा बैंकिंग) के अंतर्गत बैंक ने 13 जिलों में बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित समाधान का प्रारंभ किया है; बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के द्वारा 181 व्यवसाय अभिकर्ता (बी सी) आउटलेट को नियुक्त किया है और 77,000 से भी ज्यादा ग्राहकों को जोड़ा है। इसके अलावा, बैंक ने वर्ष 2013 तक चरणबद्ध तरीके से देश के 40,000 गांवों को शामिल करने की व्यापक आयोजना बनाई है। आयोजना के प्रथम चरण में 4950 व्यवसाय अभिकर्ता आउटलेट का उपयोग करते हुए 2000 से ज्यादा की आबादी वाले 5500 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

इसकी शुरुआत से अब तक 1,27,551 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनमें से 78,716 समूहों को समग्र ऋण सीमा रु. 563.79 करोड़ के साथ ऋण सम्बद्धता प्रदान की गई है, जो कि कुल स्वयं सहायता समूहों का लगभग 62% है। 78,716 समूहों में से समग्र साख सीमा रु. 429.13 करोड़ के साथ 63,112 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जो कुल स्वयं सहायता समूहों का लगभग 50% है।

खुदरा ऋण

बैंक के खुदरा बैंकिंग पोर्टफोलियों ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। मार्च 2009 के रु. 9070 करोड़ के खुदरा अग्रिमों के समक्ष रु. 11,190 करोड़ की वृद्धि हुई है। खुदरा अग्रिम वृद्धि की वर्ष-दर-वर्ष 23.37% है एवं कुल अग्रिमों में खुदरा अग्रिमों का अंश 10.45% है।

हमारे बैंक ने 107 प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों से शैक्षणिक ऋण के लिए गठजोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे शैक्षणिक ऋण पोर्टफोलियों में मार्च 2009 के रु. 824 करोड़ के समक्ष मार्च 2010 में रु. 1189 करोड़ के साथ 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। **आउटलुक एनडीटीवी-प्रोफिट के द्वारा हमारे बैंक को वर्ष 2008-09 के लिए बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर के रूप में चुना गया है।**

हमारे आवास ऋण पोर्टफोलियों में भी मार्च 2009 के रु. 4420.60 करोड़ के समक्ष मार्च 2010 में रु. 5317.51 करोड़ के साथ वर्ष-दर-वर्ष 20.28% वृद्धि हुई है। वाहन ऋण में मार्च, 2010 के रु. 553.35 करोड़ के निवेश के साथ 50.16% वृद्धि हुई है।

बैंक ने बाजार के अनुकूल एवं विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप चार नए ग्राहक केंद्रित उत्पाद बाजार में लेकर आया है, जैसे मेडिकल प्रैक्टीशनरों के लिए सेंट डॉक्टर ऋण योजना, कार्यरत कार्यपालकों के लिए एकजीक्यूटिव एमबीए-एक शैक्षणिक ऋण योजना, भारतीय प्रबंध संस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक ऋण एवं जन सामान्य के लिए सेंट व्यक्तिगत गोल्ड ऋण योजना।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ने उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मासिक सहायता को सुनिश्चित करते हुए रिवर्स मार्गेज ऋण-सह वार्षिकी योजना की शुरुआत की है जो कि इस क्षेत्र में बैंक का अग्रणी योगदान है। वरिष्ठ नागरिकों को, रिवर्स मार्गेज ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ने वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं से करार भी किया है।

बैंक ने अपने ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने आस्ति खण्ड के खुदरा उत्पादों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर कुछ उत्पादों जैसे सेंट रेंटल योजना, प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना, कंप्यूटर ऋण आदि में संशोधन किया है, ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। देयता खण्ड के अंतर्गत बैंक ने परिपक्वता राशि के दुगुने के बराबर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ जोड़कर एक अद्वितीय आवर्ती योजना की शुरुआत की है।

बैंक ने प्रायोगिक आधार पर मुंबई में अपने प्रथम केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया केंद्र (सीसीपीसी) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है एवं वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान देश में 13 अन्य केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया केंद्रों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

बैंक ने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करते हुए अपने कुछ खुदरा ऋण उत्पादों के लिए स्वयं की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का प्रारंभ किया है (जैसे कंप्यूटर ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण एवं शिक्षण ऋण) एवं इसे शेष सभी खुदरा उत्पादों हेतु लागू करने की योजना है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट सुविधा तथा प्री जनरेटेड डेबिट/ एटीएम कार्ड एवं वीसा डेबिट कार्ड की भी शुरुआत की है। ग्राहकों को उनके क्रेडिट कार्ड देय के ऑनलाइन भुगतान में सक्षम बनाने हेतु हमारी कोर बैंकिंग शाखाओं में इसके लिए अलग प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है, जहां बिल भुगतान/ देय स्वीकार किये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग :

भारत भर में विस्तारित 85 प्राधिकृत डीलर शाखाओं द्वारा बैंक का विदेशी विनिमय व्यापार किया जा रहा है। ये सभी प्राधिकृत शाखाएं कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं। निधि की बेहतर देखभाल एवं हमारे ग्राहकों को अच्छी विनिमय दर प्रदान करने के प्रयोजन से डीलर कक्ष के कार्यों को मुंबई में केंद्रीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2010 को बैंक का निर्यात ऋण रु 2,755.00 करोड़ रहा। हमारे बैंक की विदेशी मुद्रा आस्ति दिनांक 31 मार्च 2010 को यूएस डॉलर 604.00 मिलियन रही। जो दिनांक 31 मार्च 2009 के यूएस डॉलर 134.00 मिलियन के समक्ष 350% की वृद्धि दर्शाता है। हमारे बैंक ने भारत भर में सोने के सिक्कों की रिटेल बिक्री शुरु की है। बैंक को 37,900 सोने के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय करने का बिड हमारे बैंक को प्राप्त हुआ है और देय तिथि से पूर्व ही सफलतापूर्वक इन सिक्कों की सुपुर्दगी की गई। बैंक ने यूएसए से वेब आधारित आवक विप्रेषण हेतु बैंक ऑफ न्यूयार्क के साथ एक करारनामा भी किया है।

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश :

बैंक का निवेश पोर्टफोलियों दिनांक 31 मार्च 2009 के रु. 44,445 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2010 को रु. 52,008 करोड़ हो गया, जो गतवर्ष के समक्ष 17.02% की वृद्धि दर्शाता है। बॉण्ड बाजार में सरकार के बढ़े हुए उधार सहित विभिन्न मिले-जुले कारणों से ऋण बाजार वित्तीय वर्ष के एक बड़े हिस्से में अस्थिर रहा है। इसी क्रम में दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31 मार्च 2009 के 7.02% से बढ़कर जनवरी 2010 के दौरान 8.02% हुआ, फिर अप्रैल 2009 को 6.239% तक कम होकर धीरे-धीरे बढ़ा और अंतिमतः दिनांक 31 मार्च 2010 को 7.825% पर बंद हुआ।

बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखकर और सिस्टम में पर्याप्त तरलता की उपलब्धता से हमारे बैंक ने रु. 772.31 करोड़ का व्यवसाय लाभ प्राप्त किया, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2009-10 के निर्धारित लक्ष्य रु. 700 करोड़ से अधिक रहा। वर्ष के दौरान निवेश पोर्टफोलियों में 17.20% की वृद्धि के बावजूद भी निवेश पर प्रतिफल दिनांक 31.03.2009 के 6.88% से घट कर 6.74% रह गया। बाजार की स्थिति जैसे उच्च दर निवेश के शोधन एवं चालू गिरते बाजार प्रतिफल में नए निवेश के कारण पूरे निवेश प्रतिफल में कमी आई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने रु. 21,972.32 करोड़ की प्रतिभूतियां बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी से परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में और रु. 660.84 करोड़ की प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित की हैं। बैंक ने इस प्रक्रिया में रु. 106.70 करोड़ का मूल्यहास दर्ज किया है। दिनांक 31.03.2010 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के घटक निम्नवत रहे:

रु. करोड़ में

क्र.सं.	घटक	दिनांक 31-03-2009	दिनांक 31-03-2010
1	एसएलआर	39,439.73	46,243.25
2	गैर - एसएलआर	5,005.92	5,765.04
3	कुल	44,445.65	52,008.29

इसके अतिरिक्त बैंक ने एकमुश्त समायोजन के तहत फरवरी 2010 के दौरान बड़े खाते डाले गए खातों से रु. 30 करोड़ की वसूली की है।

डेरिवेटिव्स :

बैंक ने डेरिवेटिव्स उत्पादों जैसे- वायदा ब्याज दर, स्वैप ब्याज दर, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, वायदा मुद्रा आदि की उत्साहपूर्वक शुरुआत की है, जो प्लेन वैनिला उत्पाद हैं। हमारे बैंक ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज से प्रशस्ति-दिनांक 31 अगस्त, 2009 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्ग में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर वायदा ब्याज दर की लांचिंग में एकल वृहद व्यवसाय के निष्पादन का प्रमाण पत्र भी पाया है।

कार्ड्स

बैंक ने अक्टूबर 2009 में पूर्वप्रदत्त सेंट उपहार कार्ड जारी किए हैं एवं विदेशी मुद्रा में पूर्वप्रस्त ट्रेवल कार्ड जारी करने के लिए लाइसेंस भी प्राप्त किया है। बैंक ने एचसीएल कंप्यूटरों के क्रय हेतु आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के साथ करार किया है। बैंक ने संपूर्ण भारत में बिग बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर के ग्राहकों को रिटेल उत्पादों के विपणन के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ भी समझौता किया है।

ऋण प्रबंधन

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली

बैंक में अब एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुस्थापित है। निदेशक मंडल की एक समिति ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/ प्रणालियों का नियमित अवलोकन करती है। यह समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण तथा बाजार गतिविधियों से सम्बद्ध जोखिम मॉडलों का निर्धारण करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा नए जोखिमों का अभिज्ञान एवं नियंत्रण करती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर, बाजार जोखिम हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को), ऋण जोखिम हेतु ऋण नीति समिति (सीपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ऑर्को) जैसी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें शीर्ष प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल किए गए हैं। इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालनों के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु नियमित बैठक की जाती है तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं।

बैंक ने सभी आंचलिक कार्यालयों में वरिष्ठ प्रबंधक/ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों का चयन किया है जो 'जोखिम प्रबंधक' के रूप में कार्य करते हैं। आंचलिक स्तर पर ये जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की 'विस्तारित भुजाओं' के रूप में कार्य करेंगे। बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की पहचान की है, जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के मामले में तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन में सहयोग देने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने सुस्पष्ट ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसकी अंतिम समीक्षा दिनांक 18.03.2010 को निदेशक मंडल द्वारा की गई। बैंक ने बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं की रेटिंग के लिए अपग्रेडेड लार्ज कॉरपोरेट रेटिंग मॉडल टूल तथा रु. 2 करोड़ से अधिक के ऋण प्राप्त करने वाले मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई) के लिए एस.एम.ई रेटिंग टूल प्राप्त किया है। बैंक के खुदरा एवं कृषि अग्रिमों के साथ सूक्ष्म तथा छोटे उद्यमियों हेतु अग्रिम की जोखिम रेटिंग के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मैनुअल स्कोरिंग मॉडल भी विकसित किए गए हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार बैंक का समूचा ऋण विभाग, कर्मचारी अग्रिम को छोड़कर, जोखिम रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। बैंक द्वारा आंचलिक कार्यालयों में 26 अधिकारियों की पहचान कर पदस्थापना की है, जो विशिष्ट रूप से ऋण समीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं।



परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक की एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना में सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा मार्गदर्शित परिचालन जोखिम का प्रबंधन शामिल है। बैंक के जोखिम सिद्धांतों में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर तथा परिचालन जोखिम का पता लगाने, निर्धारण, प्रमात्रा, निगरानी एवं नियंत्रण करने हेतु ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रगत-दृष्टिकोण की ओर बढ़ने हेतु डाटा बेस तैयार किया गया है। परिचालन जोखिम के निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से निदेशक मंडल सहित उच्च प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

मिड- ऑफिस बाजार स्थिति, निधियन स्वरूप की समीक्षा करता है तथा एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्ष ऋण सीमाओं तथा अन्य जोखिम संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है। अल्पावधि के लिए बैंक के एनआईआई तथा दीर्घवधि के लिए इक्विटी मूल्य में जोखिम के निर्धारण तथा प्रबंधन के लिए सतत आधार पर वीएआर तथा अवधि विश्लेषण जैसे टूल का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम पर बेसल II के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए टीसीएस द्वारा दैनिक आधार पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजी निर्माण का अनुमान लगाने हेतु एक मॉडल विकसित किया गया है एवं अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है। बैंक ने नई निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। वर्ष के दौरान देश विशेष को ऋण देने में जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई। विदेशी मुद्रा कारोबार हेतु प्रतिपक्ष ऋण सीमाओं का निर्धारण/ समीक्षा बाजार में उनकी नवीनतम हैसियत एवं रेटिंग के आधार पर की जाती है।

बेसल II के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी, 2010 को पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बेसल -II मानदंडों को अंगीकार किया है तथा ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है।

बैंक ने बेसल-II मानदंडों को पूरा करने के लिए पूरे बैंक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसएएस जोखिम प्रबंधन सोल्यूशन के क्रियान्वयन के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की नियुक्ति की है। यह सोल्यूशन दिनांक 31 मार्च 2010 तक सभी सीबीएस शाखाओं में लोड किया गया है। यह सोल्यूशन अन्य सभी शाखाओं में तब दिया जाएगा जब वे सीबीएस प्लेटफॉर्म में परिवर्तित होंगी। उन्नत दृष्टिकोण की ओर प्रवसन करने के लिए बैंक की सुस्पष्ट निर्धारित आयोजना है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सुझाई गई समय-सीमा के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण की अंगीकार करने की बैंक की तैयारी के बारे में उन्हें सूचित किया गया है।

बैंक ने बेसल II के अंतर्गत अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर की रेटिंग में सुधार लाने हेतु क्रिसिल, केयर,इक्रा एवं फिच इन चार बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता किया है। बैंक के कॉरपोरेट एक्सपोजर वर्ग के मुख्य भाग को बाह्य रेटिंग के अंतर्गत पहले ही शामिल कर लिया गया है। नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के स्तंभ II के अंतर्गत वर्तमान जोखिमों के निर्धारण हेतु सलाहकार के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के साथ गठबंधन किया गया है। सभी आवश्यक नीतियां जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं संपार्श्विक प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटन नीति, आईसीएपी आदि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

वसूली

बैंक के पास अनर्जक आस्तियां (एनपीए) प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ सुपरिभाषित वसूली नीति है। इसमें एनपीए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, निगरानी तथा अनुवर्ती उपाय, स्टाफ जवाबदेही, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस नीति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है ताकि इसमें नवीनतम परिवर्तन/सुधार तथा एनपीए विघटन की प्रवृत्तियां समाविष्ट की जा सकें।

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने नकद वसूली एवं बड़े खाते डाले गए खातों में वसूली के मामलों में बढ़िया कार्यनिष्पादन दर्शाया है। यद्यपि सकल एनपीए का स्तर किंचित रूप से बढ़कर रु.2316 करोड़ से रु.2458 करोड़ हो गया है सकल एनपीए अनुपात 2.67% से घटकर 2.29% हो गया है। शुद्ध एनपीए अनुपात भी 1.24% से सुधर कर 0.69% हो गया है।

गतिशील एवं समन्वित प्रयासों से नकद वसूली एवं बड़ा खातों में वसूली की राशि बढ़कर क्रमशः रु. 308 करोड़ से रु.407 करोड़ एवं रु.84 करोड़ से रु.243 करोड़ हो गई है।

वर्ष के दौरान, बैंक समझौता/ एक बारगी निपटान प्रस्ताव के जरिए भी बड़ी राशि वसूल करने में सक्षम रहा। वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा एनपीए विघटन के मद्देनजर, आस्ति वसूली कक्ष (एआरसी) को राशि रु.336.63 करोड़ की अनर्जक आस्तियों का बेचान किया गया। सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं अन्य के तहत रु. 1.00 लाख तक की स्वीकृत ऋण सीमा वाले उधार खातों के लिए लागू विशेष एक बारगी निपटान योजना को दिनांक 31.03.2010 तक बढ़ाया गया।

बैंक ने विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की सघन एवं सतत निगरानी करने के लिए पद्धति विकसित की है, ताकि एनपीए श्रेणी में होने वाले स्लिपेज को रोका जा सके। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर ऋण वसूली अभिकरण (डीआरटी) लोक अदालतों एवं जिला स्तरीय लोक अदालतों तथा अन्य वसूली शिविर लगाए गए थे, जिनमें समझौता निपटान के माध्यम से वसूली प्रक्रिया पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया। सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली प्रयासों में बढ़ोत्तरी हुई। प्राधिकृत अधिकारियों को उनके वसूली प्रयासों में सहयोग देने के लिए बड़ी संख्या में प्रवर्तन एजेंसियों को सूची में सम्मिलित किया गया।

वर्ष के दौरान, निम्न आंचलिक मुख्यालयों में आठ (8) आस्ति वसूली बोर्ड (ए.आर.बी.) ने कार्य प्रारंभ कर दिया है यथा: मुम्बई, पुणे, चैन्नै, कोलकाता, रायपुर. उन शाखाओं/ क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जहां छोटे ऋणों में एनपीए की प्रमात्रा अत्यधिक है तथा उक्त शाखाओं/ क्षेत्रों पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है. उक्त शाखाओं/ क्षेत्रों के एनपीए विघटन के लिए शाखावार/ क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई है. एनपीए खातों में वसूली हेतु गैर-वैधानिक पद्धतियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया.

समीक्षा वर्ष के दौरान, इन सभी प्रयासों के जरिए अच्छी वसूली निष्पादन के परिणाम सामने आए. बैंक समन्वित वसूली कार्य-योजनाओं द्वारा एनपीए को रोकने तथा वर्ष 2010-11 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रति भी प्रतिबद्ध है.

अभिनव पहल

बैंकाश्युरेंस

बैंकाश्युरेंस व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा न्यू इंडिया एश्युरेंस कं.लि. (एनआईए) की कॉर्पोरेट एजेन्सी के अंतर्गत प्रारंभ हुआ तथा निरंतर इसमें वृद्धि होती गई. बैंक को लगातार तीसरे वर्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी बैंकाश्युरेंस साझेदारों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

- दिनांक 31.03.2010 तक बैंक की 71% शाखाएं बैंकाश्युरेंस व्यवसाय के लिये सक्रिय रूप से कार्यरत रहीं. इनमें से प्रत्येक शाखा ने वर्ष के दौरान कम से कम 12 पॉलिसियां रु. 2.00 लाख की प्रीमियम राशि संग्रहित की है.
- वर्ष के दौरान, 200 से अधिक पॉलिसियां अथवा रु.30 लाख प्रथम प्रीमियम आय (एफपीआय) संग्रहण करने के कारण 231 शाखाएं **बीमा बैंक** बनी.
- बैंक ने वर्ष के दौरान 102233 पॉलिसियों का विक्रय कर रु.120.77 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय संग्रहित की तथा रु.10.14 करोड़ कमीशन के रूप में अर्जित किया.
- चालू वर्ष में न्यू इंडिया एश्युरेंस कं. लि. के साथ कॉर्पोरेट व्यवस्था के अंतर्गत गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय कर बैंक ने रु.3.75 करोड़ की आय अर्जित की.

म्यूच्युअल फण्ड

बैंक ने सात शीर्ष फंड जैसे यू.टी.आई. म्यूच्युअल फण्ड, टाटा म्यूच्युअल फण्ड, फ्रेंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, रिलायंस म्यूच्युअल फण्ड, सुन्दरम बीएनपी परिवार एवं कोटक महिन्द्रा म्यूच्युअल फण्ड के साथ क्रय - विक्रय की व्यवस्था की. बैंक ने अपनी 450 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से म्यूच्युअल फण्ड का विक्रय कर वर्ष के दौरान रु.71 लाख कॅमिशन अर्जित किया.

डीमेट सेवाएं :

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लि.(सीडीएसएल) के अंतर्गत अधिकृत 120 शाखाओं के माध्यम से 22694 खाताधारकों को डीमेट सेवा प्रदान की गई. बैंक अपने ग्राहकों को निःशुल्क एसएमएस सुविधा उपलब्ध करा रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सोल्युशनः

योजना के अनुसार माह दिसंबर 2010 तक शत-प्रतिशत शाखाओं को सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु चरण -2 के अंतर्गत सीबीएस का कार्यान्वयन शुरू किया गया है. माह मार्च 2010 तक सीबीएस चरण -II के अंतर्गत 321 शाखायें सीबीएस हो चुकी हैं, जिनको मिलाकर सीबीएस के अंतर्गत कुल शाखाओं की संख्या 1533 हो गई है. सीबीएस के अंतर्गत शामिल शाखाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

शाखाएं	1522 (6 एआरबी तथा 1 सीसीपीसी सहित)
विस्तार पटल	126
एससीएपी	4
एनबीओ	20
सीसीपीसा	1

वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक ने सीबीएस कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त शाखाओं के साथ ही साथ विद्यमान शाखाओं हेतु एमपीएलएस कनेक्टिविटी की स्थापना का कार्य शुरू किया है. शाखाओं में नेटवर्क के रूप में सीडीएमए/आईएसडीएन तकनीक का उपयोग 70:20 के अनुपात में किया जा रहा है. शेष 10% सुदूर की शाखाओं हेतु वीसेट/आरएफ के जरिये एकल कनेक्टिविटी का उपयोग किया जावेगा. वे शाखायें जो तकनीकी रूप से लीड लाईन लिंक के लिये व्यवहार्य नहीं हैं उनके लिये वीसेट का उपयोग प्राथमिक कनेक्टिविटी के रूप में उपयोग किया जावेगा. मार्च 2010 के अंत में 1688 नेटवर्क लिंक स्थापित किये गए हैं.



1.1. इंटरनेट बैंकिंग:

समस्त सीबीएस शाखाओं में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा कार्यान्वित की गयी है, जिनके द्वारा निधि अंतरण, बिल भुगतान, एयरलाइन्स/सिनेमा के टिकट, खरीदारी करने, मन्दिर में दान करने, फीस का भुगतान, चैकों का भुगतान रोकने, चैकों की स्थिति, खाते को विवरण आदि के लिये किया जावेगा.

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन-लाइन कर जैसे प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, डीजीएफटी एवं पश्चिम बंगाल सरकार के कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध है. दिनांक 31 मार्च, 2010 को ग्राहकों द्वारा सीबीडीटी/सीबीईसी के लिए भुगतान किए गए कर की संख्या 52,043, जिससे उच्च कमिशन की संभावना है. शाखाओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर भुगतान हेतु प्रेरित करने का परामर्श दिया गया है. इंटरनेट बैंकिंग प्रयोग का आधार नियमित रूप से बढ़ते हुए दिनांक 31.03.2010 को लगभग 64,000 तक पहुंच गया है. कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए उपर्युक्त सभी सुविधाओं सहित कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है. हमारा बैंक उन गिने चुने कुछ बैंकों में से एक है जिन्होंने कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी अपलोड सुविधा लागू की है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों को उपर्युक्त समस्त सुविधाओं के साथ कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है. हमारा बैंक ऐसे कुछ बैंकों में से एक है, जिसने कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के जरिये एनईएफटी बल्क अपलोड सुविधा कार्यान्वित की है

1.2 एसएमएस बैंकिंग:

एसएमएस बैंकिंग जुलाई 2009 में प्रारंभ की गई, जो ग्राहकों को खाते की जानकारी प्रदत्त कर रहा है. वर्तमान में ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट (i) बचत खाते में रु. 5000 से अधिक एवं चालू /ओडी खाते में रु 50000 से अधिक के नामे / जमा (ii) क्लियरिंग चेक वापिस होना (iii) खाते में न्यूनतम आवश्यक शेष कम है. (iv) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन पूर्व के लिए भेजे जा रहे हैं.

प्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के एक अंग के रूप में, एसएमएस शाखा प्रबन्धकों को तथा उच्चाधिकारियों को तब भेजे जाते हैं जब दिन के अंत के दौरान भौतिक नगदी संतुलित न हो तथा निर्धारित साप्ताहिक अवधि /दिनों के भीतर टेक्नीकल कॉन्ट्रा में बकाया शेष पर ध्यान न दिया गया हो, निम्न के लिए भी एसएमएस अलर्ट प्रस्तावित है. (i) साप्ताहिक औसत जमा से साप्ताहिक नकदी धारिता 0.35% से अधिक होने पर क्षेत्रीय प्रबंधक को (ii) एक माह के अंदर रु.10 लाख से अधिक संभाव्य एनपीए खातों के लिए क्षे.प्र/आं.प्र को

1.3 मोबाईल बैंकिंग :

बैंक ने जीपीआरएस का उपयोग करते हुये दिसम्बर 2009 के दौरान पूछताछ तथा निधि अंतरण परिचालनों सहित मोबाइल बैंकिंग कार्यान्वित की है.

1.4 फोन बैंकिंग

फोन बैंकिंग समाधान अंग्रेजी तथा हिन्दी में आवाज रिकार्ड करने की सुविधा के साथ कार्यान्वित किया गया है तथा यह सुविधा सीबीएस शाखाओं के सभी ग्राहकों को उपलब्ध है.

केन्द्रीकृत समाशोधन केन्द्र (सी3)

केन्द्रीकृत आगत तथा निर्गत समाशोधन परिचालनों को पूना तथा अहमदाबाद के एनबीओ में सुविधाकृत किया गया है. जुलाई 2010 तक शेष सभी एनबीओ को इनमें शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

ब्लाक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए) :

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ने कम्पनियों के द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक आफर की वर्तमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है. स्टॉक की गई राशि समर्थित आवेदन नामक अनुपूरक प्रक्रिया की शुरुआत की है. हमने अपने सीबीएस ग्राहकों के लिए दिनांक 26 मार्च, 2010 से एसबीए सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कोई भी विनियोगकर्ता सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को उसके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकता है. सबस्क्राइब कर सकता है एवं इसके पश्चात आर्बिट्रित राशि प्रेषित की जाती है.

मेल मेसेजिंग सेवा (एमएमएस)

बैंक ने आइबीएम की लोटस डोमीनो आधारित मेल मेसेजिंग प्रणाली अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों में प्रारंभ की है/ नई प्रणाली ज्यादा सुरक्षित है एवं कार्यालय के बाहर से भी इंटरनेट के माध्यम से इसके उपयोग की सुविधा प्रदान करती है. तत्काल मेसेजिंग भी उपलब्ध है.

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग :

विद्यमान प्रणाली को बदल कर टेण्डवर्ग पर आधारित नया विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कारपोरेट कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में लगाया जा रहा है. नए सिस्टम में जो भी लागू कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में डेस्कटॉप विडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकार्डिंग तथा प्रशिक्षण जैसी अतिरिक्त खुरिया उपलब्ध हैं. जो वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत है.

हार्डवेयरों को अपग्रेड करना :

केन्द्रीय कार्यालय के सभी पुराने तथा अनुपयोगी हार्डवेयर (पीसी/प्रिन्टर्स) को बदल कर नये (पीसी/प्रिन्टर्स) लगाये गये हैं .एकल प्रिन्टर्स को नेटवर्क प्रिन्टर्स से बदला जा रहा है ताकि स्टेशनरी के अपव्यय को रोका जा सके तथा कर्मचारियों को कागज संरक्षण हेतु अनुशासन में लाया जा सके. केन्द्रीय कार्यालय के सभी विभागों में हार्डवेयर के रखरखाव तथा सहयोग को मुख्यधारा में लाया गया है ताकि उपयोगकर्ता के समय को कम से कम किया जा सके.

ई-वेस्ट प्रबन्धन :

केन्द्रीय कार्यालय के सभी पुराने हार्डवेयर का निपटान स्कूलों को दान करके किया गया है तथा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अटीरियो रिसाईकिलिंग ई-वेस्ट के जरिये भी किया गया है

वेबसाइट:

बैंक की वेबसाइट में नई विशेषतायें जोड़ने के साथ इसको नया रूप देने के लिये सुधार किया गया है इससे बैंक तथा ग्राहकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने एवं उनको बैंक के अनेक उत्पादों तथा सेवाओं के विषय में अनेकों जानकारी(शाखायें/एटीएम/आरटीजीएस/एनईएफटी) देने के सुविधा होगी. ग्राहक/सामान्य जनता विभिन्न प्रकार के खाता खोलने, ऋण लेने फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग उपयोग कर सकते हैं ऋण लेने, जॉब के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. यह साइट किसी भी प्रकार के हैकिंग या फायरवाल /एंटी वायरस के उपयोग के द्वारा घुसपैठ से सुरक्षित है.

बैंक के विभिन्न विभागों के लिये आंतरिक जानकारी (जैसे कि परिपत्र, विभिन्न घटनाओं की प्रमुख बातें आदि) के लिये इन्ट्रानेट वेबसाइट उपलब्ध हैं. इन्ट्रानेट वेबसाइट पर सेन्ट्रलाइज्ड पत्रिका, ई-सेन्ट्रल पत्रिका तक पहुंचा जा सकता है तथा साथ ही कर्मचारी परेशानी को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकता है.

धन प्रेषण तथा भुगतान सिस्टम (आरटीजीएस/एनईएफटी)

समस्त सीबीएस शाखायें 31 मार्च, 2010 के अनुसार स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग (एसटीपी) की उपयोग करके आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा हेतु सक्षम हैं 1670 शाखाओं में आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा उपलब्ध है. ग्राहक नेटबैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन कर सकते हैं. पिछले 02 वर्ष में लेनदेन की संख्या में काफी वृद्धि हुई है (आरटीजीएस में 162% तथा एनईएफटी में 218% मार्च 2009 से मार्च 2010 की अवधि में)

एचआरएमएस पद्धति:

नई वेब सक्षम केन्द्रीयकृत एचआरएमएस समाधान को उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया प्रक्रियागत है तथा पीपल्स सॉफ्ट प्रोडक्ट को टेंडर प्रक्रिया से छंटा जा चुका है. पीपल्स सॉफ्ट एक संसार प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि अनेक बैंकों तथा भारिबैं में उपयोग किया जा रहा है. इसका शीघ्र ही कार्यान्वयन सम्भव है. यह सम्पूर्ण रूप से मानव संसाधन विकास विभाग की आवश्यकता को पूरा करेगा तथा इन्ट्रानेट / इंटरनेट के जरिये कर्मचारियों को अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा. इसके कार्यान्वित होने पर बैंक मानव संसाधन में सबसे अच्छी परम्परा तथा तकनीक को शुरू करने की स्थिति में होगा यह मानव संसाधन कार्यों में स्वचलन कार्य प्रवाह तथा स्ट्रीमलाइन प्रक्रिया, परिचालनात्मक उद्देश्यों सक्षमता के उद्देश्यों को पूरा करेगा.

चेक छंटाई पद्धति :

चेक छंटाई पद्धति (सीटीएस) को एनसीआर क्षेत्र, नई दिल्ली में कार्यान्वित किया गया है. इसे अब चैन्नई में भी कार्यान्वित किया जाना है, जिसके लिये भारिबैं से निर्देशों का इंतजार है.

ई-ट्रेजरी:

ट्रेजरी परिचालनों हेतु टीसीएस से ई-ट्रेजरी सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है. डीआर मूलभूत सुविधायें भी शुरू की गई हैं तथा आंकड़ों को डीसी तथा डीआर ड्रिल के साथ सिंक में लाया जा रहा है, जिसको आवधिक अंतराल के बाद सिन्क्रोनाइजेशन पर किया जावेगा.

ईडीआई पद्धति:

सरकार के निर्देशों के अनुसार ईडीआई पद्धति को आईसीईएस 1.5 के केन्द्रीयकृत वर्जन का उपयोग करते हुये फरवरी 2010 में कार्यान्वित किया गया है. पीथमपुर विस्तारपटल में वर्तमान में इस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है. सीमा शुल्क के संग्रहण हेतु चार और शाखाओं की पहचान की गई है तथा इसको सीमा शुल्क से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू किया जायेगा.

डीमेट सेवाएं

बैंक ने डीमेट सेवायें हेतु वेब आधारित समाधान को कार्यान्वित किया है. सीडीएसएल आवेदनों के पृष्ठ कार्यालय गतिविधियों के परिचालन हेतु समाधान को सीएमसी से प्राप्त किया गया है. सम्पूर्ण देश में नामित शाखायें डीमेट सेवायें प्रदान कर रही हैं.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक ने नकदी प्रबंधन सेवायें विभाग में लेजर सॉफ्ट से नकदी प्रबंधन समाधान को कार्यान्वित किया है, जिससे बैंक नामित शाखाओं में अपने ग्राहकों को नकदी प्रबंधन रोकड प्रबन्ध सेवायें शुरू करने में सक्षम होगा.

विभिन्न विभागों हेतु सॉफ्टवेयर पैकेज:

बैंक के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से कार्पोरेट कार्यालय की आंतरिक सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक का स्वयं का डीआईटी में विकास समूह है.



इस समूह ने अनेकों पैकेज जैसे कि नया पेंशन पैकेज, परिचालन विभाग हेतु शिकायत निवारण प्रबन्धन पद्धति, ट्रस्टी विभाग हेतु सीइएफआईसीयूएस पैकेज, सीपीपीसी पैकेज, अनुपालन प्रबन्धन पद्धति, प्राथमिकता क्षेत्र विभाग हेतु डीलर डिसकाउंटिंग तथा क्रेडिट स्कोरिंग पैकेज, ओल्टास (गैर सीबीएस शाखाओं हेतु प्रत्यक्ष कर संग्रहण हेतु), ईजीयेस्ट (गैर सीबीएस शाखाओं हेतु अप्रत्यक्ष कर संग्रहण हेतु) विकसित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के लिये लेखांकन साथ ही इन्वेन्ट्री पैकेज के विकास का कार्य प्रगति पर है। इन पैकेजों के कार्यान्वयन के पूर्व तथा पश्चात रखरखाव तथा देखभाल आदि का कार्य डीआईटी की अपनी टीम के द्वारा किया जाता है।

एटीएम नेटवर्क :

एटीएम नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 400 एटीएम के अलावा 495 अतिरिक्त एटीएम लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। बैंक की 3000 एटीएम जिसमें 150 बायोमेट्रिक एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2011 तक लगाये जाने की शताब्दी वर्ष होने के कारण महत्वाकांक्षी योजना है। चूंकि हमारा बैंक राष्ट्रमंडल खेलों का ऑफिशियल बैंक है। अतः बैंक दिल्ली में मोबाइल एटीएम लगाने जा रहा है। बैंक ने मास्टर कार्ड के अलावा एनएफएस, कैशट्री तथा वीसा से तालमेल करार किया है। बैंक मोबाइल टॉप अप, बिल भुगतान, मन्दिर दान आदि के लिये यूटिलिटी सर्विसेज इंटरफेस भी प्राप्त कर रहा है।

भावी परियोजनायें :-

बैंक की एक एकल डाटाबेस से एमआइएस प्राप्त करने, एससीएपी केन्द्र में सॉफ्टवेयर समाधान को तत्काल लगाने, केन्द्रीयकृत वातावरण में समाशोधन के मशीनीकरण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एकीकृत भुगतान हब, सिंगल डाटा रिपोजिटरी एंटरप्राइज, वाईड इंफोरमेशन सिस्टम को लगाने हेतु पहले ही प्रक्रिया शुरु कर चुका है।

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण

आईबीआर / हाउसकीपिंग

बैंक बहियों के संतुलन तथा खातों के समाधान को शामिल करके हाउसकीपिंग के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु विशेष ध्यान दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने सिस्टम के नियमित अपग्रेडेशन को फोकस करके बहियों के संतुलन की संतोषजनक स्थिति को बनाये रखा है। हाउसकीपिंग के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु बैंक द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं जिसके परिणामतः नियमित अद्यतन हैं। अंतर शाखा लेनदेन के समाधान कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिये अब कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म का सीधे उपयोग किया जा रहा है। अंतर शाखा लेनदेन हमारी 3577 शाखाओं में फैला हुआ है तथा निरंतर आधार पर सफलतापूर्वक चल रहा है।

विभिन्न गैर व्यक्तिगत खातों जैसे समाशोधन अंतर, अंतर शाखा, अंतर बैंक (भारिबैं/भारतीय स्टेट बैंक/अन्य बैंक) तथा अन्य सांकेतिक खातों में लम्बित प्रविष्टियों के मेलमिलाप तथा पुनर्गठन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बैंक सम्पूर्ण रूप से हाउसकीपिंग की सभी स्वाध्यकर स्थिति को बनाये हुये हैं ताकि जोखिम का स्तर न्यूनतम रहे। लम्बित प्रविष्टियों की स्थिति भारिबैं के मानदण्डों के अनुरूप रखी गई है।

शाखा विस्तार

दिनांक 31.03.2009 को बैंक की 3518 शाखाएं एवं 34 सेटेलाइट कार्यालय थे वर्ष के दौरान 49 शाखाएं खोली गईं, 11 विस्तार पटलों को शाखा में परिवर्तित किया गया एवं एक शाखा का विलयन किया गया। इस प्रकार दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की 3577 शाखाएं, 34 सेटेलाइट कार्यालय एवं 192 विस्तार पटल हैं। 3577 शाखाओं में से 1388 ग्रामीण शाखाएं, 898 अर्धशहरी शाखाएं, 683 शहरी शाखाएं तथा 608 महानगरीय शाखाएं हैं।

विस्तार पटल

वर्ष के आरंभ में 219 विस्तार पटल थे। पुनर्संरचना के पश्चात वित्तीय वर्ष के अंत में दिनांक 31 मार्च, 2010 को 192 विस्तार पटल रहे।

परिचालन

हमारा विशेष ध्यान प्राथमिकता के आधार पर ग्राहकों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करना है। हमारे केन्द्रीयकृत प्रयासों तथा अनुवर्ती कार्यवाही से वर्तमान वर्ष में शिकायतों को दूर करने में पिछले वर्ष के 46 दिन से घटकर 32 दिन हो गया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) 26 शाखाओं में शुरू की गई है तथा इसको वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 100 नई शाखाओं में तत्काल विस्तार करने का प्रस्ताव है।

चालू वर्ष में सरकारी व्यवसाय के माध्यम से राजस्व में 2% की वृद्धि हुई है।

राजभाषा

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति की है। हम राजभाषा नीति और निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली 'बी' का निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद एवं रायपुर में विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया और रायपुर अंचल में समन्वयन हमारे बैंक द्वारा किया गया। तीसरी उप समिति तथा आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने हमारे बैंक द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की काफी प्रशंसा की। वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में उत्कृष्ट उपलब्धता निम्नवत है:

भारतीय रिज़र्व बैंक शील्ल प्रतियोगिता के अंतर्गत, हमारे बैंक को भाषिक क्षेत्र 'ख' में तृतीय और भाषिक क्षेत्र 'क' में प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया। तथा हमारी द्विभाषिक गृहपत्रिका सेंट्रलाइट को चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- हमारे बैंक के आंचलिक कार्यालय नागपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिवेन्द्रम, अमरावती, गोरखपुर, अकोला, भुवनेश्वर को प्रथम पुरस्कार।
- हमारे आंचलिक कार्यालय मुम्बई, क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, शाखा पुदुच्चेरी, बोकारो, वेदव्यास चौक राउरकेला, पानीगेट (बड़ौदा) को द्वितीय
 - आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला एवं इंदौर, शाखा इटारसी को तृतीय पुरस्कार।
 - बैंक को नगर राजभाषा समिति भोपाल, रायपुर, मद्रुरै, जलगांव और अकोला के समन्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ समन्वयन के लिए नगर राजभाषा समिति रायपुर और मद्रुरै को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से नवाजा।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए हमारे आंचलिक कार्यालय, दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची तथा दुर्गापुर को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया।
- आंचलिक कार्यालय, दिल्ली से प्रकाशित 'सेन्ट्रलवाणी' के लिए आंचलिक कार्यालय, दिल्ली ने नराकास दिल्ली से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- हिन्दी विकास समिति ने हमारे आंचलिक कार्यालय, मुजफ्फरपुर के आंचलिक प्रबंधक श्री टी.के.पाईक को 'भारतेन्दु सम्मान' से सम्मानित किया।
- हमारे बैंक ने सभी भाषिक क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' तीनों में क्रमशः भोपाल, चंडीगढ़ तथा कोलकाता में 'राजभाषा सम्मेलन' का आयोजन किया।

कॉर्पोरेट सम्प्रेषण

- वर्ष 2009-10 में हमारे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में पक्के तौर से हम 642.36 लाख के सरकुलेशन तक पहुंच सके जिसके लिए न्यूनतम राशि रु. 0.48 रही। इसके अलावा बैंक ने अपने विभिन्न कॉर्पोरेट / उत्पादों, सेवाओं के विज्ञापन, छवि निर्माता बड़े प्रकाशनों के अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों, स्मारिका तथा अन्य प्रकाशनों के लिए दिए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समुचित ब्रांड छवि निर्मित करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि कछुआ एवं खरगोश, लोमड़ी व सारस तथा पक्षी और शिकारी की अवधारणा से तीन एनीमेटेड कॉर्पोरेट टीवीसी बनाएं जायं। इन टीवीसी का उद्देश्य यह होगा कि - हमारा बैंक एक बैंक के रूप में ग्राहकों की बहुस्तरीय मांगों को पूर्ण कराने हेतु विभिन्न तरीकों को पुनर्परिभाषित कर रहा है। इन तीनों टीवीसी में से कछुआ और खरगोश तथा पक्षी और शिकारी रिलीज किये जा चुके हैं और चयनित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे लक्ष्यसमूह तक अलग अलग स्तर पर पहुंच रहे हैं। ये टीवीसी पूरे भारत में 39 स्थानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बैंक ने एम रेडियों पर अपनी पहचान बनाई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सेन्ट स्वाभिमान प्लस पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म प्रदर्शित की है।
- एसएमएस तथा ई मेल मार्केटिंग के माध्यम से बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं के मार्केटिंग के लिए समन्वित कॉर्पोरेट सम्प्रेषण अभियान चला रहा है तथा इस सम्बंध में की वर्ड टूल के माध्यम से पहल की है।



- बैंक ने बाह्य मीडिया प्रचार के माध्यम जैसे होर्डिंग/ग्लोसाइन, बस स्टॉप, डबल डेकर बस, विभिन्न मार्गों की की किंग लॉग बसों तथा विभिन्न मार्गों की स्थानीय ट्रेनों के बाहरी हिस्से पर समय समय पर प्रचार किया जा रहा है।

सतर्कता

बैंक का सतर्कता विभाग तीन मूल कार्य सतर्कता से सम्बन्धित कर रहा है बचाव, गहन जांच तथा दंडात्मक सतर्कता, साथ ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग / भारत सरकार एवं विनियामक प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक से समय समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुपालन को भी सुनिश्चित करने हेतु भी कदम उठाता है। विभाग ने समय समय पर परिचालन विभाग को सुयोग्य सलाह दे कर बचाव सतर्कता से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ध्यान दिलाया है विशेष रूप से वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया की समीक्षा के सम्बन्ध में किये जाने वाले कपटों की कार्य प्रणाली का विश्लेषण जिससे ऐसे कपटों की पुनरावृत्ति से बचाव तथा इसकी कमियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।

गहन जांच के सम्बन्ध में आंचलिक कार्यालय में पदस्थ सतर्कता अधिकारी जो सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करता है, को सलाह दी गई है कि वे शाखाओं की आकस्मिक जांच की संख्या बढ़ाये, ताकि शाखाओं के कवरेज में वृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विशेष शिकायतों में जांच की प्रक्रिया में गति लाई जा सके। इन सतर्कता अधिकारियों के लिये कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है ताकि गहन जांच के कौशल तथा अनुभवों को बांटा जा सके

दंडात्मक सतर्कता के संबंध में यह विभाग जाँच पड़ताल से निष्पन्न अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया पर और जहां अनियमितताओं के स्वरूप का निर्णय हुआ है वहां सतर्कता की दृष्टिकोण से निगरानी रखता है। मामले को सतर्कता अथवा अन्य मानने का मुख्य सतर्कता अधिकारी का निर्णय सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई महाप्रबंधक श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों की आंतरिक सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही वाले मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबित प्रकरणों में कमी आई है।

सतर्कता विभाग के कार्य की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में बैंक के निदेशक मंडल की सतर्कता समिति द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल उधार/ गैर उधार खातों में हुई धोखाधड़ी के तिमाही/ वार्षिक रिपोर्ट की भी समीक्षा करता है। निदेशक मंडल की विशेष समिति को 10.00 मिलियन से अधिक राशि की धोखाधड़ियों उच्च लागत धोखाधड़ियों की निगरानी में रिपोर्ट की जाती है।

मानव संसाधन विकास

मानवशक्ति :

मार्च 2010 के अंत में, बैंक की स्टाफ संख्या पिछले वर्ष की 35,543 (अंशकालीन सफाई कर्मचारी सहित) के समक्ष 34,826 (अंशकालीन सफाई कर्मचारी सहित) रही। स्टाफ का वर्गवार श्रेणीवार विश्लेषण निम्नवत है :-

श्रेणी	मार्च 2010	मार्च 2009
अधिकारी वर्ग	12,535	12,441
लिपिक वर्ग	12,682	12,935
अधीनस्थ कर्मचारी (अं.स.क.सहित)	9,609	10,167
कुल योग	34,826	35,543

मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण :

बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा की तीव्र आँधी चल रही है, ऐसे में किसी भी संगठन के लिये मानव संसाधन की गुणवत्ता महत्त्व रखती है न कि उसकी संख्या। मानव संसाधन में इस प्रकार की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत उनकी कौशलता को पैना करना होगा और इसके लिए हर स्तर के कर्मचारी वर्ग में नए ज्ञान अर्जन के लिये सतत अवसर उपलब्ध कराकर, अनुकूल मनोवृत्ति के माध्यम से किया जा सकता है। तदनुसार, बैंक के मानव संसाधन विकास प्रबंधन (एचआरएम) के 'प्रशिक्षण एवं विकास' पर प्रमुख बल दिया जाएगा।

सुदृढ़ प्रबंधन टीम और बेहतर उत्तराधिकारी तैयार करने के लिये, प्रशिक्षण गुणवत्ता की आधारशिला है। इस पृष्ठभूमि के साथ, बैंक को ज्ञान संगठन में रूपांतरित करने के अविरत प्रयासों में और अधिक बढ़ोत्तरी के लिये प्रशिक्षण गतिविधि के समग्र परिदृश्य में प्रशिक्षण मॉड्यूल, विषयवस्तु और डिलीवरी

प्रणाली आदि को शामिल कर जीवंत परिवर्तन लाए जाएंगे। प्रशिक्षण प्रयासों को और अधिक जीवंत बनाते हुए, हमारे बैंक में पहली बार संरचनात्मक प्रशिक्षण नीति को प्रलेखित एवं स्वीकार किया गया है। इस नीति के तहत 2010-11 तक अधिकारियों के लिए 6 दिन एवं लिपिकों के लिए 3 दिन की अवधि का कम से कम एक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से रखा गया है। साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रम 'नामांकन आधारित की अपेक्षा जरूरत आधारित' पर केन्द्रीभूत हो। इस कथित नीति के तहत प्रशिक्षण निष्पादन के पर्यवेक्षण एवं इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक शीर्ष आंतरिक प्रशिक्षण नीति सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रशिक्षण नीति की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाएगी।

वर्ष 2009-10 के दौरान, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण क्षमता की पूर्ण उपयोगिता तथा अनुपूरक क्षमता निर्माण/उपयोगिता सुनिश्चित करने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान, हमारे कार्यपालकों एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के ज्ञान को नई ऊचाईयों देने के लिए तथा बैंक की बौद्धिक पूंजी में अभिवृद्धि करने के लिए डा. गौतम विनयशील, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रतिष्ठित प्रबंधन पेशेवर हैं, से परिचर्चा सत्र रखे गए तथा इसमें गहन अनुभव बांटे जाते हैं तथा परस्पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, शाखा प्रबंधन, प्रबंधकीय श्रेष्ठता, सूक्ष्म वित्त, एस एम ई, साख जोखिम प्रबंधन, व्यवसायिक पत्रों को लिखने की कला, कार्य के दौरान उत्कृष्ट क्षमता का विकास आदि विषयों पर खासतौर पर उच्च प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं 9 आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा लगभग 1420 कक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से 23413 से अधिक प्रतिभागियों और 76396 मानव घंटों को कवर किया गया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों जैसे - जोखिम प्रबंधन, बेसल - II, साख प्रबंधन, एनपीए प्रबंधन, वसूली, वित्तीय समावेशन, आई.टी. से संबंधित कार्यक्रम, ट्रेजरी/आईडी, फॉरेक्स आदि कवर किये गए। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त एसपीबीटी, महाविद्यालय में वेतनमान V के क्षेत्रीय प्रबंधक और वेतनमान IV के अधिकारियों के लिये 'लीडरशिप और टीम बिल्डिंग' तथा जीएम एवं डीजीएम के लिये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2009-10 में 17 अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं अनुभव हेतु विदेश भेजा गया। इसके अलावा विभिन्न वर्ग के अधिकारियों को वर्ष 2009-10 में बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों जैसे एनआईबीएम, सीएबी, बर्ड, फेडाई, आईडीबीआरटी आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, 18 भर्ती पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अनुसूचित जाति के 5036 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 1210 और पिछड़े वर्ग के 102 प्रतिभागियों को कवर किया गया। इसके बाद पदोन्नति पूर्व कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 2377 एससी/एसटी के प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

भर्ती एवं पदोन्नति:

संस्थान को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने के लिए, बैंक ने प्रथम बार व्यावसायिक / प्रबंधन संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईएमआई आदि से संविदागत आधार पर कैम्पस से 52 एमबीए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की, जो कि विशेषज्ञों एवं मुख्यधारा के पदों की नियमित प्रक्रिया के अलावा थी। समीक्षा वर्ष के दौरान, 100 और एमबीए अभ्यर्थियों को कैम्पस विधि के माध्यम से भर्ती करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। वर्ष 2009-10 में भर्ती प्रक्रिया में आईटी अधिकारी, (वेतनमान III), आईटी अधिकारी (वेतनमान II), विधि अधिकारी (वेतनमान II), एमबीए, परिवीक्षाधीन अधिकारी (वेतनमान I) कृषि वित्त अधिकारी (वेतनमान I), सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान I) लिपिकीय स्टाफ में और सशस्त्र प्रहरियों (अधीनस्थ संवर्ग) 2427 पद शामिल थे।

वर्ष 2009-10 में, कुल 2925 पदों के लिए अंतरवेतनमान एवं अंतरवर्गीय के पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई। लिपिकीय वर्ग के लिए, लिखित परीक्षा चैनल के अंतर्गत 221 अधीनस्थ कर्मचारी पदोन्नत किए गए। साथ ही, 514 रिक्तियों को भरने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से लिपिकीय वर्ग में पदोन्नति के लिए नई लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 54 आशुलिपिकों को आशु-अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। 12 लिपिक, राजभाषा अधिकारी (वेतनमान I) तथा 17 लिपिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए। वेतनमान I की 424 रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। यह पिछले वर्ष की प्रक्रिया की अनुवर्तन प्रक्रिया थी, जिसमें 1852 लिपिकीय कर्मचारी, अधिकारी वर्ग में पदोन्नत किए गए। वर्तमान पद पर तीन वर्ष एवं बैंक में सेवावधि के पांच वर्ष पूरे करने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों को एक बार के लिए पद परिवर्तन की सुविधा देकर मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया। 8 राजभाषा अधिकारियों को वेतनमान II से III में पदोन्नत किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में आरंभ की गई पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत वेतनमान I से II के लिए 1056 अधिकारियों एवं वेतनमान II से III के लिए 420 अधिकारियों को पदोन्नति पर तैनाती आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त वेतनमान I से II एवं वेतनमान II से III के लिए क्रमशः 1758 एवं 637 रिक्तियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वेतनमान IV की 118 रिक्तियों के लिए, वेतनमान V के 47, वेतनमान VI के 14 एवं वेतनमान VII के 7 रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई।

पदारोहण योजना प्रक्रिया

आवश्यक प्रबंधकीय दक्षता की कमी को समय पर पदारोहण प्रक्रिया के द्वारा पूरा करने के क्रम में, विभिन्न संवर्गों में बड़े पैमाने पर पदोन्नति के लिए बैंक ने प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और विभिन्न दक्ष क्षेत्रों में आईटी अधिकारियों एवं एमबीए की भर्ती करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।



भारत सरकार द्वारा गठित मानव संसाधन समिति का निरीक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन मुद्दों के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित खण्डेलवाल समिति ने हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य कार्यपालकों से समिति के साथ विचारार्थ विषयों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैंक के दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया। समापन चर्चा में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कार्यों एवं प्रस्तुतियों को देखने के बाद बैठक में कहा कि मानव संसाधन, संगठनात्मक प्रभावकारिता का मूलस्वर है और अनेक कठिनाईयों के बावजूद बैंक ने मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण के मोर्चे पर काफी तरक्की की है। मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में की गई पहल के सकारात्मक परिणाम का प्रभाव व्यवसाय बढ़ोतरी में प्रतिबिंबित हो रही है।

अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों ने दृढ़ आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मानव संसाधन के मोर्चे पर बैंक का बेहतर भविष्य दिख रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बैंक के विकास की यह कहानी जारी रखने से बैंक का बेहतर भविष्य नजर आ रहा है। बैंक की व्यवसाय गतिविधियों को केन्द्र बिन्दु पर लाने के लिए मानव संसाधन के प्रयासों को जारी रखा जायगा। समिति के निरीक्षण पर एक नोट बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड ने नोट किया।

आरक्षण नीति को लागू करना

बैंक आरक्षण नीति पर भारत सरकार / भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देश/अनुदेशों को लागू कर रहा है एवं आरक्षण नीति में अजा/अजजा/अपिजा/विकलांग व्यक्ति को अनुमत रियायत एवं छूट प्रदान कर रहा है। आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, स्टाफ सदस्यों को बाह्य एजेन्सी जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बंगलुरु द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर एन.एम.कांबले, कुछ अ.जा. सदस्यों के कुछ व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा के लिए बैंक में नई दिल्ली में पधारे थे।

यूनियनों/असोशिएट्स के प्रतिनिधियों के साथ व्यवसाय बैठक

समीक्षा वर्ष के दौरान, प्रमुख यूनियनों /असोशिएट्स के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर सिर्फ व्यवसाय के विकास की कार्य नीतियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 03 जून 2009 को अलग से बैठक रखी गई। प्रबंधतंत्र एवं चार यूनियनों की एक संयुक्त अपील तैयार की गई, जिसमें समस्त स्टाफ सदस्यों से अतिरिक्त प्रयास दर बैंक के वित्तीय व्यवसाय लक्ष्यों को पाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के साथ ही 'ऑपरेशन नवचेतना' तथा 'नये विज्ञान' को वास्तविक रूप में परिणित करने के लिए आह्वान किया गया।

कर्मचारी कल्याण योजनाएं :

स्टाफ एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु प्रबंधतंत्र के प्रतिबद्ध प्रयास जारी रहेंगे, एवं इसे हमेशा बैंक के मानव संसाधन कार्य सम्बंधी बिन्दुओं में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए रुपये 15 करोड़ की राशि आबंटित की गई। साथ ही इस योजना की सीमा और कवरेज में और सुधार किया गया है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण रहे।

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़

कंपनी का नाम 'सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल एंड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड' से बदलकर 'सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड' रखा गया है। सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं जैसे कि मर्चेन्ट बैंकिंग, ब्रोकिंग, अंडरराईटिंग, म्यूच्युअल फंड/बीमा का वितरण, ऋण समूहन, डिबेंचर ट्रस्टी, सुरक्षा ट्रस्टी/सुरक्षा एजेंट आदि क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार के इरादे से कंपनी के खंड को परिवर्तित किया गया है। कंपनी स्वयं को सर्व सेवाप्रदाता केन्द्र (वन स्टाप सर्विसेस प्रोवाइडर) के रूप में स्थापित कर रही है।

इस पुनर्गठन के फलस्वरूप, कंपनी ने पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ रु. 21.67 लाख के समक्ष रु. 225.00 लाख के कर प्रावधान के बाद 31 मार्च, 2010 की समाप्ति पर रु. 432.85 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

सेंट बैंक होम फाइनेन्स लि.

मार्च 2010 में कंपनी का शुद्ध लाभ रु. 5.45 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2009 में कंपनी का शुद्ध लाभ रु. 3.16 करोड़ था। लाभ में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ब्याज खर्च के व्यय में कमी है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने नैशनल हाऊसिंग बोर्ड के उच्च लागत पुनर्वित्त बकाया को पूरा अदा कर दिया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 5 साल के बाद पुनः 10% डिविडेंड घोषित किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 974 खातों में कुल रु.58.50 करोड़ की स्वीकृति दी एवं 939 खातों में कुल रु. 54.28 करोड़ संवितरित किये। मार्च 2009 की ऋण बकाया राशि रु..257.88 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2010 में रु.269.88 करोड़ हो गई।

कंपनी ने लाभ की निरंतरता को बनाए रखते हुए, अपनी स्वनिधि में आरक्षित निधि को जोड़ कर इसमें वृद्धि की है। मार्च 2009 में नेट वर्थ रु.46.21 करोड़ थी, जो कि मार्च 2010 में बढ़कर रु. 49.31 करोड़ हो गया। यह लाभ में लगातार बढ़ोतरी का परिणाम था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मियादी ऋणों की किस्तें, ऋण खातों से प्राप्त तुरंत वसूली की किस्तों और एन पी ए खातों में अतिदेय राशि की वसूली से उत्पादित आंतरिक निधि के द्वारा, लगातार चुकौती की गई। जनता एवं संस्थाओं से प्राप्त जमाओं की स्थिति मार्च 09 में रु.16.16 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 में रु.38.04 करोड़ हो गई। कंपनी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2009-10 के दौरान मार्च 2010 तक रु.100 करोड़ का नया मियाद ऋण लिया है।

इंडोजाम्बिया बैंक लिमिटेड

जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम, जाम्बिया सरकार तथा तीन भारतीय बैंकों क्रमशः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ोदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित है। प्रत्येक भारतीय बैंक द्वारा 20% इक्विटी धारित कर रहा है और शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार के पास है। बैंक सभी पैरामीटरों के अंतर्गत अच्छा कार्य कर रहा है। हमने उनसे लगातार लाभांश प्राप्त ही रहा है। इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड के विद्यमान प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री एस.आर.शुक्ला है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने 7 राज्यों में 55 जिलों को कवर करते हुए 1726 शाखाओं के साथ 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार ने दिनांक 01.01.2010 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बलिया इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से नया बैंक बनाया। इस प्रकार हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दि: 31.03.10 को घटकर 7 हो गई।

मार्च 2007 को शाखा विस्तार एवं नकारात्मक शुद्ध मलियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में हमारे द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति निम्नवत है।

ए) शाखा विस्तार -

वर्ष 2009-10 के दौरान हमारे द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 22 नई शाखाएं खोलीं। दि: 31.03.10 को इनको मिलाकर शाखाओं की संख्या 1745 हो गई। वर्ष के दौरान विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपना 3 शाखाएं को अपने ही खंड की अन्य शाखाओं के साथ विलय किया।

बी) जमाएं -

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जमा राशि दि: 31.03.2009 के रु.12575.44 करोड़ से 16.10% वृद्धि दर्ज करते हुए दि: 30.03.10 को रु.14600.02 करोड़ तक बढ़ गई।

सी) अग्रिम -

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अग्रिम दि: 31.03.2009 के रु.4923.39 करोड़ से बढ़कर 31.03.10 को रु.6071.53 करोड़ हो गए। डी) लाभप्रदता- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष के रु.195.31 करोड़ के समक्ष रु. 261.63 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

निदेशक मंडल

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्न परिवर्तन हुए।

- श्री अरुण कौल दिनांक 22 अप्रैल, 2009 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त किये गए।
- श्री रोमेश सभरवाल दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 से अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये गए।
- मेजर वेदप्रकाश (सेवानिवृत्त) दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 से अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये गए।
- श्री बी एस रामबाबू दिनांक 16 मार्च, 2010 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए।



पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2009 के लिए आउटलुक मनी - एनडीटीवी लोन

प्रोवाइडर विजेता

- वर्ष 2009 के लिए केवीआईसी वित्तीयन में राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट बैंक
- आयबीए टीएफडीआई 2009 : बेस्ट कस्टमर टेक्नोलॉजी अवार्ड
- हॉस्पिटैलिटी इंडिया 2009 द्वारा बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड
- वर्ष 2010 के लिए एमिनेन्ट ऑर्गेनाइजेशन का आईएमएम अवार्ड
- बेस्ट बिजनेस मॉडल 2010 के लिए स्काॅच चैलेंजर्स अवार्ड
- प्रोफेशनल एक्सलेंस के लिए अवार्ड - रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3050
- एसी नीलसन एवं इकनॉमिक टाइम्स द्वारा कराये गए सर्वे के अनुसार देश के 5 शीर्ष अधिकतम विश्वसनीय बैंकों में हमारे बैंक का स्थान है.

मुंबई
22, मई 2010

कृते निदेशक मंडल
एस श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों की आय में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का गठन समय-समय पर यथा-संशोधित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के अनुरूप किया गया है। सामान्य देख-रेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षा वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार रही :

श्री एस. श्रीधर (दिनांक 02.03.2009 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री रामनाथ प्रदीप (दिनांक 19.12.2008 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री अरुण कौल (दिनांक 22.04.2009 से)	कार्यपालक निदेशक
डॉ. शशांक सक्सेना (दिनांक 10.06.2008 से)	भारत सरकार के नामिती निदेशक
श्री एम. के. भट्टाचार्य (दिनांक 27.02.2007 से)	भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक
श्री एम. एस. जोहर (दिनांक 02.01.2008 से)	सनदी लेखाकार श्रेणी में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्रीमती इंदु सिंह पवार (दिनांक 01.01.2009 को सेवानिवृत्त)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री एन. के. पारीक (दिनांक 07.10.2009 को सेवानिवृत्त)	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
श्री सी. एम. पुरी (दिनांक 04.09.2009 को सेवानिवृत्त)	कर्मकार कर्मचारी निदेशक
श्री बृजलाल क्षत्रिय (दिनांक 20.11.2008 से)	शेयरधारक निदेशक
प्रो. एन. बालकृष्णन (दिनांक 20.11.2008 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री रोमेश सभरवाल (दिनांक 06.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश (दिनांक 20.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी.एस.रामबाबू (दिनांक 16.03.2010 से)	कर्मकार कर्मचारी निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त, अन्य सभी निदेशक बोर्ड पर अंशकालीन गैर-सरकारी कार्यपालक निदेशक हैं।

नए अथवा पुनर्नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री अरुण कौल, व्यावसायिक अर्हता प्राप्त बैंकर हैं आपको 31 वर्ष का व्यवसाय एवं प्रबंधन का अनुभव प्राप्त है। आपने पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक-ऋण प्रशासन के पद पर कार्य किया है तथा बैंक के प्रमुख विशिष्ट कार्यों जैसे ट्रेजरी, वित्त, विदेशी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तथा निवेशक सम्बंध को बखूबी अंजाम दिया है। आप सेन्ट्रल बैंक फायनैन्शियल सर्विसेज लि.कं. के भी निदेशक हैं।

श्री रोमेश सभरवाल, आयु 47 वर्ष, आपको हमारे बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 03.03.2006 को, दिनांक 02.03.2009 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। आपको दिनांक 06.10.2009 से अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं और आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं।



मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश, आयु 71 वर्ष, आपको हमारे बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 06.10.2005 को, दिनांक 05.10.2008 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था. आपको दिनांक 20.10.2009 से अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया. आप आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप बिजनेस एण्ड अॅडवॉन्स इंटेलिजेंट कोर्स डिप्लोमा धारक हैं.

श्री बी.एस.रामबाबू दिनांक 16.03.2010 से नियुक्त, कर्मकार कर्मचारी निदेशक हैं.

अन्य निदेशकों के विवरण

श्री एस. श्रीधर एक ऐसे बैंकर हैं, जिन्हें वाणिज्यिक एवं विकास बैंकिंग में 36 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है. साथ ही साथ, आप आवास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था तथा आवास वित्त कंपनियों की विनियामक राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं, आपने प्रथम आवासीय मूल्य सूचकांक, आवासीय सूक्ष्म वित्त, रिवर्स मॉर्गेंज आदि जैसे नए उत्पाद आरंभ किए. राष्ट्रीय आवास बैंक के पहले, आप एक्विजिशन बैंक में कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी थे. वर्ष 2006 में आप भारतीय संस्था द्वारा निर्गमित प्रथम समुदाय बॉण्ड सफलतापूर्वक जारी करने की प्रक्रिया के प्रणेता रहे, जिससे जापानी बाजार में भारत का पुनःप्रवेश हुआ. आपने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की समितियों में एवं टास्क फोर्स में अपना योगदान दिया, जो वित्तीय क्षेत्र की नीतियां तैयार करने में शामिल थीं. श्री श्रीधर ने आईआईटी दिल्ली से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की. युनाइटेड किंगडम एवं लंदन में कार्य करते हुए, वर्ष 1984 में आपने लॉर्ड एलडिंग्टन बैंकिंग रिसर्च से फेलोशिप पूर्ण की. आप यूएनसीटीएस, यूएनएचबीआईटीएटी, यूएनईएससीएपी, ओईसीडी, सीबीएफ, कॉमनवैल्थ आदि में आमंत्रित वक्ता रहे हैं. आपने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 02.03.2009 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है. आप सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के भी निदेशक हैं.

श्री रामनाथ प्रदीप, अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलबी हैं और आपने अपना कैरियर मध्यप्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में विधि अधिकारी के रूप में आरंभ किया. ऑईल एवं नैचुरल गैस कमिशन में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, आपने वर्ष 1981 में देना बैंक ज्वॉइन किया था. उन्होंने पुनः देना बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. देना बैंक में अपनी सराहनीय सेवा के दौरान, आप भोपाल क्षेत्र में सहायक महाप्रबंधक और तदोपरांत उप महाप्रबंधक रहे. उन्होंने मार्केटिंग, पब्लिसिटी, विधि, पुनर्गठन एवं बीमार इकाइयों तथा वाद दायर खातों में वसूली एवं सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वसूली जैसे विभागों का कार्यभार ग्रहण किया. देना बैंक में प्रशासनीय सेवा के कारण, वर्ष 1999 में आपकी महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई और आपने मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े अंचलों का कार्यभार ग्रहण किया. वर्ष 2001 में, आप भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर रहे. मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात, आपने वापस देना बैंक में पदभार ग्रहण किया. आपको परिचालन एवं नीति मामलों में गहन अनुभव के साथ-साथ, एक अनुभवी बैंकर होने के नाते, आपको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्ड प्रबंधन विभाग तथा डिलिवरी चेनलों के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया और आपने बैंकिंग कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की, आपने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 19.12.2008 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. आप सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि., सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के भी निदेशक हैं.

डॉ. शशांक सक्सेना, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तथा विधि में ग्रेजुएट हैं. आपको वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, का बृहद अनुभव प्राप्त है. आपने फिलॉसफी में डॉक्टरेट पूर्ण की है. आप भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र में हैं और वर्तमान में संयुक्त सचिव की श्रेणी में निदेशक, वित्त मंत्रालय के रूप में कार्यरत हैं. आप भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. और बीमा ऋण गारंटी निगम विभाग में भारत सरकार की ओर से निदेशक हैं. आप वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक (बी.ओ. II एवं पेंशन) थे. वर्तमान में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक एवं डीआईसीजीसी के निदेशक हैं.

श्री बृजलाल क्षत्रिय स्टील प्लान्ट प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं और उन्हें भारत और विदेश में कार्य तथा मानव संसाधन कार्यों में व्यापक प्रशिक्षण अनुभव है. आपने स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों (प्लान्ट) में शीर्ष प्रशासन के पदों पर कार्य किया है और अब बोकारो स्टील प्लान्ट में प्रबंध निदेशक हैं. आपने 1993 में राजीव गांधी एक्सलन्स अवार्ड दिसम्बर, 1993 में एनआरआई वर्ल्ड की ओर से मदर इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड और दिसम्बर, 1993 में लोरी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं.

प्रोफेसर एन. बालकृष्णन, उच्च अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं. आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स करिकुलम में) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. प्राप्त की है. वर्तमान में आप इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सेन्टर बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं कॉन्फ्रेंसों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं. आप वर्ष 2002 में अप्लाइड साइंस के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड, वर्ष 2007 में जे.सी.बोस फेलोशिप आदि अनेक प्रतिष्ठित अवार्डों से शोभायमान हैं. वर्तमान में आप नेशनल सिक्यूरिटी अॅडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं. सूचना प्रौद्योगिकी आयोजना एवं सूचना सुरक्षा में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में, प्रोफेसर एन.बालकृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

श्री एम. के. भट्टाचार्य, आयु 66 वर्ष, आपको भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में दिनांक 27.02.2007 को नियुक्त किया गया. आप वाणिज्य में पोस्ट-ग्रेजुएट हैं. आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफिकेटेड असोशिएट भी हैं. आपने भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों में कार्य भी किया है तथा आप विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड में भी रहे हैं.

श्री एम. एस. जोहर, आयु 54 वर्ष, आपको सनदी लेखाकार श्रेणी में निदेशक के रूप में दिनांक 02.01.2008 को नियुक्त किया गया. आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं तथा आप अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार भी हैं.

निदेशकों के अन्य विवरण

निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	विशेषज्ञता क्षेत्र	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड की समितियों के सदस्य		अन्य कंपनियों के निदेशक पद
			सदस्य	अध्यक्ष	
श्री एस. श्रीधर	02.03.2009	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी. एसआईजीसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी.	i) अध्यक्ष, नेशनल हाउसिंग बैंक ii) अध्यक्ष, सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड iii) निदेशक, इण्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड iv) निदेशक, कृषि वित्त निगम लि. v) निदेशक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड
श्री रामनाथ प्रदीप	19.12.2008	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी. एसआईजीसी	निरंक	i) निदेशक, सेन्ट बैंक होम फाइनेंन्स लिमिटेड ii) निदेशक, सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड iii) निदेशक, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
श्री अरुण कौल	22.04.2009	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी. एसआईजीसी	निरंक	सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
डॉ. शशांक सक्सेना	10.06.2008	अर्थशास्त्री	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी	आरसी	आईआईबीआई, डीआईसीजीसी
श्री एम. के. भट्टाचार्य	27.02.2007	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, सीएससी, आरसी	निरंक	निरंक
श्री एम. एस. जोहर	02.01.2008	लेखा विधि	एमसीबी, एसीबी, सीएससी, एसआईजीसी	एसीबी, एसआईजीसी	-
श्री बृजलाल क्षत्रिय	20.11.2008	मानव संसाधन विकास	एमसी, एलवीएफसी, सीएससी, एसआईजीसी	निरंक	i) इको-टेक मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ii) सॅनसन असोसिएशन (इं.) प्राइवेट लिमिटेड iii) स्ट्रैटेजिक एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
प्रो. एन. बालकृष्णन	20.11.2008	सूचना प्रौद्योगिकी	आरएमसी, आईटीपी	निरंक	i) सी-डॉट अल्काटेल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
श्री रोमेश सभरवाल	06.10.2009	व्यवसायी	एमसी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आरईएमयू	निरंक	निरंक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	20.10.2009	सामाजिक कार्यकर्ता	सीएससी, एसआईजीसी, आईटीपीए	निरंक	निरंक
श्री बी.एस. रामबाबू	16.03.2010	बैंकिंग	निरंक	निरंक	निरंक



एमसी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमस	-	जोरखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीपी	-	बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना
एसआईजीसी	-	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत-समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस	-	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईटीपीए	-	आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्शदाता

निदेशकों का पारिश्रमिक :

निदेशकों को सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए रु. 5,000/- और बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठक में उपस्थित रहने के लिए रु.2,500/- बैठक शुल्क (Sitting fees) का भुगतान किया जाता है. भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों तथा निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों के रूप में निम्न राशि का भुगतान किया गया:

क्रम संख्या	नाम	रुपये
1	श्री एस. श्रीधर	13,53,200
2	श्री रामनाथ प्रदीप	12,95,595
3	श्री अरुण कौल	9,98,790

उक्त वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों के अतिरिक्त, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए, श्री एस.श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रु.50,000/-, सुश्री एच. ए. दारुवाला, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रु.4,50,000/-, श्री रामनाथ प्रदीप, कार्यपालक निदेशक को रु.1,12,000/-, श्री के. सुब्बरामन, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को रु.2,00,000/-, तथा श्री अल्बर्ट टावरो, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को रु.1,33,000/- की कार्य निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान का अनुमोदन दिया.

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु.4,20,000/- तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 5,15,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

बोर्ड की बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 13 बैठकें निम्न तारीखों को आयोजित की गई थीं :

27/28.04.2009	16.05.2009	11.06.2009	24.06.2009	27.07.2009
29.08.2009	21.09.2009	30.10.2009	05.12.2009	21.12.2009
28.01.2010	18.03.2010	31.03.2010		

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत है :

निदेशक का नाम	उपस्थिति का अभिलेख	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	अवधि (दिनांक --- से --- तक)	क्या दिनांक 04.08.2009 की अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे
श्री एस. श्रीधर	13	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
श्री रामनाथ प्रदीप	13	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
श्री अरुण कौल	12	13	22.04.2009-31.03.2010	हां

निदेशक का नाम	उपस्थिति का अभिलेख	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	अवधि (दिनांक --- से --- तक)	क्या दिनांक 04.08.2009 की अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे
डॉ. शशांक सक्सेना	11	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
श्री एम. के. भट्टाचार्य	13	13	01.04.2009-31.03.2010	नहीं
श्री एम एस. जोहर	13	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
श्री बृजलाल क्षत्रिय	13	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
प्रो. एन. बालकृष्णन	08	13	01.04.2009-31.03.2010	हां
श्री रोमेश सभरवाल	06	06	06.10.2009-31.03.2010	लागू नहीं
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	06	06	20.10.2009-31.03.2010	लागू नहीं
श्री बी.एस. रामबाबू	02	02	16.03.2010-31.03.2010	लागू नहीं
श्रीमती इंदु सिंह पवार	10	10	01.04.2009-01.01.2010	हां
श्री सी.एम.पुरी	06	06	01.04.2009-04.09.2009	हां
श्री एन.के.पारीक	07	07	01.04.2009-07.10.2009	हां

बोर्ड की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जो वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव एवं दायर किए गए वाद/अपील इत्यादि दायर करने के सम्बंध में बोर्ड को प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2010 को इसमें 7 सदस्यगण यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक, सनदी लेखाकार निदेशक तथा 2 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक हैं।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 27 बैठकें निम्न तारीखों को आयोजित की गईं :

15.04.2009	27.04.2009	16.05.2009	25.05.2009	10.06.2009
20.06.2009	29.06.2009	11.07.2009	22.07.2009	04.08.2009
21.08.2009	28.08.2009	12.09.2009	26.09.2009	12.10.2009
29.10.2009	09.11.2009	30.11.2009	18.12.2009	29.12.2009
15.01.2010	27.01.2010	09.02.2010	21.02.2010	08.03.2010
16.03.2010	27.03.2010			

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत है :

निदेशकों के नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की बैठक की अवधि (--- से --- तक)
श्री एस. श्रीधर	27	27	01.04.2009-31.03.2010
श्री रामनाथ प्रदीप	26	27	01.04.2009-31.03.2010
श्री अरुण कौल	24	26	22.04.2009-31.03.2010
श्री एम. के. भट्टाचार्य	26	27	01.04.2009-31.03.2010
श्री एम एस. जोहर	27	27	01.04.2009-31.03.2010
श्री बृजलाल क्षत्रिय	10	13	01.04.2009-09.06.2009 10.12.2009-31.03.2010
श्री एन.बालकृष्णन	09	14	10.06.2009-09.12.2009
श्री रोमेश सभरवाल	06	07	02.01.2010-31.03.2010
श्रीमती इंदु सिंह पवार	04	04	30.10.2009-01.01.2010
श्री सी.एम.पुरी	10	10	10.05.2009-04.09.2009
श्री एन.के.पारीक	04	04	05.09.2009-07.10.2009



बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं :

- ए. अंतर-शाखा समायोजन खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में बकाया पुरानी प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में बकाया बही संतुलन, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण कार्य, आंतरिक लेखा परीक्षा के सम्बंध में समीक्षा;
- बी. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्धवार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- सी. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और तिमाही, अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा की संभाव्यता का पता लगाना व समीक्षा करना.
- डी. वार्षिक/अर्द्धवार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के सम्बंध में, लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मुद्दों पर एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से परस्पर बातचीत करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ई. खातों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- एफ. प्रबंधन के निर्णय पर आधारित मुख्य प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा परीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- जी. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां;
- एच. किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के पश्चात चर्चा करना;
- आई. आंतरिक लेखा परीक्षा की गुंजाइश एवं आवृत्ति आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्तता सुनिश्चित करने की संभाव्यता का पता लगाना;
- जे. जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के सम्बंध में स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- के. समय-समय पर ऐसे अन्य मामले, जोकि कोई सांविधिक अनुबंधित अथवा विनियामक आवश्यकताओं के लिए हैं, लेखा परीक्षा समिति देखेगी.

लेखा परीक्षा समिति में 6 सदस्य हैं, यथा कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक, 2 गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक, श्री एम. एस. जोहर, सनदी लेखाकार, जो बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के विद्यमान अध्यक्ष हैं। आपको नियुक्ति की तारीख अर्थात 02.01.2008 से तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

1	श्री एम. एस. जोहर	अध्यक्ष
2	श्री रामनाथ प्रदीप	सदस्य
3	श्री अरुण कौल	सदस्य
4	डॉ. शशांक सक्सेना	सदस्य
5	श्री एम. के. भट्टाचार्य	सदस्य
6	प्रो. एन. बालकृष्णन	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें निम्न तारीखों को हुईं :

15.04.2009	28.04.2009	16.05.2009	24.06.2009	11.07.2009	27.07.2009
26.09.2009	30.10.2009	27.11.2009	17.12.2009	06.01.2010	28.01.2010
20.02.2010					

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति का अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखापरीक्षा समिति पर रहने की अवधि (--- से --- तक)
श्री एम.एस.जोहर	13	13	01.04.2009-31.03.2010
श्री रामनाथ प्रदीप	13	13	01.04.2009-31.03.2010
श्री अरुण कौल	11	12	22.04.2009-31.03.2010

निदेशकों के नाम	उपस्थिति का अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखापरीक्षा समिति पर रहने की अवधि (--- से --- तक)
डॉ. शशांक सक्सेना	10	13	01.04.2009-31.03.2010
श्री एम. के. भट्टाचार्य	12	13	01.04.2009-31.03.2010
प्रो. एन. बालकृष्णन	01	03	02.01.2010-31.03.2010
श्रीमती इंदु सिंह पवार	10	10	01.04.2009-01.01.2010

बैंक के तिमाही गैर-लेखा परीक्षित परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कॉर्पोरेट गवर्नंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की प्राप्ति न होने, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से सम्बंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भ/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इसकी अध्यक्षता हमारे बैंक के निदेशक मंडल के शेयरधारक निदेशक श्री बृजलाल क्षत्रिय द्वारा की जाती है.

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बैठकें निम्न तारीखों को हुई :

27.04.2009	29.08.2009	04.12.2009	21.02.2010
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति का अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति में रहने की अवधि (--- से --- तक)
श्री एस. श्रीधर	04	04	01.04.2009-31.03.2010
श्री रामनाथ प्रदीप	04	04	01.04.2009-31.03.2010
श्री अरुण कौल	04	04	01.04.2009-31.03.2010
श्री एम एस. जोहर	03	03	01.04.2009-20.12.2009
श्री बृजलाल क्षत्रिय	03	04	01.04.2009-31.03.2010
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	01	01	21.12.2009-31.03.2010

वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010) के लिए निवेशकों की शिकायतों का विवरण निम्नवत है :

1	वर्ष के प्रारंभ में निवेशकों की कुल लंबित शिकायतें	निरंक
2	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें	478
3	वर्ष के दौरान कटे-फटे चेक/सुधार के लिए प्राप्त कुल शिकायतें	4
4	वर्ष के दौरान एन.एस.ई. के माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतें	निरंक
5	वर्ष के दौरान बी.एस.ई. के माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतें	निरंक
6	वर्ष के दौरान सेबी के माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतें	26
7	कुल कानूनी नोटिस/उपभोक्ता न्यायालय मामले	निरंक
8	कुल प्राप्त शिकायतें	508
9	वर्ष के दौरान निपटान की गई/उत्तरित शिकायतों की संख्या	508
10	तिमाही के अंत में निवेशकों की कुल लंबित शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु विचाराधीन/लंबित नहीं रही है.



अनुपालन अधिकारी

श्री एस.सी.ज़ंवर, उप महाप्रबंधक एवं प्राचार्य, सर एस.पी.बी.टी.महाविद्यालय, मुम्बई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त-मंत्रालय संप्रेषण एफ नं. 20.01.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार, पूर्णकालीन निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए किया गया। वर्ष के दौरान वर्ष 2008-09 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि पर विचार करने के लिए डॉ. शशांक सक्सेना, सरकार के नामिती निदेशक (अध्यक्ष), श्री एम. के. भट्टाचार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक, श्री एम.एस.जोहर एवं श्री बृजलाल क्षत्रिय, इन सदस्यों की समिति की बैठक दिनांक 29.08.2009 को हुई।

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, प्रिफरेंशियल निर्गमों आदि से प्राप्त आय

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को रु.450 करोड़ के बेमीयादी अंसचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) के रूप में अधिमानी शेयर जारी करके अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ाई। बैंक ने रु.1,000.00 करोड़ के अपर टियर - II बॉण्ड के जरिए जुटाए. निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करने हेतु टियर - I एवं टियर - II पूंजी बढ़ाना एवं बैंक के दीर्घवधि स्रोतों में वृद्धि करना है। जुटाई गई निधियों का उपयोग उक्त उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

भारत सरकार को जारी रु. 450 करोड़ के पीएनसीपी निर्गम अहस्तांतरणीय हैं तथा स्टॉक एक्सचेंज से सम्बंधित नहीं है और तदनुसार उनका क्रय-विक्रय और /अथवा सूचीबद्धता नहीं हो सकती।

संप्रेषण के माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर- लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स के सभी संस्करणों (अंग्रेजी/गुजराती/हिंदी) तथा लोकसत्ता, मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

आचार संहिता

बैंक ने बोर्ड के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता अपनाई है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इसके अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।

बैंक ने बैंक प्रतिभूतियों में आंतरिक संव्यवहार को रोकने के लिए अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता बनाई है।

निदेशकों द्वारा धारित बैंक के शेयर्स की संख्या निम्नानुसार है :

क्रम.	शेयरधारक का नाम	कुल धारित शेयर	
		संख्या	सकल योग का %
1.	श्री बृजलाल क्षत्रिय	200	0.000049
2.	श्री एन.बालकृष्णन	100	0.000024
	कुल	300	0.000073

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज के असमावेशित वित्तीय रूप से दुर्बल लोगों के लिए वित्तीय समावेशन के तहत बैंक ने योजनाएं बनाई हैं।

दान : वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न न्यासों, एनजीओ, संघों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को रु. 95.30 लाख की राशि दान की है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के एक घटक के रूप में की गई पहल

- बैंक ने 4 पिछड़े जिलों में राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ यूथ फाइनेंस फेसिलिटी का कार्यान्वयन किया है। इसका प्रयोजन सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए युवाओं को समन्वित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- बैंक ने सेंट लुसिया, वेस्ट इंडीज में सूक्ष्म वित्त पर केपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की है।
- बैंक ने राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से जयपुर में स्मॉल बिजनेस कॉम्प्यूटीटिवनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पर समावेशक एवं एकीकृत कार्यक्रम का आयोजन किया।
- ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता के विकास करने के प्रयोजनार्थ, बैंक ने अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़), छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) तथा रतलाम (मध्य प्रदेश) में ग्रामीण विकास एवं स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है। ये ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक गतिविधियां करने के लिए गहन उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे बैंक ने पहले ही कोटा, मुजफ्फरपुर एवं होशंगाबाद में रूडसेटी स्थापित कर दिये हैं।

अन्य प्रकटीकरण

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा सम्बंधियों से नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता की संभाव्यता हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक सम्बंध तथा संव्यवहार नहीं हुआ है.

बैंक में सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, जब उनसे सम्बंधित या उनके रिश्तेदारों से सम्बंधित कोई मामला बोर्ड एवं बोर्ड की उपसमितियों में चर्चाधीन होता है, तब चर्चा में भाग नहीं लेते हैं.

बैंक ने पूंजी बाजार से सम्बंधित भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है.

समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से सम्बंधित किसी भी मामले पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या कोई भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई भी अर्थ-दंड नहीं लगाया गया है या निंदा नहीं की गई है.

बैंक ने सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, का अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीबद्धता करार का अनुलग्नक I डी)

हमारे बैंक ने वर्तमान में सूचीबद्धता करार के खंड 49 में अनुलग्नक I डी में निर्धारित गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अंगीकार नहीं किया है.

अनुपालन प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 (VII) के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम एवं शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र लिया गया है एवं बोर्ड के अभिलेख में रखा गया है.

साधारण बैठक

वर्ष 2008-09 के लिए, बैंक की द्वितीय वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन दिनांक 04 अगस्त, 2009 को दोपहर 3.00 बजे सर एसपीबीटी महाविद्यालय, कूपर अस्पताल के नजदीक, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056 में किया गया था.

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक की अधिकृत पूंजी रु.1500 करोड़ से रु.3000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया तथा पोस्टल मत-पत्र के माध्यम से अन्य कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है.

सामान्य शेयरधारक सूचना

1. बैंक की 3री वार्षिक साधारण बैठक:

दिनांक : 14 जुलाई, 2010 को दोपहर 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल/रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

2. वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष 2009-10 से सम्बंधित है.

3. बही-बंदी की तारीख: 10 जुलाई, 2010 से 14 जुलाई, 2010 तक (दोनों दिवस सहित)

4. लाभांश भुगतान तारीख : 19.07.2010

5. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए गए हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है :

दि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	सीईएनटीआरएलबीके
आईएसआईएन नंबर	आईएनई483ए01010



दोनों स्टॉक एक्सचेंज को 2010-11 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क अदा किया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर - II पूंजी) जारी किए हैं। तत्सम्बंधी बकाया विवरण निम्नवत है :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स - दिनांक 31.03.2010 को टियर - II पूंजी की स्थिति

इश्यू के विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-सिरीज VII	25.09.2003	200.00	आईएनई483A09112
लोअर टियर II-सिरीज VIII	07.10.2003	70.00	आईएनई483A09120
लोअर टियर II-सिरीज IX	08.10.2004	200.00	आईएनई483A09138
लोअर टियर II-सिरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई483A09146
लोअर टियर II-सिरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई483A09153
लोअर टियर II-सिरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II-सिरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II-सिरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
लोअर टियर II-सिरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
लोअर टियर II-सिरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
लोअर टियर II-सिरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
कुल		3992.30	

ये सभी बॉण्ड या तो नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं। बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया है।

बाजार मूल्य आंकड़े :

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय/विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई बैंक निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है :

माह	उच्च रु.	निम्न रु.	कुल क्रय/विक्रय संख्या	एनएसई निफ्टी	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2009	51.70	33.65	15950576	3511	2966
मई 2009	77.75	43.80	16320948	4509	3479
जून 2009	99.35	71.15	24515863	4693	4143
जुलाई 2009	106.00	82.30	11690254	4670	3919
अगस्त 2009	105.00	84.15	4151825	4744	4359
सितम्बर 2009	163.50	100.00	26334894	5088	4577
अक्टूबर 2009	162.10	120.05	17591716	5182	4688
नवम्बर 2009	161.70	125.15	17858745	5138	4539
दिसम्बर 2009	171.50	136.70	7337369	5222	4944
जनवरी 2010	166.70	146.20	6590021	5311	5260
फरवरी 2010	167.60	142.00	5928750	4992	4675
मार्च 2010	165.50	141.70	5203168	5330	4935

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयरों के क्रय/विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की संसेक्स के साथ तुलना सहित) निम्नवत है :

माह	उच्च	निम्न	क्रय / विक्रय किए गए शेयरों की प्रमात्रा	संसेक्स	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2009	50.40	33.60	6972809	11492.10	9546.29
मई 2009	77.60	43.75	7121695	14,930.54	11,621.30
जून 2009	99.20	72.00	9990718	15,600.30	14,016.95
जुलाई 2009	106.00	82.00	5506478	15,732.81	13,219.99
अगस्त 2009	104.50	93.50	2331046	16,002.46	14,684.45
सितम्बर 2009	164.20	100.00	13664683	17,142.52	15,356.72
अक्टूबर 2009	161.90	119.30	8208346	17,493.17	15,805.20
नवम्बर 2009	161.50	120.00	8521176	17,290.48	15,330.56
दिसम्बर 2009	178.90	136.55	4119731	17,530.94	16,577.78
जनवरी 2010	168.40	145.05	3302575	17,790.33	15,982.08
फरवरी 2010	167.70	140.40	3272200	16,669.25	15,651.99
मार्च 2010	164.65	142.55	1980306	17,793.01	16,438.45

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से सम्बंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछ-ताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के सम्बंध में शेयर धारकों से निम्न पते पर सम्पर्क करने का अनुरोध है:

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड
 एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
 मुंबई - 400078
 टेलीफोन : 022-25963838
 फैक्स : 022-25946969
 ईमेल आईडी / isrl@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्र व्यवहार का पता :

अनुपालन अधिकारी
 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
 सर एसपीबीटी कॉलेज, जेवीपीडी स्कीम
 कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम)
 मुंबई-400 056
 सम्पर्क नं. 022-26207813
 फैक्स नं. :022-26208680
 ईमेल आईडी: ipocell@centralbank.co.in



8. दिनांक 31.03.2010 को शेयरधारिता का संवितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	फोलिओ		शेयर्स	
	संख्या	%	संख्या	%
500 तक	158999	97.7607	13222646	3.2718
501 से 1000	2051	1.2611	1607878	0.3979
1001 से 2000	860	0.5288	1256935	0.3110
2001 से 3000	233	0.1433	591883	0.1465
3001 से 4000	95	0.0584	340411	0.0842
4001 से 5000	84	0.0516	392880	0.0972
5001 से 10000	126	0.0775	895287	0.2215
10000 से 999999999	193	0.1187	385833540	95.4699
कुल	162641	100.0000	404141460	100.0000

“पब्लिक” प्रवर्ग से सम्बंधित एवं कुल शेयरों में से 1% से अधिक शेयर धारण करने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	12247090	3.0304
भारतीय जीवन बीमा निगम - मार्केट प्लस	10860442	2.6873
मॉर्गन स्टेन्ले मॉरिशस कंपनी लिमिटेड	8749592	2.1650
भारतीय जीवन बीमा निगम - मनी प्लस	4222341	1.0448
कुल	36079465	8.9274

दिनांक 31.03.2010 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	धारिता का %
	डी-मैट	प्रत्यक्ष	डी-मैट	प्रत्यक्ष		
केन्द्र सरकार	324141460	-	1	-	324141460	80.2050
क्वियरिंग सदस्य	357211	-	266	-	357211	0.0884
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	2752415	-	959	-	2752415	0.6811
निदेशक	300	-	2	-	300	0.0001
वित्तीय संस्थायें	29180100	-	6	-	29407397	7.2203
विदेशी संस्थागत निवेशक	20884886	-	66	-	7314030	5.1677
म्यूच्युअल फंड	6416661	-	21	-	1768187	1.5877
राष्ट्रीयकृत बैंक	17733	-	2	-	335045	0.0044
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	209564	-	3	-	101783	0.0519
एनआरआई	262186	-	703	-	363679	0.0649
एनआरआई (अप्रत्यावर्तित)	78786	-	210	-	91417	0.0195
सार्वजनिक	18815710	2063	160358	16	33924915	4.6562
ट्रस्ट	26874	-	22	-	14224	0.0066
बीमा कम्पनियां	900067	-	3	-	7304349	0.2227
कुल	404141127	333	234919	7	404141460	100.0000

रुद्ध (लॉकड-इन) शेयर्स के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	रुद्ध (लॉकड-इन) शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स में रुद्ध (लॉकड-इन) शेयर्स का प्रतिशत (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
1	भारत के राष्ट्रपति	324141460	80.2050
	योग.....	324141460	80.2050

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बकाया डीआर का स्वरूप (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि)	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर शेयरों की संख्या	कुल शेयरों में बकाया डीआर शेयरों का प्रतिशत (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

जहां कुल शेयर्स में से विचाराधीन (अंडरलाइंग) शेयर्स 1% से अधिक हैं, वहां के डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) भारिता के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का स्वरूप (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि)	बकाया विचाराधीन (अंडरलाइंग) शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स में बकाया विचाराधीन (अंडरलाइंग) शेयर्स का प्रतिशत (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
	निरंक			

9. शेयर्स का डीमॉटोरियालाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय/विक्रय अनिवार्यतः डी-मैट रूप में किया जाता है. बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमॉटोरियालाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2010 को डी-मैट एवं भौतिक रूप में धारित शेयर्स का विवरण निम्नवत है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक रूप में	16	2063	-
एनएसडीएल	111019	72983484	18.05
सीडीएसएल*	51606	331155913	81.95
कुल	162641	404141460	100.00

*केन्द्र सरकार द्वारा धारित 3214141460 (80.20%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वार्ड अथवा कोई भी परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं हैं.

कार्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार की शर्तों के अनुसार, अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से सम्बंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एवं स्टॉक एक्सचेंज के प्रति उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करता है. बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है. बोर्ड अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों के निर्बाध समर्थन हेतु आभार ज्ञापित करता है तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल ओर से

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

(एस. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-1

आचार संहिता सहित अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

(एस. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सूचीबद्धता समझौते के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय वर्ष 2009-2010 की वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- I. इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - II. ये विवरण बैंक की कार्य-पध्दति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जोकि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, उसका प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.
- डी. हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकर्षित किया है :
- I. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - II. लेखांकन नीतियों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है एवं
 - III. धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

बासब मंडल

महाप्रबंधक (लेखे)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित बैंक के सूचीबद्धता-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखा परीक्षा है, और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीबद्धता करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट की अपेक्षानुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेरधारक एवं निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं हैं।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का, और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते मेसर्स भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं.96980

कृते मेसर्स उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू

(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता सं.70863

कृते मेसर्स पी.जी. भागवत
सनदी लेखाकार

(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता सं.83374

कृते जी.एस.ए. एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं.00257 एन

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार

(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
एफआर सं.25844

कृते सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003510 एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010



भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 2 मई, 2010 के अधिक्रमण में है। बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के प्रस्ताविक लाभांश को 20% से बढ़ाकर 22% करने की वजह से वित्तीय विवरणों में हुए परिवर्तन के कारण इस नई लेखा परीक्षा रिपोर्ट की आवश्यकता हुई है।

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के दिनांक 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसमें संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते एवं नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। इनमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, 16 आंचलिक कार्यालयों एवं 28 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2876 शाखाओं, 20 एनबीओ तथा 9 सीएमएस शाखाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही, 681 शाखाओं एवं 50 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते में वे विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जोकि लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं। इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 1.91 प्रतिशत, जमाओं का 4.26 प्रतिशत, ब्याज आय का 0.82 प्रतिशत और ब्याज खर्चों का 3.76 प्रतिशत व्यवसाय होता है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनी गई हैं। इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।
- हमने भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और सम्पन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण के नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान और लेखा सिद्धान्तों के आकलन के साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारे मत का तर्कसंगत आधार व्यक्त करती है।
- तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फॉर्म क्रमशः 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।
- उपर्युक्त पैरा 1 में प्रदर्शित एवं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा साथ ही, उनमें वांछित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम सूचित करते हैं कि :
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के हमारे प्रयोजनों की दृष्टि से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - बैंक के कारोबार से सम्बंधित जो जानकारी हमारे सामने आई है, वे बैंक के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
 - बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां, जानकारी सहित प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
- हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित :
 - तुलनपत्र, सहपठित मूल लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ, आवश्यक विवरणों को शामिल करते हुए पूर्ण एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है, जिससे कि दिनांक 31 मार्च, 2010 को, सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप बैंक के कार्यकलापों का सत्य एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके।
 - लाभ एवं हानि खाता सह पठित उन पर टिप्पणियों के साथ, सामान्यतया, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप लेखा द्वारा कवर किये गए वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष दर्शाता है।
 - नकद प्रवाह विवरण, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रण करता है।

कृते मे. भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन

(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980

कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू

(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू

(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374

कृते मे. जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे. जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस

(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 का तुलनपत्र
तथा
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष
के लिए लाभ-हानि खाता



दिनांक 31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

(000' छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2010 को रु.	दिनांक 31 मार्च, 2009 को रु.
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	1771,14,15	1321,14,15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	5921,10,55	5090,91,00
जमा राशियां	3	162107,46,88	131271,84,88
उधार राशियां	4	7326,63,68	804,25,10
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	5545,27,12	9167,07,24
	योग	182671,62,38	147655,22,37
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	17011,92,88	11036,90,56
बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्पसूचना पर राशि	7	2205,08,50	1214,33,62
निवेश	8	50562,86,70	43060,71,66
अग्रिम	9	105383,48,57	85483,19,56
अचल आस्तियां	10	2343,28,81	2277,98,71
अन्य आस्तियां	11	51649692	4582,08,26
	योग	182671,62,38	147655,22,37
आकस्मिक देयताएं	12	38740,07,66	23404,19,71
वसूली हेतु बिल	--	5400,24,08	2833,02,81
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का महत्वपूर्ण भाग हैं			

एस.श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	रामनाथ प्रदीप कार्यपालक निदेशक	अरुण कौल कार्यपालक निदेशक	बासब मंडल महाप्रबंधक
डॉ.शशांक सक्सेना निदेशक	एम.के.भट्टाचार्य निदेशक	सीए एम.एस.जोहर निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
एन. बालकृष्णन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर वेद प्रकाश निदेशक	बी.एस.रामबाबू निदेशक
कृते मे. भूषण बैसल जैन असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003884एन (सीए दीपक कुमार जैन) भागीदार सदस्यता नं.96980	कृते मे. पी.जी.भागवत सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू (सीए एस.एस.आठवले) भागीदार सदस्यता नं.83374	कृते मे. जोसेफ एण्ड राजाराम सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001375एस (सीए थॉमस फिलिप) भागीदार सदस्यता नं.25844	कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू (सीए यू.एम.जैन) भागीदार सदस्यता नं.70863
	कृते मे. जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता नं.83899	कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता नं.27357	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2010 को रु.	31 मार्च, 2009 को रु.
I आय			
अर्जित ब्याज	13	12064,30,62	10455,18,91
अन्य आय	14	1735,24,53	1069,97,06
योग		13799,55,15	11525,15,97
II व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	9519,01,29	8226,71,54
परिचालन व्यय	16	2222,01,72	1861,70,02
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		1000,29,34	865,50,16
योग		12741,32,35	10953,91,72
III लाभ/ हानि			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ		1058,22,80	571,24,25
आगे लाया गया लाभ		1,12,82	58,33
योग		1059,35,62	571,82,58
IV विनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		264,55,70	142,81,06
निवेश आरक्षित निधि		46,62,32	140,72,03
कर्मचारी कल्याण निधि		15,00,00	15,00,00
राजस्व आरक्षित निधि		565,90,84	98,00,00
प्रस्तावित लाभांश-अधिमान्नी पूंजी		53,09,40	68,03,85
प्रस्तावित लाभांश-इक्विटी पूंजी		88,91,11	80,82,83
लाभांश कर		24,13,38	25,29,99
तुलनपत्र में ले जाई गई शेष राशि		1,12,87	1,12,82
योग		1059,35,62	571,82,58
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड)		24.65	12.17
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अनिवार्य घटक हैं			

एस.श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	रामनाथ प्रदीप कार्यपालक निदेशक	अरुण कौल कार्यपालक निदेशक	बासब मंडल महाप्रबंधक
डॉ.शशांक सक्सेना निदेशक	एम.के.भट्टाचार्य निदेशक	सीए एम.एस.जोहर निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
एन. बालकृष्णन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर वेद प्रकाश निदेशक	बी.एस.रामबाबू निदेशक
कृते मे. भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003884एन (सीए दीपक कुमार जैन) भागीदार सदस्यता नं.96980	कृते मे. पी.जी.भागवत सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू (सीए एस.एस.आठवले) भागीदार सदस्यता नं.83374	कृते मे. जोसेफ एण्ड राजाराम सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001375एस (सीए थॉमस फिलिप) भागीदार सदस्यता नं.25844	कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता नं.27357
कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू (सीए यू.एम.जैन) भागीदार सदस्यता नं.70863	कृते मे. जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता नं.83899		

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2010 को		दिनांक 31/03/2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी		<u>3000,00,00</u>		<u>1500,00,00</u>
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	404,14,15		404,14,15	
रु.10/- प्रति शेयर के 4041,41,460 इक्विटी शेयर्स (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 3241,41,500 शेयर्स सहित)				
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर पूंजी	<u>1367,00,00</u>		<u>917,00,00</u>	
		1771,14,15		1321,14,15
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	945,57,87		802,76,81	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	<u>264,55,70</u>		<u>142,81,06</u>	
		1210,13,57		945,57,87
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	2008,91,59		2038,66,65	
वर्ष के दौरान कटौतियां	<u>46,89,36</u>		<u>29,75,06</u>	
		1962,02,23		2008,91,59
ii) निवेश आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	316,48,03		175,76,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	<u>46,62,32</u>		<u>140,72,03</u>	
		363,10,35		316,48,03
III शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	736,00,00		736,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	<u>0</u>		<u>0</u>	
		736,00,00		736,00,00
IV. आय व अन्य आरक्षित निधियां				
i) आय-आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1082,80,69		984,84,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	565,90,84		98,00,00	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां	<u>0</u>		<u>3,44</u>	
		1648,71,53		1082,80,69
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		112,87		1,12,82
योग		<u>5921,10,55</u>		<u>5090,91,00</u>

दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2010 को		दिनांक 31/03/2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 3 : जमा राशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंकों से	708,83,83		484,89,55	
ii) अन्य से	14362,54,74		9627,39,52	
		15071,38,57		10112,29,07
II. बचत बैंक जमा राशियां		40763,53,34		33680,07,96
III. मीयादी जमाएं				
i) बैंकों से	5427,57,92		4713,89,87	
ii) अन्य से	100844,97,05		82765,57,98	
		106272,54,97		87479,47,85
योग		162107,46,88		131271,84,88
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		162107,46,88		131271,84,88
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा राशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	0		17,25,46	
ii) अन्य बैंक	45,97,90		55,10,91	
iii) अन्य संस्थाएं व एजेन्सियां	2575,14,78		731,88,73	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (गौण ऋण)	2407,30,00		-	
v) अपर टियर II बॉण्ड	1585,00,00		-	
vi) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत	583,00,00		-	
		7196,42,68		804,25,10
II. भारत के बाहर उधारी		130,21,00		0
योग		7326,63,68		804,25,10
उपर्युक्त I एवं II में रक्षित उधारी शामिल है				
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		448,41,42		614,26,30
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-		-
III. उपचित ब्याज		727,22,67		338,66,15
IV. आस्थगित कर देयताएं		307,89,00		24,03,00
V. अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड		-		3271,30,00
(टियर II पूंजी हेतु गौण ऋण)*				
VI. अन्य (प्रावधानों सहित)		4061,74,03		49188179
(इसमें नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतों के रु. 583 करोड़ शामिल हैं)*				
*वर्ष 2009-10 के दौरान उधार राशियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.				
योग		5545,27,12		9167,07,24
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी तथा शेष राशि				
I. रोकड़ शेष		751,87,15		797,37,69
(विदेशी मुद्रा नोटों सहित)				
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	16160,05,73		10139,52,87	
अन्य खातों में	100,00,00		100,00,00	
		16260,05,73		10239,52,87
योग		17011,92,88		11036,90,56



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2010 को		दिनांक 31/03/2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	730,07,46		708,25,22	
बी) अन्य जमा खातों में	1367,70,00		1,61,88	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		2097,77,46		709,87,10
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	107,17,62		431,38,95	
बी) अन्य जमा खातों में	13,42		73,07,57	
सी) मांग व अल्प सूचना	-		-	
		107,31,04		504,46,52
योग		2205,08,50		1214,33,62
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश :*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	44845,71,79		37878,42,11	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	130,52,25		405,38,89	
iii) शेयर्स में	599,35,70		502,81,74	
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स में	2830,85,76		3073,20,42	
v) अनुषंगियों एवं प्रायोजित संस्थानों में	247,16,62		242,26,62	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं कमर्शियल पेपर, म्युच्युअल फंड यूनिटों में आदि)	1908,58,64		957,95,94	
		50562,20,76		43060,05,72
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेश में अनुषंगी और/अथवा असोशिएट्स		65,94		65,94
योग		50562,86,70		43060,71,66
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	52007,63,76		44445,64,64	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	1445,43,00		1384,92,98	
शुद्ध मूल्य		50562,20,76		43060,71,66
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	65,94		65,94	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	0	0	-	
शुद्ध मूल्य	65,94	0		65,94

दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2010 को		दिनांक 31/03/2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1340,05,12		886,54,29	
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	31499,89,63		24026,18,25	
iii) मीयादी ऋण	<u>72543,53,82</u>		<u>60570,47,02</u>	
योग		<u>105383,48,57</u>		<u>85483,19,56</u>
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	80993,22,45		63217,60,21	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	5760,65,76		3071,46,28	
iii) अरक्षित	<u>18629,60,36</u>		<u>19194,13,07</u>	
योग		<u>105383,48,57</u>		<u>85483,19,56</u>
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	33873,12,96		26830,20,77	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	5081,20,04		10125,20,13	
iii) बैंक	1015,37,72		687,73,63	
iv) अन्य	<u>65413,77,85</u>		<u>47840,05,03</u>	
योग		<u>105383,48,57</u>		<u>85 483,19,56</u>
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	2366,37,57		2366,37,57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	<u>16,63,57</u>		<u>0</u>	
योग	2383,01,14		2366,37,57	
इस तारीख को मूल्यहास	<u>334,01,07</u>		<u>315,11,33</u>	
योग		<u>2049,00,07</u>		<u>2051,26,24</u>
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	815,31,19		753,42,84	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	<u>143,84,34</u>		<u>81,91,49</u>	
योग	959,15,53		835,34,33	
वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	<u>8,19,76</u>		<u>20,03,14</u>	
योग	950,95,77		815,31,19	
इस तारीख को मूल्यहास	<u>656,67,03</u>		<u>588,58,72</u>	
योग		<u>294,28,74</u>		<u>226,72,47</u>
योग (I एवं II)		<u>2343,28,81</u>		<u>2277,98,71</u>



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2010 को		दिनांक 31/03/2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	996,27,89		780,08,78	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत से काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	2186,58,21		1827,39,04	
III. लेखन सामग्री एवं मुद्रांक	11,96,52		11,33,59	
IV. दारों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	0		0	
V. अन्तर-कार्यालय समायोजन	620,92,20		643,07,63	
VI. अन्य	1349,22,10		1320,19,22	
योग		5164,96,92		4582,08,26
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		1682,43,57		164,00,65
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों हेतु देयता		27,64,33		27,34,33
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		26529,98,20		16474,39,54
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटियां				
ए) भारत में	5650,07,20		3946,75,37	
बी) भारत के बाहर	127,50,51		277,18,01	
		5777,57,71		4223,93,38
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		4722,43,85		2514,51,81
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		0		0
योग		38740,07,66		23404,19,71

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष रु.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष रु.
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	8647,84,07	7753,44,64
II. निवेश पर आय	3307,78,69	2563,18,31
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	102,64,80	131,51,73
IV. अन्य	6,03,06	7,04,23
योग	12064,30,62	10455,18,91
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमिशन, विनिमय एवं दलाली	573,54,62	441,95,06
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	772,38,20	409,76,60
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	0	0
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर (शुद्ध) लाभ/(हानि)	-(32,21)	-(35,29)
V. विनिमय लेनदेनों पर (शुद्ध) लाभ	45,33,62	67,33,40
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	1,45,64	1,43,01
VII. विविध आय	342,84,66	149,84,28
योग	1735,24,53	1069,97,06
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	9121,02,10	7913,31,98
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	22,18,36	91,61,85
III. अन्य	375,80,83	221,77,71
योग	9519,01,29	8226,71,54
अनुसूची 16 : परिचालन सम्बंधी व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	1544,19,24	1272,58,81
II. किराया, कर एवं बिजली	162,68,78	142,12,73
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	18,92,37	17,88,08
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	17,21,55	15,33,22
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	78,74,82	83,59,01
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	1,54,31	1,44,56
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	19,57,34	20,40,23
VIII. विधि प्रभार	12,43,45	10,78,17
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	4,71,18	9,71,80
X. मरम्मत एवं रखरखाव	24,26,53	32,89,21
XI. बीमा	121,20,21	91,41,19
XII. अन्य खर्चे	216,51,94	163,53,01
योग	2222,01,72	1861,70,02

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष रु.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष रु.
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	8647,84,07	7753,44,64
II. निवेश पर आय	3307,78,69	2563,18,31
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	102,64,80	131,51,73
IV. अन्य	6,03,06	7,04,23
योग	12064,30,62	10455,18,91
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमिशन, विनिमय एवं दलाली	573,54,62	441,95,06
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	772,38,20	409,76,60
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	0	0
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर (शुद्ध) लाभ/(हानि)	-(32,21)	-(35,29)
V. विनिमय लेनदेनों पर (शुद्ध) लाभ	45,33,62	67,33,40
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	1,45,64	1,43,01
VII. विविध आय	342,84,66	149,84,28
योग	1735,24,53	1069,97,06
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	9121,02,10	7913,31,98
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	22,18,36	91,61,85
III. अन्य	375,80,83	221,77,71
योग	9519,01,29	8226,71,54
अनुसूची 16 : परिचालन सम्बंधी व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	1544,19,24	1272,58,81
II. किराया, कर एवं बिजली	162,68,78	142,12,73
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	18,92,37	17,88,08
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	17,21,55	15,33,22
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	78,74,82	83,59,01
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	1,54,31	1,44,56
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	19,57,34	20,40,23
VIII. विधि प्रभार	12,43,45	10,78,17
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	4,71,18	9,71,80
X. मरम्मत एवं रखरखाव	24,26,53	32,89,21
XI. बीमा	121,20,21	91,41,19
XII. अन्य खर्चे	216,51,94	163,53,01
योग	2222,01,72	1861,70,02



अनुसूची 17 - मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यान द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत वर्ष में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रक्रियाओं एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार की जाती हैं.

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व, वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. निवेश :

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, कमर्शियल पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की इकाइयां).

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.
- ii) क्रय/विक्रय के लिए धारित
वे प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं.
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश, जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई है, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार मूल्य के अनुसार, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

- i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएडीए/पीडीएआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
- ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल

iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ कमर्शियल पेपर	रखाव लागत पर
iv) इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन-पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो.
v) अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित प्रतिफल
vi) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित प्रतिफल
vii) म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii) उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) क्रय / विक्रय के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत निर्धारित की गई है.

3.6 आय निर्धारण :

- i) निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी आरक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.
- ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर्स/बॉण्ड्स, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- iii) यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.
- iv) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.
- v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है.
- vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है.

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है :

- i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.
- ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं, उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.
- iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.



5. अग्रिम :

- 5.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान किए गये हैं।
- 5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।
- 5.3 अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि, जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं। मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं।

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- 6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास "मूल्यहासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i) परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii) वाहन	20%
iv) वातानुकूलित यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है।)
- 6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि" में समायोजित किया गया है।
- 6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारियों के लिए लाभ :

- 7.1 ग्रेच्युटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है। पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है।
- 7.2 अर्जित अवकाश के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य अंशदान किया गया है।
- 7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारियों के लिए लाभ से उत्पन्न देयताओं को दायित्वों के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में दर्शाई गई आस्तियों को घटाकर लेखांकित किया है।
'नियोक्ता की वित्तीय विवरणियों में सेवानिवृत्ति लाभ का लेखांकन' का एस-15 (संशोधित) के परिवर्तित प्रावधान के अनुसार परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाओं के कारण उत्पन्न देयताओं के अंतर (सम्बंधित आस्थगित कर द्वारा समायोजित किए अनुसार) को, राजस्व आरक्षित निधि और अधिशेष के समक्ष समायोजित किया जाता है।

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

- 8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय/व्यय की मदों को सामान्य रूप से उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है।
- 8.2 अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है।
- 8.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद, जो कुल आय/कुल खर्च के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।
- 8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाते हैं।
- 8.5 शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है।

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी।

अनुसूची-18 : खातों की घटक टिप्पणियां

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर संस्तुत लाभांश को 20% से बढ़ाकर 22% करने सम्बंधी भारत सरकार की सूचना दिनांक 7 मई, 2010 के कारण, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 2 मई, 2010 को अनुमोदित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित इन वित्तीय विवरणों में परिवर्तन हुए हैं। वित्तीय विवरणों में इस परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप इक्विटी पूंजी पर प्रस्तावित लाभांश में रु. 8.08 करोड़ से तथा लाभांश कर में रु. 1.37 करोड़ से वृद्धि और तदनुरूप राजस्व आरक्षित निधि में 9.0 करोड़ तथा धारित लाभ में 0.45 करोड़ की कमी हुई है।

1. पूंजी:

दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को बैंक की कुल अधिकृत पूंजी रु.1500 करोड़ थी। निदेशक मंडल ने बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2009 के संकल्प द्वारा बैंक की रु.1500 करोड़ की अधिकृत वर्तमान पूंजी बढ़ाकर रु.3000 करोड़ करने की अनुशंसा की और शेयरधारकों ने दिनांक 4 अगस्त 2009 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में इसे अनुमोदित किया।

भारत सरकार ने अपने कार्यालयीन गजट अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा यह अधिकृत पूंजी रु.1500 करोड़ से रु.3000 करोड़ तक बढ़ाई है।

भारत सरकार को रु.450 करोड़ के बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी कर बैंक की प्रदत्त-पूंजी रु.1321.14 करोड़ से रु.1771.14 करोड़ तक बढ़ायी गई।

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

अंतर-शाखा खातों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। कुछ शाखाओं में अनुषंगी लेजरों के समतुलन एवं सामान्य बही के साथ मिलान भी प्रगति पर है। लेखों पर उपर्युक्त का लम्बित अंतिम परिणाम, इसका समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो प्रबंधतंत्र के मत में वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

बैंक अपनी सभी शाखाओं को सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, 324 अतिरिक्त शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाई गई हैं। शाखाओं में मास्टर डाटा में कुछ माइग्रेशन-त्रुटियां और प्रणाली में कुछ अन्तर्निहित बग्स पाए गए, जिन्हें सेवा-प्रदाता एवं बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दूर किया जा रहा है। प्रबंधतंत्र के मतानुसार, वित्तीय विवरणियों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. आय कर / आस्थगित कर :

3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान संगत सांविधिक प्रावधानों और विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में रु.1507.45 करोड़ (गत वर्ष रु.1366.17 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं। ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउन्सिल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए रु. 1507.45 करोड़ के कर में से, विभिन्न मूल्यांकन वर्ष से सम्बंधित विवादों में शामिल रु. 7.06 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है। इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है।

4. शेयर निर्गम के खर्च :

शेयर निर्गम खर्चों की रु.12.12 करोड़ की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गई है।

5. परिसर :

5.1 दिनांक 31.03.2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया। अतिरिक्त मूल्यवृद्धि राशि रु.1565.97 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है।

5.2 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में रु. 10.94 करोड़ की लागत वाली संपत्ति शामिल है, जिसे रु. 306.85 करोड़ पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं।

6. निवेश :

6.1 बैंक के सकल निवेशों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

	दिनांक 31.3.2010 को	दिनांक 31.3.2009 को
परिपक्वता तक धारित [छूट संवर्ग के 2.45% को छोड़कर (गत वर्ष 2.22%)]	69.75%	64.11%
क्रय / विक्रय के लिए धारित	1.03%	0.03%
बिक्री के लिए उपलब्ध	26.77%	33.64%



6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में रखे गए निवेशों की बिक्री/के मोचन से प्राप्त लाभ रु. 46.62 करोड़ की राशि को (कर और सांविधिक प्रारक्षित राशि को घटाकर) निवेश प्रारक्षित निधि में विनियोजित कर दिया गया है।

7. अग्रिम / प्रावधान :

7.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा।

7.2 पिछले वर्ष, बैंक ने रु.312.43 करोड़ के अस्थायी प्रावधान को टियर - II पूंजी के रूप में माना था। चालू वर्ष में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए अस्थायी प्रावधान को सकल एनपीए से समायोजित करने का विकल्प चुना है।

8. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

8.1 भारत सरकार ने सीमांत एवं लघु किसानों को ऋण माफी और अन्य किसानों को राहत देने हेतु "कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008" अधिसूचित की, जिसका कार्यान्वयन बैंक द्वारा किया गया। कृषि ऋण माफी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत दावों की राशि रु.978.54 करोड़ (रु.3.71 करोड़ के अतिरिक्त दावे सहित) है। बैंक को इस दावा राशि का 64.49% अर्थात् रु.631.06 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

8.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 नवम्बर, 2008 के परिपत्र के अनुसार अप्रैल 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत बकाया ब्याज राशि रु.38.05 करोड़ (गत वर्ष रु.15.33 करोड़) ब्याज आय के रूप में बहियों में लेखागत की गई है।

8.3 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भ भारिबैं/2009-10/371/डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी. 82/21.04.048/2009-10 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3/3//208-एसी दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के अनुसार बैंक ने ऋण राहत योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिनांक 30 जून, 2010 तक दिया है। बैंक ने उधारकर्ताओं से प्राप्य राशि के वर्तमान मूल्य में होने वाली हानि के लिए रु.6.17 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार के 25% हिस्से की प्रतिपूर्ति का दावा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के सत्यापन के अधीन है।

9. अपर टियर II ऋण लिखत :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपर टियर II ऋण के अंतर्गत रु.1000.00 करोड़ (गत वर्ष रु.585.00 करोड़) के अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड जारी करके अपर टियर II ऋण प्राप्त किया है और उक्त राशि को तुलनपत्र की अनुसूची 4 में "उधार" के अंतर्गत दर्शाया है।

10 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं :

ए. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

क्रम संख्या	मर्दे	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
1	सीआरएआर (%) बेसल-I बेसल-II	10.81 12.23	11.75 13.12
2	सीआरएआर - टियर-I पूंजी (%) बेसल-I बेसल-II	6.03 6.83	6.24 6.97
3	सीआरएआर - टियर-II पूंजी (%) बेसल-I बेसल-II	4.78 5.40	5.51 6.15
4	भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	80.20%	80.20%
5	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (रु.करोड़ में)	1000	585
6	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (रु.करोड़ में)	निरंक	583
7	क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम (रु.करोड़ में) शेयर पूंजी शेयर प्रीमियम	निरंक	निरंक

उक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलन पत्र में शामिल न होने वाली कुछ मदों में प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है। बेसल II के संदर्भ में प्रणालीगत कमियां / ध्यान में आई / रिपोर्ट की गई आंकड़ों की त्रुटियां केन्द्रीय कार्यालय को बताई गई हैं। अपनाई गई व्यापक कार्य-प्रणाली के आधार पर बैंक का मत है कि असंशोधित कमियां, यदि कोई हैं, तो उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रिपोर्ट की गई समग्र पूंजी पर्याप्तता पर नहीं होगा।

बी. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

		2009-10	2008-09
ए.	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	29.91	44.84
बी.	एनपीए के लिए प्रावधान	288.40	322.34
सी.	निवेश पर प्रावधान / मूल्यहास (परिपक्व निवेश सहित)	64.79	90.52
डी.	i) कर के लिए प्रावधान	207.45	347.88
	ii) आस्थगित कर	283.86	(-).14
	iii) अनुषंगी लाभ कर	-	6.00
	(डी) का उप-योग	491.31	353.74
ई.	अन्य	125.88	54.06
	योग	1000.29	865.50

सी. (i) निवेश

(रु. करोड़ में)

मदें		31.03.2010	31.03.2009
1)	निवेश का मूल्य		
	i) निवेश का सकल मूल्य	52008.30	44445.65
	ए) भारत में	52007.64	44444.99
	बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
	ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	1445.43	1384.93
	ए) भारत में	1445.43	1384.93
	बी) भारत के बाहर	0.00	0
	iii) निवेश का शुद्ध मूल्य	50562.87	43060.72
	ए) भारत में	50562.21	43060.06
	बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
2)	निवेश पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी		
	i) प्रारंभिक शेष	1384.93	1341.20
	ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	68.35	70.84
	iii) घटाएं : बड़े खाते डाले गए	7.85	27.11
	iv) अंतिम शेष	1445.43	1384.93

(ii) रेपो लेन-देन

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2010 को
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	1500.00	4.10	1500.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	11000.00	2285.18	0.00
तैयार वायदे रेपो	0.00	1207.09	56.95	1207.09



(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता वार घटक

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	"निवेश श्रेणी से कम" सीमा तक प्रतिभूतियां	"गैर-श्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	"गैर-सूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	956.37	547.92	0.00	0.00	59.14
ii)	वित्तीय संस्थाएं	88.19	88.19	83.19	0.00	83.19
iii)	बैंक	818.70	341.43	0.00	0.00	35.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	1129.42	783.01	15.00	13.26	425.29
v)	अनुबंधित/ संयुक्त उद्यम	247.17	247.17	0.00	247.17	247.17
vi)	अन्य	2525.20	1982.62	0.00	1797.69	2097.78
	आरआईडीएफ/ आरएचडीएफ/सिडबी	1024.31	1024.31	0.00	1024.31	1024.31
	कमर्शियल पेपर	727.51	727.51	0.00	0.00	727.51
	म्यूच्युअल फंड	68.50	0.00	0.00	68.50	68.50
	उद्यमशील पूंजी	96.61	96.61	0.00	96.61	96.61
	शेयर (ट्रस्टी शेयरों सहित)	608.27	134.19	0.00	608.27	180.85
	योग	5765.05	3990.34	98.19	2058.12	2947.57
	घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान	48.34				
	शुद्ध	5716.71	3990.34	98.19	2058.12	2947.57

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.

(iv) गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश (परिपक्व निवेशों सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
प्रारंभिक शेष	45.98	59.71
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	0.48	8.84
वर्ष के दौरान कमी	18.40	22.57
अंतिम शेष	28.06	45.98
धारित कुल प्रावधान	23.32	37.87

डी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

(रु. करोड़ में)

मर्दे	31.3.2010	31.3.2009
i) स्वैप समझौते का आनुमानिक मूलधन	575.00	500.00
ii) समझौते के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपने दायित्व पूरे नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	0.051	निरंक
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण विदेशी बैंक घरेलू बैंक	निरंक 0.75	निरंक
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)29.7644	(-) 72.14

(ii) शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स:

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर, डेरिवेटिव्स के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन (लिखत-वार) ए) 18 दिसम्बर, 2009 (नियत तिथि) बी) 22 मार्च, 2010 (नियत तिथि) सी) 21 जून, 2010 (नियत तिथि)	163.58 48.04 2.54
ii)	31 मार्च, 2010 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं थी (लिखत-वार)	लागू नहीं
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं रहीं (लिखत-वार)	लागू नहीं

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / क्रय/विक्रय में डेरिवेटिव्स लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है।
 - ए) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल हैं और वे ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं। बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था अनुमत करती है।
वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा फ्यूचर्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग न केवल ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है अपितु बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है।
 - बी) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोधी सीमाएं, प्रति-पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि मौजूद हैं। इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। बकाया डेरिवेटिव्स लेनदेनों के बचाव प्रभावीपन की निगरानी, सतत आधार पर विचाराधीन आस्तियां / देयताओं के संदर्भ में की जाती हैं।
 - सी) लेखांकन नीति.
- वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था स्थिति
 - ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) पर ब्याज व्यय/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है।
 - बकाया डेरिवेटिव्स लेनदेनों की प्रतिरक्षा के प्रभावीपन की निगरानी स्वैप का उचित मूल्य तथा विचाराधीन आस्ति/देयता के संदर्भ में की जाती है। यदि वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था प्रभावी नहीं है तो बचाव-व्यवस्था स्वैप को ट्रेडिंग स्वैप के रूप में लेना चाहिए। यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक (एमटीएम) हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है।
- व्यापारिक स्थिति
 - एमसीएक्स-एसएक्स तथा एनएसई के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा फ्यूचर तथा ब्याज दर वायदे दैनंदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं।
 - हमारे मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा जोखा किया जाता है तथा दैनंदिन आधार पर इन्हें बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है।
 - व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है। कोई भी एटीएम हानियां लेखागत की जाती हैं तथा लाभ, यदि कोई है का हिसाब नहीं रखा जाता है।
 - स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।



(iv) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)		
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए		75
	बी) क्रय/विक्रय के लिए	212	
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)		
	ए) आस्ति (+)	-	0.05
	बी) देयता (-)	-	0.21
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	0.001
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*PV01)		
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	2.19
	बी) क्रय/विक्रय पर डेरिवेटिव्स	-	
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*PV01		
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	1.17 1.05
	बी) क्रय/विक्रय पर	-	-

ई. आस्ति गुणवत्ता

(i) अनर्जक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

मद		31.03.2010	31.03.2009
i)	शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	0.69%	1.24%
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	2316	2350
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1033	873
	सी) वर्ष के दौरान कमी	891	907
	डी) अंतिम शेष	2458	2316
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	1063	1060
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	143	550
	सी) वर्ष के दौरान कमी	479	547
	डी) अंतिम शेष	727	1063
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष	1214	1250
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	288	322
	सी) बट्टे खाते डाले गए/ प्रतिलेखन / अंतरण	291	358
	डी) अंतिम शेष	1211	1214

* रु.312.43 करोड़ के अस्थायी प्रावधान को छोड़कर

(ii) पुनर्गठित खातों के विवरण:

(रु. करोड़ में)

		सीडीआर व्यवस्था	एसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	7	348	4052
	बकाया राशि	377.46	170.91	2511.39
	अधित्याग राशि	15.80	8.54	18.64
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	23
	बकाया राशि	0	0.04	53.55
	अधित्याग राशि	0	0.01	0.16
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	8
	बकाया राशि	15.95	0	19.97
	अधित्याग राशि	0.35	0	5.24
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	8	349	4083
	बकाया राशि	393.41	170.95	2584.90
	अधित्याग राशि	16.15	8.55	24.04

रु.1.00 करोड़ से कम की शेष राशि के खातों के लिए, कुल बकाया राशि की 5% राशि को 'अधित्याग' की राशि के रूप में लिया गया है।

(बी) वर्ष के दौरान, एसएमई के तहत 349 खातों को पुनर्गठन के अधीन रखा गया था एवं दिनांक 31 मार्च, 2010 को बकाया शेष राशि रु.170.95 करोड़ है (गत वर्ष 7527 खाते - राशि रु.386.22 करोड़)।

(iii) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

मद	31.3.2010	31.3.2009
i) खातों की संख्या	29	निरंक
ii) एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	निरंक	निरंक
iii) कुल प्रतिफल	49.90	निरंक
iv) पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए वसूलीकृत अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	49.90	निरंक

(iv) क्रय/विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

मद	31.3.2010	31.3.2009
1 ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2 ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

मद	31.3.2010	31.3.2009
1 खातों की संख्या	29.00	निरंक
2 कुल बकाया	35.18	निरंक
3 प्राप्त कुल प्रतिफल	49.90	निरंक



(v) मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान

(रु. करोड़ में)

मद	31.3.2010	31.3.2009
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	417.42	387.50

एफ. व्यावसायिक अनुपात

मद	2009-10	2008-09
(i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	7.56	8.22
(ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	1.09	0.84
(iii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.29	1.13
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल **	0.66	0.45
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) *** (रु. लाख में)	711.76	560.28
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	3.30	1.71

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च, 2010 को आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न

(रु. करोड़ में)

अवधि	कुल घरेलू जमाएं	कुल घरेलू उधारी	कुल घरेलू अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
एक दिन	2103.25	1544.97	3119.45	30.00	227.64	969.55
2 दिन से 7 दिन	4983.32	0.00	1038.79	213.38	0.00	13.86
8 दिन से 14 दिन	3280.53	0.00	1814.20	76.68	0.00	6.49
15 दिन से 28 दिन	5713.76	0.00	2071.79	593.46	47.68	13.49
29 दिन से 3 माह	21265.10	0.00	6843.74	1099.35	673.28	49.51
3 माह से अधिक व 6 माह तक	16584.71	0.00	8745.31	1092.60	1427.24	307.36
6 माह से अधिक व 12 माह तक	9143.75	868.80	8469.32	1341.14	457.17	1360.52
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	61236.26	200.01	45946.91	3829.80	23.75	220.02
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	18689.76	0.62	12224.41	9270.27	0.00	17.56
5 वर्ष से अधिक	17001.71	6.73	12360.08	33016.18	0.00	0.00
योग	160002.15	2621.13	102634.00	50562.86	2856.76	2958.36

नोट : उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के कुछ अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एच. संवेदनशील क्षेत्र को उधारी

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(रु. करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2010	31.03.2009
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i) आवासीय मार्गेज - [रु.4621.73 करोड़, रु.20 लाख तक के वैयक्तिक आवास ऋण शामिल करते हुए (पिछले वर्ष रु.3658.68 करोड़)].	5995.47	4965.92
	(ii) व्यावसायिक स्थावर संपदा -	7376.40	7636.87
	(iii) मॉर्टगेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		
	ए. आवासीय,	5.13	7.86
	बी. व्यावसायिक स्थावर संपदा.	0.00	0.00
बी)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	3298.63	4632.67
	(ii) अन्य	170.73	6.49
	योग	16846.36	17249.81

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(रु.करोड़ में)

मद		31.03.2010	31.03.2009
i)	इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय डिबेंचर्स एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	610.39	599.24
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	8.94	9.31
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	0.69
iv)	अन्य प्रयोजन के लिए शेयर्स अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयर्स/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर्स/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों, के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	682.79	981.45
v)	स्टॉक-ब्रोकरों को रक्षित तथा अरक्षित अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	35.72	29.45
vi)	कॉर्पोरेट को शेयर्स/बॉण्ड्स/डिबेंचर्स अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त	0.00	0.00
viii)	शेयर्स के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड्स अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर्स अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण.	0.00	0.00
x)	उद्यमशील पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) से सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अतः इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	123.57	125.00
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	1461.41	1745.06



(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(रु. करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31 मार्च, 2010 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2010 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2009 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2009 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	685.91	निरंक	2196.96	निरंक
निम्न	511.50	निरंक	228.98	निरंक
मध्यम	76.61	निरंक	41.83	निरंक
उच्च	29.93	निरंक	19.77	निरंक
अत्यधिक	13.16	निरंक	1.30	निरंक
सीमित	0.00	निरंक	2.20	निरंक
ऋणोत्तर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	1317.11	निरंक	2491.04	निरंक

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का शुद्ध निधि एक्सपोजर, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं है।

iv) नोस्ट्रो/प्रतिरूप (मिरर) जमा शेष:

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने असमामेलित नोस्ट्रो/प्रतिरूप खातों के शुद्ध जमा शेष के रूप में रु.20.01 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किए और रु.9.91 करोड़ (कर एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि का अंतर) सामान्य प्रारक्षित में समायोजित किए।

(v) ऋण एक्सपोजर का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.03.2010 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2010 को बकाया		दिनांक 31.03.10 को निवेश	दिनांक 31.03.10 को कुल एक्सपोजर
		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित		
1.	पावर फायनैन्स कॉर्पोरेशन	630.00	0.00	633.54	0.00	69.15	702.67
2.	विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.*	1693.50	53.95	1649.04	25.39	8.64	1756.09
3.	आलोक इंडस्ट्रीज लि.	510.00	0.00	508.49	0.00	0.00	510.00

*सीसी एवं एलसी सीमा में 50% अन्तर्परिवर्तन अनुमत है।

vi. वर्ष के दौरान आय कर हेतु प्रावधान की गई राशि :

(रु. करोड़ में)

	2009-10	2008-09
आय कर हेतु प्रावधान	207.45	348.25
अनुषंगी हित लाभ कर (एफबीटी) हेतु प्रावधान	0.00	6.00

11 जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के केन्द्रीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

11.1 जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

(ए)	बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	14875.44
(बी)	बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	9.18%

11.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(ए)	बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	21390.85
(बी)	बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	19.97%

11.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(ए)	बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	24352.25
(बी)	बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	15.29%

11.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(ए)	शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	398.82
-----	---------------------------------------	--------

II. क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	इस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	5.25
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	8.74
3	सेवाएं	10.02
4	व्यक्तिगत ऋण	3.75

III. एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
विशिष्ट वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	2443.72
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी (नए एनपीए)	1032.69
उप-योग (ए)	3476.41
घटाएं:	
(i) अपग्रेडेशन	177.20
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में की गई वसूलियों को छोड़कर)	409.72
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि	290.51
उप-योग (बी)	877.43
आगामी वर्ष के दिनांक 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए - बी)	2598.98

IV. ओरवसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन-पत्र बाहय प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना जरूरी है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी
निरंक	निरंक

12. अन्य प्रकटीकरण

12 ए वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/पारिश्रमिक रु.15.56 करोड़ रहीं.

12 बी पूर्व वर्षों में परिसरों पर किये गए मूल्यहास आधिक्य राशि रु.31.51 करोड़, जिसे प्रतिलेखित किया गया था, वह विविध आय में शामिल हैं.



12. **सी सोने के सिक्के** - इस वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने वेलवेट बॉक्स के साथ कुल 37,900 सोने के सिक्के बेचे, जिनका कुल मूल्य रु.6746.52 लाख था. बॉक्स के साथ इन सिक्कों का मूल्य रु.6663.61 लाख था, जिसमें इन बॉक्सों की खरीद पर किया गया रु.0.95 लाख वैट का भुगतान भी शामिल है. सोने के सिक्कों की बिक्री पर अर्जित लाभ रु.82.91 लाख रहा, जिसे विविध आय में लेखांकित किया गया है.

13. **वेतन संशोधन :**

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु तदर्थ आधार पर रु.200 करोड़ का प्रावधान किया है.

14. **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंड का प्रकटीकरण :**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के तहत कोई अर्थदंड नहीं लगाया है.

15. **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार निम्नलिखित जानकारी सूचित की जाती है :**

ए) **लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)**

कर्मचारियों के लिए लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2010 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	2705.33	785.08	2612.92	769.04
सेवा लागत	47.98	30.65	68.20	36.20
ब्याज लागत	211.14	62.54	207.00	62.00
बीमांकिक [लाभ] / हानि	120.04	(58.31)	6.01	(24.35)
प्रदत्त लाभ	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
दिनांक 31 मार्च, 2010 को दायित्व-राशि	2856.49	751.89	2705.33	785.08
दिनांक 31 मार्च, 2010 को उचित मूल्य पर नियोजित आस्ति				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक नियोजित आस्तियां	2011.73	819.41	1912.92	837.12
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	178.22	62.83	155.43	64.66
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(22.92)	(5.77)	1.43	3.99
अंशदान	330.00	-	124.35	-
प्रदत्त लाभ	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
दिनांक 31 मार्च, 2010 को उचित मूल्य पर नियोजित आस्तियां	2269.03	808.40	2005.33	847.96
दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	47.98	30.65	68.20	36.20
ब्याज लागत	211.14	62.54	207.00	62.00
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(178.22)	(62.83)	(155.43)	(64.66)
बीमांकिक [लाभ]/हानि	142.95	(52.54)	4.58	(28.34)
शुद्ध लागत	223.85	(22.18)	124.35	5.20

पूर्वानुमान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिफल की प्राक्कलित दर	8%	8%	8%	8%

बी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

- i) भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र नहीं है.

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	133397	84459
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	446674	410611
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	799281	656742
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर आर्बटित	603	704
	कुल	1379955	1152516
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	85711	69578
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	42854	28234
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	76684	45158
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	कुल	205249	142970
सी.	गैर-आर्बटित आय (व्यय)	603	704
डी.	परिचालन लाभ	205852	143674
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	50897	51176
एफ.	आय कर	49133	35374
जी.	शुद्ध लाभ	105822	57124
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	खंडवार आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	3151684	2109255
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4383832	3922925
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	10513027	8550603
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आर्बटित आस्तियां	218619	182739
	कुल	18267162	14765522
जे.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	2844644	1175234
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4298043	4065782
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	10307294	8861982
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर आर्बटित देयताएं	817181	662524
	कुल	18267162	14765522



- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालनों तथा फॉरेक्स सम्बंधी परिचालनों के लेन-देन शामिल हैं।
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में रु.5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन हैं।
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र क्षेत्र में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- v) अन्य बैंकिंग परिचालन क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी क्षेत्र, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- vii) लागतों का आबंटन :
 - ए. एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित खर्चे सीधे उस क्षेत्र को आबंटित किए जाते हैं।
 - बी. एक विशिष्ट क्षेत्र से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में समानुपात रूप में आबंटित किया जाता है।

सी) लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री एस. श्रीधर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री रामनाथ प्रदीप	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री अरुण कौल	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां -

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड

(सी) सहयोगी -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- i) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
- iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- iv) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
- v) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
- vi) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
- vii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

(रु. लाख में)

(ए)	मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
		2009-2010	2008-2009
	प्रदत्त पारिश्रमिक	36.48	36.82

बी. सम्बद्ध पार्टियों के लेन-देन का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	सम्बद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था	
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज
1.	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश	31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200	0.59
		31.03.09	27.64	27.64	200.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर, [छत्तीसगढ़]	31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00
		31.03.09	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40
		31.03.09	159.09	159.09	500.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला [महाराष्ट्र]	31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03
		31.03.09	6.22	6.22	47.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया, [उत्तरप्रदेश]	31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	11.72	11.72	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा [राजस्थान]	31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00
		31.03.09	2.45	2.45	62.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिलीगुड़ी [पश्चिम बंगाल]	31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02
		31.03.09	230.27	230.27	820.06	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2009-10 के दौरान बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.01.2010 से बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक बनाया गया. परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2010 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 8 से घट कर 7 हो गई है.

(सी) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	996.11	491.64
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	404141460	404141460
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	24.65	12.17
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (रु.)	24.65	12.17
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रु.)	10.00	10.00

(डी) लेखांकन मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.



आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
आस्थगित कर आस्तियां :		
एनपीए के लिए प्रावधान	0.00	40.39
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	61.24	54.77
पेंशन एवं ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान	259.12	266.48
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	108.77	0.00
योग (ए):	429.13	361.64
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	15.05	11.94
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	334.98	261.80
निवेश पर मूल्यहास	386.99	111.93
योग (बी):	737.02	385.67
निवल आस्थगित कर देयताएं :	307.89	24.03

(ई) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन पर आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है। प्रबंध तंत्र के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2010 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

(एफ) लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

i) प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

(रु. करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2009 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2010 को अंतिम शेष
मानक आस्तियां	387.51	29.91		417.34
कर	1225.97	207.45	7.35	1426.07

ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(रु. करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास	65	91
एनपीए हेतु प्रावधान	288	322
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	30	45
कर हेतु किए गए प्रावधान	491	354
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	126	54
योग	1000	866

iii) अस्थायी प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
ए. अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	312.43	384.66
बी. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी. लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	72.23
डी. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	312.43	312.43

(रु. करोड़ में)

iv)	देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
		अन्य विधिक मामले	अन्य विधिक मामले
	प्रारंभिक शेष	3.83	3.76
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.07
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
	अंतिम शेष	3.83	3.83
	परिणामी आउटफ्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

16 शिकायतों का विवरण

ग्राहकों की शिकायतें		शिकायतों की संख्या	
		दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	151	188
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	3613	1963
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	3168	2000
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	596	151

30 दिनों से अधिक अवधि के लिए कोई भी शिकायत कार्रवाई हेतु शेष/लम्बित नहीं है।

बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अवार्ड		संख्या	
		दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अवार्ड की संख्या	निरंक	निरंक
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अवार्ड की संख्या	8	2
सी)	वर्ष के दौरान लागू अवार्ड की संख्या	6	2
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अवार्ड की संख्या	2	निरंक

प्रबंधन तंत्र द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार।

निवेशकों की शिकायतें		शिकायतों की संख्या	
		दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	21
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	508	1658
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	508	1679
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	00	0

17. दिनांक 31.03.2010 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया का विवरण

कुल संख्या	बकाया राशि (रु. करोड़ में)
46	31.45

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं।

18. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई हैं, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।



19. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समनुरूपण हो सके.

एस.श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	रामनाथ प्रदीप कार्यपालक निदेशक	अरुण कौल कार्यपालक निदेशक	बासब मंडल महाप्रबंधक
डॉ.शशांक सक्सेना निदेशक	एम.के.भट्टाचार्य निदेशक	सीए एम.एस.जोहर निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
एन. बालकृष्णन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर वेद प्रकाश निदेशक	बी.एस.रामबाबू निदेशक
कृते मे. भूषण बैसल जैन असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003884एन	कृते मे. पी.जी.भागवत सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू	कृते मे.जोसेफ एण्ड राजाराम सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001375एस	
(सीए दीपक कुमार जैन) भागीदार सदस्यता नं.96980	(सीए एस.एस.आठवले) भागीदार सदस्यता नं.83374	(सीए थॉमस फिलिप) भागीदार सदस्यता नं.25844	
कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू	कृते मे.जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन	कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस	
(सीए यू.एम.जैन) भागीदार सदस्यता नं.70863	(सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता नं.83899	(सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता नं.27357	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं. विवरण	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	1,331.70	924.98
I निम्न के लिए समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	68.09	74.44
निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों के मूल्यहास सहित)	64.79	90.53
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	258.40	322.34
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	29.91	44.83
अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	125.87	54.06
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि (शुद्ध)	0.32	0.35
गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान/प्रावधान (अलग से माना जाए)	362.32	219.74
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से माना जाए)	(1.46)	(1.43)
उप-योग	2,239.94	1,729.84
II निम्न के लिए समायोजन :		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	30,835.61	20,952.18
उधारी में वृद्धि / (कमी)	6,522.39	355.15
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	(5,092.36)	969.89
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(19,900.29)	(12,808.11)
निवेश में (वृद्धि) / कमी	(7,566.93)	(11,696.06)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1,073.47)	(238.44)
प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध धन वापसी आदि)	490.58	(353.74)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	4,215.53	(2,819.13)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	6,455.47	(1,089.29)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों का निपटान / विक्रय	8.20	9.98
अचल आस्तियों का क्रय	(141.90)	(72.21)
अनुषंगियों एवं असोशिएट्स से लाभांश आदि के रूप में प्राप्त आय	1.46	1.43
निवेश से सम्बंधित व्यवसाय में परिवर्तन (अनुषंगियां एवं अन्य)	0	0
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(132.24)	(60.80)
सी वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	450.00	117.00
गौण ऋण टियरा। पूंजी से प्रतिदान/आय	721.00	839.00
लाभांश	(142.00)	(148.87)
लाभांश कर	(24.13)	(25.30)
गौण ऋण पर ब्याज	(362.32)	(219.74)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	642.55	562.09



क्र.सं. विवरण	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
डी नकदी एवं नकदीतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए + बी + सी) अथवा (एफ - ई)	6,965.78	(588.00)
ई वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकद तुल्य		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	11,036.90	11,537.19
बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	1,214.34	1,302.05
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकदतुल्य	12,251.24	12,839.24
एफ वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकद तुल्य		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	17,011.93	11,036.90
बैंक के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	2,205.09	1,214.34
वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	19,217.02	12,251.24

एस.श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ.शशांक सक्सेना
निदेशक

एन. बालकृष्णन
निदेशक

रामनाथ प्रदीप
कार्यपालक निदेशक

एम.के.भट्टाचार्य
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

अरुण कौल
कार्यपालक निदेशक

सीए एम.एस.जोहर
निदेशक

मेजर वेद प्रकाश
निदेशक

बासब मंडल
महाप्रबंधक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

बी.एस.रामबाबू
निदेशक

कृते मे. भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन
(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980

कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू
(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू
(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374

कृते मे.जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे.जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस
(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

टेबल डीएफ-1

संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) समूह के शीर्ष बैंक का नाम, जिस पर यह रूपरेखा लागू होती है:

यह बैंक किसी समूह से सम्बद्ध नहीं है.

(बी) समेकित खाते में, बैंक के अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

ए) अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियां, सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड एवं सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,

बी) सहयोगी संस्थान :

I. बैंक द्वारा प्रायोजित सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; अर्थात्,

1. सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा
2. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
3. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
4. विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
5. बलिया इटाबा ग्रामीण बैंक, बलिया
6. हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
7. उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार

II. इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, टियर I एवं टियर II पूंजी दोनों में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश को समान रूप से घटाया जाता है. बैंक के लिए यह प्रकटीकरण एकल आधार के रूप में है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की समग्र राशि समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् वे घटाई हैं तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थानों में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ, वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले हैं तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग हैं, इन संस्थानों में मताधिकार का समानुपात शून्य है.



टेबल डीएफ-2

पूंजी-विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण	
ए) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का समय-समय पर पालन करते हुए, बैंक द्वारा जारी टियर-II बॉण्ड की नियम एवं शर्तें.	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	रु. करोड़ में
बी) टियर 1 पूंजी	6291.35
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ :	
■ प्रदत्त शेयर पूंजी	404.14
■ आरक्षित निधियां	3947.71
■ नवोन्मेष लिखत : आईपीडीआई -	583.00
पीएनसीपीएस -	1367.00
■ टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि	
निवेश -	8.45
अमूर्त आस्तियां -	2.05
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी से कटौती को अलग करके):	4985.55
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
■ कुल बकाया राशि -	1585.00
■ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	1000.00
■ पूंजी कोष के रूप में परिकल्पित की जाने वाली पात्र राशि -	1585.00
(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए गौण पात्र ऋण	
■ कुल बकाया राशि -	2407.30
■ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	निरंक
■ पूंजी कोष के रूप में परिकल्पित की जाने वाली पात्र राशि -	2097.30
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां -	8.45
(जी) कुल पात्र पूंजी -	11276.90

टेबल डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश :</p> <p>नई पूंजी पर्याप्तता की रूपरेखा पर भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11/21.06.001/2008-09 दिनांक 01.07.08 ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रतिबन्ध लगाता है. इस रूपरेखा के अनुसार, बैंक से यह अपेक्षित है कि वह ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों पर न्यूनतम 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखे. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक बेसल II मानदण्डों के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जून 2006 से, बैंक प्रत्येक तिमाही में समान्तर प्रभावित अध्ययन कर रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में दी जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने साथ ही यह भी प्रतिबन्ध लगाया है कि बैंकों को न्यूनतम 6% टियर I पूंजी रखनी है तथा इस अनुपात में कमी दर्शाने वाले बैंकों को दिनांक 31 मार्च 2010 तक इसे पूरा कर लेना था. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने बेसल II मानदण्डों को दिनांक 31.03.2009 से अंगीकार किया है. बैंक का सीआरएआर दिनांक 31.03.2010 को 12.23% आंका गया है. टियर I सीआरएआर 6.83% है.</p> <p>बैंक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसएएस जोखिम प्रबंधन समाधान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है तथा इस समाधान को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए, बैंक ने आवश्यक रिपोर्टों की गणना के लिए तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों पर समेकन के लिए केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण जोखिम की गणना करने हेतु आंतरिक सुगठित प्रारूप-विकसित किया है. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर बाजार एवं परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना की है तथा इस तरह से कुल सीआरएआर का परिकलन किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम न्यूनीकरण को अपनाया गया है. बैंक अपने व्यवसाय में प्राक्कलित वृद्धि को पूरा करने के लिए वांछित पूंजी को जुटाएगा.</p>	
रु.करोड़ में	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए 9% पूंजी-आवश्यकताएं :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो -	
■ निधि आधारित	6728.36
■ गैर-निधि आधारित	539.80
■ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	शून्य
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
■ मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण :	
- ब्याज दर जोखिम -	465.59
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	15.92
- इक्विटी जोखिम -	146.52
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
■ मूल संकेतक दृष्टिकोण -	412.01
(ई) कुल पूंजी अनुपात -	
टियर I पूंजी अनुपात	12.23%
टियर 1 पूंजी अनुपात	6.83%



टेबल डीएफ-4

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>ऋण जोखिम उधारकर्ता अथवा दूसरे पक्षों की ऋण गुणवत्ता के हास से सम्बंधित हानियों की संभाव्यता है। ऋण जोखिम में उधारी, व्यापार, बचाव हेतु वायदा खरीद/बिक्री, समझौता-निपटान तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों के सम्बन्ध में वायदों को पूरा करने हेतु दूसरे पक्ष की असमर्थता अथवा अनिच्छा शामिल है।</p> <p>बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति है, जिसकी समीक्षा फरवरी 2009 के दौरान की गई थी। यह नीति ऋण जोखिम, जोखिम अभिनिर्धारण एवं उसके मापन, जोखिम का श्रेणीकरण तथा एकत्रीकरण, ऋण जोखिम रेटिंग फ्रेमवर्क एवं रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन, न्यूनीकरण तकनीक, समस्यामूलक खातों का प्रबंधन, लक्ष्यांकित बाजार एवं आर्थिक गतिविधि के प्रकार, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, किसी देश में किसी बैंक का तथा मुद्रा ऋण, परिपक्वता-स्वरूप, विविधता का स्तर, अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू, तुलनपत्र बाह्य ऋणों में ऋण जोखिम, अन्तर-बैंक ऋणों में ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु ऋण जोखिम निगरानी-प्रक्रिया, देश-जोखिम तथा अन्य परिचालन कार्यकलापों को परिभाषित करती है।</p> <p>बैंक, समूह तथा उधारकर्ता स्तर पर जोखिमों की सतत मॉनिटरिंग करते हुए अपनी ऋण जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बीसीजी तथा क्रिसिल जैसी बाहरी जोखिम रेटिंग एजेंसियों की सहायता ली है। बैंक ने सभी रिटेल ऋण योजनाओं तथा कृषि ऋणों के लिए भी मैनुअल स्कोरिंग मॉडल्स शुरू किये हैं।</p>	
(रु. करोड़ में)	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण :	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित :	171392.96
गैर-निधि आधारित :	39527.08
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण :	
■ विदेशी	शून्य
■ घरेलू	210920.04
(सी) एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण :	
निधि आधारित (दिनांक 31.03.2010 को)	107261
कोयला	6
खदान	93
लोहा एवं स्टील	3070
अन्य धातु एवं धातु-उत्पाद	462
सभी प्रकार के इंजीनियरिंग	1241
विद्युत	142
सूती वस्त्रोद्योग	972
जूट वस्त्रोद्योग	32
अन्य वस्त्रोद्योग	1723
शक्कर	859
चाय	35
खाद्य प्रसंस्करण	733
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	499
तम्बाकू एवं तम्बाकू-उत्पाद	33
कागज एवं कागज-उत्पाद	279
रबड़ एवं रबड़-उत्पाद	94
केमिकल, डाई एवं पेन्ट	1177
सीमेंट	1053
चमड़ा एवं चमड़ा-उत्पाद	72
रत्न एवं स्वर्ण-आभूषण	587
निर्माण	2445

पेट्रोलियम	2355
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल्स	715
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	65
संरचनात्मक क्षेत्र	24479
अन्य उद्योग	7922
अवशिष्ट अग्रिम शेष	56115
(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :	
1 दिन :	3149.45
2 दिन से 7 दिन तक :	1252.17
8 दिन से 14 दिन तक	1890.88
15 दिन से 28 दिन तक	2665.25
29 दिन से 3 माह तक	7943.09
3 माह से अधिक, परन्तु 6 माह तक	9837.91
6 माह से अधिक, परन्तु 12 माह तक	9810.46
12 माह से अधिक, परन्तु 36 माह तक	49776.71
36 माह से अधिक, परन्तु 60 माह तक	21494.68
60 माह से अधिक	45376.26
(ई) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की राशि (सकल) -	2457.88
■ अवमानक	782.93
■ संदिग्ध	1458.76
■ हानि	216.18
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	727.39
(जी) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात	
■ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	2.29%
■ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	0.69%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में परिवर्तन	
■ प्रारम्भिक शेष	2443.73
■ बढ़ोतरी	1032.69
■ कमी	877.43
■ फॉर्म 111 के अनुसार अंतिम शेष	2598.99
■ यूआरआई एवं जमा शेष घटाएं	141.11
■ अनर्जक आस्तियां (सकल)	2457.88
(आई) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान में परिवर्तन	
■ प्रारम्भिक शेष	1214
■ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	288
■ बड़े खाते डालना; अधिक प्रावधान को वापस लेना	291
■ अंतिम शेष	1211
■ जोड़ें अस्थायी प्रावधान	312
■ शुद्ध अंतिम शेष	1523
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	28.11
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	23.37
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास की बढ़ोतरी / कमी :	
■ प्रारम्भिक शेष	1342.12
■ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	313.56
■ बड़े खाते डालना	शून्य
■ अधिक प्रावधान को वापस लेना	231.62
■ अंतिम शेष	1424.06



टेबल डीएफ-5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी-प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है. ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिए अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.</p> <p>बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिचिन्हित चार बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियां यथा, क्रिसिल लि., केयर, इक्रा लि. तथा फिट्च रेटिंग (आई) लि. के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बासल II मानदण्डों के तहत अपने ग्राहकों के एक्सपोजर का निर्धारण करते हैं.</p> <p>ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं. इन एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम-भारिता निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाती है.</p> <p>कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने (मेपिंग स्केल) के अनुसार की जाती है.</p>	
रु. करोड़ में	
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण :</p> <p>(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिए, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 % जोखिम भारिता से कम : ■ 100 % जोखिम भारिता : ■ 100 % जोखिम भारिता से अधिक : 	<p>125922</p> <p>36609</p> <p>10470</p>

टेबल डीएफ-6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण 1

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>बैंक के पास सुस्पष्ट ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति उपलब्ध है. बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख संपार्श्विक में, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि हैं. बैंक व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा सरकार एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियों को स्वीकार करता है. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.</p> <p>नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं. साथ ही, ये दिशानिर्देश ऋण जोखिम न्यूनीकरण के एक सबल माध्यम के रूप में गारंटी का अभिज्ञान भी प्रदान करते हैं. बैंक के पास इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिए समुचित नीति उपाय उपलब्ध हैं..</p>	
रु.करोड़ में	
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</p> <p>(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण के लिए, कुल एक्सपोजर, जो निम्न के द्वारा कवर किया गया है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ऋण राशि पर पात्र मार्जिन के आवेदन के उपरांत; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-निधि आधारित ■ गैर-निधि आधारित 	<p>104642</p> <p>9766</p>

टेबल डीएफ-7

प्रतिभूतीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :	
<p>(ए) प्रतिभूतीकरण के विषय में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण, निम्नलिखित पर चर्चा सहित अपेक्षित है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ एक बैंक से अन्य संस्थाओं को पूर्वाधिकार प्रतिभूत एक्सपोजर की ऋण जोखिम को जिस सीमा तक ये गतिविधियां स्थानांतरित करती हैं, इनके सहित प्रतिभूतीकरण गतिविधि के सम्बंध में बैंक की प्रयोजनीयता; दिनांक 31.03.2010 को समाप्त छमाही के दौरान कोई प्रतिभूतीकरण गतिविधियां नहीं हुईं. ■ प्रतिभूतीकृत आस्तियों में अन्तर्निहित अन्य जोखिमों (जैसे तरलता जोखिम) का स्वरूप. ■ प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा प्रदर्शित भूमिका और उनमें से प्रत्येक में बैंक की भूमिका होने तक के संकेत; और यह निरंक रही है. ■ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की ऋण एवं बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने वाली प्रक्रिया का विवरण. ■ प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया के माध्यम से निहित जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उपयोग को नियंत्रित करने वाली बैंक नीति का विवरण. <p>(बी) प्रतिभूतीकरण गतिविधियों के लिए निम्नलिखित सहित, बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ क्या लेनदेनों को बिक्री अथवा वित्तीय माना गया है. ■ रखी अथवा खरीदी गई विदेशी मुद्रा के मूल्यांकन हेतु अपनाई गई पद्धति एवं प्रमुख पूर्वानुमान. ■ पिछली रिपोर्टिंग अवधि से पद्धति एवं प्रमुख पूर्वानुमानों में हुए परिवर्तन तथा उस परिवर्तनों का प्रभाव. ■ प्रतिभूत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं के कारण निर्मित देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां. <p>(सी) प्रतिभूतीकरण के लिए प्रयुक्त ईसीएआई के नामों तथा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के प्रकार, जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया जाता है: लागू नहीं.</p>	
रु. करोड़ में	
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</p> <p>बैंकिंग बही</p> <p>(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.</p> <p>(ई) वर्तमान अवधि के दौरान, बैंक द्वारा एक्सपोजर (उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि को पूर्वाधिकार प्रतिभूति द्वारा ब्योरेवार) के माध्यम से अभिचिन्हित प्रतिभूति हानियों के एक्सपोजर के लिए.</p> <p>(एफ) वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूत किया जाना है.</p> <p>(जी) प्रतिभूतीकरण के पूर्व वर्ष के भीतर (एफ) में से सृजित की गई आस्तियों की राशि.</p> <p>(एच) प्रतिभूतित (एक्सपोजर द्वारा) कुल एक्सपोजर द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ अथवा हानियां.</p> <p>(आई) निम्न की समेकित राशि:</p> <ul style="list-style-type: none"> - रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर, एवं - एक्सपोजर द्वारा छिन्न-भिन्न तुलन पत्र इतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर. <p>(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा संयुक्त पूंजी प्रभागों को एक्सपोजरों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी एप्रोच के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित किया, ऐसी प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.</p> <p>ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर टाइप द्वारा)</p>	<p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p>



परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
क्रय / विक्रय बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है.	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- तुलन पत्र प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, एवं	निरंक
- एक्सपोजर द्वारा छिन्न-भिन्न तुलन पत्र इतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर.	निरंक
(एम) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की समग्र राशि निम्न के लिए अलग से रोकी गई अथवा क्रय की गई :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर; तथा	निरंक
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर.	निरंक
(एन) विभिन्न की समग्र राशि:-	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी.	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई / ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर टाइप द्वारा)	निरंक

टेबल डीएफ-8

क्रय / विक्रय पुस्तक में बाजार जोखिम

रु. करोड़ में	
गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>बैंक के पास सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, आस्ति देयता प्रबंधक नीति तथा इक्विटी निवेश नीति उपलब्ध है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।</p> <p>बैंक बाजार जोखिम व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों से उत्पन्न तुलन पत्र से सम्बंधित तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों से हानि-जोखिम, विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन को परिभाषित करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन तरलता जोखिम के तहत ब्याज पर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम की मॉनिटरिंग की जाती है। बाजार दर, ऑप्शन, स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप सहित विभिन्न डेरिवेटिव्स उत्पादों पर भी लागू होगी।</p> <p>बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :</p> <p>बैंक के पास, बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, ऐसी अन्य नीतियां आस्ति देयता प्रबंधन नीति तथा विदेशी मुद्रा परिचालन पर नीति है।</p> <p>बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में हैं।</p> <p>एलएएम नीति, एलएएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के 3 मुख्य प्रकार के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। ब्याज दर जोखिम तथा ऋण जोखिम, बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके किया गया, जिससे जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति जोखिम के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो बैंक की विभिन्न शेषराशि - जटिलता, रणनीतिपूर्ण दिशा तथा जोखिम के लिए तैयार रहने हेतु विशेष रूप से सक्षम रहने के लिए दिशा निर्धारण करती है।</p> <p>तरलता जोखिम का आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/स्थिति पर आधारित अन्तर विश्लेषण के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारित अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं, इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी परखा जाता है।</p> <p>ब्याज पर जोखिम का प्रबंधन संवेदनशील आस्तियां तथा देयताओं की दर-अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है तथा विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। शुद्ध ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरीत परिवर्तन के समक्ष आवधिक जोखिम का भी बैंक प्राक्कलन करता है।</p>	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) निम्न घटकों के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ब्याज दर की जोखिम - ■ इक्विटी की स्थिति-जोखिम - ■ विदेशी मुद्रा की जोखिम - 	<p>465.59</p> <p>146.52</p> <p>15.92</p>



टेबल डीएफ -9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता के अतिरिक्त, परिचालन जोखिम पूंजी के निर्धारण के लिए, अभिगम(मों) की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बैंक सक्षम है.

परिचालन जोखिम, हानियों की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणाली की अपर्याप्तता अथवा असफलता अथवा बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल होती है, परन्तु इसमें अपेक्षित जोखिम तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं होती है. बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी दिसंबर 2009 के दौरान समीक्षा की गई थी. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचाने के लिए अपने आपको सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा पिछले दो वर्षों से हानि-प्रसंगों एवं प्रमुख जोखिम संकेतकों से सम्बंधित आंकड़ों को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक ने आईबीए के डाटा पूल कनसोर्टियम में भी प्रवेश लिया है, ताकि 'कोरडेक्स' लॉस डाटा कन्सोर्टियम को स्थापित किया जा सके. तदनुसार, दिनांक 31.03.2010 को परिचालन जोखिम के लिए रु.412.01 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता परिलक्षित हुई

टेबल डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का प्रयोजन, परिपक्वता तथा पुनः कीमत निर्धारण की बेमेल स्थितियों से उत्पन्न जोखिम का पता लगाना है तथा इसका मापन सापेक्ष आय एवं आर्थिक मूल्य दोनों के पैमाने पर किया जाता है. सापेक्ष आय में उपचित आधार पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का अथवा उसके निकटतम आशय से सूचित आय का विश्लेषण करना शामिल है. सापेक्ष आर्थिक मूल्य में, आस्तियों के अपेक्षित नकद प्रवाह पर ब्याज में से देयताओं पर अपेक्षित नकद प्रवाह को घटाकर, फिर उसमें तुलनपत्र बाह्य मदों पर नकद प्रवाह को जोड़कर, इनके प्रभाव का विश्लेषण शामिल है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी का मापन करने की प्रबंधतंत्र की विधि के अनुसार ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के कारण आय एवं आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयुक्त संबंधित मानदंड) में वृद्धि (कमी को) मुद्रा द्वारा (जहां कुल टर्नओवर के 5 प्रतिशत से अधिक का टर्नओवर है) विभाजित किया जाता है

बैंकिंग बही में निवेश पर ब्याज दरों में 200 आधार बिन्दुओं के परिवर्तन का प्रभाव रु.3423.50 करोड़ परिलक्षित हुआ है.

(जी.बी.सोनगांवकर)

महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन

(एस. श्रीधर)


अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(रामनाथ प्रदीप)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण कौल)

कार्यपालक निदेशक



दिनांक 31 मार्च, 2010 का
समेकित तुलन पत्र तथा
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु
समेकित लाभ-हानि खाता



समेकित वित्तीय विवरणों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का मसौदा.

- हमने दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) एवं इसकी अनुषंगियों और असोशिएट्स (सामूहिक रूप से संदर्भित समूह) के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि खाते एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण का परीक्षण किया.
- इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपना मत व्यक्त करने की है. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित एवं संपन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं. वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरणों की नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के निर्धारण के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है.
- हमने बैंक की अनुषंगियों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च 2010 को रु.307.26 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष के लिए रु. 35.42 करोड़ की कुल आय दर्शाते हैं. हमने असोशिएट्स के वित्तीय विवरणों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल असोशिएट्स का लेन-देन निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

ए.	असोशिएट्स में अर्जन का भाग जो समेकित लाभ-हानि में जमा किया गया है.	92.57
बी.	निवेश	421.69

उपर्युक्त संदर्भित अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारे मत में, जैसा कि वह अनुषंगी एवं असोशिएट्स की शामिल राशियों के सम्बंध में हैं वह पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

- हम सूचित करते हैं कि बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' एवं लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' के अनुरूप, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स ऑफ़ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा बैंक एवं इसकी अनुषंगियों तथा असोशिएट्स जो कि समेकित विवरणों में सम्मिलित हैं के पृथक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार की गई है.
- बैंक तथा उसकी अनुषंगियों और असोशिएट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने पर तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अधीन हमारा मत है :
 - दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन-पत्र समूह के समेकित कारोबार का वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है.
 - उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाते, समूह के परिचालन के समेकित परिणामों के बारे में वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है, तथा
 - समेकित नकद प्रवाह विवरण संबंधित वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है.

कृते मे. भूषण बैसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन

(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980

कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू

(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू

(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374

कृते मे. जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे. जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस

(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 का समेकित तुलन-पत्र

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2010 को	दिनांक 31 मार्च, 2009 को
(000 को छोड़कर)			
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	1771,14,15	1321,14,15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	6141,90,34	5206,64,36
माइनोंरिटी हित	2ए	19,76,93	17,59,00
जमाराशियां	3	162129,83,86	131279,27,13
उधार राशियां	4	7325,63,68	876,77,54
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	5553,86,67	9169,07,67
योग		182942,15,63	147870,49,85
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास	6	17012,08,22	11037,03,07
नकदी एवं शेष राशि			
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प-सूचना पर राशियां	7	2205,28,12	1214,33,62
निवेश	8	50740,01,10	43144,26,54
ऋण एवं अग्रिम	9	105462,53,06	85602,76,45
अचल आस्तियां	10	2343,67,29	2278,38,14
अन्य आस्तियां	11	5172,77,76	4587,91,95
समेकन पर सुनाम		5,80,08	5,80,08
योग		182942,15,63	147870,49,85
आकस्मिक देयताएं	12	38749,71,00	23419,51,04
वसूली हेतु बिल	-	5400,24,08	2833,02,81
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र की महत्वपूर्ण घटक हैं.

एस.श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	रामनाथ प्रदीप कार्यपालक निदेशक	अरुण कौल कार्यपालक निदेशक	बासब मंडल महाप्रबंधक
डॉ.शाशांक सक्सेना निदेशक	एम.के.भट्टाचार्य निदेशक	सीए एम.एस.जोहर निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
एन. बालकृष्णन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर वेद प्रकाश निदेशक	बी.एस.रामबाबू निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन
(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980
कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू
(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू
(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374
कृते मे.जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे.जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस
(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष रु.	दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष रु.
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	12078,66,42	10471,55,62
अन्य आय	14	1741,94,65	1069,41,67
योग		13820,61,07	11540,97,29
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	9522,99,30	8236,15,31
परिचालन व्यय	16	2225,41,55	1865,80,41
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		1006,16,46	868,59,99
योग		12754,57,31	10970,55,71
III. लाभ / हानि			
समेकित शुद्ध लाभ		1066,03,76	570,41,58
जोड़ें : असोशिएट्स में अर्जन का हिस्सा		97,57,02	65,58,98
मायनॉरिटी हित घटाने के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ		1163,60,78	636,00,56
जोड़ें/घटाएं : मायनॉरिटी हित		(-) 1,05,61	(-) 15,57
वर्ष के लिए आरोप्य समूह हेतु समेकित लाभ		1162,55,17	635,84,99
जोड़ें : आगे लाया गया आरोप्य समूह हेतु समेकित लाभ		146,00,29	80,90,06
समेकित शुद्ध लाभ		1308,55,46	716,75,05
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		265,94,70	142,86,06
निवेश आरक्षित निधि		46,62,32	140,72,03
आय आरक्षित निधि		565,90,84	98,00,00
कर्मचारी कल्याण निधि		15,00,00	15,00,00
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी शेयर पूंजी		53,09,40	68,03,85
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी शेयर पूंजी @ 22.00%		90,91,11	80,82,83
लाभांश पर कर		24,47,37	25,29,99
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि		246,59,72	146,00,29
योग		1308,55,46	716,75,05
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते की महत्वपूर्ण घटक हैं.			
ईपीएस		27.23	13.76

एस.श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. शाशांक सक्सेना
निदेशक

एन. बालकृष्णन
निदेशक

रामनाथ प्रदीप
कार्यपालक निदेशक

एम.के. भट्टाचार्य
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

अरुण कौल
कार्यपालक निदेशक

सीए.एम.एस. जोहर
निदेशक

मेजर वेद प्रकाश
निदेशक

बासब मंडल
महाप्रबंधक

बुजलाल क्षत्रिय
निदेशक

बी.एस. रामबाबू
निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. भूषण बैसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन
(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980

कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू
(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी. भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू
(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374

कृते मे. जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे. जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस
(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन-पत्र की घटक अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(000 छोड़कर)				
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी		3000,00,00		1500,00,00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	404,14,15		404,14,15	
रु.10 प्रति शेयर के 4041,41,460 इक्विटी शेयर्स (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 3241,41,500 शेयर्स सहित).				
अधिमान्नी शेयर पूंजी बेमियादी असंचयी	1367,00,00		917,00,00	
योग		1771,14,15		1321,14,15
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	953,50,39		810,64,33	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	265,94,70		142,86,06	
		1219,45,09		953,50,39
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2008,91,59		2038,66,65	
पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	46,89,36		29,75,06	
		1962,02,23		2008,91,59
ii) निवेश आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	316,48,03		175,76,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,62,32		140,72,03	
		363,10,35		316,48,03
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	736,00,00		736,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		736,00,00		736,00,00
IV. आय एवं अन्य आरक्षित निधियां				
आय आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1045,74,06		940,78,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	565,90,84		98,00,00	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		3,44	
घटाएं : कर्मचारी हितार्थ अस्थायी देयता	-		-	
जोड़ें : उपर्युक्त पर आस्थगित कर	-		-	
जोड़ें : समायोजन	3,08,05		6,99,41	
		1614,72,95		1045,74,06
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		246,59,72		146,00,29
योग		6141,90,34		5206,64,36



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन-पत्र की घटक अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(000 छोड़कर)				
अनुसूची 2 ए : मायनॉरिटी हित				
जिस दिनांक को मूल/अनुषंगी	2,45,00		2,45,00	
सम्बंधता अस्तित्व में आई, मायनॉरिटी हित				
तत्पश्चात वृद्धि / कमी	<u>17,31,93</u>		<u>15,14,00</u>	
तुलन पत्र की दिनांक को मायनॉरिटी हित		<u>19,76,93</u>		<u>17,59,00</u>
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	694,22,70		468,44,09	
ii) अन्य से	<u>14362,54,74</u>		<u>9627,39,52</u>	
		15056,77,44		10095,83,61
II. बचत बैंक जमाराशियां		40763,53,34		33680,07,96
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंकों से	5436,46,79		4716,67,95	
ii) अन्य से	<u>100873,06,29</u>		<u>82786,67,61</u>	
		106309,53,08		87503,35,56
योग		<u>162129,83,86</u>		<u>131279,27,13</u>
बी				
i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		162129,83,86		131279,27,13
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधारराशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	-		17,25,46	
ii) अन्य बैंक	45,97,90		55,10,91	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	2575,14,78		804,41,17	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड	2406,30,00		-	
(गौण ऋण)				
v) अपर टियर II बॉण्ड	1585,00,00		-	
vi) नवोन्मेष अधिमानी ऋण लिखत	<u>583,00,00</u>		-	
		7195,42,68		876,77,54
II. भारत के बाहर से उधारराशियां		130,21,00		-
योग		<u>7325,63,68</u>		<u>876,77,54</u>
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		निरंक

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन पत्र की घटक अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(000 छोड़कर)				
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	448,41,42		614,26,30	
II. अंतर्कार्यालय समायोजन (शुद्ध)			-	
III. उपचित ब्याज	727,30,71		338,68,51	
IV. अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (टियर II पूंजी हेतु गौण ऋण)*	0		3270,30,00	
V. आस्थगित कर देयताएं	308,06,50		24,20,98	
VI. अन्य (प्रावधान सहित)* (वर्ष 2008-09 के दौरान रु.583 करोड के नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतों सहित)* * वर्ष 2009-10 के दौरान उधार के तहत दर्शाया गया है	4070,08,04		4921,61,88	
योग		5553,86,67		9169,07,67
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि				
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		752,02,49		797,50,20
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि चालू खातों में	16160,05,73		10139,52,87	
अन्य खातों में	100,00,00		100,00,00	
योग		16260,05,73		10239,52,87
		17012,08,22		11037,03,07
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	730,27,08		708,25,22	
बी) अन्य जमा खातों में	1367,70,00		1,61,88	
		2097,97,08		709,87,10
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	-		-	
योग....I		2097,97,08		709,87,10
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	107,17,62		431,38,95	
बी) अन्य जमा खातों में	13,42		73,07,57	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
योग....II		107,31,04		504,46,52
योग....(I + II)		2205,28,12		1214,33,62



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन पत्र की घटक अनुसूचियां

		(000 छोड़कर)			
		दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
		रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 8 : निवेश					
I. भारत में निवेश : *					
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में	44848,99,77		37880,69,49	
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	130,52,25		405,38,89	
iii)	शेयर्स	599,35,73		502,81,77	
iv)	डिबेंचर्स एवं बॉण्ड	2830,85,76		3073,25,89	
v)	अनुषंगियों में निवेश	387,30,69		294,43,43	
vi)	अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं कमर्शियल पेपर, म्युच्युअल फण्ड यूनिट आदि)	1908,58,64		957,95,94	
			50705,62,84		43114,55,41
II. भारत के बाहर निवेश **					
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii)	असोशिएट्स में निवेश	34,38,26		29,71,13	
			34,38,26		29,71,13
योग			50740,01,10		43144,26,54
* भारत में निवेश :					
निवेश का सकल मूल्य		52151,05,84		44499,48,39	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान		1445,43,00		1384,92,98	
शुद्ध निवेश			50705,62,84		43114,55,41
** भारत के बाहर निवेश :					
निवेश का सकल मूल्य		34,38,26		29,71,13	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान		-		-	
शुद्ध निवेश			34,38,26		29,71,13
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम					
ए. i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल					
		1340,09,74		886,54,29	
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण					
		31766,25,33		24013,89,89	
iii) मियादी ऋण					
		72356,17,99		60702,32,27	
योग			105462,53,06		85602,76,45
बी. अग्रिमों के विवरण :					
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिम सहित)					
		81086,15,17		63331,91,04	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित					
		5760,65,76		3071,76,28	
iii) अरक्षित					
		18615,72,13		19199,09,13	
योग			105462,53,06		85602,76,45
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण					
(I) भारत में अग्रिम					
i) प्राथमिकता क्षेत्र					
		33937,01,86		26962,06,02	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र					
		5081,20,04		10125,20,13	
iii) बैंक					
		1015,37,72		687,73,63	
iv) अन्य					
		65428,93,44		47827,76,67	
योग			105462,53,06		85602,76,45
(II) भारत के बाहर अग्रिम					
			-		-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन पत्र की घटक अनुसूचियां

		(000 छोड़कर)			
		दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
		रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां					
I. परिसर					
(लागत/पुनर्मूल्यन लागत पर)					
	पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	2366,37,57		2366,37,57	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,63,57		-	
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन	-		-	
	योग	<u>2383,01,14</u>		<u>2366,37,57</u>	
	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	-		-	
	योग	<u>2383,01,14</u>		<u>2366,37,57</u>	
	उक्त तारीख तक मूल्यहास	334,01,07		315,11,33	
	योग....I		2049,00,07		2051,26,24
II. अन्य अचल आस्तियां					
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)					
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	816,93,46		754,98,35	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	143,87,54		81,98,27	
	योग	<u>960,81,00</u>		<u>836,96,62</u>	
	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	8,21,75		20,03,15	
	योग	<u>952,59,25</u>		<u>816,93,47</u>	
	उक्त तारीख को मूल्यहास	657,92,03		589,81,57	
	योग....II	<u>294,67,22</u>		<u>227,11,90</u>	
	योग....(I + II)	<u><u>2343,67,29</u></u>		<u><u>2278,38,14</u></u>	
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां					
I.	अंतर्कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	620,92,20		643,07,63	
II.	उपचित ब्याज	996,50,22		780,21,61	
III.	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (निवल प्रावधान)	2192,03,25		1832,64,56	
IV.	लेखन सामग्री एवं मुद्रांक	11,96,52		11,33,59	
V.	दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
VI.	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	-		-	
VII.	अन्य	1351,35,57		1320,64,56	
	योग	<u>5172,77,76</u>		<u>4587,91,95</u>	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं					
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	1682,43,57		164,00,65	
II.	आंशिक प्रदत्त निवेशों हेतु देयता	27,64,33		27,34,33	
III.	बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	26529,98,20		16474,39,54	
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां				
	ए) भारत में	5650,07,20		3946,75,37	
	बी) भारत से बाहर	<u>127,50,51</u>		<u>277,18,01</u>	
		5777,57,71		4223,93,38	
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	4722,43,85		2514,51,81	
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	9,63,34		15,31,33	
	योग	<u><u>38749,71,00</u></u>		<u><u>23419,51,04</u></u>	



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की संघटक अनुसूचियाँ

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष रु.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष रु.
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	8662,00,79	7769,80,52
II. निवेश पर आय	3307,95,03	2563,18,93
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों में बकाया राशि पर ब्याज	102,64,80	131,51,73
IV. अन्य	6,05,80	7,04,44
योग	12078,66,42	10471,55,62
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कॅमिशन, विनिमय एवं दलाली	573,54,49	442,16,00
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	772,38,20	409,76,60
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	45,33,62	67,33,40
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर (निवल) लाभ (हानि)	(-) 32,21	(-) 35,29
V. निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि)	-	-
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगी इकाइयों और सहयोगी संस्थाओं से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	-	-
VII. विविध आय	351,00,55	150,50,96
योग	1741,94,65	1069,41,67
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	9123,03,70	7914,04,15
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	24,22,39	100,33,45
III. अन्य	375,73,21	221,77,71
योग	9522,99,30	8236,15,31
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	1546,08,82	1273,91,05
II. किराया, कर एवं बिजली	162,91,36	142,31,95
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	18,96,84	17,92,20
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	17,27,38	15,37,15
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	78,85,66 -	83,71,84 -
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्च	1,64,18	1,44,56
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	19,61,00	20,43,48
VIII. विधि प्रभार	12,57,54	10,82,02
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	4,91,54	9,78,58
X. मरम्मत एवं रखरखाव	24,33,07	33,29,87
XI. बीमा	121,27,60	91,48,64
XII. अन्य खर्च	216,96,56	165,29,07
योग	2225,41,55	1865,80,41

अनुसूची 17 : समेकित खातों की मुख्य लेखांकन नीतियां

ए. मूल बैंक

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत वर्ष में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रक्रियाओं एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार की जाती हैं.

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. निवेश :

- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "क्रय / विक्रय हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, कमर्शियल पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिटें).

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.
- ii) क्रय / विक्रय के लिए धारित
वे निवेश जो मूलतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनर्बिक्री हेतु रखे गए हैं.
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश जो उपर्युक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किये जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.



बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता के आधार पर उचित आय
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र / कमर्शियल पेपर/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) क्रय / विक्रय के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी आरक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण सम्बंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.

- v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कॅमिशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है।

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

- i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं, उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. अग्रिम :

- 5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- 5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।
- 5.3 अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि, जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं। मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- 6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास "मूल्यहासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i) परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii) वाहन	20%
iv) वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर (अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)	33.33%
- 6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि" में समायोजित किया गया है।
- 6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारियों के लिए लाभ :

- 7.1 ग्रेच्युटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमाकिक मूल्यांकन आधार पर किया है। पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है।
- 7.2 अर्जित अवकाश के लिए देयताओं का प्रावधान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।
- 7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है।



8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

- 8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है।
- 8.2 अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है।
- 8.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्चे के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।
- 8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं।
- 8.5 शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है।

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी।

बी. अनुषंगियां

1. आय निर्धारण

सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में आवास ऋणों का पुनर्भुगतान मूल धन और ब्याज समाविष्ट करते हुए समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया शेष पर ब्याज की गणना की जाती है। एक बार संपूर्ण ऋण का संवितरण हो जाने पर ईएमआई शुरू हो जाती है। ईएमआई शुरू होने लंबित होने पर, प्रति माह पूर्व ईएमआई ब्याज देय है।

अर्जक आस्तियों पर आय का निर्धारण उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के लिए वसूली के आधार पर किया जाता है। अनर्जक आस्तियों में प्राप्त जमा पहले ब्याज में और तत्पश्चात् मूल धन में समायोजित किए जाती है।

2. निवेश

निवेश दीर्घावधि के रूप में माने गए हैं और लागत पर लेखागत किए गए हैं।

3. सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ

सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड सार्वजनिक भविष्य निधि में नियमित अंशदान करता है। प्रॉच्युटी की राशि की गणना बीमांकिक आधार पर की जाती है और उसका निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह प्रॉच्युटी योजना में किया जाता है। अवकाश नकदीकरण सुविधा के दायित्व की गणना प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष साधिकार अवकाश के अनुसार की जाती है।

अनुसूची 18 - समेकित खातों की घटक टिप्पणियां :

1. समेकित वित्तीय विवरणों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) एवं इसकी दो अनुषंगियों तथा असोशिएट्स, मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) व इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड (जिसे समूह के रूप में संदर्भित किया गया है) के वित्तीय विवरण निम्नानुसार समाविष्ट हैं :

अनुषंगी/असोशिएट्स का नाम	निर्गमन देश	दिनांक 31 मार्च, 2010 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	59.50%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%
7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स)	भारत	प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतु 35.00%
इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड (असोशिएट्स)	जांबिया	20.00%

2. समेकन का आधार

- 2.1 समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 21 (एस-21) 'वित्तीय विवरणों का समेकन' एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है. हमारे सहयोगी इंडो-जांबिया बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप बनाया गया है.
- 2.2 समूह का समेकित वित्तीय विवरण बैंक एवं उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों का मदवार समेकन करके बनाया गया है, जिसमें आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी समान मदों को जोड़ा गया है तथा अंतर्समूह शेषों एवं अंतर्समूह लेनदेनों एवं अप्राप्त लाभ/हानि को घटाया गया है.
- 2.3 इक्विटी पद्धति के तहत, समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगियों में निवेशों का लेखांकन, लेखांकन मानक 23 (एस-23) 'समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार तथा इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
- 2.4 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते हुए कतिपय मामलों में, अपेक्षित सूचना के अभाव में जिन असोशिएट्स के लिए न तो उपयुक्त समायोजन किया गया है न ही निश्चित राशि दर्शाई गई है, उनमें समान लेनदेनों के लिए अलग-अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं. अनुषंगियों तथा असोशिएट्स द्वारा जिन मदों के सम्बंध में विभिन्न लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, वे निम्नानुसार हैं :

असोशिएट्स :

अचल आस्तियों पर मूल्यहास हेतु लेखांकन :

- नकदी आधार पर कतिपय खर्चों का लेखांकन;
- अतिदेय/परिपक्व मीयादी जमाओं पर ब्याज;
- निवेशों के क्रय पर प्राप्त प्रोत्साहन / कॅमिशन;
- आय कर/आस्थगित कर का लेखांकन.

अनुषंगी सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड, की निवल आस्ति में मायनॉरिटी हित के अन्तर्गत निम्न शामिल हैं :

- मायनॉरिटी को प्रदत्त की जाने योग्य इक्विटी राशि, एवं
- जिस दिन से मूल एवं अनुषंगी के बीच सम्बन्ध स्थापित हुआ है, उस दिन से इक्विटी में मायनॉरिटी की हिस्सेदारी में संचलन.

- 2.5 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों में उन मदों से सम्बन्धित जानकारी को, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं तथा बैंक एवं अनुषंगियों के भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों के वास्तविक तथा उचित स्वरूप पर कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी :

दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को बैंक की कुल अधिकृत पूंजी रु.1500 करोड़ थी. निदेशक मंडल ने बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2009 के संकल्प द्वारा बैंक की रु.1500 करोड़ की अधिकृत वर्तमान पूंजी बढ़ाकर रु.3000 करोड़ करने की अनुशंसा की और शेयरधारकों ने दिनांक 4 अगस्त 2009 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में इसे अनुमोदित किया.



भारत सरकार ने अपने कार्यालयीन गजट अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा यह अधिकृत पूंजी रु.1500 करोड़ से रु.3000 करोड़ तक बढ़ाई है।

भारत सरकार को रु.450 करोड़ के बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी कर बैंक की प्रदत्त-पूंजी रु.1321.14 करोड़ से रु.1771.14 करोड़ तक बढ़ाई गई।

3.2 बहियों का संतुलन/मिलान :

बैंक अपनी सभी शाखाओं को सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, 324 अतिरिक्त शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाई गई हैं। शाखाओं में मास्टर डाटा में कुछ माइग्रेशन-त्रुटियां और प्रणाली में कुछ अन्तर्निहित बग्स पाए गए, जिन्हें सेवा-प्रदाता एवं बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दूर किया जा रहा है। प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणियों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.3 आय कर / आस्थगित कर :

3.3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान, संगत सांविधिक प्रावधानों और विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii) में रु.1507.45 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1366.17 करोड़) शामिल है, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं। ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

3.3.3 विवाद के अन्तर्गत भुगतान किए गए रु. 1507.45 करोड़ के कर में से, विभिन्न मूल्यांकन वर्ष से सम्बंधित विवादों में शामिल रु. 7.06 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है। इसके लिए अपील का प्रभाव लंबित है।

3.4 शेयर निर्गम के खर्च :

शेयर निर्गम खर्चों की रु.12.12 करोड़ की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गई है।

3.5 परिसर :

3.5.1 31 मार्च, 2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया। अतिरिक्त मूल्यवृद्धि राशि रु.1565.97 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते में जमा की गई है।

3.5.2 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में रु. 10.94 करोड़ की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे रु. 306.85 करोड़ पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं।

3.6 अग्रिम / प्रावधान :

3.6.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित, रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा।

3.6.2 पिछले वर्ष, बैंक ने रु.312.43 करोड़ के अस्थायी प्रावधान को टियर - II पूंजी के रूप में माना था। चालू वर्ष में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए अस्थायी प्रावधान को सकल एनपीए से समायोजित करने का विकल्प चुना है।

3.7 कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

3.7.1 भारत सरकार ने सीमांत एवं लघु किसानों को ऋण माफी और अन्य किसानों को राहत देने हेतु "कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008" अधिसूचित की, जिसका कार्यान्वयन बैंक द्वारा किया गया। कृषि ऋण माफी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत दावों की राशि रु.978.54 करोड़ (रु.3.71 करोड़ के अतिरिक्त दावे सहित) है। बैंक को इस दावा राशि का 64.49% अर्थात् रु.631.06 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

3.7.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 नवम्बर, 2008 के परिपत्र के अनुसार अप्रैल 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत बकाया ब्याज राशि रु. 38.05 करोड़ (गत वर्ष रु.15.33 करोड़) ब्याज आय के रूप में बहियों में लेखागत की गई है।

3.7.3 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भ भारिबैं/2009-10/371/डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी. 82/21.04.048/2009-10 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3/3//208-एसी दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के अनुसार, बैंक ने ऋण राहत योजना का लाभ सभी पात्र किसानों

को दिनांक 30 जून, 2010 तक दिया है। बैंक ने उधारकर्ताओं से प्राप्य राशि के वर्तमान मूल्य में होने वाली हानि के लिए रु.6.17 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार के 25% हिस्से की प्रतिपूर्ति का दावा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के सत्यापन के अधीन है।

3.8 लेखांकन मानकों का अनुपालन

- 3.8.1 बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन किया है और इन लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण किया है।
- 3.8.2 इस अवधि, पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए एएस 5 के तहत शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि सम्बंधी, जो प्रकटीकरण आवश्यक हैं, ऐसे कुल आय/व्यय के 1% से अधिक कोई भी पूर्व अवधि महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं थे।
- 3.8.3 नकदी आधार पर लेखांकित आय की मदें राजस्व निर्धारण पर एएस-9 के अन्तर्गत या तो महत्वपूर्ण नहीं थीं अथवा इनके प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.9 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

कर्मचारियों के लिए लाभ :

i) बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2010 को परिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	2705.33	785.08	2612.92	769.04
सेवा लागत	47.98	30.65	68.20	36.20
ब्याज लागत	211.14	62.54	207.00	62.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	120.04	(58.31)	6.01	(24.35)
प्रदत्त लाभ	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
दिनांक 31 मार्च, 2010 को दायित्व-राशि	2856.49	751.89	2705.33	785.08
दिनांक 31 मार्च, 2010 को उचित मूल्य पर नियोजित आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक नियोजित आस्तियां	2011.73	819.41	1912.92	837.12
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	178.22	62.83	155.43	64.66
बीमांकिक लाभ / हानि	(22.92)	(5.77)	1.43	3.99
अंशदान	330.00	--	124.35	--
प्रदत्त लाभ	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
दिनांक 31 मार्च, 2010 को उचित मूल्य पर नियोजित आस्तियां	2269.03	808.40	2005.33	847.96
दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	47.98	30.65	68.20	36.20
ब्याज लागत	211.14	62.54	207.00	62.00
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(178.22)	(62.83)	(155.43)	(64.66)
बीमांकिक (लाभ) / हानि	142.95	(52.54)	4.58	(28.34)
शुद्ध लागत	223.85	(22.18)	124.35	5.20



पूर्वानुमान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिफल की प्राक्कलित दर	8%	8%	8%	8%

ii) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, बैंक की एकमात्र अनुषंगी कंपनी है, जिसके पास कर्मचारियों का अलग समूह है, जो कि मूल बैंक से नियुक्ति पर हैं. सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेच्युटी देयता को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ली है तथा इस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान, लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित करते हुए किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च 2010 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के बकाया अवकाश के आधार पर की जाती है.

3.10 लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग (समेकित)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	143008	91002
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	448162	412158
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	799281	656742
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	764	34
	5. गैर आबंटित	603	704
	कुल	1391818	1160640
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	95217	76121
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	43614	28428
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	76684	45158
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	754	33
	कुल	216269	149740
सी.	गैर-आबंटित आय/व्यय	603	704
डी.	परिचालन लाभ	216872	150444
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	51082	51351
एफ.	आय कर	49535	35508
जी.	शुद्ध लाभ	116255	63585
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	खंडवार आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	3169978	2117957
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4392418	3935735
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	10513027	8550603
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	173	16
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	218619	182739
	कुल	18294215	14787050
जे.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	2844644	110619
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4323937	4407552
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	10307294	9591775
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	1159	1230
	5. गैर आबंटित देयताएं	817181	675874
	कुल	18294215	14787050

- 3.10.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का लेखांकन किया है। इसमें कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।
- 3.10.2 ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स सम्बंधी परिचालनों के लेन-देन शामिल हैं।
- 3.10.3 रिटेल बैंकिंग घटक में रु.5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, प्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन हैं।
- 3.10.4 कॉर्पोरेट/समग्र क्षेत्र में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- 3.10.5 अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- 3.10.6 सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी क्षेत्र, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- 3.10.7 लागत का आबंटन :
- ए. एक विशिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत किए जाने वाले खर्च सीधे सम्बंधित क्षेत्र को आबंटित किए जाते हैं।
- बी. एक विशिष्ट खंड के अन्तर्गत सीधे न किए जाने वाले खर्चों को नियोजित निधि में समानुपात रूप से आबंटित किया गया है।

3.11 लेखांकन मानक 18 - सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण :

1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी -

नाम	पदनाम
i) श्री एस. श्रीधर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii) श्री रामनाथ प्रदीप	कार्यपालक निदेशक
iii) श्री अरुण कौल	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां -

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
ii) सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड

(सी) सहयोगी -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- i) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
iv) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
v) बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
vi) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
vii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड

2 सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

(रु. लाख में)

मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2009-2010	2008-2009
प्रदत्त पारिश्रमिक	36.48	36.82



(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेन-देन का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	सम्बद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था	
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज
1.	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश	31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59
		31.03.09	27.64	27.64	200.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर, (छत्तीसगढ़)	31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00
		31.03.09	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, (बिहार)	31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40
		31.03.09	159.09	159.09	500.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)	31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03
		31.03.09	6.22	6.22	47.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया, (उत्तरप्रदेश)	31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	11.72	11.72	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)	31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00
		31.03.09	2.45	2.45	62.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		31.03.09	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02
		31.03.09	230.27	230.27	820.06	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2009-10 के दौरान, बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.01.2010 से बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक बनाया गया. परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2010 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 8 से घट कर 7 हो गई है.

3.12 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	1162.55	635.85
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	404141460	404141460
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	27.23	13.76
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (रु.)	27.23	13.76
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रु.)	10.00	10.00

3.13 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं. आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
आस्थगित कर आस्तियां :		
एनपीए के लिए प्रावधान	0.00	40.39
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	61.24	54.77
पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	259.12	266.48
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	108.77	0.00
योग (ए):	429.13	361.64
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्य हास	15.05	11.94
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर मूल्यहास	334.98	261.80
निवेश पर मूल्यहास	386.99	111.93
योग (बी):	737.02	385.67
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	307.89	24.03

3.14 बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन पर आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2010 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके.

3.15 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29.

प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी :

(रु. करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2009 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2010 को अंतिम शेष
मानक आस्तियां	387.51	29.91	---	417.34
एनपीए	1213.55	288.40	290.41	1211.54
निवेश	1390.49	314.25	257.31	1447.43
कर	1225.97	207.45	7.35	1426.07
विविध प्रावधान	187.51	136.22	11.23	312.50

4. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

5. अनुषंगियां :

5.1 सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

5.1.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने बोर्ड के निर्णय के अनुसार रु.1,62,99,157/- की वसूली अयोग्य अशोध्य ऋण की राशि बट्टे खाते डाली.



- 5.1.2 निर्धारण वर्ष 2007-08 तक आय कर निर्धारण पूर्ण हुआ है. अस्वीकृतियों के मामले में कंपनी ने विभिन्न वर्षों हेतु अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है और वे लंबित हैं.
- 5.2 **सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**
- 5.2.1 वर्ष के अंत में लघु उद्योग और/अथवा अनुषंगी औद्योगिक आपूर्तिकर्ता पर मूल धन और/अथवा ब्याज की कोई राशि अतिदेय या अदत्त नहीं है.
6. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के सदृश्य करने के लिए, जहाँ आवश्यक है, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

एस.श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ.शशांक सक्सेना
निदेशक

एन. बालकृष्णन
निदेशक

रामनाथ प्रदीप
कार्यपालक निदेशक

एम.के.भट्टाचार्य
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

अरुण कौल
कार्यपालक निदेशक

सीए एम.एस.जोहर
निदेशक

मेजर वेद प्रकाश
निदेशक

बासब मंडल
महाप्रबंधक

बुजलाल क्षत्रिय
निदेशक

बी.एस.रामबाबू
निदेशक

कृते मे.भूषण बैसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन
(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार

सदस्यता नं.96980
कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू
(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू
(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार

सदस्यता नं.83374
कृते मे.जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

कृते मे.जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस
(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार

सदस्यता नं.25844
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31- 03- 2010	दिनांक 31-03-2009
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	1,442.96	990.93
I	निम्न के लिए समायोजन:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	68.10	74.56
	निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	64.79	90.53
	बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण/गैर-निष्पादक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	259.73	324.10
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	29.97	44.83
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	125.87	54.06
	अचल आस्तियों की बिक्री से (शुद्ध) लाभ / हानि	0.32	0.35
	गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान / प्रावधान (अलग से माना जाए)	362.32	219.74
	उप-योग	2,354.06	1,799.10
II	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	30,850.57	20,953.74
	उधारी में वृद्धि/ (कमी)	6,448.87	336.15
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	(5,088.84)	394.00
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(19,859.77)	(12,792.57)
	निवेशों में (वृद्धि)/ कमी	(7,660.54)	(11,760.02)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(1,078.84)	(246.23)
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध धन वापसी इत्यादी)	493.98	(355.08)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	4,105.43	(3,470.01)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	6,459.49	(1,670.91)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों का निपटान/विक्रय	8.22	9.97
	अचल आस्तियों का क्रय	(141.94)	(72.27)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(133.71)	(62.30)
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी	450.00	117.00
	गौण ऋण टियर II पूंजी से प्रतिदान/आय	721.00	839.00
	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	0.00	583.00
	लाभांश	(144.00)	(148.86)
	लाभांश कर	(24.47)	(25.30)
	गौण ऋण पर ब्याज	(362.32)	(219.74)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	640.21	1,145.10
डी	नकदी एवं नकदतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए +बी +सी) अथवा (एफ - ई)	6,965.99	(588.11)



(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31- 03- 2010	दिनांक 31-03-2009
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदतुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	11,037.03	11,537.43
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	1,214.34	1,302.05
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकदतुल्य	12,251.37	12,839.48
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदतुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	17,012.08	11,037.03
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2,205.28	1,214.34
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदतुल्य	19,217.36	12,251.37

एस.श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रामनाथ प्रदीप
कार्यपालक निदेशक

अरुण कौल
कार्यपालक निदेशक

बासब मंडल
महाप्रबंधक

डॉ.शशांक सक्सेना
निदेशक

एम.के.भट्टाचार्य
निदेशक

सीए एम.एस.जोहर
निदेशक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

एन. बालकृष्णन
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

मेजर वेद प्रकाश
निदेशक

बी.एस.रामबाबू
निदेशक

कृते मे. भूषण बेंसल जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003884एन

कृते मे. पी.जी.भागवत
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.101118डब्ल्यू

कृते मे.जोसेफ एण्ड राजाराम
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001375एस

(सीए दीपक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.96980

(सीए एस.एस.आठवले)
भागीदार
सदस्यता नं.83374

(सीए थॉमस फिलिप)
भागीदार
सदस्यता नं.25844

कृते मे. उम्मेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.119250डब्ल्यू

कृते मे.जी.एस.ए.एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस


(सीए यू.एम.जैन)
भागीदार
सदस्यता नं.70863

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं.83899

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता नं.27357

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को
समाप्त वर्ष के लिए
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लि.
(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी)
के खातों का विवरण



सम्माननीय सदस्यों को निदेशकगणों की रिपोर्ट 2009-10

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षित खातों के साथ कम्पनी की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. बाजार परिदृश्य

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंतिम तिमाही में 7.20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1217 बिलियन डालर है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था का 1.96% है। भारत की बहुआयामी अर्थव्यवस्था में परम्परागत ग्रामीण खेती, आधुनिक कृषि, हस्तशिल्प, व्यापक स्तर पर आधुनिक उद्योग एवं सेवाओं का बाहुल्य सम्मिलित है।

भारतीय आवास वित्त क्षेत्र ने वर्ष 2003-2007 के दौरान 56% की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि (सीएजीआर) दर्ज की है। सुविधाजनक ब्याज दर, प्रापर्टी की बढ़ती कीमतें, बढ़ता आय स्तर इसमें सहायक रहे। तत्पश्चात् वृद्धि दर धीमी हुई। स्थावर सम्पदा के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, उच्च ब्याज दर, बाजार से निवेशकों का पलायन, इन कारणों से इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चालू वित्त वर्ष 2009-10 में ब्याज दर तथा प्रापर्टी के मूल्यों में कमी होने के कारण क्रेताओं की संख्या बड़ी, इससे एक अनुकूल वातावरण बना।

भारत में बंधक प्रभाव स्तर (बंधक ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) भारत में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, जो कि मार्च 2002 में 2% के लगभग बढ़ा था। वह मार्च 2007 में 7% के स्तर पर आ गया। वह आज की तारीख तक 7% पर ही कायम है। यह विकसित देशों की तुलना में कम है। इससे प्रतीत होता है कि अभी वृद्धि की संभावना है। कुछ घटक घरेलू बाजार में बंधक में वृद्धि में सहयोग दे सकते हैं, जो कि निम्नानुसार है :-

1. विगत एक वर्ष में 12% ब्याज दर से घटकर, ब्याज दर 8% से 9% तक हुई, इसका सीधा असर समान मासिक किस्तों में प्रति एक लाख के ऋण में 15% से 25% की कमी होना रहा।
2. वहन योग्य मकानों की आपूर्ति में वृद्धि तथा आवासीय स्थावर सम्पदा बाजार के मूल्यों में सुधार।
3. आर्थिक गतिविधि में वृद्धि।
4. विशेष सुविधा वाले भवनों (जो कि ऋणी द्वारा ऋण लेने हेतु बंधक रखे जा सकें) की लम्बी सूची।
5. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि।

तथापि, स्थावर सम्पदा के मूल्यों में पुनः कमी होने की सम्भावना है, जो कि ऋणी के आवास क्रय करने के निर्णय को प्रभावित करेगा, बाजार में अभी भी बैंकों का प्रभुत्व है। यद्यपि, आवास वित्त कम्पनियों के शेयर में आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है। औसतन आवास वित्त कम्पनियों के बंधक पोर्टफोलियो में 25% सालाना की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2004 से वर्ष 2007 की अवधि के दौरान पाई गई। जबकि बैंकों में इसी अवधि के दौरान यह उच्च दर पर थी, तथापि वित्तीय वर्ष 2008 के पश्चात् दोनों में गिरावट आई है। आगे जाकर बैंकों ने बंधक बाजार में अपने शेयर को बनाए रखा है। अपने नेटवर्क को विस्तार दिया है, कम लागत वाली निधियों तक अपनी पहुंच बनाई है तथा प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्धता जताई है।

2. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2009-10 के लिए, कम्पनी के वित्तीय परिणामों का सारांश गत वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है :-



(राशि करोड़ में)

विवरण	वर्ष की समाप्ति पर	
	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
सकल आय	27.44	26.60
कर पूर्व लाभ	7.22	4.43
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	0.00
कर हेतु प्रावधान	(1.76)	(1.25)
कर पश्चात् लाभ	5.46	3.18
पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन	(0.01)	(0.02)
वर्ष हेतु लाभ	5.45	3.16
विनियोजन		
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	1.39	0.69
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	0.00	0.00
लाभांश हेतु विनियोग (लाभांश कर, सरचार्ज एवं उपकर सहित)	2.34	0.00
तुलनपत्र को ले जाया गया शेष	1.72	2.47
योग	5.45	3.16

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ऋणात्मक हैं)

3. कार्यनिष्पादन



वर्ष 2009-10 के दौरान, कम्पनी ने रु.8.60 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 2008-09 में यह रु.5.03 करोड़ था. कर पश्चात् लाभ रु.5.45 करोड़ रहा, जबकि गत वर्ष यह रु.3.16 करोड़ था.



कम्पनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात वर्ष 2008-09 के 21.09% की तुलना में, वर्ष 2009-10 में 22.47% रहा, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 12% से अधिक है. यह वृद्धि लाभ में हुई रु.3.11 करोड़ (लाभांश हेतु विनियोग के पश्चात् लाभ) की वृद्धि के फलस्वरूप हुई. इससे कम्पनी की आरक्षित निधि व बचत में वृद्धि हुई. दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी की

प्रति शेयर आय रु.27.24 रही, जबकि 31 मार्च, 2009 को यह रु.15.79 थी.

कम्पनी की संचयी स्वीकृतियां रु.807.76 करोड़ से बढ़कर रु.866.26 करोड़ हो गई, जबकि संचयी संवितरण दिनांक 31 मार्च, 2010 को रु.728.95 करोड़ से बढ़कर रु.783.23 करोड़ हो गया. कम्पनी ने रु.58.50 करोड़ के 974 आवासीय ऋण स्वीकृत किए तथा 939 आवास ऋण खातों के अंतर्गत रु.54.28 करोड़ वितरित किए. वर्ष के दौरान, वितरण के कारण सकल ऋण बकाया दिनांक 31 मार्च, 2010 को रु.269.88 करोड़ हो गया, जो कि दिनांक 31.03.2009 को रु.257.88 करोड़ था.



नवीन उत्पाद

अपने उत्पाद मिश्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, कम्पनी ने उच्च ब्याज दर वाली "प्रापर्टी के सापेक्ष ऋण" नामक नई योजना प्रारम्भ की है. कम्पनी को अगले वित्तीय वर्ष में इस नवीन ऋण योजना से अतिरिक्त आय प्राप्त होने की आशा है.

4. लाभांश

कम्पनी की लाभप्रदता में वृद्धि को देखते हुए बोर्ड ने शेयरधारकों को 10% लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव रखा है.

5. संसाधन

वर्ष 2009-10 के दौरान, कम्पनी की आरक्षित और अधिशेष राशि में रु.3.10 करोड़ के प्रतिधारण की वजह से दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी की शुद्ध स्वामित्व निधि रु.46.21 करोड़ से बढ़कर रु.49.31 करोड़ हो गई.

दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी की कुल जमा राशि में सार्वजनिक और अन्तर्कॉर्पोरेट जमा राशियां रु.38.04 करोड़ रहीं, जबकि गत वर्ष के अंत में यह राशि रु.16.16 करोड़ थी.

दिनांक 31 मार्च, 2009 को रु.72.52 करोड़ की तुलना में, दिनांक 31 मार्च, 2010 को राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त निरंक रहा. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक की सकल पुनर्वित्त बकाया राशि की अदायगी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से सावधि ऋण लेकर कर दी. परिणामतः इससे रु.1.34 करोड़ की बचत हुई.




कम्पनी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से सावधि ऋण तथा ओवरड्राफ्ट सुविधाएं ली हैं। इसके अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2009 के रु.114.04 करोड़ की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2010 को रु.169.50 करोड़ बकाया था।

6. अदावाकृत जमाराशियां

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 129 खातों में रु.56,08,686/- की सार्वजनिक जमाराशियां अदावाकृत रहीं। जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता पर सूचित किया गया कि वे इनका या तो नवीनीकरण करवा लें अथवा इनका भुगतान प्राप्त कर लें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 9 खातों के अंतर्गत सात वर्ष से अधिक अवधि की अदावाकृत जमाराशियां, जिनमें ब्याज राशि भी शामिल है, की राशि रु.52,001/- जमा है, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है।

7. अनर्जक आस्तियां



कम्पनी ने अनर्जक आस्तियों के खातों में वसूली के लिए सक्रिय रूप से सभी संभव विकल्प कार्यान्वित किए। कम्पनी के प्रयासों के फलस्वरूप मार्च 2009 के रु.44.64 करोड़ के कुल एनपीए में रु.11.90 करोड़ की गिरावट आई एवं मार्च 2010 में यह राशि रु.32.74 करोड़ रही।

पर्याप्त प्रावधानों के पश्चात्, शुद्ध एनपीए मार्च 2009 के रु.23.26 करोड़ की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2010 को यह राशि रु.12.26 करोड़ रही।

कम्पनी ने अतिदेय में वसूली एवं एनपीए में कमी लाने के लिए वित्तीय

आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की है।

8. क्रेडिट रेटिंग

कम्पनी की जमा योजनाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा "पॉजीटिव" के साथ "एफए-" रेटिंग दी गई है, जबकि गत वर्ष "स्टेबल" रेटिंग दी गई थी।

9. निदेशकगण

श्री आई.पी.एस. ओबेराय, उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने दिनांक 07.09.2009 को बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री के.ए.सोमयाजुलु, महाप्रबन्धक, श्रीमती डी. वसुंधरा कृष्णमूर्ति, महाप्रबन्धक एवं श्री पी.सी. तिवारी, महाप्रबन्धक (सभी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) ने त्यागपत्र दे दिया है तथा दिनांक 07.09.2009 से कम्पनी के निदेशक नहीं हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 के प्रावधानों एवं कम्पनी अन्तर्नियमों के अंतर्गत, कम्पनी के निदेशक श्री सुरेन्द्र सिंघई तथा श्री आई.पी.एस. ओबेराय आगामी वार्षिक साधारण सभा में आवर्तन पर सेवामुक्त होंगे तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

निदेशक मंडल ने श्री के.ए. सोमयाजुलु, श्रीमती डी. वसुंधरा कृष्णमूर्ति एवं श्री पी.सी. तिवारी द्वारा निदेशक के रूप में प्रदत्त महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।

10. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के तहत किया गया है। समिति में चार सदस्य यथा श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष, श्री आई.पी.एस. ओबेराय, श्री सुरेन्द्र सिंघई एवं श्री नरेन्द्र सिंह सदस्य हैं। लेखा समिति दिशानिर्देश प्रदान करती है और साथ ही कम्पनी के कुल लेखा परीक्षा कार्यों का निरीक्षण भी करती है।

11. मानव संसाधन

दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी के 30 कर्मचारियों में से, 16 अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक भी शामिल हैं, जबकि कम्पनी ने 14 स्टाफ की सीधी भर्ती की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसकी परिलब्धियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी नियम (कर्मचारी विवरण), 1973 के अंतर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित सीमाओं से अधिक हो।

12. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

विदेशी मुद्रा में कोई आय अथवा व्यय नहीं हुआ। चूंकि कम्पनी के पास कोई विनिर्माणी गतिविधि नहीं है, कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अन्य प्रावधान लागू नहीं हैं।

13. निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल रिपोर्ट करता है कि :

- (i) वर्ष 2009-10 के वार्षिक खातों को बनाते समय लागू लेखांकन मानदंडों का अनुपालन किया गया है तथा इनमें हुए परिवर्तनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- (ii) निदेशकों ने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उनका निर्बाध रूप से पालन किया है तथा निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं, जो समुचित एवं विवेकसम्मत थीं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी की गतिविधियों का एवं इस अवधि हेतु कम्पनी के लाभ एवं हानि का ठीक एवं निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत किया जा सके।
- (iii) निदेशकों ने कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाघड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- (iv) निदेशकों ने विद्यमान लाभकारी संस्था के आधार पर (ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस) पर वार्षिक खाते तैयार किये हैं।

14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विवरण

कम्पनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत विवरण के लिए, निदेशक की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

15. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के दिशानिर्देशों का अनुपालन

कम्पनी आस्तियों के वर्गीकरण, लेखा मानदंडों, आय निर्धारण, प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट रेटिंग इत्यादि पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों एवं निदेशों का अनुपालन करती रही है।

16. कम्पनी का शाखा नेटवर्क

दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी देशभर में फैंली अपनी 13 शाखाओं से संचालित है।

17. लेखा परीक्षकगण

भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मेसर्स परिहार एवं सोनपार, सनदी लेखाकार को वर्ष 2009-10 हेतु कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

18. आभार

निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हुडको तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिये गये समर्थन तथा मार्गदर्शन को प्रशंसापूर्वक अंकित करते हैं। निदेशकगण अपने ग्राहकों एवं जमाकर्ताओं के निर्बाध संरक्षण तथा उनके प्रदत्त समर्थन सहित कम्पनी के स्टाफ सदस्यों के योगदान को भी प्रशंसापूर्वक अंकित करते हैं।

रामनाथ प्रदीप

निदेशक

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई, 2010



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर वर्ष 2009-10 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड देश की चार प्रमुख संस्थाएं यथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित हैं। ये सभी संस्थाएं सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स में विश्वास रखती हैं। सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड न केवल कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है अपितु यह अपने शेयरधारकों, स्टाफ, ग्राहकों, सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों, समाज एवं अन्य सभी के प्रति उत्तरदायी है, जो इसके साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं। यह संस्था ग्राहकों के संतोष के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के विस्तृत सिद्धांत एवं व्यावसायिक वातावरण के प्रति समर्पित है एवं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं ईमानदारी पर जोर देता है। सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर चल रही कार्यशैली पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नानुसार दी जा रही है :

निदेशक मंडल :

गठन :-

कम्पनी का सात सदस्यीय निदेशक मंडल है, जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। इनमें से 6 शेष गैर कार्यपालक निदेशकों में से तीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से नामित हैं, एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट, हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से एक-एक निदेशक नामित हैं। समस्त निदेशक अपने-अपने क्षेत्रों में अत्यन्त दक्ष एवं अनुभवी हैं तथा गहन निपुणता प्राप्त हैं।

निदेशकों की कार्यावधि :-

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, न्यूनतम दो तिहाई निदेशकों को सेवामुक्त निदेशक होना चाहिये, इनमें से एक तिहाई निदेशक रोटेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष सेवामुक्त होंगे, किन्तु यदि वे पात्र हैं तो वे पुनःनियुक्ति हेतु पात्र हैं।

18वीं वार्षिक साधारण बैठक के उपरान्त, कोई भी निदेशक बोर्ड में शामिल नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंघई एवं श्री आई.पी.एस. ओबेराय कम्पनी के निदेशक आगामी वार्षिक साधारण बैठक में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे

उत्तरदायित्व :-

निदेशक मंडल द्वारा एक कार्यसूची अपनी स्वीकृति एवं निर्णय हेतु बनाई जाती है, जो कि कानूनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त है, उदाहरणार्थ प्रत्येक बोर्ड बैठक में कम्पनी की तिमाही कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है, देयों की वसूली हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, समझौता प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। कम्पनी के बेहतर कार्यनिष्पादन की रणनीति बनाई जाती है तथा शेयरधारकों को दी जानेवाली सूचना का अनुमोदन किया जाता है। बोर्ड का प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लेता है बशर्ते कि वह किसी अन्य आकस्मिक कार्य में न व्यस्त हो, अतः बोर्ड के निर्णय सही अर्थों में पारदर्शी तथा विधिवत होते हैं।

बोर्ड की बैठकें :-

बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होती है, बोर्ड की बैठक हेतु कार्यसूची पहले तैयार की जाती है तथा विस्तृत कार्यसूची के कागजात समस्त निदेशकों में परिचालित किये जाते हैं। वे चर्चा हेतु कार्यसूची में किसी भी मामले को सम्मिलित करने हेतु अपनी अनुशंसा के लिए स्वतंत्र हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान, चार बैठकों का आयोजन क्रमशः दिनांक 22 मई 2009, 07 सितम्बर 2009, 02 जनवरी 2010 और 27 मार्च 2010 को किया गया। निदेशकों द्वारा इन बैठकों में दर्ज उपस्थिति उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
01	श्री रामनाथ प्रदीप	04
02	श्री के.ए. सोमयाजुलु (दिनांक 07.09.2009 से निदेशक नहीं)	निरंक
03	श्री पी.वी.रविन्द्रन	02
04	श्रीमती डी. वसुंधरा कृष्णमूर्ति (दिनांक 07.09.2009 से निदेशक नहीं)	निरंक
05	श्री वी.के. बादामी	02

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
06	श्री सुरेन्द्र सिंघई	03
07	श्री पी.सी. तिवारी (दिनांक 07.09.2009 से निदेशक नहीं)	01
08	श्री आई.पी.एस. ओबेराय (दिनांक 07.09.2009 को निदेशक नियुक्त)	03
09	श्री वी.के. जैन	01
10	श्री डी.पी. सिन्हा (दिनांक 22.05.2009 से निदेशक नहीं)	01
11	श्री नरेन्द्र सिंह (दिनांक 22.05.2009 को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त)	04

लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य श्री रामनाथ प्रदीप, श्री सुरेन्द्र सिंघई, श्री आई.पी.एस. ओबेराय और श्री नरेन्द्र सिंह हैं। लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्त तथा लेखा परीक्षा से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाती है तथा बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं कार्यवाही हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाती हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 22 मई, 2009, 07 सितम्बर, 2009, 02 जनवरी, 2010 और 27 मार्च, 2010 को आयोजित की गईं। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों हेतु विस्तृत कार्यसूची पहले से ही तैयार की जाती है तथा उसे समिति के सदस्यों के मध्य परिचालित किया जाता है।

आल्को बैठकें :

कम्पनी की आल्को समिति में श्री नरेन्द्र सिंह, श्री आई.पी.एस. ओबेराय, श्री एच.आर. तिवारी एवं श्री रीतेश कुमार जैन हैं। आस्ति और देयता प्रबन्धन में विसंगति की समीक्षा हेतु नियमित आधार पर बैठक आयोजित की जाती है। यदि आस्ति देयता में कोई विसंगति पाई जाती है तो समिति द्वारा इसमें सुधार हेतु अनुशंसा की जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा :

कम्पनी के खाते संवैधानिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार द्वारा समीक्षा के अधीन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जांच :

राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त कम्पनियों की विनियामक एजेन्सी होने के कारण कम्पनी के परिचालन की सांविधिक समीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं मानदंडों हेतु देती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निगरानी एवं समीक्षा :

कम्पनी का वरिष्ठ प्रबन्धन, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्ति पर है, जो कि कम्पनी की प्रमुख शेयरधारक है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कम्पनी की सांविधिक आवश्यकताओं हेतु प्रमुख ऋण प्रदाता है। यह मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से कम्पनी के परिचालन की निगरानी एवं समीक्षा करती है तथा कम्पनी की बोर्ड की बैठक में तैमाही समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

रामनाथ प्रदीप

निदेशक

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई, 2010



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण,

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड,

भोपाल.

हमने मेसर्स सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड भोपाल (कम्पनी) की 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उक्त तिथि पर समाप्त हुये वर्ष के लिए इस कम्पनी के संलग्न लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण का लेखा परीक्षण किया। वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धतन्त्र का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने अपना लेखा परीक्षण सामान्य रूप से भारतवर्ष में स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। वित्तीय विवरणों की सत्यता उचित आधार पर सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार हम लेखा परीक्षा निष्पादित करते हैं। लेखा परीक्षा जांच आधारित परीक्षण है, जिसमें वर्णित राशियों के समर्थन हेतु वित्तीय विवरण साक्ष्य के रूप में होते हैं। लेखा परीक्षण में लेखों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त सिद्धान्तों एवं प्रबन्धतन्त्र द्वारा किए गए सार्थक अनुमानों का आकलन सम्मिलित है, साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है। हमारा लेखा परीक्षण हमारे मत को उचित आधार प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 (4ए) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी निर्देश व अन्य कम्पनियों के लिए (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2004 (सामूहिक आदेश) के द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार आवश्यक है। हम संलग्नक में उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में दर्शाए गये विषय पर यहां विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं :-

हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमने लेखा परीक्षण के लिए सभी आवश्यक सूचनायें एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
2. हमारे मत में, कम्पनी ने अपनी लेखा पुस्तकें विधिक रूप से रखीं हैं, इसका प्रमाण हमारी लेखा परीक्षा में स्पष्ट है।
3. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी बही खातों के अनुरूप हैं।
4. हमारे मत से तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते एवं नकद प्रवाह विवरण में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (उपधारा 3सी) के अनुसार आवश्यक लेखा स्तर, का अनुपालन किया गया है, जो कि कम्पनी के लिए आवश्यक है।
5. निदेशकों से प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर तुलनपत्र में वर्णित कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के अन्तर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु 31 मार्च 2010 तक अयोग्य नहीं है।
6. हमारे मत से हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार विशिष्ट लेखा विधि नीतियों एवं हमारी टिप्पणी के अनुसार दस्तावेज पर आधारित उक्त खातों से संबंधित अन्य विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार आवश्यक जानकारी यथा आवश्यक रूप से दी गई है, यह भारतवर्ष में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा पद्धति सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट है :
 - (i) दिनांक 31 मार्च, 2010 को यह कम्पनी के व्यवहार पर आधारित तुलनपत्र से संबंधित है।
 - (ii) इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में कम्पनी के लाभ की स्थिति से संबंधित है।
 - (iii) कंपनी का नकद प्रवाह विवरण, उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह से संबंधित है।

कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई 2010

एस. विजय राघवन
(भागीदार)

सदस्यता सं. 34577

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड, भोपाल

सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड के दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के खातों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में.

- I. (ए) कम्पनी द्वारा उचित अभिलेख रखा गया है जो कि पूरे ब्यौरे को दर्शाता है यथा परिमाणानुक्रमिक विवरण तथा अचल सम्पत्तियों की स्थिति आदि.
 - (बी) प्रदत्त सूचना एवं उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रबन्धतंत्र द्वारा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, तथा सत्यापन के दौरान नोट की गई विसंगतियों का समुचित निराकरण कर लेखा पुस्तकों में विधिवत दर्शाया गया है.
 - (सी) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपनी अचल सम्पत्तियों का निपटान किया है, किन्तु इससे कम्पनी की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है.
- II. (ए) कम्पनी एक आवास वित्त कम्पनी (एचएफसी) है अतः सीएआरओ 2003 के खण्ड (II) के संदर्भ में कोई अभिलेख सूची का रखा जाना आवश्यक नहीं है, इसलिए किसी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है. अतः यह लागू नहीं है.
- III. (ए) कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का जमानती अथवा गैर-जमानती ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है. तथापि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के साथ कम्पनी ने कुछ अल्पावधि जमा राशियां रखी हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रजिस्टर में दर्शाया गया है. हमारी राय में जमा राशियों का नियोजन करना, ऋण स्वीकृत करना नहीं है.
 - (बी) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध पार्टियों से रक्षित ऋण प्राप्त किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

राशि (रुपये में)	31.03.2010 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष	जिस अवधि को अधिकतम शेष बकाया था
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (मियादी ऋण)			
मियादी ऋण - 1	शून्य	5,22,40,161/-	01.04.09 से 06.07.09
मियादी ऋण - 2	7,13,49,601/-	14,28,11,766/-	01.04.09 से 06.07.09
मियादी ऋण - 3	7,19,03,256/-	10,75,03,256/-	01.04.09 से 06.07.09
मियादी ऋण - 4	39,17,56,569/-	41,35,00,000/-	01.04.09 से 06.07.09
मियादी ऋण - 5	शून्य	15,00,00,000/-	01.04.09 से 06.07.09
मियादी ऋण - 6	14,41,89,920/-	15,02,89,920/-	30.09.09 से 15.01.10
मियादी ऋण - 7	99,73,32,503/-	99,73,32,503/-	26.03.10 से 31.03.10
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (ओवरड्राफ्ट सीमा)	1,85,01,513/-	14,23,14,532/-	07.07.09 से 08.07.09
राष्ट्रीय आवास बैंक (पुनर्वित्त)	शून्य	72,52,44,221/-	01.04.09 से 29.06.09

- (सी) हमारी राय में, कंपनियों तथा फर्मों द्वारा पार्टियों के लिए अथवा स्वीकृत किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर तथा अन्य नियम व शर्तें, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत एक रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाना अपेक्षित है, यह प्रथम दृष्टया कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं है.
- (डी) वर्ष के दौरान, कम्पनी निर्धारित रूप से मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने में नियमित रही है.
- IV. हमारी राय में एवं हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया है, जो कि कम्पनी के आकार के अनुरूप है तथा अचल सम्पत्ति के क्रय एवं सेवाओं के संबंध में इसके व्यवसाय के अनुरूप है. हमारे लेखा परीक्षण के दौरान, आन्तरिक नियन्त्रण में किसी बड़ी खामियों को सुधारने के संबंध में निरन्तर विफलता नहीं देखी गई है.
- V. हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर, ऐसी कोई संविदा अथवा व्यवस्थाएं नहीं थीं (उपर्युक्त पैराग्राफ 3-III. बी में दी गई सूचना के संदर्भ को छोड़कर), जो लेन-देन अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रजिस्टर में दर्ज किए जाने थे, वे उसके अनुरूप दिए गए हैं.
- VI. हमारे मत में तथा हमें प्रदत्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी द्वारा जनता से स्वीकार की गई जमा राशियां अधिनियम की धारा 58ए, 58एए अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य संबंधित उपबंधों एवं वर्णित नियमों तथा आवास वित्त कम्पनी (एनएचबी) के निर्देश 2001 के अनुसार हैं.
- VII. कम्पनी की अपनी पर्याप्त आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है एवं हमारे मत में यह कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के अनुरूप है.



- VIII. चूंकि कम्पनी एक आवास वित्त कम्पनी है, अतः सीएआरओ 2003 के खण्ड (viii) के अंतर्गत, लागत अभिलेख का रख-रखाव लागू नहीं है।
- IX. ए. कम्पनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा रक्षा निधि, आयकर, विक्रय कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, उपकर तथा अन्य लागू देयों सहित गैर विवादित सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा करती रही है।
- बी. विवादित आय कर राशि के मांग विवरण निम्नानुसार हैं, विवादित मांग राशि रु.5,04,09,291/- के विरुद्ध विरोधाधीन जमा राशि निम्नानुसार हैः

निर्धारण वर्ष	आयकर विभाग द्वारा मांगी गई राशि	जिस संस्था में मामला लंबित है
2003-04	रु. 2,07,21,070/-	आयकर ट्रिब्यूनल, इन्दौर
2004-05	रु. 1,38,62,519/-	आयकर ट्रिब्यूनल, इन्दौर
2005-06	रु. 6,17,49,979/-	आयकर ट्रिब्यूनल, इन्दौर

- X. हमारे मत में, हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के तहत कवर किए गए वित्तीय वर्ष में कम्पनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचय हानि नहीं हुई तथा चालू वित्त वर्ष अथवा पूर्व वर्ष के दौरान किसी प्रकार की नकदी हानि भी नहीं हुई है।
- XII. हमारे मत में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचरधारकों के देयों की अदायगी में किसी प्रकार की चूक नहीं हुई है।
- XII. हमारे मत में कम्पनी ने जिन मामलों में प्रतिभूति के आधार पर अथवा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर, जो ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत किए हैं, उनके लिए पर्याप्त अभिलेख रखा गया है।
- XIII. कम्पनी एक आवास वित्त कम्पनी है और यह कम्पनी चिट फंड अथवा म्यूच्युअल फंड/बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है, अतः कम्पनी के आदेश खंड 4 (XIII) में वर्णित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIV. कम्पनी शेयर्स, प्रतिभूति पत्र, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में व्यवहार नहीं करती है, तदनुसार आदेश खंड 4 (XIV) में वर्णित उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XV. हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास तथा प्रदत्त सूचना के आधार पर, कम्पनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
- XVI. हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास एवं हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे मत में कम्पनी द्वारा लिए गए सावधि ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है, जिस हेतु इन्हें लिया गया है।
- XVII. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के समग्र तुलनपत्र के परीक्षण के पश्चात, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं ली है, जिसका उपयोग दीर्घावधि निवेश के उद्देश्य हेतु किया गया हो।
- XVIII. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने शेयर्स का अधिमान्नी आवंटन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत सूचीबद्ध पार्टियों तथा कम्पनियों को वर्ष के दौरान नहीं किया है।
- XIX. कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं, जो दिनांक 31.03.2010 तक बकाया है। अतः सीएआरओ 2003 के खण्ड (XIX) के प्रावधान, जो कि प्रतिभूति निर्मित करने से संबंधित है, लागू नहीं हैं।
- XX. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में वर्णित अवधि तक कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई राशि एकत्रित नहीं की है।
- XXI. नकद प्रवाह विवरणी में, आवास वित्त को निवेश गतिविधि के स्थान पर ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। परिचालन से व्युत्पन्न नकदी के उद्देश्य से ऐसा किया गया।
- XXII. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों तथा अभिलेख के परीक्षण के आधार पर, चालू वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई भी प्रकरण सूचित नहीं किया गया है।

कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार

एस. विजयराघवन
(भागीदार)

सदस्यता सं. 34577

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई 2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण,
सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड,
9, अरेरा हिल्स, मदर टेरेसा रोड
भोपाल.

हमने मेसर्स सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड, भोपाल के दिनांक 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र एवं उक्त तिथि पर समाप्त हुये "लाभ एवं हानि खाते" का लेखा परीक्षण किया तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी के सदस्यों को संबोधित हमारी रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है, जो कि आवास वित्त कम्पनी (एन.एच.बी.) के 2001 के निर्देशों, अधिसूचना सं. एन.एच.बी./एच.एफ.सी./डी.आय.आर./1/सी.एम.डी./2001 के अनुसार हैं. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :-

- i. कम्पनी, एन.एच.बी. के साथ पंजीयन प्रमाणन सं.01.0004.02 दिनांक 31.07.2001 के अन्तर्गत पंजीकृत है.
- ii. कम्पनी द्वारा रखी गई समस्त प्रतिभूतियों के संदर्भ में तरलता आवश्यकताओं हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया है.
- iii. कम्पनी ने आरक्षित निधि के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 29सी के प्रावधानों का अनुपालन किया है.
- iv. कम्पनी ने आवास वित्त कम्पनीज (एन.एच.बी.) द्वारा जारी निर्देश 2001 सूचना सं.एन.एच.बी./एच.एफ.सी./डी.आय.आर./1/सी.एम.डी./2001 का अनुपालन किया है.
- v. एन.एच.बी. को प्रेषित विवरणों में दर्शाए गये पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही आधार पर सुनिश्चित किया गया है और यह अनुपात न्यूनतम पूंजी तथा जोखिम भारित आस्तियों के निर्धारित अनुपात के अनुसार है.
- vi. कम्पनी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार कर रही है, इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :-
 - ए. कम्पनी द्वारा स्वीकारी जा रही जमा राशियां निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हैं.
 - बी. कम्पनी की कुल उधारियां अर्थात् सार्वजनिक जमा राशि सहित समस्त जमा राशियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 451 की उपधारा (बीबी) के उप खण्ड (iii) एवं (iv) के अनुकूल हैं तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से लिया गया ऋण उक्त निर्देशों की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है.
 - सी. क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी "क्रिसिल" द्वारा कम्पनी की जमा राशियों के संदर्भ में "एफए-" "पॉजीटिव आउटलुक" की श्रेणी प्रदान की गई है तथा वर्ष के दौरान किसी भी समय देय कुल जमा राशि उक्त रेटिंग एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है.
 - डी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान जमाकर्ताओं को देय ब्याज एवं मूल राशि के भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है.
 - ई. कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चिपलुन में एक विस्तार पटल को अपग्रेड करते हुए, एक पूर्ण शाखा का रूप प्रदान किया.

कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार

एस. विजयराघवन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 34577

स्थान : भोपाल
दिनांक : 11 मई 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	दिनांक 31 मार्च, 2010 को		दिनांक 31 मार्च, 2009 को	
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	1	200000000		200000000	
आरक्षित निधियां एवं आधिक्य	2	<u>293143478</u>		<u>262056811</u>	
			493143478		462056811
ऋण निधियां					
जमानती ऋण	3	1695033362		1865672078	
गैर जमानती ऋण	4	<u>380364932</u>		<u>161594569</u>	
			2075398294		2027266647
आस्थगित कर देयता					
			<u>1746054</u>		<u>1792781</u>
			<u>2570287826</u>		<u>2491116239</u>
निधियों का अनुप्रयोग					
अचल आस्तियां					
सकल ब्लॉक	5	14830283		14709091	
घटायें : मूल्यह्रास		<u>10568706</u>		<u>10075882</u>	
शुद्ध ब्लॉक			4261577		4633209
निवेश	6		42798288		32738388
चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम					
घटायें : चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	2789175712		270108784	
	8	<u>265947751</u>		<u>216364142</u>	
			2523227961		2453744642
शुद्ध चालू आस्तियां			<u>2570287826</u>		<u>2491116239</u>
लेखों की टिप्पणियां	17				
लेखा नीतियां	18				

संलग्न अनुसूची 1 से 18, तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खाते के घटक हैं।

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

वी. के. जैन
निदेशक

नरेन्द्र सिंह
प्रबन्ध निदेशक

पी.वी.रविन्द्रन
निदेशक

सुरेन्द्र सिंघई
निदेशक

वी. के. बादामी
निदेशक

आई.पी.एस. ओबेराय
निदेशक

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार

एस. विजयराघवन
भागीदार

सदस्यता क्र.34577

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई, 2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु रुपये	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु रुपये
आय			
ब्याज आय	9	260634751	257484444
फीस व अन्य प्रभार	10	9189008	4742645
अन्य आय	11	4620479	3743477
		<u>274444238</u>	<u>265970566</u>
व्यय एवं प्रभार			
ब्याज एवं अन्य प्रभार	12	163816383	193634317
स्टाफ सम्बंधी व्यय	13	12262127	11135951
स्थापना सम्बंधी व्यय	14	5914864	5652196
लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	15	275543	284828
अन्य व्यय	16	5505960	4403597
बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण मूल्यहास		16299157	15468727
		654045	575697
		<u>204728079</u>	<u>231155313</u>
		69716159	34815253
कर पूर्व लाभ			
कर हेतु प्रावधान			
- वर्तमान कर		19100000	12425000
- आस्थगित कर		46727	11665
- अनुषंगी लाभ कर प्रदत्त		7339	77100
- प्रावधान वापसी (पूर्व वर्ष)		1508208	0
कर पश्चात् लाभ, किन्तु अनर्जक आस्तियों के प्रावधान से पूर्व		52163755	22301488
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान वापसी (शुद्ध)		3049005	9512946
मानक गैर आवास ऋणों हेतु प्रावधान		610000	0
पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		117093	231924
इस वर्ष का लाभ		54485667	31582510
जोड़ें : गत वर्ष का लाभ		97840811	73158301
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ		<u>152326478</u>	<u>104740811</u>
विनियोजन :			
- विशेष आरक्षित		13900000	6900000
- प्रस्तावित लाभांश 10% की दर से		20000000	0
- लाभांश पर कर 15% की दर से (10% सरचार्ज, 2% शिक्षा उपकर एवं 1% उच्च शिक्षा उपकर सहित)		3399000	0
तुलनपत्र में लाया गया शेष		115027478	97840811
		<u>152326478</u>	<u>104740811</u>
प्रति शेयर आय (रुपयों में) (शुद्ध लाभ/शेयरों की संख्या)		27.24	15.79
लेखों पर टिप्पणी	17		
लेखा नीतियां	18		

संलग्न अनुसूची 1 से 18, तुलनपत्र एवं लाभ एवं हानि खाते के घटक हैं।

रामनाथ प्रदीप
निदेशक
वी. के. जैन
निदेशक
नरेन्द्र सिंह
प्रबन्ध निदेशक

पी.वी.रविन्द्रन
निदेशक
सुरेन्द्र सिंघई
निदेशक

वी. के. बादामी
निदेशक
आई.पी.एस. ओबेराय
निदेशक
इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार
एस. विजयराघवन
भागीदार
सदस्यता क्र.34577

स्थान : भोपाल
दिनांक : 11 मई, 2010



संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2010 को (रुपये)	दिनांक 31 मार्च, 2009 को (रुपये)
अनुसूची - 1 शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
प्रत्येक रु.100/- के 25,00,000 इक्विटी शेयर्स	<u>250000000</u>	<u>250000000</u>
निर्गमित		
प्रत्येक रु.100/- के 20,00,000 इक्विटी शेयर्स	<u>200000000</u>	<u>200000000</u>
अभिदत्त		
प्रत्येक रु.100/- के 20,00,000 इक्विटी शेयर्स	<u>200000000</u>	<u>200000000</u>
प्रदत्त		
प्रत्येक रु.100/- के 20,00,000 इक्विटी शेयर्स	<u>200000000</u>	<u>200000000</u>
पूर्णतः प्रदत्त *	<u>200000000</u>	<u>200000000</u>
* इसमें धारक कम्पनी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रखे गये पूर्णतः पात्र प्रत्येक रुपये 100/- के 11,90,000 इक्विटी शेयर्स शामिल हैं.		

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियां एवं आधिक्य राशि

विशेष आरक्षित निधियां	168116000	154216000
(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के संदर्भ में)		
प्रारम्भिक शेष	154216000	147316000
जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	<u>13900000</u>	<u>6900000</u>
सामान्य आरक्षित निधि	10000000	10000000
लाभ एवं हानि खाता	<u>115027478</u>	<u>97840812</u>
	<u>293143478</u>	<u>262056812</u>

अनुसूची - 3 जमानती ऋण

राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त (कम्पनी के सभी बही ऋणों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समरूप प्रभार)	0	725244221
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मीयादी ऋण	1676531849	1015873409
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ओवरड्राफ्ट	18501513	124554447
नोट: (कंपनी के सभी बही ऋणों पर दोनों मीयादी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समरूप प्रभार द्वारा रक्षित हैं.)		
	<u>1695033362</u>	<u>1865672077</u>

अनुसूची - 4 अरक्षित ऋण

जमा राशियां		
1- सार्वजनिक जमा	177028038	96936701
2- संस्थागत जमा	<u>203336894</u>	<u>64657868</u>
	<u>380364932</u>	<u>161594569</u>

संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

अनुसूची - 5 अचल आस्तियां

	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	31 मार्च 2009 को (रुपये)	जोड़े (रुपये)	घटायें/ अंतरण (रुपये)	31 मार्च 2010 को (रुपये)	गत वर्ष तक (रुपये)	इस वर्ष तक (रुपये)	वापसी/ अंतरण (रुपये)	योग (रुपये)	31 मार्च 2010 को (रुपये)	31 मार्च 2009 को (रुपये)
फर्नीचर एवं जुड़नार	7702351	95863	166830	7631384	4789127	388789	137780	5040137	2591247	2913224
कार्यालय उपकरण	1853477	27790	25187	1856080	917336	77351	16348	978339	877741	936141
मोटर वाहन	421565	0	5330	416235	347217	38817	5330	380704	35531	74348
कम्प्यूटर	4731698	196650	1764	4926584	4022202	149088	1764	4169526	757058	709496
योग	14709091	320303	199111	14830283	10075882	654045	161222	10568706	4261577	4633209
गत वर्ष	14032642	677704	1255	14709091	9501440	575697	1255	10075882	4633209	4531202

विवरण

दि. 31 मार्च, 2010 को (रुपये)

दि. 31 मार्च, 2009 को (रुपये)

अनुसूची - 6 निवेश

अनुद्धत दीर्घावधि निवेश

अनुमोदित निवेश (लागत पर)

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 48710, 6.8% सरकारी प्रतिभूतियां (2012)

4948936

4948936

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 47100, 7.4% सरकारी प्रतिभूतियां (2012)

4979405

4979405

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 21810, 7.37% सरकारी प्रतिभूतियां (2014)

2461913

2461913

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 42390, 7.37% सरकारी प्रतिभूतियां (2014)

4946913

4946913

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 25100, 7.37% सरकारी प्रतिभूतियां (2014)

2927915

2927915

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 19400, 12.32% सरकारी प्रतिभूतियां (2011)

2473306

2473306

प्रत्येक @ रुपये 1000000/- के 10, 9.20% बॉण्ड सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (टियर II, सीरीज XII)

10000000

10000000

प्रत्येक @ रुपये 100/- के 10059, 8.54% सरकारी प्रतिभूतियां (2020)

10059900

0

समग्र योग

42798288

32738388



संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

विवरण	दि. 31 मार्च, 2010 को (रुपये)	दि. 31 मार्च, 2009 को (रुपये)
अनुसूची - 7 चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
विविध देनदार - छः माह से अधिक (अरक्षित तथापि अच्छे)	43940	25834
नकदी एवं बैंक शेष		
नकदी / चेक हस्ते	1534018	1250764
अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष		
ए. मीयादी जमा	10500000	10500000
बी. चालू खाते	31910387	40396139
सी. संग्रहण खाते	632734	308087
अन्य चालू आस्तियां		
(i) उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं	1727090	753655
(ii) ब्याज देय किन्तु प्राप्त नहीं	0	128516
उप योग	<u>46348169</u>	<u>53362995</u>
ऋण एवं अग्रिम		
ए. (आवास ऋण/टॉप-अप/बन्धक/संपत्ति के विरुद्ध ऋण)		
- अच्छे माने गये (मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित)	2625171818	2507162345
- अरक्षित किन्तु अच्छे	29754672	45626934
- संदिग्ध माने गए	28473322	3979477
बी. जमा के विरुद्ध ऋण (रक्षित, अच्छा माना गया)	462469	2903767
सी. वाहन ऋण (रक्षित)	27218	64476
डी. व्यक्तिगत ऋण (अरक्षित)	102311	112700
ई. प्राप्त होने वाली नकदी/वस्तु/अथवा मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम	4331547	3892773
एफ. आयकर भुगतान (प्रावधान घटाकर)	<u>54504186</u>	<u>53003317</u>
	<u>2742827543</u>	<u>2616745789</u>
उप योग	<u>2789175712</u>	<u>2670108784</u>

संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

विवरण	दि. 31 मार्च, 2010 को (रुपये)	दि. 31 मार्च, 2009 को (रुपये)
अनुसूची - 8 चालू देयतायें एवं प्रावधान		
चालू देयतायें		
बैंक ओवरड्राफ्ट (बही के अनुसार)	1328894	1185909
अन्य देयताएं	42055301	18521652
प्रावधान	43384195	19707561
- प्रस्तावित लाभांश, 10% की दर से	20000000	0
- लाभांश पर कर, 15% की दर से (10% सरचार्ज, 2% शिक्षा उपकर एवं 1% उच्च शिक्षा उपकर सहित)	3399000	0
- आयकर (भुगतान पश्चात)	5174932	451361
- अवकाश नकदीकरण	898676	675267
- प्रावधान (विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार)	192468448	195517453
- गैर आवासीय ऋण मानदंड हेतु प्रावधान	622500	12500
	<u>222563556</u>	<u>196656581</u>
	<u>265947751</u>	<u>216364142</u>
अनुसूची - 9 आवास ऋण पर ब्याज		
व्यक्तिगत ऋण	254315464	257199947
कॉर्पोरेट निकाय/व्यावसायिकों	6044778	0
सावधि जमा के सापेक्ष मांग ऋण पर ब्याज	262594	266048
वाहन ऋण पर ब्याज	2759	5719
व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज	9156	12730
	<u>260634751</u>	<u>257484444</u>
अनुसूची - 10 शुल्क एवं अन्य प्रभार		
प्रक्रिया शुल्क	2045328	939931
प्रशासन सम्बंधी शुल्क	2867382	1070969
ऋण आवेदन फॉर्मों की बिक्री	15400	6430
अन्य विविध प्रभार	3774272	2571909
परिवर्तन शुल्क	144780	39431
निरीक्षण शुल्क	341846	113975
	<u>9189008</u>	<u>4742645</u>



संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

विवरण	दि. 31 मार्च, 2010 को (रुपये)	दि. 31 मार्च, 2009 को (रुपये)
अनुसूची - 11 अन्य आय		
बैंक जमा राशियों पर ब्याज (स्रोत पर कर रु.1,02,457/- सहित)	1024559	244436
निवेश पर ब्याज (स्रोत पर कर रु.1,12,611/- सहित)	2548252	2496919
वसूली गई बीमा प्रीमियम राशि	373558	122900
आस्तियों की बिक्री से लाभ	350	0
बड़े खाते डाले गए खातों में वसूली	673760	879222
	<u>4620479</u>	<u>3743477</u>
अनुसूची - 12 ब्याज एवं अन्य प्रभार सावधि जमा		
1. गैर-संचयी	2749591	24567127
2. संचयी	<u>21817536</u>	<u>1149369</u>
राष्ट्रीय आवास बैंक -पुनर्वित्त पर ब्याज (व्यक्तिगत ऋण)	20402563	89657576
मियादी ऋण पर ब्याज	113422203	88162753
बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	5266464	5682192
बैंक प्रभार	158026	254190
	<u>163816383</u>	<u>193634317</u>
अनुसूची - 13 स्टाफ सम्बंधी व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	10623440	10020162
किराया	299254	330347
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	211411	142610
वाहन व्यय प्रतिपूर्ति (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया)	195969	55376
मनोरंजन व्यय	1553	0
ग्रेच्युटी व्यय	87577	4598
भविष्य निधि	535185	364544
अवकाश यात्रा सुविधा व्यय	261497	123020
कर्मचारी कल्याण व्यय	0	28487
समूह चिकित्सा बीमा	32162	40807
प्रशिक्षण व्यय	11000	26000
कॉलेज शुल्क	3079	0
	<u>12262127</u>	<u>11135951</u>

संलग्न अनुसूचियां 1 से 18, तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की घटक हैं

विवरण	दि. 31 मार्च, 2010 को (रूपये)	दि. 31 मार्च, 2009 को (रूपये)
अनुसूची - 14 स्थापना सम्बंधी व्यय		
कार्यालय किराया	1278655	1195896
बिजली प्रभार	477690	395982
कार्यालय रखरखाव व्यय	3419518	3314758
बीमा व्यय	739001	745560
	<u>5914864</u>	<u>5652196</u>
अनुसूची - 15 लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि		
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क	38605	38605
कर लेखा परीक्षण शुल्क	16545	16545
प्रमाणीकरण शुल्क	14339	20683
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	206054	208995
	<u>275543</u>	<u>284828</u>
अनुसूची - 16 अन्य व्यय		
यात्रा व्यय	854712	748263
परिवहन व्यय	131958	125092
मरम्मत एवं रखरखाव (भवन)	429000	438000
मरम्मत एवं रखरखाव (अन्य)	211193	294882
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	400287	364418
डाक व्यय/तार/दूरभाष	629788	675329
कार्यालय व्यय	594145	717685
पुस्तकें एवं पत्रिकायें	51821	43766
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	1408827	384942
बैठक व्यय	79887	78534
वाहन चालन व रखरखाव	128543	153101
विज्ञापन व प्रचार	552817	378975
सदस्यता एवं चंदा	0	610
अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि	20992	0
विविध व्यय	11990	0
	<u>5505960</u>	<u>4403597</u>



अनुसूची - 17 लेखों पर टिप्पणियां

- निम्नलिखित के द्वारा ऋण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रक्षित हैं :-
 - सम्पत्ति का साम्यिक बंधक और / अथवा
 - त्रिपक्षीय समझौता एवं / अथवा
 - सम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार और / अथवा
 - जीवन बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन और / अथवा
 - केन्द्र/राज्य सरकार की गारंटियां, कम्पनी:गारंटियां या व्यक्तिगत गारंटियां और / अथवा
 - नकारात्मक धारणाधिकार और / अथवा
 - प्रतिभूति निर्मित करने हेतु वचनपत्र
- “सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण” के तहत ऋण निम्न से प्रतिभूत हैं :
 - सम्पत्ति का साम्यिक बंधक
- कम्पनी द्वारा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के संबंध में उनकी भविष्य निधि से सम्बंधित अंशदान निर्धारित दर पर किया जाता है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की भविष्य निधि का भुगतान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया.
- प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त पारिश्रमिक :

वेतन और भत्ते -

नाम	2009-10	2008-09
श्री डी.पी. सिन्हा (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक)	रु. 84265/-	रु. 367418/-
श्री बी. वाधिराजन (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक)	-	रु. 73071/-
श्री पी. जॉय मैथ्यू (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक)	-	रु. 38869/-
श्री नरेन्द्र सिंह (वर्तमान प्रबन्ध निदेशक)	रु. 411358/-	-
कुल योग	रु. 495623/-	रु. 479358/-

कम्पनी द्वारा प्रबन्ध निदेशक को कार्यालयीन-कम-स्वयं के उपयोग के लिए कार प्रदान की गई है. यह कार सेन्ट्रल बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली 1979 के तहत उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए उनकी सेवा शर्तों के अनुसार प्रबन्ध निदेशक के वेतन से रु.150/- प्रति माह कटौती की जाती है. उपर्युक्त नियम के अनुसार प्रबन्ध निदेशक को उनकी पात्रतानुसार एक सुसज्जित आवास भी प्रदान किया गया है. इसके लिए उनके वेतन से प्रति माह रु .348.56 के हिसाब से कटौती की जाती है.

- अनुसूची-16 में किए गए उल्लेखानुसार, यात्रा व्यय की मद में रु. 8,54,712/- (पिछले वर्ष रु. 7,48,263/-) में, निदेशकों के यात्रा व्यय रु. 2,37,202/- (पिछले वर्ष रु. 99,142/-) शामिल है.
- विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय - निरंक.
- ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जो प्रति वर्ष रु. 24,00,000/- अथवा वर्ष के किसी भी भाग के लिए रु. 2,00,000/- प्रति माह से अधिक पारिश्रमिक पाते हैं, - निरंक.
- कम्पनी की ऋण आस्तियां रु. 2,68,33,99,812/- है (शुद्ध गैर वसूलीकृत ब्याज रु. 1,24,38,237/- है). राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान निम्नवत हैं :-

राशि रुपये में	दिनांक 31.03.2010 तक		दिनांक 31.03.2009 तक	
	बकाया रु.	प्रावधान रु.	बकाया रु.	प्रावधान रु.
ऋण :				
मानक आस्तियां	2368482541	0	2128573820	0
अवमानक आस्तियां	27095803	2709584	37430553	3743053
संदिग्ध आस्तियां	259348146	129285542	386784906	187794924
हानि आस्तियां	28473322	28473322	3979477	3979477
अस्थिर प्रावधान	0	32000000	0	0
कुल	2683399812	192468448	2556768756	195517454

अन्य प्रावधान :

मानक गैर आवास ऋण हेतु प्रावधान	151608941	610000	3080943	12500
--------------------------------	-----------	--------	---------	-------

9. आवास ऋणों एवं परियोजना ऋणों पर देय तथा प्राप्त ब्याज एवं किस्तों को, अनुसूची-7 में दर्शाये गये 'ऋण एवं अग्रिम' में शामिल किया गया है. सावधि जमा के विरुद्ध दिया गया ऋण भी इसी अनुसूची-7 में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.
10. बोर्ड के मत से, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश बताए गए मूल्य के हैं, अगर सामान्य कारोबार में वसूली होती है.
11. 129 खातों में दिनांक 31 मार्च, 2010 को सार्वजनिक जमा राशि रु.56,08,686/- अदावाकृत रही. वर्ष के दौरान, 9 खातों के अंतर्गत सात वर्ष से अधिक अवधि की अदावाकृत जमा राशियां, जिनमें ब्याज राशि भी शामिल है, की राशि रु. 52,001/- जमा है, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया गया.
12. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निम्नानुसार रु.1,62,99,157/- की राशि वसूल न किए जाने वाले अशोध्य ऋण के रूप में बड़ेखाते में डाली है. :
 ए. सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत, प्रतिभूतियों की बिक्री राशि को ऋण खातों में जमा करने के उपरांत बकाया राशि, तथा
 बी. कपटपूर्ण खाते, जिनमें वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य निरंक है तथा जिनमें वसूली की सम्भावना अत्यल्प है.
13. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं, पुनः समूहित या पुनः व्यवस्थित किये गये हैं.
14. सभी आंकड़े रुपये के निकटतम मूल्य तक पूर्णांकित किये गये हैं.
15. राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी को अपने दृष्टिबंधक पुस्तकीय ऋणों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त बकायों के बीच अन्तर को प्रकट करते हुये मासिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है. विपरीत शेष, यदि कोई हो, को उनके दिशानिर्देश के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वापिस किया जा रहा है. वर्तमान वर्ष के लिए ऐसा विपरीत शेष निरंक है, क्योंकि कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के बकाया पुनर्वित्त के पूर्ण शेष को चुकता कर दिया गया है.
16. कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी आपूर्तिकर्ता को कोई राशि देय नहीं है.
17. देनदारियां/लेनदारियां/ऋण एवं अग्रिम पुष्टिकरण के अधीन है.
18. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441(ए) के अंतर्गत, केन्द्र शासन के उपकर हेतु देय राशि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि दरों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है.
19. दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसार आकस्मिक देयताओं का विवरण :
 ए. आयकर विभाग ने एनपीए के प्रावधान हेतु संचयी राशि रु. 24,82,90,503/- के लिए कंपनी का दावा (बढ़ाकृत की गई राशि रु.2,57,55,157/- सहित) अनुमत नहीं किया है एवं एनपीए के प्रावधान के लिए रु.9,63,33,568/- की निम्नानुसार मांग की है :

निर्धारण वर्ष	आयकर विभाग द्वारा की गई मांग
2003-04	रु. 2,07,21,070/-
2004-05	रु. 1,38,62,519/-
2005-06	रु. 6,17,49,979/-
कुल	रु. 9,63,33,568/-

इससे असंतुष्ट होकर कम्पनी ने माननीय आयुक्त आयकर (अपील) के समक्ष अपील दायर की. तथापि, आयुक्त आयकर (अपील) द्वारा कंपनी के दावे के लिए इस निर्धारण वर्ष में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के 10% तक का आंशिक प्रावधान अनुमत किया गया है. आयुक्त आयकर (अपील) के आदेश के विरुद्ध आय कर विभाग ने आयकर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इन्दौर के समक्ष याचिका दायर की है, कंपनी ने भी सीआईटी के (अपील) द्वारा पूरी तरह अपील अनुमत न दिए जाने के विरुद्ध अपील दायर की है. अपीलों तथा प्रति-अपील के लम्बित निपटान हेतु आयकर विभाग के आदेश के आधार पर आयकर की मांग हेतु कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया. कम्पनी ने मांग के सापेक्ष भुगतान कर दिया.

बी. सीएमसी लिमिटेड ने रु.32,05,774/- का बिल प्रस्तुत किया है जो विवादित है. कंपनी ने विधिक नोटिस के माध्यम से मे. सीएमसी लि. को दी गई प्रोजेक्ट लागत रु.52,31,000/- को संपूर्ण राशि व रु.30,09,600/- की दंड राशि की मांग की है.

20. निवेश दीर्घावधि प्रकृति के हैं एवं इन्हें लागत मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है.
21. कम्पनी ने 'लेखांकन नीति' के अनुसार, एनपीए खातों के मामलों को छोड़कर, लेखा की "उपचय पद्धति" को अपनाया है, जहां सांविधिक अपेक्षा के अनुसार अनर्जक आस्ति खातों के लिए नकद प्राप्ति पद्धति अपनाई गई है. आवास वित्त कम्पनी (एन.एच.बी.) निर्देश 2001 के अनुसार एन.पी.ए. खातों पर देय ब्याज और पुस्तकीय लाभ को "गैर वसूलीकृत अप्राप्त ब्याज" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.



22. लेखांकन मानक एएस-15 (संशोधित) के अंतर्गत रिपोर्टिंग - सेवानिवृत्ति लाभ :
- ए. परिभाषित लाभ योजना के अनुसार, कम्पनी ने भविष्य निधि में अपने अंशदान के कार्य को निष्पादित किया. कम्पनी के पास अपने अंशदान के अतिरिक्त अन्य कोई देयता नहीं है. ऐसे अंशदान को खर्च के रूप में माना गया है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.
- बी. ग्रेच्युटी - ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान के अनुसार, कम्पनी ने पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की है. कम्पनी ने अपनी देयता के भुगतान को अदा करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ली है, जो कम्पनी के समस्त कर्मचारियों को संचित देय ग्रेच्युटी के लिए संरक्षित करती है. इस पॉलिसी में व्यय किया गया प्रीमियम लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य, लाभ, दायित्व, इत्यादि के संदर्भ में ए-एस 15 में प्रकटीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम से अपेक्षित जानकारी अप्राप्त होने के कारण, नहीं दिया गया है.
- सी. अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधान की गणना दिनांक 31.03.2010 तक "शेष साधिकार अवकाश" के आधार पर की गई है. वह वित्त पोषित नहीं है.
- डी. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ही किया जायेगा. पात्र सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभ जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण का प्रावधान प्रवर्तक बैंक द्वारा ही किया जायेगा.
23. खंडवार रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक (एएस-17) के अनुसार, अन्य कोई क्षेत्र रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, क्योंकि कम्पनी का मुख्य व्यवसाय वैयक्तिकों को मकान/फ्लेट की खरीदी/निर्माण/सुधार/नवीकरण इत्यादि के लिए व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराना है.
24. संबंधित पार्टियों से लेनदेन लेखा नियम 18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" जो "इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स" द्वारा जारी किया गया, के अनुसार है, जो निम्नवत है :

संबंधित पार्टी	संबंध	धारिता (होल्डिंग)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	प्रवर्तक बैंक	59.50%
राष्ट्रीय आवास बैंक	शेयरधारक	16.00%
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	शेयरधारक	16.00%
हुडको	शेयरधारक	8.50%
श्री डी.पी. सिन्हा	मुख्य प्रबन्धकीय अधिकारी	
श्री नरेन्द्र सिंह	मुख्य प्रबन्धकीय अधिकारी	

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	दिनांक 31.03.2009 को प्रारम्भ शेष	नामे	जमा	31.03.2010 की समाप्ति पर
इक्विटी शेयरपूंजी				
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	119000000	-	-	119000000
- राष्ट्रीय आवास बैंक	32000000	-	-	32000000
- हुडको	17000000	-	-	17000000
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट	32000000	-	-	32000000
मीयादी ऋण-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लिया गया / चुकता किया	1015873409	339813254	1000471694	1676531849
राष्ट्रीय आवास बैंक से लिया गया पुनर्वित्त / चुकता किया	725244221	725244221	0	0
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट				
- चालू खाता	124554447	1422677651	1316624717	18501513
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास जमा राशि	39210230	0	8628737	30581493
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास निवेश	10500000	0	0	10500000
	10000000	0	0	10000000

	दिनांक 31.03.2009 को प्रारम्भ शेष	नामे	जमा	31.03.2010 की समाप्ति पर
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से लिये गये मीयादी ऋण पर ब्याज		113422203		113422203
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से लिये गये ओवरड्राफ्ट पर ब्याज		5266464		5266464
राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त ब्याज		20402563		20402563
मीयादी जमा पर ब्याज			1024559	1024559
निवेश पर ब्याज			2548252	2548252
बैंक प्रभार		158026		158026
प्रदत्त किराया		251076		251076
मरम्मत एवं रख-रखाव		429000		429000
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिनियुक्त स्टाफ के लिए वेतन प्रतिपूर्ति/भुगतान		8291815		8291815
स्टाफ सम्बंधी व्यय		860264		860264
बिजली व्यय		329678		329678
लॉकर किराया		7721		7721
समाचार पत्र व्यय		21620		21620
श्री डी.पी. सिन्हा				
श्री नरेन्द्र सिंह				

बट्टे खाते डाली गई राशि - निरंक राशि पुनरांकन - निरंक
उपर्युक्त सभी लेन-देन सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए.

25. मूल एवं डाइल्युटेड प्रति शेयर आय का आकलन, कर पश्चात् लाभ और औसत शेयर संख्या के आधार पर किया गया है. एएस 20 के अनुसरण में प्रति शेयर आय (ईपीएस) प्राप्ति के संबंध में सूचना निम्नवत है :-

राशि रुपये में		31.03.2010 को	31.03.2009 को
(ए)	लाभ/(हानि) कर पश्चात् (रु.में)	54485667	31582510
(बी)	शेयर्स की संख्या (संख्या में)	2000000	2000000
(सी)	मूल प्रति शेयर आय (ए/बी) आय (रु.में)	27.24	15.79
(डी)	डाइल्युटेड प्रति शेयर आय (ए/बी) (रु.में)	27.24	15.79



26. रिपोर्टिंग लेखांकन मानक एस-22 के अन्तर्गत :-

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के मुख्य घटक समयान्तर के कारण निम्नानुसार हैं :-

दिनांक 01.04.2009 के अनुसार आस्थगित कर देयतायें		1792781
जोड़ें : वर्ष 2009-10 हेतु आस्थगित कर देयता मूल्यहास ग्रेच्युटी अवकाश नकदीकरण	85935 0 0	निरंक
कुल आस्थगित कर देयतायें (ए)	85935	
घटायें: वर्ष 2009-10 हेतु आस्थगित कर आस्ति मूल्यहास ग्रेच्युटी अवकाश नकदीकरण	0 0 223409	
कुल आस्थगित कर आस्तियां (बी)	223409	
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां (ए-बी=सी)	(137474)	
कर दर (डी)	33.99%	
आस्थगित कर आस्तियां / (सी-डी)(2009-10 हेतु)	(46727)	(46727)
दिनांक 31.03.2010 के अनुसार आस्थगित कर देयतायें		1746054

ए) एस-22 की अपेक्षाओं के अनुसरण में चालू वित्तीय वर्ष हेतु आस्थगित कर आस्तियां रु.46,727/- रखी गईं.

अनुसूची - 18 लेखांकन नीतियां

1. सामान्य पद्धति एवं लेखांकन पद्धति

कम्पनी के खाते, विद्यमान लाभकारी संस्था के लेखांकन सिद्धांतों पर लेखांकन की उपचय पद्धति का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन तैयार किये गये तथा विधि मंत्रालय न्याय एवं कम्पनी मामलों, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया से संबंधित नियमों दिशानिर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

कम्पनी की नीति के अनुसार "समान मासिक किस्त (ईएमआई) के प्रारम्भ होने की तारीख ऋण वितरित होने के माह के आगामी माह के पहले दिन में प्रारम्भ मानी जावेगी, तत्पश्चात् पहली ईएमआई किस्त की देय दिनांक उस माह के अन्तिम दिन तक रहेगी"। अतः कम्पनी ने, जिस माह की किस्त देय है उसके अन्तिम दिन को एनपीए की तारीख माना है तथा 90 दिन की गणना आगामी माह के प्रथम दिन से की जाती है, जिस माह से किस्त देय होती है।

2. आय निर्धारण

आवास ऋण पर ब्याज मूलधन एवं ब्याज सहित आवास ऋणों की वसूली समान मासिक किस्तों में की जाती है। वर्ष के प्रारम्भ की गणना बकाया शेष राशि पर की जाती है। सम्पूर्ण ऋण संवितरित होने पर ई.एम.आई. की शुरुआत होती है। ई.एम.आई. भुगतान के लम्बित होने पर पूर्व ई.एम.आई. ब्याज प्रत्येक माह में देय है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निष्पादित आस्तियों पर आय गणना उपचित आधार पर तथा अनर्जक आस्तियों पर वसूली आधार पर की जाती है। अनर्जक आस्तियों में प्राप्त जमा पहले ब्याज में समायोजित होता है तथा बाद में मूलधन में। कम्पनी ई.एम.आई./प्री.ई.एम.आई. का समय से भुगतान प्राप्त न होने पर 2 प्रतिशत प्रति माह दण्ड के रूप में ब्याज लेती है, जिसे प्राप्ति के आधार पर दर्शाया गया है।

3. ऋण पर प्रावधान

राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणों पर प्रावधान किया जाता है। उधारकर्ताओं को अग्रिम मूल्य/ब्याज के अतिदेय के आधार पर निष्पादित एवं अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों में आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों का वर्गीकरण किया गया है।

4. अचल आस्तियां

अचल आस्तियां लागत पर पूंजीगत की गई हैं। अचल आस्तियों को अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने तक उसकी अधिग्रहण लागत, किराया तथा व्यय किए गए अन्य प्रभार, अचल आस्ति कहलाते हैं।

5. मूल्यहास

मूल्यहास की गणना कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित सीधी रेखा पद्धति से की गई है। रु.5000/- से कम मूल्य वाली अचल आस्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यहास के अन्तर्गत लिया गया है।

6. शुल्क एवं अन्य प्रभार

कम्पनी अधिनियम के अनुसार, शुल्क एवं अन्य प्रभार अभिचिन्हित किए गए हैं।

7. निवेश

निवेश दीर्घावधि प्रकृति के हैं एवं इन्हें लागत मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

8. व्ययों की प्रतिपूर्ति

सेन्दल बैंक ऑफ इण्डिया को किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, लाभ एवं हानि खाते से संबंधित लेखा शीर्ष में शामिल किए गए हैं।

9. लेखन सामग्री आदि जैसी मदों को उपभोग्य मदें मानी गई हैं, अतः इन्हें लाभ एवं हानि खाते में डाला गया है।

10. सेवा निवृत्ति लाभ

कम्पनी नियमित रूप से भविष्य निधि में अंशदान करती है। ग्रेच्युटी राशि का निर्धारण वास्तविक आधार पर करते हुए, इसका निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह परिपक्वता योजना में किया गया है।

11. आय पर कर

वर्तमान कर का निर्धारण इस अवधि में देय कर योग्य आय के परिप्रेक्ष्य में देयकर राशि के रूप में किया गया है। आस्थगित कर की पहचान, आय पर कर हेतु लेखांकन, लेखांकन मानक (एएस-22) के प्रावधान के अनुसार की गई है।



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह का विवरण

	31 मार्च 2010 रुपये	31 मार्च 2009 रुपये
ए. परिचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर एवं असाधारण मदों के पूर्व शुद्ध लाभ	72155164	44328199
समायोजन :		
- मूल्यह्रास	654045	574442
- पूर्व वर्ष आय/(व्यय)	(117093)	(231924)
- दीर्घावधि निवेश पर ब्याज	(2548252)	(2496919)
- एनपीए निरसन एवं अन्य पर प्रावधान	(2439005)	(9512946)
- बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	16299157	15468727
- अचल आस्तियों के विक्रय पर लाभ	(350)	0
- अचल आस्तियों के विक्रय पर हानि	31749	0
परिवर्तित कार्यशील पूंजी से पूर्व परिचालित लाभ	84035415	48129579
चालू आस्तियां	(2772668)	(215879)
ऋण एवं अग्रिम	(140471268)	163162771
चालू देयतायें	28623614	(7121659)
परिचालनों से प्राप्त नकद	(30584907)	203954812
देय/प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	17599131	12502100
परिचालन से प्राप्त शुद्ध नकद (ए)	(48184038)	191452712
बी. निवेशपूर्ण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों का क्रय	(320303)	(677704)
अचल आस्तियों का विक्रय	6490	1255
निवेश	(10059900)	0
निवेशों पर ब्याज	2548252	2496919
निवेशपूर्ण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद (बी)	(7825461)	1820470
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
दीर्घावधि उधार राशियां (कुल देय)	48131648	(184661345)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी)	48131648	(184661345)
शुद्ध (कमी)/वृद्धि नकदी एवं नकद तुल्य (ए/बी/सी/डी)	(7877851)	8611837
नकदी एवं नकद तुल्य प्रारंभिक शेष (ई)	52454990	43843153
नकदी एवं नकद तुल्य अंतिम शेष (एफ)	44577139	52454990

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

वी. के. जैन
निदेशक

नरेन्द्र सिंह
प्रबन्ध निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
निदेशक

सुरेन्द्र सिंघई
निदेशक

वी. के. बादामी
निदेशक

आई.पी.एस. ओबेराय
निदेशक

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते परिहार एवं सोनपार
सनदी लेखाकार

एस. विजयराघवन
भागीदार

सदस्यता क्र.34577

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई, 2010

**वर्ष समाप्ति दिनांक 31.03.2010 हेतु, कम्पनी अधिनियम,
1956 के अनुसूची VI के भाग IV की तहत वांछित जानकारी**

तुलन पत्र सार एवं कम्पनी की सामान्य व्यावसायिक प्रोफाइल

1.	पंजीयन विवरण :			
	पंजीयन नम्बर	6427	प्रदेश कोड	10
	तुलन पत्र की तारीख	31.03.2010		
2.	वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी (राशि हजार में)			
	पब्लिक इश्यू	निरंक	राईट इश्यू	निरंक
	बोनस इश्यू	निरंक	व्यक्तिगत स्थापन	निरंक
3.	निधि संग्रहण की स्थिति (राशि हजार में)			
	कुल देयतायें	2836236	कुल आस्तियां	2836236
	निधियों के स्रोत			
	प्रदत्त पूंजी	200000	आरक्षित एवं अधिशेष	293143
	जमानती ऋण	1695033	गैर जमानती ऋण	380365
	निधियों का अनुप्रयोग			
	शुद्ध अचल आस्तियां	4262	निवेश	42798
	नकदी वसूली योग्य अग्रिम (आवास ऋण)	2683400	अन्य चालू आस्तियां	105776
	चालू देयतायें	265948	संचित हानियां एवं अन्य खर्चे	निरंक
	आस्थगित कराधान	1746		
4.	कम्पनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार में)			
	कुल कारोबार	260360	कुल खर्च	204728
	कर पूर्व लाभ	72648	कर तथा समायोजन पश्चात् लाभ	54486
	प्रति शेयर आय (रुपये में)	27.24	लाभांश	23399

रामनाथ प्रदीप

निदेशक

वी. के. जैन

निदेशक

नरेन्द्र सिंह

प्रबन्ध निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन

निदेशक

सुरेन्द्र सिंघई

निदेशक

वी. के. बादामी

निदेशक

आई.पी.एस. ओबेराय

निदेशक

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते परिहार एवं सोनपार

सनदी लेखाकार


एस. विजयराघवन

भागीदार

सदस्यता क्र.34577

स्थान : भोपाल

दिनांक : 11 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को
समाप्त वर्ष के लिए
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण
स्वामित्व वाली अनुषंगी) के
खातों का विवरण

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यगण.

निदेशक मंडल को दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की लेखा परीक्षित विवरणियों के साथ बयासवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है.

1. वित्तीय परिणाम

(राशि रु. में)

	2009-10	2008-09
कुल आय	7,97,70,139	58,02,782
कर पूर्व लाभ	6,57,84,891	31,07,409
आय कर के लिए प्रावधान	2,25,00,000	9,41,000
कर पश्चात शुद्ध लाभ	4,32,85,117	21,66,582
आगे ले जाया गया लाभ एवं हानि खाता शेष	6,53,53,921	2,21,68,707

- 1.1 कम्पनी ने गत वर्ष के रु. 21.67 लाख के शुद्ध लाभ के समक्ष दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान रु.432.85 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया.
- 1.2 कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, निदेशकों ने कोई भी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है. कम्पनी ने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की है.

2 वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन

दिनांक 03 अगस्त, 2009 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के अनुसार, कम्पनी ने अपना नाम सेन्टबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड से बदलकर दिनांक 14 सितंबर, 2009 से सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा है.

दिनांक 24 जून, 2009 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित संकल्प के अनुसार, अधिकृत शेयर पूंजी रु.20 लाख से बढ़ाकर रु.10 करोड़ की गई है. अंशतः प्रदत्त शेयरों का पूर्णतः भुगतान किया गया है और नये 48000 शेयर्स सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आबंटित किए गए हैं. प्रदत्त पूंजी रु.5 करोड़ तक बढ़ाई गई है.

दिनांक 24 जून, 2009 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के अनुसार, कम्पनी ने अपने मूल उद्देश्य में परिवर्तन किया है और उसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार नई व्यवसाय गतिविधियां आरंभ की हैं:

1. कम्पनी ने सेबी से डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है.
2. कम्पनी म्युच्युअल फंड सलाहकार बनी है और एएमएफआई के साथ विधिवत पंजीकरण किया गया है.
3. कम्पनी ने मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण हेतु सेबी से आवेदन किया है.

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी में ट्रस्ट एवं वसीयत खातों की संख्या 1989 से बढ़कर 2001 हो गई एवं दिनांक 31 मार्च, 2010 को 14 खाते निष्पादन प्रक्रिया में थे.

3 निदेशकगण

- 3.1 समीक्षा वर्ष के दौरान, दिनांक 12 मई, 2009 से श्री के.सुब्बरामन के स्थान पर श्री अरुण कौल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. निदेशकों ने श्री के सुब्बरामन द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं को रेखांकित किया.
- 1.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 सहपठित कम्पनी अंतर्नियम अनुच्छेद 155 के अनुसार, निदेशक श्री अरुण कौल और श्री के.ए. सोमायाजुलु रोटेशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा.



4. कर्मचारीगण

- 4.1 जहां तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए), सहपठित कम्पनी नियम 1975 (कर्मचारीगणों के विवरण) के तहत कर्मचारियों का विवरण अपेक्षित है, निदेशकों का कथन है कि कम्पनी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (जो भारत सरकार का एक उपक्रम है) की पूर्णतः स्वामित्ववाली अनुषंगी है. कम्पनी के पास अपना कोई स्टाफ नहीं हैं, अपितु सभी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर हैं. अतः इस रिपोर्ट में धारा 217(2ए) के तहत विवरण नहीं दिए गए हैं.
- 4.2 निदेशकों ने सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सराहना की.

5. निदेशकों के उत्तरदायित्व के सम्बंध में कथन

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों का कथन है कि:

- (ए) वार्षिक लेखों को बनाते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें समनुरूपतः लागू किया है तथा औचित्यपूर्ण विवेक सम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाए हैं, जो सन्तुलित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के व्यवसाय की स्थिति एवं समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- (सी) निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख-रखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; तथा
- (डी) निदेशकों ने वार्षिक खाते लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए हैं.

6. उर्जा संरक्षण, तकनीकी समामेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

चूंकि, कम्पनी विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के तहत विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. कम्पनी ने विदेशी मुद्रा में लेन-देन नहीं किया है.

7. लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी सहपठित 619 के तहत, कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई है. तदनुसार, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखाकार, द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स डी.एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी को कम्पनी का सनदी लेखाकार नियुक्त किया गया है.

निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 3 मई, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यगण,

(पूर्व में : सेन्टबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड)

मुंबई.

- हमने सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में सेन्टबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड) का दिनांक 31 मार्च, 2010 का संलग्न तुलनपत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम अपने लेखापरीक्षण की योजना एवं निष्पादन से यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरणियां महत्वपूर्ण गलतियों से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण से सम्बंधित साक्ष्यों की जांच परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है।
- हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से आवश्यक थे।
- हमारे मत में, कम्पनी ने अपनी लेखा पुस्तकें विधिक रूप से रखी हैं, इसका प्रमाण हमारी लेखापरीक्षा में स्पष्ट है।
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं।
- हमारे मत में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3-सी) के अनुसार आवश्यक लेखा स्तर, जो कम्पनी के लिए आवश्यक है, का अनुपालन किया गया है।
- दिनांक 31 मार्च, 2010 को निदेशकों से प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर रिकॉर्ड में वर्णित कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2010 तक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं हैं।
- हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखों में कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचनायें दी गई हैं तथा ये भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित तथ्य दर्शाते हैं।
 - यह तुलनपत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी के क्रियाकलापों से सम्बंधित है,
 - लाभ एवं हानि खाते के मामले में यह उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ से सम्बंधित है, तथा
 - नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह से सम्बंधित है।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 की यथा अपेक्षित शर्तों के तहत हम कथित आदेश के पैरा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के विवरण संलग्न अनुलग्नक में दे रहे हैं।
- कम्पनी द्वारा सालाना देय स्थापना एवं अन्य प्रभारों के लिए रुपये 1,35,10,920/- की प्रतिपूर्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेखों पर टिप्पणियां की अनुसूची 'जे' में बताए अनुसार की गई है। यह दिनांक 30 जनवरी, 2010 को आयोजित बोर्ड बैठक में पारित संकल्प के अनुसार है, जो कि कम्पनी द्वारा अपनी मुख्य कम्पनी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ पारस्परिक करार में दर्शाई गई वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित कार्य-प्रणाली पर आधारित है।

कृते डी.एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी.जे.मंकड
(भागीदार)

सदस्यता संख्या 36010

स्थान : मुंबई

दिनांक : 03 मई, 2010



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड) के लेखे पर लेखापरीक्षकों की उसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में यथा संदर्भित अनुलग्नक.

- i. (ए) कम्पनी ने अपनी अचल आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं.
(बी) वर्ष-समाप्ति के दौरान प्रबंधतंत्र द्वारा सभी अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जो कि हमारे मत में कम्पनी के आकार तथा आस्तियों की प्रकृति के सम्बंध में युक्तिसंगत है. ऐसे सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई.
(सी) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अचल आस्तियों के किसी भी भाग का निपटान नहीं किया है.
- ii. कम्पनी विनिर्माण संस्था नहीं है, अतः स्टॉक मूल्यांकन एवं सत्यापन से सम्बंधित कथित आदेश के खण्ड (ii) (ए), (ii) (बी), (ii) (सी) के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते हैं.
- iii. कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों तथा अन्य पार्टियों से जमानती / गैर जमानती ऋण नहीं लिया अथवा दिया है. अतः उक्त आदेश के खण्ड (iii) (ए), (iii) (बी), (iii) (सी), (iii) (डी), (iii) (ई), (iii) (एफ), (iii) (जी) के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते हैं.
- iv. हमारे मत में एवं हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के आकार एवं निवेश गतिविधियों तथा न्यासी कार्यकलापों से सम्बंधित उसकी व्यावसायिक प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं. तथापि, कम्पनी को चाहिए कि वह न्यास की ओर से अथवा धारित संपत्ति की न्यासीय क्षमता के तहत भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों को अद्यतन करने हेतु आंतरिक प्रणाली में और अधिक सुधार करें.
- v. (ए) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा मत है कि जिन लेन-देनों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रविष्टि किया गया है.
(बी) हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में अनुबंध और व्यवस्थाओं के अनुरूप किए गए सौदे प्रविष्ट किए गए हैं और वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के सम्बंध में रु. पांच लाख से अधिक मूल्य के सौदे अन्य पार्टियों को दी गई ऐसी एवं समान सेवाओं के लिए विद्यमान बाजार दरों के अनुसार उचित मूल्य पर किए गए हैं.
- vi. हमारे मत में तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों एवं जानकारी के अनुसार, कम्पनी ने जनता से जमाएं स्वीकार नहीं की हैं, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए एवं 58एए के प्रावधान तथा कम्पनी (जमाएं स्वीकारने) नियम 1975, इस कम्पनी पर लागू नहीं हैं.
- vii. हमारे मत में, व्यवसाय की प्रकृति तथा आकार के अनुरूप कम्पनी की अपनी एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है.
- viii. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के तहत निर्धारित लागत अभिलेख रखा जाना, कम्पनी पर लागू नहीं हैं.
- ix. (ए) कम्पनी का संपूर्ण स्टाफ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर है. अतः भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा से सम्बंधित सीएआरओ 2003 के पैराग्राफ 4(ix) (ए) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं. दिनांक 31 मार्च, 2010 को देय होने की तारीख से छह माह से अधिक के लिए आय कर, धन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अथवा अन्य कोई सांविधिक देयताओं के लिए भुगतान की जाने वाली राशि भुगतान हेतु बकाया नहीं थी.
(बी) हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क एवं उपकर का कोई बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं.
- x. हमारे मत में, चूंकि कम्पनी लाभार्जन कर रही है, अतः संचित हानियों के सम्बंध में खण्ड (x) कम्पनी पर लागू नहीं है. हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान तथा तत्काल पिछले वर्ष में कम्पनी को किसी प्रकार की नकद हानि नहीं हुई है.
- xi. हमारे मत में तथा हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है और इस प्रकार से वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों के देयों की चुकौती में किसी प्रकार की धोखा-धड़ी नहीं की गई है.

- xii. कम्पनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के आधार पर ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं.
- xiii. हमारे मत में, कम्पनी चिट फंड अथवा निधि म्यूच्युअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है. अतः कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खण्ड 4(xiii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है.
- xiv. हमारे मत में, कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों एवं अन्य निवेशों में लेन-देन अथवा व्यवसाय नहीं कर रही है. कम्पनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए रखे गए शेयरों, प्रतिभूतियों एवं अन्य निवेशों का उचित रिकॉर्ड रखा है एवं वे कम्पनी के नाम से हैं.
- xv. हमारे मत में, कम्पनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी नहीं दी है.
- xvi. हमारे मत में, कम्पनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है.
- xvii. हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अल्प अथवा दीर्घावधि के आधार पर निवेश के लिए कोई निधि एकत्र नहीं की है.
- xviii. हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में कवर किए गए कम्पनी एवं पार्टियों को अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए हैं.
- xix. हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कवर की गई अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं.
- xx. हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समयावधि के दौरान कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है.
- xxi. हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर अथवा कम्पनी के द्वारा कपट का कोई मामला देखा अथवा रिपोर्ट नहीं किया गया है.

कृते डी.एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी.जे.मंकड
(भागीदार)

सदस्यता संख्या 36010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 03 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलनपत्र

	अनुसूची	31 मार्च, 2010	(000 छोड़कर) 31 मार्च, 2009
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी	ए	50,000,000	1,000,000
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	बी	70,893,229	27,708,015
आस्थगित कर देयता		4,289	4,515
कुल नियोजित निधि	रु.	120,897,518	28,712,530
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल आस्तियां			
सकल खण्ड	सी	1,518,049	1,518,049
घटाएं : मूल्यहास		1,503,716	1,501,519
निवल खण्ड		14,333	16,530
निवेश	डी	3,000	550,000
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	ई	256,562,311	151,988,525
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान	एफ	136,420,126	123,842,525
निवल चालू आस्तियां		120,142,185	28,146,000
विविध व्यय (बड़े खाते डाले गए अथवा समायोजित राशि की सीमा से अलग) प्रारंभिक खर्चे	जी	738,000	
कुल प्रयुक्त निधि	रु.	120,897,518	28,712,530
महत्वपूर्ण लेखनीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	के		

उल्लिखित अनुसूचियां लेखों का अनिवार्य भाग हैं.

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी. जे. मंकड
भागीदार
सदस्यता संख्या 036010

मुंबई
03 मई, 2010

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
के बोर्ड की ओर से

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अरुण कौल
निदेशक

पी. वी. रविन्द्रन
निदेशक

एस. पी. ढल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुंबई
03 मई, 2010

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

के. ए. सोमयाजुलु
निदेशक

एच. वी. कामदार
कंपनी सचिव

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

	अनुसूची	2009-10 को समाप्त वर्ष	2008-09 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन आय	एच	76,381,998	3,323,332
निवेश आय	आई	3,388,141	2,479,450
अन्य आय		-	-
	योग	79,770,139	5,802,782
व्यय			
परिचालन तथा अ य व्यय	जे	13,983,051	2,693,177
मूल्यहास		2,197	2,197
	योग	13,985,248	2,695,374
कर पूर्व लाभ			
		65,784,891	3,107,409
कराधान के लिए प्रावधान		22,500,000	941,000
आस्थगित कर देयता		(226)	(606)
अनुषंगी लाभ कर		0	433
कर पश्चात लाभ			
		43,285,117	2,166,582
जोड़ें :			
आगे लाया गया शेष		22,168,707	19,980,876
I. गत वर्ष के लिए कर		(99,903)	21,249
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष		65,353,921	22,168,707
बेसिक ईपीएस		866	1,083
महत्वपूर्ण लेखनीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	के		

उल्लिखित अनुसूचियां लेखों का अनिवार्य भाग हैं.

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी. जे. मंकड
भागीदार
सदस्यता संख्या 036010

मुंबई
03 मई, 2010

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
के बोर्ड की ओर से

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अरुण कौल
निदेशक

पी. वी. रविन्द्रन
निदेशक

एस. पी. ढल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुंबई
03 मई, 2010

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

के. ए. सोमयाजुलु
निदेशक

एच. वी. कामदार
कंपनी सचिव



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र की संघटक अनुसूचियां

(000 छोडकर)

	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
अनुसूची : ए		
शेयर पूंजी		
अधिकृत		
1,00,000 (2,000) इक्विटी शेयर - प्रत्येक रु. 1,000/-	100,000,000	2,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
50,000 (2,000) इक्विटी शेयर - प्रत्येक रु. 1,000/-		
पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष रु.500/- प्रदत्त)		
(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके नामितियों द्वारा धारित)	50,000,000	1,000,000
	योग रु.	
	<u>50,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
अनुसूची : बी		
आरक्षित निधि तथा अधिशेष		
सामान्य आरक्षित निधि	5,539,308	5,539,308
लाभ एवं हानि खाता	65,353,921	22,168,707
	<u>70,893,229</u>	<u>27,708,015</u>

अनुसूची : सी
अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	31.03.2009 को	परिवर्द्धन	कटौतियां	31.03.2010 को	31.03.2009 तक	वर्ष के लिए	कटौतियां	31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 को
इलेक्ट्रॉनिक डाटा										
प्रोसेसिंग सिस्टम	1,471,791	-	-	1,471,791	1,471,790	-	-	1,471,790	1	1
कार्यालय उपस्कर	46,258	-	-	46,258	29,729	2,197	-	31,926	14,332	16,529
कुल योग	1,518,049	-	-	1,518,049	1,501,519	2,197	-	1,503,716	14,333	16,530
गत वर्ष	1,518,049	-	-	1,518,049	1,499,322	2,197	-	1,501,519	16,530	18,727

अनुसूची : डी

निवेश

(दीर्घावधि निवेश - उद्धृत) (बीएसई)

1) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 300 (गत वर्ष 300) पूर्णतः प्रदत्त शेयर - प्रत्येक रु. 10/- (बाजार मूल्य रु.579,750) (गत वर्ष रु.292,020)

2) निरंक (गत वर्ष 5470) 6.60% कर मुक्त (एआरएस) बॉण्ड्स - प्रत्येक रु. 100/- (गत वर्ष प्रत्येक बाजार मूल्य रु.101.10)

योग

रु.

3,000

3,000

547,000

3,000

550,000

दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
अनुसूची : ई		
1) चालू आस्तियां		
i) निवेशों पर उपचित ब्याज		
1. बैंक एफडीआर	505,574	511,678
2. डिबेंचर ट्रस्ट खाते के लिए पारिश्रमिक पर उपचित कमिशन	274,406	274,406
3. एआरएस बॉण्ड्स पर 6.60% की दर से उपचित ब्याज		18,051
	(ए)	804,135
ii) अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
1. ट्रस्ट चालू खाता 1787420987	36,313,818	41,043,009
डिबेंचर ट्रस्ट चालू खाता 1787421006	4,976,200	4,976,200
डिबेंचर ट्रस्ट चालू खाता 1787419858	65,156,206	65,296,593
डिबेंचर ट्रस्ट चालू खाता 1787419961	7,361,975	11,498,000
2. i) मियादी जमा खाता में	103,950,000	26,250,000
ii) चालू खाता 1787426399 में	1,724,420	1,028,461
	(बी)	150,092,263
योग	(ए+बी)	150,896,398
2) ऋण एवं अग्रिम		
(नकद अथवा वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम :)		
पूर्वदत्त व्यय - सेबी से सम्बंधित	888,889	22,090
एम.एफ. प्राप्यों पर ब्रोकरेज	14,776,239	
प्राप्य अग्रिम पारिश्रमिक प्रभार	101,753	
प्राप्य सेन्वेट क्रेडिट सर्विस कर	1,854	6,644
	(सी)	28,734
वसूली योग्य खर्च (तुंगभद्र इंडस्टीज)	61,442	183,833
अग्रिम आय कर	20,469,535	879,560
	(डी)	1,063,393
कुल	(सी + डी)	1,092,127
योग रु.	(ए+बी+सी+डी)	151,988,525



दिनांक 31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
अनुसूची : एफ		
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
I) चालू देयताएं		
1. ट्रस्ट खाते में शेष	26,402,140	32,155,780
2. डिबेंचर ट्रस्ट खाता संख्या 1787419858 में रखा गया शेष	65,156,206	65,296,593
3. डिबेंचर ट्रस्ट खाता संख्या 1787421006 में रखा गया शेष	4,976,200	4,976,200
4. डिबेंचर ट्रस्ट खाता संख्या 1787419961 में रखा गया शेष	7,361,975	11,498,000
5. अन्य देयताएं एवं प्रावधान (बकाया व्यय)	94,794	71,144
6. विविध देयताएं		
(गैर-दावाकृत/पहचान की गई)		
ए) गैर दावाकृत लाभांश/ब्याज	7,955,782	7,104,879
बी) प्रतिभूतियों के शोधन अथवा बिक्री पर अज्ञात /गैर दावाकृत आय	1,588,138	1,588,138
सी) गतावधि चेक (6 माह से पुराने)	367,758	194,212
II) देय सेवा कर	17,133	16,579
III) कराधान हेतु प्रावधान	22,500,000	941,000
कुल रु.	136,420,126	123,842,525
अनुसूची : जी		
प्रारंभिक व्यय		
i) मुद्रांक शुल्क	244,000	-
ii) पंजीकरण शुल्क	576,000	-
योग	820,000	-
घटाएं : वर्ष के दौरान बड़े खाते डाली गई राशि	82,000	-
योग	738,000	-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	वर्ष 2009-10 को समाप्त वर्ष रु.	वर्ष 2008-09 को समाप्त वर्ष रु.
अनुसूची : एच		
परिचालन आय		
कमिशन एवं फीस	145,000	342,690
वसूली प्रभार	3,047,146	2,980,642
डिबेंचरधारकों/प्रतिभूति ट्रस्टी हेतु ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए पारिश्रमिक	491,957	-
म्युच्युअल फंड पर ब्रोकरेज	72,697,895	-
योग रु.	76,381,998	3,323,332
अनुसूची - आई		
निवेश आय		
अर्जित/उपचित ब्याज (यूटीआई के बॉण्ड से प्राप्त आय सहित) (टीडीएस रु.373,927/-; गत वर्ष रु.381,803/-)	3,385,141	2,476,901
लाभांश आय	3,000	2,550
योग रु.	3,388,141	2,479,451
अनुसूची : जे		
परिचालन एवं अन्य खर्चे		
स्थापना व्यय :		
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	6,695,770	2,500,000
विद्युत, टेलीफोन, रखरखाव आदि	1,406,040	-
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	47,492	47,862
विज्ञापन	29,746	13,686
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :		
लेखा परीक्षा शुल्क	30,000	30,000
टैक्स लेखा परीक्षा फीस	5,000	5,000
अन्य खर्चे	54,715	40,502
सेबी रजिस्ट्रेशन फीस (डिबें.ट्रस्टी)	111,111	-
सेबी आवेदन फीस (डिबें.ट्रस्टी)	25,000	-
वाहन व्यय	1,750	3,127
समायोजित सेवा कर	(1,183)	-
1/10th प्रारंभिक व्यय	82,000	-
किराया (सेवा कर सहित)	5,379,110	-
सेबी आवेदन फीस एम.बी.डी.	25,000	-
रखरखाव प्रभार	13,500	18,000
व्यावसायिक प्रभार	78,000	35,000
योग रु.	13,983,051	2,693,177



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की संघटक अनुसूचियां

अनुसूची : के

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियां.

(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. सामान्य :

कम्पनी के लेखे सिर्फ वाद दायर एवं बीआईएफआर कम्पनियों के डिबेंचर ट्रस्टी व्यवसाय पर कमिशन को छोड़कर, परम्परागत लागत अवधारणा के अंतर्गत, लेखों की उपचय विधि (एक्रुअल मेथड) का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं. साथ ही, डिबेंचर ट्रस्टीशिप के लिए एचडीएफसी लिमिटेड का पारिश्रमिक, नकद आधार पर लेखागत किया गया है.

2. निवेश :

कम्पनी के पास केवल दीर्घावधि प्रकृति के निवेश हैं तथा वे लागत पर दर्शाए गये हैं. निवेशों के विक्रय पर लाभ एवं हानि को निवेशों की लागत के संदर्भ के साथ परिकलित किया गया है. .

3. अचल आस्तियां :

अचल आस्तियां मूल्यहास को घटाते हुए लागत पर दर्शाई गई हैं.

4. मूल्यहास :

i) सीधी कटौती प्रणाली (स्ट्रेट लाइन मेथड) तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट पद्धति एवं दरों के अनुसार, अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

ii) वर्ष के दौरान, परिवर्धित/निपटान की गई आस्तियों पर परिवर्धन/निपटान की तारीख के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

5. आकस्मिक देयताएं :

प्रावधान न की गई आकस्मिक देयताएं निरंक (शून्य) हैं.

6. प्रारंभिक व्यय:

अधिकृत पूंजी में वृद्धि को दस वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डालने के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर जारी करने पर प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी तथा डिबेंचर ट्रस्टी लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि हेतु प्राप्त करने के लिए सेबी को प्रदत्त पंजीकरण शुल्क से सम्बंधित प्रारंभिक व्यय.

(बी) लेखों पर टिप्पणियां :

1. कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कम्पनी का संपूर्ण स्टाफ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर हैं. तदनुसार, परस्पर समझौते के अनुसार, कम्पनी ने दिनांक 31 जनवरी, 2010 के बोर्ड-प्रस्ताव के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निम्न खर्चों की प्रतिपूर्ति की है :

प्रकृति	वर्ष 2009-10 हेतु राशि	वर्ष 2008-2009 हेतु राशि
1. स्थापना खर्चे	81,01,810	25,00,000
2. स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग प्रभार	30,000	30,000
3. किराया (सेवा कर सहित)	53,79,110	निरंक
कुल रु.	1,35,10,920	25,30,000

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रु.33,901/- (पिछले वर्ष रु.39,953/-) की सुरक्षित अभिरक्षा शुल्क (सेवा कर सहित) का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली प्रत्येक न्यास खाते से की गई.

2. वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अन्य आय रु.1510/- रही.

3. विविध नाम/जमा शेष राशि तथा ट्रस्ट खाते, पुष्टि के अधीन हैं.

4. कम्पनी अपने ग्राहकों की ओर से न्यासी हिताधिकारी सम्बंध के आधार पर एक विश्वस्त की हैसियत से शेयर, प्रतिभूतियों तथा अचल सम्पत्तियों के रूप में निवेश करती हैं, जो निदेशक मंडल की राय में पर्याप्त रूप से सुरक्षित एवं उचित रूप से रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे सम्बंधों के फलस्वरूप आने वाले सभी कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है.

5. वर्ष के अंत में मूलधन और/अथवा ब्याज की वजह से लघु उद्योगों और/अथवा अनुषंगी औद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं को कोई राशि बकाया अथवा अदत्त नहीं है. यह प्रकटीकरण 'लघु उद्योग तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993' में परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के सम्बंध में कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर है.

6. (ए) वर्ष के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग (III) के पैरा 3, 4 सी एवं 4 डी के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सूचना कम्पनी पर लागू नहीं होती है. अनुसूची (VI) का भाग (IV) इसके साथ संलग्न है.

(बी) लेखांकन मानक 18 : सम्बंधित पक्ष प्रकटीकरण

यह कम्पनी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी कम्पनी है. वर्ष के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ किए गए लेनदेन निम्नानुसार हैं : (राशि रु. में)

	2009-10	2008-09
i) खर्चे :		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को की गई प्रतिपूर्ति		
- स्थापना खर्चे	81,01,810	25,00,000
- स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	30,000	30,000
- किराया (सेवा कर सहित)	53,79,110	निरंक
	1,35,10,920	25,30,000
ii) मीयादी जमाओं पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय	33,81,768	24,17,257
iii) दिनांक 31.03.2010 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास जमाएं		
- मियादी जमाएं	10,39,50,000	2,62,50,000
- चालू खाते		
* ट्रस्ट चालू खाता नं.1787420987	3,63,13,818	4,10,43,009
* कम्पनी का खाता नं. 1787426399	17,24,420	10,28,461
* डिबेंचर ट्रस्ट खाता नं. 1787421006	49,76,200	49,76,200
* डिबेंचर ट्रस्ट खाता नं. 1787419858	6,51,56,206	6,52,96,593
* डिबेंचर ट्रस्ट खाता नं. 1787419961	73,61,975	1,14,98,000
	11,55,32,619	12,38,42,263
	21,94,82,619	15,00,92,263

(सी) कम्पनी के पास रिपोर्ट योग्य कोई खण्ड नहीं है; अतः लेखांकन मानक 17 लागू नहीं है.

(डी) कम्पनी का संपूर्ण स्टाफ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर हैं, अतः सेवानिवृत्ति लाभ हेतु लेखांकन एवं लेखांकन मानक 15 लागू नहीं है.

7. आय पर करों के लेखांकन पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानक 22 के अनुपालन के अनुसार, कम्पनी ने मूल्यहास में समय अंतर होने के कारण 'आस्थगित कर देयता' निर्मित की है :

		प्रारंभिक शेष 01.04.2009	अंतिम शेष 31.03.2010	प्रारंभिक शेष 01.04.2008	अंतिम शेष 31.03.2009
1.	मूल्यहास अंतर	14,613	12,617	16,572	14,613
2.	आस्थगित कर देयता	4,515	4,289	5,121	4,515

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है.
9. आंकड़े निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किए गए हैं.

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी. जे. मंकड
भागीदार
सदस्यता संख्या 036010

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
के बोर्ड की ओर से

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अरुण कौल
निदेशक
पी. वी. रविन्द्रन
निदेशक

एस. पी. ढल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

के. ए. सोमयाजुलु
निदेशक

एच. वी. कामदार
कंपनी सचिव

मुंबई
03 मई, 2010

मुंबई
03 मई, 2010



दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2008-09
ए	न्यासधारिता परिचालनों से नकद प्रवाह	203.91	156.59
बी	निवेश सम्बंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	-	-
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह	490.00	-
		693.91	156.59
डी	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद-समतुल्य	1,500.92	1,344.33
ई	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद-समतुल्य	2,194.83	1,500.92
	वर्ष के दौरा न कुल नकद प्रवाह (ए+बी+सी) अथवा (डी-ई)	693.91	156.59
ए	न्यासधारिता परिचालन से नकद प्रवाह		
	अग्रिमों, निवेश इत्यादि से वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	33.88	24.79
	कमिशन एवं फीस आय	763.82	33.23
	घटाएं :- जमाओं, उधारी इत्यादि पर प्रदत्त ब्याज (गौण ऋणों को छोड़कर)	-	-
	प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय	139.85	26.95
	जोड़ें :- मूल्यहास के लिए समायोजन	0.02	0.02
I	न्यासधारिता परिचालन से सृजित नकद लाभ (कर पूर्व)	657.87	31.09
	घटाएं :- प्रदत्त कर	226.00	9.20
	न्यासधारिता परिचालन से सृजित नकद लाभ (कर पश्चात)	431.87	21.89
II	परिचालन आस्तियों एवं देयताओं से नकद प्रवाह		
	जमाओं में वृद्धि/कमी	-	-
	उधारी में वृद्धि/कमी	-	-
	अन्य देयताओं में वृद्धि/कमी	125.78	116.81
	अग्रिमों में वृद्धि/कमी	-	-
	निवेशों में वृद्धि/कमी	5.47	19.23
	अन्य आस्तियों में वृद्धि/कमी	(351.83)	(1.34)
	विविध आस्तियों में वृद्धि/कमी	(7.38)	-
	परिचालन आस्तियों एवं देयताओं से नकद प्रवाह	(227.96)	134.70
	न्यासधारिता परिचालन से निवल नकद प्रवाह	203.91	156.59
बी.	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	स्थायी आस्तियों का विक्रय / निपटान	-	-
	स्थायी आस्तियों का क्रय	-	-
	अनुषंगियों एवं असोशिएटों से लाभांश इत्यादि के द्वारा अर्जित आय	-	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-	-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2008-09
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	गौण ऋण टियर II पूंजी का आगम/शोधन	-	-
	लाभांश	-	-
	लाभांश कर	-	-
	गौण ऋण पर ब्याज	-	-
	शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण प्राप्तियां	490.00	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-	-
डी	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		
	बैंकों के पास शेष	1,500.92	1,344.33
	वर्ष के प्रारंभ में निवल नकद एवं नकद-समतुल्य	1,500.92	1,344.33
ई	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		
	बैंकों के पास शेष	2,194.83	1,500.92
	वर्ष के अंत में निवल नकद एवं नकद-समतुल्य	2,194.83	1,500.92

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एन. शुक्ला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पी. जे. मंकड
भागीदार
सदस्यता संख्या 036010

मुंबई
03 मई, 2010

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
के बोर्ड की ओर से

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अरुण कौल
निदेशक

पी. वी. रविन्द्रन
निदेशक

एस. पी. ढल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुंबई
03 मई, 2010

रामनाथ प्रदीप
निदेशक

के. ए. सोमयाजुलु
निदेशक

एच. वी. कामदार
कंपनी सचिव



अनुसूची VI का भाग IV

कम्पनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा तथा तुलन-पत्र का सार

(रुपये हजार में)

I रजिस्ट्रेशन विवरण

रजिस्ट्रेशन संख्या 1484

31 दिनांक
3 माह
2010 वर्ष

तुलन-पत्र की तारीख

II वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी

सार्वजनिक इश्यू

निरंक

राइट इश्यू

निरंक

बोनस इश्यू

निरंक

प्राइवेट स्थापन (प्लेसमेंट)

48000

III निधियों का संग्रहण एवं निवेश की स्थिति

कुल देयताएं

120898

कुल आस्तियां

120898

निधियों का स्रोत

प्रदत्त पूंजी

50000

आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

70894

रक्षित ऋण

निरंक

अरक्षित ऋण

निरंक

आस्थगित कर

4

निधियों का अनुप्रयोग

निवल अचल आस्तियां

14

निवेश

3

निवल चालू आस्तियां

120142

विविध व्यय

738

संचित हानि

निरंक

IV कम्पनी का कार्य-निष्पादन

कुल आय

79770

कुल व्यय

13985

कर पूर्व लाभ/(हानि)

65785

कर पश्चात लाभ/(हानि)

43285

प्रति शेयर आय

866

लाभांश दर

निरंक

V कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के मूलनाम (मौद्रिक मद के अनुसार)

मद कूट संख्या (आईटीसी कूट)

लागू नहीं

उत्पाद का विवरण

निम्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :

- 1) वसीयत का निष्पादन
- 2) सम्पत्ति के प्रशासक
- 3) वसीयतनामे के अधीन यासी
- 4) स्वैच्छिक अथवा वर्तमान ट्रस्ट के अधीन यासी
- 5) सार्वजनिक, धर्मार्थ, धार्मिक तथा अ य संस्थाओं हेतु यासी
- 6) अवयस्क की सम्पत्ति के संरक्षक, अभिरक्षक
- 7) मुख्तारनामे के अधीन प्रबंधक अथवा एजेंट
- 8) म्युच्युअल फंड ग्राहकों के ब्रोकर
- 9) डिबेंचर/बॉण्ड इश्युज, सिक्युरिटी यासी एवं सिक्युरिटी एजेंट



**Chairman
&
Managing Director's
Message**




Chairman & Managing Director's Message

Dear Shareholder,

I am delighted to present the Annual Report for the year ended 31st March, 2010.

During the year, the domestic economy recovered substantially and recorded higher growth rate of 7.4% vis-a-vis the growth of 6.7% in the previous year, despite the adverse effect of the deficient south-west monsoon on agricultural output. It is noteworthy that this growth in GDP has been fairly broad based and has come about on y-o-y better performance of manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas & water supply, construction. In general, all the macroeconomic indicators point to a sustained growth during the current fiscal. In view of these factors, the GDP growth for 2010-11 is estimated in the range of 8% - 8.5%. The buoyant growth prospects of the Indian economy are further reflected in the turnaround in capital inflows led by portfolio inflows.

The Bank recorded transformational all round performance during the year, which is the Pre-Centenary Year as the Bank steps into its Centenary on December 21, 2010. The strong performance validated the re-modeled business strategies adopted by the Bank during the year in particular - Operation Navchetana, wherein extreme focus has been laid on processes, people, customers for harnessing technology, increased productivity, exceptional business growth and profitability. This is imperative for positioning the Bank to face better the challenges of the market place.



The results of these changes have been satisfactory. During the FY 2009-10, the Bank added over Rs 51000 crore businesses - with both deposits and advances registering growth of 23.5% each the highest ever in the history of the Bank. CASA recorded higher growth rate of 27.5%. Gross NPA declined to 2.29% from 2.67% during the previous year also the lowest ever, whereas, Net NPA also declined to less than 1% i.e., 0.69% as against 1.24% during the previous year again a record milestone. The Provision Coverage Ratio was 70.40% as on 31st March, 2010 as against the regulatory minimum of 70% to be achieved by 30th September, 2010. Along with significant improvements in employee productivity - as indicated by business per employee and net profit per employee - the Return on Average assets also recorded improvement from 0.45% in 2008-09 to 0.66% in 2009-10. Operating profit registered an increase of over 43% and the Bank recorded highest ever Net Profit of Rs 1058 crore during the year.

Certain other landmarks were achieved by the Bank during the year under review. First the Bank become the exclusive Official Banker to the Commonwealth Games Delhi 2010, a prestigious position. The Bank launched the Sir Sorabji Pochhkanawala Memorial Lecture Series named after our illustrious Founder. The first in the series was delivered by H.E. Kamallesh Sharma, Commonwealth Secretary-General, London, and currently the only Indian to head an intergovernmental organization. The Bank also introduced an innovative financial service for senior citizens, Reverse Mortgage Loan enabled annuity in association with Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd., to provide lifetime payments to senior citizens and their spouses against mortgage of their self occupied properties. We are the only Bank in the country to offer this. Probably for the first time in its history, the Bank was invited to share its banking expertise overseas, as two officers were deputed to St. Lucia (West Indies) for capacity building in the area of rural microfinance.

The Bank's exceptional performance won recognition from its peer and external observers through a number of awards being conferred on the Bank. Mention may be made of the "The Outlook Award" for best performance in educational loans, IBA Award for best performance in Technology for customer initiatives, National Award for best performance in KVIC Programmes in Eastern Zone etc. I was also conferred the Skoch Foundation Challenger Award 2010 for the best business model.

The equity markets too reposed confidence in the Bank as evidenced by the movement of share price from a low of Rs 34.55 in April 2009 to a peak of Rs 167.25 on December 31, 2009 and closed at Rs 146.55 as at end-March 2010.

Acknowledging its corporate social responsibility, the Bank has initiated entrepreneurship development programme in 4 districts in collaboration with the commonwealth secretariat. Further, the ongoing projects in financial literacy and inclusive growth are also meeting the desired objectives. During the year 100% financial inclusion was achieved in 14047 villages. The Bank opened a record number of over 34 lac No-frill accounts during the year. In addition to eight Rural Development and Self Employment Training Institutes, 3 more such institutes are being opened.

I take this opportunity to reaffirm that it will be our endeavor to enhance value for all the stakeholders: the Government of India, RBI, our investors, our large customer base and the members of staff. I request your continued and unstinted support in the endeavor.

With best wishes,

Yours sincerely,



S Sridhar

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010



Directors' Report

DIRECTORS' REPORT 2009-10

To the Members,

Your Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the Cash Flow statement for the year ended March 31, 2010.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased by Rs.51213 crore to Rs.269225 crore, registering y-o-y growth of 23.5 per cent.
- Total Deposits increased by Rs.30835 crore to Rs.162107 crore, registering y-o-y growth of 23.48 per cent.
- Gross Advance of the Bank grew by Rs.20378 crore to Rs.107118 crore, registering y-o-y growth of 24 per cent.
- Operating Profit increased by Rs.621 crore to Rs.2058 crore, registering y-o-y growth of 43.21 per cent.
- Net Profit increased by Rs.487 crore to Rs.1058 crore, registering y-o-y growth of 85.25 per cent.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) reduced to 12.23 per cent from 13.12 per cent in previous year.
- Net Worth increased by Rs.1327 crore to Rs.5728 crore, registering y-o-y of 30.15 per cent.
- Gross NPA of the Bank increased by Rs.142 crore to Rs.2458 crore from Rs.2316 crore in previous year. In percentage term Gross NPA reduced to 2.29 per cent from 2.67 per cent in last year.
- Net NPA decreased from to Rs.727 crore from Rs.1063 crore in previous year. Net NPA percentage reduced to 0.69 per cent from 1.24 per cent in previous year (2009).
- Net Interest Margin (NIM) stood at 1.86 per cent against 1.97 per cent in 2009. This was due to fall in yield on investments which reduced from 6.89 (2009) to 6.74 per cent. The Average Earning Assets increased to Rs. 137085 crore from Rs.112578 crore in previous year.
- Business per Employee increased to Rs.712 lakh from Rs.560 lakh in last year.
- Net Profit per Employee increased to Rs.3.30 lakh from 1.71 lakh in 2009.
- Credit to Priority Sector increased to Rs.35393 crore from Rs. 29332 crore in previous year, recording y-o-y growth of 20.66 per cent.
- Agriculture Advance of the Bank grew by 29.92 per cent, contributing a share of 21.31 per cent in Net Bank Credit, which is well above the RBI's norms of 18 per cent.
- Bank has issued 2.33 lakh Kisan Credit Cards during the year with sanctioned limit of Rs.1639 crore.
- New product Central Kisan Gold Card launched and issued to 85113 farmers.
- 17245 Self Help Groups formed during the year out of which 15685 groups were credit linked to the tune of Rs.158 crore.
- The advances to MSE grew by 59.72 per cent from Rs.5833 crore in year 2009 to Rs.9317 crore. Under the cluster based approach, 60 SSI specialised branches have been re-designated to "SME Specialised Branches".
- 14047 villages have been brought under 100 per cent Financial Inclusion. During the year 34.08 lakh No-Frill accounts were opened.
- Retail loans of the Bank grew by 23.37 per cent from Rs.9070 crore (2009) to Rs.11190 crore. The share of Retail Loan in Gross Advance was 10.45 per cent.
- Education Loan grew by 44 per cent during the year and reached to Rs.1189 crore.
- Vehicle loan segment registered a robust growth of 50.16 per cent & portfolio reached to Rs.553.35 crore.
- Credit to Infrastructure Sector reached to Rs.24479 crore.
- Bank has opened 49 new branches during the year and have network of 3577 branches as on 31st March 2010.
- 1533 branches were brought under CBS platform.
- Retail sale of Cent Gold coins started during the year.
- Bank has earned trading profit of Rs.772.31 crore during the year.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2009-10 are given hereunder:

		Rs. in crore			
		31.03.2010	31.03.2009	Variation	%
1	INTEREST INCOME	12064	10455	1609	15.29
	- Advances	8648	7753	895	11.54
	- Investments	3307	2563	744	29.02
	- Others	109	139	-30	-21.58
2	OTHER INCOME	1735	1070	665	62.14
	(Profit on Sale of Investments)	772	410	362	88.29
3	TOTAL INCOME (1+2)	13799	11525	2274	19.73
4	INTEREST EXPENDED	9519	8227	1292	15.70
	- Deposits	9121	7913	1208	15.26
	- Others	398	314	84	26.75
5	OPERATING EXPENSES	2222	1861	361	19.40
	- Establishment	1544	1272	272	21.38
	- others	678	589	89	15.11
6	OPERATING EXPENSES (4+5)	11741	10088	1653	16.39
7	SPREAD (1-4)	2545	2228	317	14.22
8	OPERATING PROFIT (3-6)	2058	1437	621	43.21
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	509	512	-3	-0.59
10	PROVISIONS FOR TAXATION	491	354	137	38.70
11	NET PROFIT	1058	571	487	85.25

- Income from investments has recorded a growth of 29.02 per cent, whereas interest income from advances grew by 11.54 per cent. Interest Income for the year recorded growth of 15.29 per cent.
- Net Interest Income (spread) grew by 14.22 per cent while the interest expenditure increased by 15.70 per cent.
- Due to lower rate of interest in advances, Net Interest Margin reduced from 1.97 per cent in 2009 to 1.86 per cent and Yield on Advances from 10.19 per cent (2009) to 9.82 per cent.
- Operating profit has increased by 43.21 per cent, while Net Profit recorded a robust growth of 85.25 per cent for the year 2009-10.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of Rs.1000 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2009-10 vis-a-vis previous year are detailed as under:

		(Rs. in crore)		
		31.03.2010	31.03.2009	Variation
	Provisions for Standard Assets	30	45	-15
	Provisions for NPAs	288	322	-34
	Depreciation/Provision on Investments	65	91	-26
	Provisions for Taxes	491	354	137
	Others	126	54	72
	TOTAL	1000	866	134

4. SPREAD ANALYSIS

	(In percentage)	
	31.03.2010	31.03.2009
Cost of Deposits	6.29	6.90
Cost of Funds	6.34	6.94
Yield on Advances	9.82	10.19
Yield on Investments	6.74	6.89
Net Interest Margin	1.86	1.97
Cost Income Ratio	51.91	56.44

- Cost of Deposits decreased from 6.90 per cent in 2009 to 6.29 per cent in 2010 and Cost of Funds also reduced to 6.34 per cent from 6.94 per cent in previous year.
- The yield on advances and yield on investments both decreased to 9.82 per cent and 6.74 per cent from 10.19 per cent and 6.89 per cent respectively in previous year.
- Net Interest Margin reduced from 1.97 per cent (2009) to 1.86 per cent.
- Cost Income Ratio reduced from 56.44 per cent in 2009 to 51.91 per cent.

5. BANKING RATIOS

	(In percentage)	
	2009-10	2008-09
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.56	8.22
Non-Interest Income to AWF	1.09	0.84
Operating Profit to AWF	1.29	1.13
Return on Average Assets	0.66	0.45
Business Per Employee (Rs. in lakh)	712	560
Net Profit per Employee (Rs. in lakh)	3.30	1.71

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2010		31.03.2009	
	Basel-I	Basel-II	Basel-I	Basel-II
Risk Weighted Assets(Rs. in crore)	104344	92181	79572	71270
Capital Funds (in percentage)				
Tier-I	6.03	6.83	6.24	6.97
Tier-II	4.78	5.40	5.51	6.15
Capital Adequacy Ratio	10.81	12.23	11.75	13.12

7. NET PROFIT & DIVIDEND

The Bank earned Net Profit of Rs.1058 crore for the financial year 2009-10. The Board of Directors are pleased to recommend a dividend @ 22 per cent.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- **Shri Arun Kaul** has been appointed as Executive Director with effect from April 22 , 2009
- **Shri Romesh Sabharwal** has been re-appointed as a Part-Time Non-Official Director with effect from October 6 , 2009
- **Major (Retd.)Ved Prakash** has been re-appointed as a Part-Time Non-Official Director with effect from October 20 , 2009.
- **Shri B S Rambabu** has been appointed as Workmen Employee Director with effect from March 16 , 2010.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010:

- The applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31 , 2010;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

10. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

11. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Security Exchange Board of India for the their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date : May 22, 2010

S Sridhar
Chairman and Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

PART A – ECONOMIC SCENARIO

GLOBAL DEVELOPMENTS

Major world economies exhibited acceleration in recovery during the fourth quarter of 2009 on account of concerted anti-recession measures by Central Banking authorities of these countries. Global recovery is now led by emerging market economies but is yet to take hold as a self sustaining recovery. IMF has forecast global growth of 3.9% for 2010 as against -0.8% during the previous year. Both advanced and emerging market economies are expected to record stronger recovery in 2010. There are however, significant risks to global outlook in differential growth, inflation in Emerging Market Economies and high unemployment in advanced economies. Further, sovereign risk, presently confined to parts of Europe, can spread to other advanced economies due to the poor fiscal health of some of these countries.

DOMESTIC ECONOMY

Good rabi prospects and strong allied sector growth moderated the impact of drought in certain parts of the country due to the deficient southwest monsoon. As a result, food grain production for 2009-10 is expected to record less than expected decline to 216.9 million tonnes by 7.5% over the previous year. Decline is expected in rice, wheat, coarse, cereals etc.

During the financial year, industrial production recovered substantially from the knock on effects of the global financial crisis. The cumulative growth for April – March 2010 stood at 10.4% vis-à-vis 2.8% during the previous year. The industrial recovery was led by manufacturing sector growth at 10.9% as against 2.8% during the previous year. Another aspect of recovery is that it is much more broad-based as 14 out of 17 industry groups recorded positive growth in March 2010. The use based classification of industries shows that capital goods recorded growth of 19.2%, followed by intermediate goods at 13.6% and basic goods at 7.1%. This momentum is likely to spread to several downstream industries in the current fiscal. Likewise, the services sector activities also recorded buoyancy since the second half of 2009-10.

Exports recovered from 12 months of consecutive decline and posted an average growth of 20.5% during November 2009 to February 2010. Imports also turned around and exhibited an average growth of about 43% during December 2009 to February 2010. India's balance of payment position during April to December 2009 recorded a modest increase in current account deficit. India's forex reserves recorded an increase of nearly \$27 billion and stood at US\$280 billion.

As such all the macro-economic indicators point to a consolidated recovery in the domestic economy.

During the first half of the year 2009-10, the headline inflation remained moderate during April to May 2009 and subsequently turned negative during June to August 2009 on account of base effect. The WPI based inflation reached 9.9% by February 2010 on supply side constraints and waning of the base effect. During March 2010 also, the WPI remained at almost the same level. Decline in agricultural production as well as increase in international prices of crude oil led the growth in the WPI. During the later half of the year, the inflation got generalized in non-food manufacture products.

MONETARY DEVELOPMENTS

Liquidity conditions remained comfortable even after absorption of surplus liquidity through 75 bps hike in CRR in February 2010. Deceleration in aggregate deposits on the component side and bank credit to commercial sector on the sources side resulted in deceleration of growth in broad money during the year 2009-10. M3 growth turned around in November 2009 following the revival of bank credit during the month. This together with higher availability of resources from non-banking sources resulted y-o-y growth of 16.8% as against 18.9% during the corresponding period of the previous year. The banking system credit to the Government was the prime driver of monetary expansion during the year.

BANKING

As at March 31, 2010, the aggregate deposits rose by 17.1% over the corresponding period of the previous year. During the year there was a slowdown in the pace of deposit mobilization by the banking system mainly due to gradual decline in interest rates on time deposits in lagged response to lower policy rates. Demand deposits grew by 22.8% as against corresponding previous year figure of 0.5 % whereas time deposits grew by 16.2% as against corresponding previous year figure of 23.1%.

Non-food credit decelerated in the year up to October 2009 and reached a low of 10.3%. As industrial output accelerated and recovery became more broad based, there was a significant revival in credit demand since end-November 2009 and credit growth for the year 2009-10 stood at 16.9%, taking total SCB credit to Rs. 32,40,399 crore. Incremental credit extended by SCBs in absolute terms in fourth quarter was the highest during the previous two years. Industry absorbed 52.5% of the incremental non-food credit. Among the industry groups, infrastructure, Iron & Steel and metals showed the maximum rise. Credit growth of public sector banks recorded 19.5% whereas the same of foreign banks declined.

PART B – PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As at March 31, 2010, the Total business of the Bank stood at Rs 269225 crore, registering a growth of 23.5% from the previous year figure of Rs 218012 crore. The operating profit reached Rs 2058 crore from the previous year figure of Rs 1437 crore marking a growth of 43.2%. The Bank has posted the highest ever Net profit of Rs 1058 crore, which marks an increase of 85.3% over the previous year Net profit of Rs 571 crore.

RESOURCE MOBILISATION

Total deposits as on March 31, 2010 stood at Rs 162107 crore, registering a growth rate of 23.5 % y-o-y. All the components viz., demand deposits from others i.e., non-bank depositors, Saving deposits and term deposits from others recorded healthy growth. CASA recorded growth of 27.5% on y-o-y basis.

CREDIT

As on 31.03.2010, the gross credit of the Bank stood at Rs.107,261 crore as against Rs.86,869 crore in the previous year, registering a growth of 23.47%. The growth in credit is diversified in all segments with higher growth in Infrastructure (72.77%) and Retail Trade (23.4%)

During the year, new schemes were introduced to cater to market demand. These are: Short Term Loan to companies eligible for issuance of Commercial Paper, Production Equipment Finance Scheme, Mibor linked short term loan for large corporate and Cent Swabhiman Plus (Annuity product) Cent Doctor and Cent Personal Gold Loan for Retail segments. The Bank has also commenced loan syndication during the year which has elicited good response from the market.

(Rs.in crore)

Outstanding	As on 31/3/2009	As on 31/3/2010	Growth (%)
Retail loans	Rs. 9,070	Rs.11,190	23.37%
Infra structure	Rs. 14,169	Rs.24,479	72.76%
Real Estate	Rs. 12,286	Rs.12,991	5.74%

PRIORITY SECTOR


During the year 2009-10, the Bank's lending under Priority Sector touched an all time high figure of Rs.35393 crore, surpassing the mandatory norms of RBI with y-o-y growth rate of 21% for March 2010, as against previous year growth of 15%. The Bank also recorded a significant growth of about 30% under both direct and indirect agriculture, thereby achieving the RBI norms i.e. 13.50% under credit to Direct Agriculture and 18% under total agriculture.

With the Bank's continuous commitment in extending helping hand to weaker section, the Bank achieved 10% norm under weaker section advances. As a recognition of our participation in the Govt. sponsored programme, the Bank was recognized as the Best Bank for PMEGP (East Zone) for the year 2009, by KVIC, Ministry of Micro, Small and Medium enterprises, Govt. of India.

(Rs. in crore)

Sector	March 2009	March 2010	% of growth
(1)	(2)	(3)	(4)
NBC/ Adjusted Net Bank Credit	73619	85935	---
Priority Sector (Share in NBC)	29332 (39.84)	35393 (41.19)	20.66
Agriculture (Share in NBC)	14139 (19.20)	18309 (21.31)	29.92
- Direct Agriculture (Share in NBC)	8955 (12.16)	11607 (13.51)	29.61
- Indirect Agriculture (Share in NBC)	5184 (7.04)	6702 (7.80)	29.29
MSE	5833	9317*	59.72
Micro-credit & other	197	468	137.56
Education Loans	825	1180	43.03
Housing Loans	6081	6119	0.62

* This figure includes advances under Retail Trade as per RBI guidelines.





Agriculture:

The Bank continued to accelerate the flow of credit to Agriculture and allied activities during the year. The total agricultural advances rose by about 30% to Rs.18309 crore from Rs.14093 crore. Under the doubling of agricultural credit our branches have disbursed Rs.7608 crore to 466813 farmers, out of which accounts of 237372 new farmers were canvassed and Rs.1813 crore disbursed to these farmers.

Micro, Small and Medium enterprises:

Advances to the MSME sector have grown significantly by 59.72% in FY 2009-10 as compared to FY 2008-09. This growth rate is also on account of inclusion of Retail Trade portfolio in MSME sector.



We have encompassed following approach for financing to MSME:

- Cluster based approach:** Bank has redesignated 60 SSI specialized branches as "SME Specialized branches" in various clusters across the country. The borrowers can now send their applications directly to these branches or any of the cluster branches. These branches will also cross sell other products of the Bank.
- Channel financing:** Bank has tied up with Corporates having good network of Vendors and Dealers for Channel financing. The Bank is now providing Bill Discounting and Factoring services to Micro and Small enterprises under various tie up schemes. The schemes are designed to be flexible as per the applicants' requirements.
- Financing Village Level Entrepreneurs under National E- Governance Plan:** Bank has sanctioned Schemes for financing Village Level Entrepreneurs (VLE) under National E-Governance Plan under tie-up arrangement. The Bank will be financing 4167 VLEs to set up Common Service Centre (CSC). Each CSC will be providing E- Governance Services & IT literacy to at least 6 villages.

- **Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small enterprises (CGTMSE):**

With a view to boost new and existing industrial units in the Micro & Small Enterprises Sector for collateral or third party guarantee free credit by way of composite loan, the Bank is ensuring to get it covered under the CGTMSE.

Position of CGTMSE coverage by the Bank as on 31.03.2010:

Period	FY 2007-08	FY 2008-09	FY 2009-10
No. of Accounts	2624	3528	7034
Growth	Nil	34.45%	99.37%
Amount (Rs. in Cr)	118.87	189.94	414.97
Growth	Nil	59.78%	118.47%

- **Entrepreneurship development in collaboration with Common Wealth Secretariat :**

Bank has identified the following 4 districts for the purpose.

- Murshidabad- West Bengal
- Sultanpur- Uttar Pradesh
- Sawai Madhopur- Rajasthan
- Ernakulam- Kerala

These districts are identified based on the potential of growth in various sectors. With this tie-up arrangement, the Bank has taken pro-active initiative for development of Entrepreneurship in Micro & Small enterprises sector

Micro Finance:

Micro Finance has been identified as a "Thrust Area", which is playing a vital role in financial inclusion. The Bank has taken active role in this segment and adopted liberalized approach. The Bank has sanctioned around Rs. 1262.69 crore to various Micro Finance Institutions during the year for their onward lending to the ultimate beneficiaries under micro finance.

Kisan Credit Card:

During the year, the Bank has issued 2.33 lakh Kisan Credit Cards with total sanctioned limit of Rs.1639 crore. As at the end of the year, 959161 cards were in operation are with balance outstanding Rs.5554 crore. During the year, the Bank introduced a new card to the farmers to meet all their recurring expenditure titled **Central Kisan Gold Card** which is well received by our farmer customers. The Bank was able to canvas 85113 farmers under this new structure of card with agricultural finance of Rs.964 crore.

Self Help Groups (SHGs):

During the year, 17245 groups were formed and 15685 groups were credit linked with total sanctioned credit limit of Rs.158 crore. Since inception, the Bank has credit linked 78716 groups with outstanding balance of Rs.564 crore.

Performance under Lead Bank:

The Annual Credit Plan (ACP) 2009-10 was formulated in 48 Lead Districts of the Bank with a total outlay of Rs.13055 crore - with our share of Rs.3021 crore, which constituted 23.14 % of the total outlay. The overall performance of all banks in our 48 Lead Districts was at 65.78 %, while the performance of our Bank in implementation of ACP 2009-10 was 35 %.

Government Sponsored Schemes:

Under the Government sponsored schemes, the Bank sanctioned loans to 6161 beneficiaries under SJSRY, amounting to Rs.35 crore and 8401 swarozgaries amounting to Rs.38 crore and 9689 SHGs under SGSY amounting to Rs.113 crore.

Prime Minister's Employment Generation Programme:

Under Prime Minister's Employment Generation Programme our Bank have sanctioned loan for 2939 cases with loan amount of Rs.119.72 crore.

Advance to Weaker Section:

Loans amounting to Rs.8697 crore were sanctioned to various categories of weaker sections, which constitute 10.12 % of Adjusted Net Bank Credit against the stipulated norm of 10%.

Advances to Minority Communities:

Govt. of India had recently finalized new Prime Minister's 15 Point Programme for the welfare of minorities in 121 identified districts. Our Bank is having 921 branches in minority concentrated districts. The Bank has financed 452467 beneficiaries amounting to Rs.3377 crore during the FY 2009-10 as against Rs.2588 crore during FY 2008-09 which amounts to growth of 30.49 % under various programmes for the benefit of minority communities and this worked out to 9.61% of our priority sector advances.

Advances to Women Beneficiaries:

The Bank has financed women beneficiaries to the extent of Rs.4679 crore. In this segment, the Bank has achieved a ratio of 5.44 % of Net Bank Credit, as against the stipulated norm of 5 %.

Differential Rate of Interest:

The Bank has extended loans to Rs.23.69 crore under the DRI scheme.

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme -2008:

Under debt Waiver Scheme, total amount waived to small and marginal farmers by the Bank is Rs.974.83 crore covering about 448000 farmers.

Bank's Special OTS scheme for agricultural borrowers in line with the Debt Relief Scheme of Govt. of India.

With a view to help the agricultural borrowers and based on the guidelines of RBI on Debt Relief Scheme, the Bank has formulated a special OTS scheme to boost the recovery under Debt Relief Scheme. As per the RBI guidelines, the Banks/ Lending institutions are allowed to receive even less than 75% of the eligible amount under OTS provided the banks/ lending institution bear the difference themselves and do not claim the same either from the Government or from the farmer. The Government will pay only 25% of the actual eligible amount under debt relief as has already been announced in original scheme ADWDRS- 2008. Under the scheme, there are 112325 total eligible cases involving an amount of Rs.1144 crore, out of which recovery made under Debt Relief Scheme as of Dec. 2010 is Rs 608 crore covering 70376 farmers.

Setting up of Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI):

The Bank has already opened 8 RUDSETIs and additional 3 RUDSETIs are in the process of being opened and 5 new places are also identified. State Level Bankers' Committees of some of the states had allotted 25 new centers for opening of RUDSETIs for the Bank.

FINANCIAL INCLUSION

Under 100% Financial Inclusion through Branch Banking, the Bank has completed 100 % Financial Inclusion in over 14,047 villages out of 18,972 villages allotted, achieving 74% coverage. The Bank also opened 34.08 lacs No Frill Accounts during the FY.

Under the ICT based delivery mechanism using Business Correspondents Model (Branchless Banking), the Bank has initiated Biometric Smart Card based solution in 13 districts; appointed 181 Business Correspondents (BC) outlets and covered over 77,000 customers with biometric Smart Card. Further, the Bank has also formulated comprehensive plan to cover 40,000 villages across the country in phases by 2013. In the first phase, about 5500 villages with population more than 2000 is targeted to be covered using 4950 BC outlets.

Self Help Groups (SHGs)

Total number of SHGs formed since inception are 1, 27,551, out of which 78,716 groups have been credit linked with an aggregate credit limit of Rs. 563.79 crore, which is approx. 62% of total no. of SHGs. Out of these 78,716 groups, the women SHGs are 63,112 with aggregated credit limit of Rs. 429.13 crore, which is approx. 50% of total number of SHGs

RETAIL CREDIT

The Retail Credit Portfolio of the Bank has registered substantial growth during FY 2009-10, growing to Rs. 11190 crore as against previous year outstanding of Rs. 9070 crore as on March 2009. The y-o-y retail credit growth stood at 23.37% and the share of Retail Business to Gross Advances stood at 10.45%.

The Bank has also tied up with 107 prominent educational institutions for education loans as a result of which our Education Loan portfolio recorded a growth of 44% from Rs 824 crores as of March 2009 to Rs 1189 crore as of March 2010. **The Bank has been adjudged as the Best Education Loan provider for the year 2008-09 by Outlook-NDTV Profit.**

Our Housing Loan portfolio also witnessed a YoY growth of 20.28% from Rs.4420.60 crore as of March 2009 to Rs.5317.51 crore as of March 2010. The growth registered under Vehicle Loan is 50.16% with a portfolio size of Rs.553.35 crores as of March 2010.

The Bank, has, in tune with market, launched four new customer centric products, catering to different segments of customers like, Cent Doctor-loan scheme for Medical Practitioners, Executive MBA –an education loan scheme for working executives, special education loan for IIM Students and Cent Personal Gold Loan Scheme for general public.

The Bank has also pioneered a new scheme dedicated for Senior Citizens to ensure monthly payments to meet their financial requirements in the form of Reverse Mortgage enabled Annuity Scheme. The Bank has also entered into tie-up arrangements with senior citizen foundations for Reverse Mortgage Loans to Senior Citizens.

Based upon the feedback from its customers, the Bank has reviewed its existing line of Retail lending products and modified some of its products like the Cent Rental Scheme, Direct Housing Finance Scheme, Computer Loan etc., to enable the customers fulfill their needs. On the liability side, the Bank has launched a Unique Recurring Deposit Scheme with Personal Accident Insurance which offers cover equivalent to twice the Maturity value of the Recurring Deposit.

The Bank has on a pilot basis successfully implemented its first Centralised Credit Processing Centre (CCPC) at Mumbai. Another 13 CCPCs across India will be implemented during FY 2010-11.

In order to provide the technology benefit to the customers, the Bank has started the facility of online application through the Bank's website for some of the retail loan products (viz. Computer Loan, Vehicle Loan, Housing Loan and Education Loan) Extension of the facility to all the remaining retail products is also being planned. The Bank has started SMS alert facility to its customers and has also launched pre-generated Debit/ATM cards & Visa Debit Cards. Further, in order to enable the customers to make online payment of their credit card dues, the CBS platform has been provided with an option to accept bill payment / dues at our CBS branches.

INTERNATIONAL DIVISION

Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 85 Authorised Dealer Branches spread all over India. All the AD branches are under Core Banking platform. The Dealing Room operations have been centralized at Mumbai for better monitoring of funds and to provide better exchange rate to our customers. The Export Credit of the Bank stood at Rs. 2,755.00 crore as on 31st March 2010. Our Foreign currency Assets stood at USD 604.00 million as of 31st March 2010 as against USD 134.00 million as of 31st March 2009 registering a growth of 350%. The Bank has introduced the retail sale of gold coins all over India. The Bank had obtained the bid for sale of 37,900 gold coins to RBI and was successful in delivering the coins well before the due date. The Bank has signed an Agreement with Bank of New York for web based Inward remittance from the USA.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT:

The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.52,008 crore as on March 31, 2010 as against Rs.44,445 crore as on March 31, 2009 thereby recording an increase of 17.02 percent over the previous year. The debt market continued to be volatile for the major part of the financial year 2009-10 due to various contributory reasons including increased government borrowing in the bond market. As a sequel to this, the ten year benchmark yield moved upward from 7.02% on 31st March 2009 to as high as 8.02% during January 2010. In April 2009 the yield was at 6.239%, increased gradually and finally ended up at 7.825% on 31st March 2010.

Taking cue of the volatility in the market and more than sufficient liquidity in the system the Bank could achieve a trading profit of Rs 772.31 crore, thereby exceeding the target of Rs.700 crore for the full financial year 2009-10. Despite increase in the investment portfolio by 17.2% during the year, the yield on investment has reduced from 6.88% as on 31-03-2009 to 6.74%. Market conditions such as redemption of high coupon investment, and fresh investment at current low market yields have caused the reduction in overall investment yield.

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has transferred securities amounting to Rs.21972.32 crore from AFS to HTM category and Rs.660.84 crore from HTM to AFS category. The Bank has booked a depreciation of Rs.106.70 crore in the process. The composition of investment portfolio of the Bank as on 31-03-2010 is as under:

Rs. In crore

Sr. No.	Composition	31-03-2009	31-03-2010
1	SLR	39,439.73	46,243.25
2	Non SLR	5,005.92	5,765.04
3	TOTAL	44,445.65	52,008.29

During the year, we have recovered an amount of Rs.30.00 crore during February, 2010 in written off account under One Time Settlement.

Deriatives:

The Bank has taken initiatives in introducing derivative products such as Interest Rate Future, Interest Rate Swap, Overnight Indexed Swap, Currency Futures etc which are plain vanilla products. The Bank has received a citation from National Stock Exchange [NSE] in recognition of being the single largest trade executed by any bank on the launch of Interest Rate Future in the category of PSU Banks trading on NSE on 31st August 2009.

CARDS

Bank has launched prepaid Cent-Gift Cards in October 2009 and has got license for issuance of prepaid Travel Cards in foreign currency also. The Bank has entered into tie-up arrangement with HCL Infosystems Ltd., for providing need based finance for purchase HCL computers and also joined hands with Future Group for marketing Retail products to the customers at Big Bazaar Departmental Store all over India.

RISK MANAGEMENT

Integrated Risk Management System

Integrated Risk Management systems are now well established in the Bank. A Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The Committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned Departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee(ALCO) for Market Risk, Credit Policy Committee (CPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Bank has identified officers of the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal Offices. The Risk Managers would act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' in the matter of submission of data relating to Risk Management and support risk management in the Bank.

Credit Risk Management

The Bank has a well-documented Credit Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 18.03.2010. The Bank has acquired upgraded Large Corporate Rating Model for rating Large Corporate Borrowers as well as SME Rating Tool for SMEs with exposure over Rs2 Crore. The Bank has formulated manual scoring models for Retail and Agricultural advances and also for Micro and Small Enterprises which have been approved by the Board and are under implementation. Thus almost the entire credit portfolio of the Bank, barring staff loans have been brought under the risk rating system. The Bank has identified and posted 26 officers to exclusively carry out the duties of Loan Review Officers at the Zonal Offices

Operational Risk Management

Integrated Risk Management Structure of the Bank includes management of Operational Risk, which is being guided by a well laid down Operational Risk Management Policy. The Risk philosophy of the Bank emphasizes on imparting knowledge at the field level and in identifying, assessing, measuring, monitoring as well as controlling of operational risk through the process of continuous training. Database is being created for moving towards Advanced Approaches as per the guidelines of Reserve Bank of India. The oversight of operational risk is being regularly carried out by the Top Management as well as the Board of Directors.

Market Risk Management

The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters. The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run. A model to estimate Capital charge on trading portfolio on daily basis is being developed by TCS which is under testing to implement the Basle II guidelines on the Market Risk. The Bank has also formulated new Investment and Market Risk Management Policy and the Country Risk Management Policy has been reviewed during the year. Further, Counter party limits for Forex dealings have been fixed / reviewed as per their latest standing and rating in the market.

Implementation of Basel II Guidelines

Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework on 8th February 2010. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31st March 2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.

The Bank has appointed a solution provider for implementation of the internationally reputed SAS Risk Management solution in the Bank to meet Basel II norms. The solution is rolled out to all CBS branches as on 31st March 2010. The solution is also being extended to other branches as and when they are migrating to CBS platform. The Bank has a well laid out plan for migrating to advanced approaches and conveyed its readiness to Reserve Bank of India for adoption of advanced approaches as per the timeframe suggested by them.

The Bank has entered into MoU with all the four external credit rating agencies viz., CRISIL, CARE, ICRA and Fitch for rating of its corporate exposures as required under Basel II. Major part of the bank's exposure to the corporate category is already covered under external rating. National Institute of Bank Management (NIBM) has been roped in as consultants for assessment of risks existing under Pillar II of the New Capital Adequacy Framework. All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.

RECOVERY

The Bank has a well defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management, which encompasses all areas of NPA management, monitoring and follow up measures, staff accountability, willful defaulters and the MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments and trends in NPA Resolution.

During the year 2009-10 the Bank has shown good performance in terms of Cash recovery and recovery in written off accounts. Though the level of Gross NPA has marginally increased from Rs.2316 cr to Rs.2458 cr., Gross NPA ratio has come down from 2.67% to 2.29%. The Net NPA ratio has also improved from 1.24% to 0.69%.

Due to sustained and concerted efforts Cash Recovery increased from Rs.308 crore to Rs.407 crore and Recovery in Prudentially Written Off accounts has increased from Rs.84 crore to Rs 243 crore.

The Bank has also been able to recover the sizeable amount through compromise/one time settlement proposals during the year. During the year, towards NPA resolution the Bank came out with sale of NPAs to ARCs amounting to Rs. 336.63 crore. Special OTS scheme for advances under Govt. Sponsored schemes and others with sanction limits upto Rs.1.00 lac was extended upto 31.03.2010.

The Bank has put in place a system of close and continuous monitoring of Special Mentioned Accounts (SMAs) so as to prevent their slippage to NPA. DRT LOK ADALATs, District level LOK ADALATs, and other Recovery Camps were conducted at different locations under Regional Offices /Zonal Offices during the year where major thrust was given to recovery through negotiated settlement. Recovery efforts under SARFAESI Act were also accelerated. A large number of Enforcement Agencies have been empanelled to assist the Authorized officers in their recovery efforts.

During the year, Eight (8) ARBs started functioning in the Zonal Head Quarters of Mumbai, Pune, Chennai, Kolkatta and Raipur. Branches/Regions with high concentration of NPAs in Small Loans have been identified & focused attention is paid to these centres. Branch/Region wise action plan has been drawn for quick resolution of NPAs in these Branches/Regions. The greater focus has been laid on non-legal methods for recovery in NPA accounts.

All these efforts have resulted in good recovery performance of the Bank during the year under review. The Bank is committed to contain NPA by concerted recovery efforts and also by improving the asset quality during the year 2010-11.

NEW INITIATIVES

BANCASSURANCE

The Bancassurance business which was started under corporate agency of Life Insurance Corporation of India (LIC) and New India Assurance Co. Ltd. (NIA) gained further momentum. The bank achieved the distinction of being ranked first amongst all bancassurance partners of LIC for the third consecutive year.

- 71% of bank branches were activated for bancassurance business as on 31.03.2010. Each of these branches had canvassed a minimum of 12 policies or collected a premia of Rs.2 lacs during the year.
- 231 branches became BIMA BANK during the year by canvassing more than 200 policies or FPI of rs.30 lacs per branch during the year.
- The Bank has sold 102233 policies, collected first premium income of Rs.120.77 Cr. and earned commission of Rs.10.14 Cr during the year.

- Bank has earned commission income of Rs.3.75 Cr from the sale of non-life insurance policies under corporate arrangement with NIA Co. Ltd in the current year.

MUTUAL FUND

The Bank has a cross selling arrangement with seven top funds viz. UTI Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, ICICI Prudential, Reliance Mutual Fund, Sundaram BNP Paribas and Kotak Mahindra Mutual Fund. During the year, the Bank earned commission income of Rs.71 lacs from the sale of mutual funds through 450 identified branches.

DEMAT SERVICES

Demat Services are being provided to 22694 account holders through 120 identified branches under Central Depository Services India Ltd. (CDSL). The Bank is providing free SMS facility to its customers.

INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution :

As per plan envisaged, implementation of CBS has started under Phase-2 for coverage of 100% branches under CBS platform by December 2010. Under CBS Phase II, 321 branches have up to March 2010 taking the total number of branches covered under CBS to 1533. Detail of the locations covered under CBS is as under:-

Branches	1522 (including 6 ARBs and 1 CCPC)
Extension Counters	126
SCAP	4
NBOs	20
CCPC	1

Wide Area Network

The Bank has commenced establishment of MPLS connectivity for existing as well as additional branches proposed for CBS implementation. CDMA/ISDN technology is used as network backup in the branches in the ratio of 70:20. The remaining 10% is for remote location using single connectivity through VSAT/RF. For branches which are not technically feasible for leased line links, VSAT will be used as primary connectivity. At the end of March 2010, 1688 network links have been established.

1.1. Internet Banking:

Internet Banking facility has been implemented in all the CBS branches which provides facility for Funds Transfer, Bill payments, Airline/ Movie ticketing, shopping, temple donations, fee payments, stop cheque, cheque status, account statement etc.

On-line tax payments such as Direct tax, Excise, Service tax, DGFT license fee and West Bengal State government tax is also available through Internet Banking. RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking. The total number of tax payments made by customers for CBDT/CBEC, as of 31.3.2010 is 52,043, which has potential for higher commission. The branches have been advised to encourage tax payments through Internet Banking. User base for Internet Banking has been steadily increasing and has reached about 64000, as on 31.03.2010.

Corporate Internet Banking facility is also made available with all the above facility to the corporate customers. Our Bank is among the few Banks which has implemented NEFT bulk upload facility through Corporate Internet Banking.

1.2. SMS Banking :

SMS banking launched in July 2009, provides account information to the customers. Presently, SMS Alerts are sent to customers for (i) Debit / Credit in account above Rs.5000/- for Savings and Rs.50,000/- for Current/OD accounts (ii) Clearing Cheque is bounced (iii) Account balance is below the required minimum level (iv) Fixed deposit maturity before 7 days.

As a part of effective control and monitoring mechanism SMS alerts are also sent to Branch Managers and higher officials when physical cash is not tallied during EOD and when the outstanding balance in Technical Contra at branches are unattended for a certain prescribed number of days. SMS alert is also proposed for (i) Average weekly cash holding above 0.35% of average weekly deposit to Regional Manager (ii) Probable NPA accounts above Rs.10 lakhs within one month to RM/ZM.

1.2. Mobile Banking :

Bank has implemented Mobile Banking using GPRS during December 2009 with enquiry and funds transfer operations.

1.4 Phone Banking

Phone Banking solution is implemented with voice recording in English and Hindi and the facility is available to all the customers of CBS branches.

Centralised Clearing Centre (C3)

Centralized Inward and Outward clearing operations have been facilitated at Pune and Ahmedabad NBOs. It is proposed to cover all the remaining NBOs by July 2010.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA) :

Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public Offer of Shares by companies and introduced a supplementary process called as Application Supported by Blocked Amount (ASBA). We have launched the ASBA software to our CBS customers from 26th March 2010 by which an Investor can subscribe to public issue (IPO) through the Bank by authorizing the bank to block the application amount from his/her bank account and thereafter remit the allotment amount.

Mail Messaging Service (MMS):

The Bank has put in place state-of-the-art Mail Messaging System based on Lotus Domino from IBM at all our offices/branches. The new system is more secure and can be accessed through Internet, to facilitate mail messaging usage away from office. Instant messaging is also available.

Video Conferencing :

A new video conferencing system based on Tandberg is being installed in the corporate office and Zonal offices to replace the existing system. Additional features of Desktop Video Conferencing, Conference Recording, and facility for training etc will be made available in the new system which is currently under implementation.

Upgrading Hardware:

Old and obsolete Hardware (PCs/Printers) at Central Office have been replaced with new ones. The standalone printers have been replaced with Network printers to reduce the wastage of stationary as well as bringing discipline among the staff on conserving paper. Support and maintenance of Hardware in all departments of Central Office has been streamlined so as to minimize down time for users.

e-waste Management:

The obsolete hardware at Central Office has been disposed off by donating to School and also through Attero Recycling handling e-waste as a Corporate Social Responsibility.

Website:

The Bank's website has been revamped to give a new look with added features. This has facilitated better interaction between the Bank and its customers by providing information on numerous Products / Services of the Bank as well as providing information pertaining to the bank (Branch/ATM/RTGS/NEFT/etc. locations). Customers/general Public can now download

various types of forms for opening accounts, obtain loans, avail internet banking/mobile banking facilities, etc. Online applications can also be made by customers for loans, jobs, etc. The site is secured from any sort of hacking or intrusions by use of Firewall/Anti virus protection.

Intranet website is also available for Various departments of the Bank to avail internal information(such as circulars, highlights of various events etc). Intranet website can be accessed for Centralite magazine, E-Central Magazine and also submit staff grievances online.

Remittance and Payments System (RTGS and NEFT):

All CBS branches are enabled for RTGS and NEFT facility using the Straight Through Processing(STP). As on 31st March, 2010, 1670 branches have been enabled for RTGS and NEFT. Customers have the facility to make RTGS and NEFT transactions thru Net Banking also. There has been a manifold growth in the number of transactions over the last two years (162% in case of RTGS and 218% in case of NEFT over the period March 2009 to March 2010).

HRMS system:

The process for procurement of new web enabled centralized HRMS solution is under process and People Soft product has been short listed through a tendering process. People Soft is a world-class product running in many of the Banks including RBI. Implementation is expected to begin shortly. This will cater to all the requirements of HRD department as a whole and assist the Bank in providing a lot of self service facilities to the employees through Intranet / internet . Upon its implementation, Bank can be in position to introduce best- practices and techniques in HR . This will also enable the Bank to achieve the objective of operational efficiency, streamlined processes and work flow automation in respect of HR functions.

Cheque Truncation System:

Cheque Truncation System (CTS) has been implemented in NCR Region, New Delhi. The same is now going to be implemented in Chennai for which instructions are awaited from RBI.

e_Treasury:

e-Treasury software from TCS has been implemented successfully for Treasury operations. DR infrastructure has also been commissioned and the data is being brought in Sync with DC and DR drill at periodic intervals will be done on synchronisation.

EDI system:

As per government directive, EDI system has been implemented in February, 2010 using the Centralised version of ICES 1.5. Pithampur extension counter is presently using this system. Four more branches are identified for collection of Customs Duties and will be taken up after receiving go-ahead from Customs.

Demat Services

The Bank has implemented a Web-based solution for demat-services. The solution for handling back-office activities of CDSL application has been procured from CMC. Designated branches across the country are offering demat services.

Cash Management Services

The Bank has implemented Cash Management Solution from Laser soft at CMS department enabling the Bank to introduce "Cash Management Services" for its customers at designated branches.

Software Packages for Various Departments:

Department of Information Technology has an in-house development group catering to internal software requirement of various departments of the bank especially corporate office. This group has developed several packages viz. new pension package, Grievances Management System for Operations dept., CEFICUS package for Trustee dept., CPPC package, Compliance management system, Dealer discounting and Credit scoring package for Priority sector dept., OLTAS (for collection of Direct

taxes for non-CBS brs), EASIEST (for collection of Indirect Taxes for non-CBS brs) etc. Development of the Inventory package as well as the Accounting package for GAD is also in progress. The post-implementation support & maintenance of these packages is also being taken care+ by DIT in-house team.

ATM Network:

The ATM network is being expanded on a large scale. In addition to the existing 400 ATMs, bank is the process of installation of 495 more ATMs. The bank also has an ambitious plan of reaching a target of 3000 ATMs including 150 biometric ATMs at rural centres by March 2011 being the centenary year. Bank is also going to deploy mobile ATMs at Delhi since our bank is the official banker to Common Wealth Games. Bank has tied up with NFS, Cashtree and Visa acquiring in addition to Master Card. Bank is also procuring utility services interfaces for mobile top-up, bill payments, temple donations etc.

Future projects:-

Bank has already initiated process for putting in place an integrated Payment HUB, Single Data Repository- Enterprise Wide Information System catering to Bank's MIS requirement from a single database, software solution for improvising SCAP center, Mechanisation of Clearing in a centralised environment etc.

AUDIT & INSPECTION

IBR/HOUSE KEEPING

The Bank has given special attention to improve the various areas of housekeeping covering balances of books & reconciliation of accounts.

During financial year 2009-10 the bank has maintained a satisfactory position in balancing of books of accounts by focused attention & regular up gradation of the system. The persistent efforts made by the bank towards improving different areas of housekeeping have resulted in regular updation. The Core Banking platform is now being directly utilized to speed up the process of reconciliation work of Inter Branch Transactions. The Inter Branch Transactions spreading over 3577 Branches/Offices are being carried out successfully on an ongoing basis.

Significant improvement has also been achieved in reconciling and restricting number of outstanding entries under various Impersonal Accounts viz. Clearing Difference, Inter Branch, Inter Bank (RBI/SBI/Other Banks) and other Nominal Accounts. The Bank is persevering towards maintaining over-all healthy position of House Keeping so as to keep the level of risk at minimum. The position of outstanding entries is maintained well within the RBI norms.

BRANCH EXPANSION

On 31/03/2009, the Bank was having 3518 branches and 34 Satellite Offices. During the year 49 branches were opened, 11 extension counters were upgraded to full fledged branches and 1 branch was merged. Thus at the end of the financial year 31st March 2010, there were 3577 branches, 34 Satellite offices and 192 Extension Counters. Out of the 3577 branches, there were 1388 Rural branches, 898 Semi-urban branches, 683 Urban branches and 608 Metropolitan branches.

EXTENSION COUNTERS

In the beginning of the year there were 219 Extension Counters. There were 192 Extension Counters after reorganization at the end of financial year 31st March 2010.

OPERATIONS

Our key focus has been to promptly attend the Grievances of the customer on priority. Due to our concerted efforts & follow-up, the average time taken for redressal of grievances has been reduced from 46 days in last year to 32 days in current year.

New Pension Scheme (NPS) has been introduced in 26 branches and there is proposal to extend the facility immediately in about 100 new branches during 2010-11.

There has been an increase of 2% in revenue through Govt. business in current year.

RAJBHASHA

The Bank has made good progress in implementation of Official Language Policy of Govt. Cent-percent compliance of Official Language Policies and Directives was ensured. Third sub-committee of Parliament Committee on Official Language visited our Bank's R.O. Delhi 'B'. Further, Draft and evidence Parliament sub-committee on Official Language visited Zonal Office, Hyderabad; Draft and evidence Parliament sub-committee on Official Language has also visited our Zonal Office, Raipur. The Bank has done coordination work of this tour of Draft and evidence Parliament sub-committee on Official Language and the said committees had complimented the work being done by the Bank in Hindi.

During the year, glimpses of our achievements in the field of compliance of Official Language Policy of Govt. of India are as under:

- Under the Reserve Bank Rajbhasha Shield competition, the Bank has been awarded third prize in Linguistic Region 'B' and Consolation Prize in Linguistic Region 'A' and our bilingual House Journal 'Centralite' has been awarded 4th prize.
- Various Town Official Language Implementation Committee working under the control of Govt. of India, Ministry of Home Affairs have given :
 - ❖ First prize to our Bank's Zonal Office, Nagpur, Regional Office, Trivendrum, Amravati, Gorakhpur, Akola, Bhuvneshwar.
 - ❖ Second prize to our, Zonal Office, Mumbai, Regional Office, Bhuvneshwar, Branch Puduchheri, Bokaro, Vedvyas Chouk, Raurkela, Panigate (Baroda).
 - ❖ Third prize to Zonal Office, Hyderabad, Regional Office, Shimla, and Indore, Branch Irarsi.
- The Bank has been assigned responsibility of co-ordination of Town Official Language Committee of Bhopal, Raipur, Madurai and Jalgaon.
- Govt. of India, Ministry of Home Affairs awarded second and Third prize, respectively, for best co-ordination of Town Official Language Implementation Committee, Raipur, Madurai and Akola.
- Govt. of India, Ministry of Home Affairs awarded First, Second and third prize, respectively, to our Zonal Office, Delhi, Regional Office, Ranchi, Durgapur .
- Zonal Office, Delhi has bagged first prize from TOLIC Delhi for 'Centralvani' being published by Delhi Zone.
- Hindi Vikas Samiti has awarded 'Bhartendu Samman' to Shri T.K.Paik, Zonal Manager of our Zonal Office, Muzaffarpur.
- Our Bank has organized 'Rajbhasha Sammelan' in all Linguistic Areas 'A', 'B' and 'C' respectively in Bhopal, Chandigarh and Kolkata.

CORPORATE COMMUNICATIONS

- During the year 2009-10, under our corporate branding exercise through national and regional newspapers in absolute terms, we have reached to a circulation of 642.36 lacs providing us a minimum recall value of Rs. 0.48. For creating and enforcing brand equity among executives and segmented opinion leaders, niche publications were used as a media of communications from time to time during the period ended March, 2010. Apart from above, the corporate / products and services ads were also released to souvenirs and publications of various social, cultural organizations in additions to the publications associated with opinion leaders/ builders.
- For creating appropriate brand image through Electronic Media, it was decided for the production of three animated corporate TVC with the concept titles of Hare & Tortoise, Fox & Crane and Birds & the Hunter. The objective of these TVCs is to position our Bank as the Bank offering "Refreshing Different Ideas" to cater the diverse needs of the customers. Out of these proposed three TVCs, Hare & Tortoise and Birds & the Hunter are already in place and released in selected electronic media considering the varied segments of our target audience. These TVCs have also been conceptualized and adopted in the existing 39 sites of the hoardings of the Bank available through out the country. Bank also has its presence on FM Radio and Cent Swabhiman Plus documentary film for Electronic media.

- The Bank has taken initiative for the keyword tool for generating leads and integrated Corporate Communications campaign for marketing of Bank's products and services through SMS and Email Marketing.
- The Bank has utilized Outdoor Media Publicity through Hoardings / Glow signs, Bus Q Shelters, Double Decker buses, King long Buses of different routes and complete exteriors of local trains on different routes are being carried out from time to time.

VIGILANCE

The Vigilance Department of the Bank which undertakes three basic functions relating to Vigilance in the Bank, viz., Preventive, Investigative, & Punitive Vigilance, also takes steps for ensuring compliance with the directions emanating from the Central Vigilance Commission / Government of India as also the regulatory authority i.e. R.B.I., from time to time. The Department has focused its attention on aspects relating to Preventive Vigilance by offering suitable advices to the operational departments from time to time specially with regard to review of the existing Systems & Procedures. Analysis of the modus-operandi of frauds committed provides inputs for suggesting measures to plug loopholes and prevent recurrence of such frauds.

With the objective of highlighting the constant need for upgrading skills and sensitizing staff about prevention/ handling of frauds, workshops are being for various fields /operating level functionaries. At these workshops, while emphasis is laid on the need to strictly follow laid down procedures, the field level officials are also advised of the steps to be taken on an ongoing basis to prevent /minimize frauds etc. Informal system of reporting about frauds has also been put in place whereby any one can approach seniors, ROs/ZOs/CO and can provide information about likelihood of frauds at the particular branch/office and strict confidentiality will be kept about such persons.

In respect of Investigative vigilance, Vigilance Officers posted at the Zonal Offices, who directly report to the Chief Vigilance Officer, have been advised to increase the number of surprise inspections of branches, so as to ensure increased coverage of branches, and also to speed up the process of carrying out investigation into specific complaints received from various sources. Workshops for these Vigilance Officers are also held to enable sharing of experiences and honing of investigative skills.

As regards Punitive Vigilance, the Department oversees the conduct of the Disciplinary action initiated arising out of the investigations and where the nature of irregularities are decided as having a vigilance angle. The decision by the Chief Vigilance Officer to treat a matter as Vigilance or otherwise is taken based on the recommendations of the Internal Advisory Committee, comprising senior functionaries of the rank of General Managers, set up as per the guidelines of the CVC. The department has taken various measures to ensure speedier disposal of Disciplinary Action cases, which has resulted in bringing down the number of outstanding cases.

The functioning of the Vigilance Department is reviewed every quarter by the Vigilance Committee of the Board of Directors of the Bank. The Board also reviews the Quarterly / Annual reports of Frauds in Borrowal / Non-Borrowal accounts. Frauds in excess of Rs.10.00 million are reported to the Special Committee of the Board for Monitoring Large-value Frauds.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MANPOWER:

At the end of March 2010 the staff strength of the Bank stood at 34,826 (including PTSK) as against 35,543 (including PTSK) in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2010	March 2009
Officers	12,535	12,441
Clerks	12,682	12,935
Sub-staff (including PTSK)	9,609	10,167
Grand Total	34,826	35,543

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND TRAINING:

With the winds of competition blowing hard in the banking Industry, it is the quality of human resource and not the numbers, that matter for any organization. Such quality in human resource can be achieved through constant harnessing of their skills, providing continuous opportunities for acquiring new knowledge and also instilling positive attitudes among rank and file. All these aspects relate to Training function of the Human Resource Management (HRM) of the Bank and accordingly, 'Training & Development' function continue to be given major thrust.

Quality training is the cornerstone for building healthy succession and to nurture a sound managerial team. With this backdrop and in furtherance to the constant endeavour to transform the Bank as a 'Learning Organisation', vibrant changes are brought about in the entire gamut of the training activity encompassing training modules, contents and delivery systems etc. In order to give impetus to the training endeavour, first time in the Bank, a structured training policy has been documented and adopted. Under this policy it has been envisaged to impart at least one training with a duration of 6 days for officers and 3 days for award staff by 2010-11. Further, the training focus has since been laid on 'need based rather than on nomination based'. Under this said policy an apex internal training policy advisory committee headed by Chairman & Managing Director has been constituted to oversee the training performance and to propose new areas of training. The training policy will be reviewed by Chairman & Managing Director and Executive Director on half yearly basis.

During the year 2009-10, ensuring full utilization of training capacity and supplementary capacity building/utilization through training programmes by external experts have been given predominant focus. In order to increase the horizons of knowledge of our executives/senior level officers and to enhance the intellectual capital of the Bank, during the year 2009-10, interactive sessions have been arranged with Dr. Gautam Vinayashil, an eminent management professional of International repute at various centers ,wherein, rich experiences are shared and debated. These apart, special training programmes were conducted exclusively by outside experts of high repute on Branch Management, Managerial excellence, Finance to Micro, Small & Medium Enterprises, Credit Risk Management, Art of Crafting Business letters, Competency Building for excellence at work etc. Around 1420 classroom training programmes were conducted covering more than 23413 participants and 76396 man-days by three Training Colleges and nine Zonal Training Centres. These programmes covered various topics like Risk Management, Basel II, Credit Management, NPA Management, Recovery, Financial Inclusion, IT related programmes, Treasury/ID, Forex, etc. Apart from these regular training programmes, special training programmes were conducted at SPBT College for Regional Managers in Scale V and officers in Scale IV on 'Leadership and Team Building' as also for General Managers and Deputy General Managers on Leadership Development Programme. In the year 2009-10, 17 officers have been sent for overseas training/exposure visit. Further, officers in various scales were sent for specialized programmes conducted by external training agencies like NIBM, CAB, BIRD, FEDAI, IDBRT etc. During the year 2009-10, 18 pre-recruitment programmes were conducted covering 5036 SC, 1210 ST & 102 OBC candidates. Further, pre-promotion programmes were conducted covering 2377 SC/ST candidates.

RECRUITMENT & PROMOTIONS:

In order to make the institution professional savvy, first time in the Bank, 52 MBAs have been recruited on contractual basis through campus mode from the Professional/Management institutions like IIT, IIM, IMI etc - besides the regular recruitment processes in respect of Specialists and Mainstream posts. Further, during the year under review, process for infusing 100 more MBAs through campus mode has been initiated. In the year 2009-10, recruitment process was held for 2427 posts encompassing IT Officers (Scale III), IT Officers (Scale II), Law Officers (Scale II), MBAs (Scale II & III), Probationary Officers (Scale I), AFOs (Scale I), Security Officers (Scale I), Clerical Staff and Armed Guards (Sub-staff cadre).

During the year 2009-10 inter-scale and inter-cadre promotion was conducted for 2925 posts. 221 sub-staff were promoted to clerical cadre under written test channel. Further, a fresh promotion process from sub-staff to clerical cadre under written test channel has been initiated for 514 vacancies. 54 steno clerks were promoted as Steno Officers. 12 clerks were promoted as Rajbhasha Officers (Scale- I) and 17 clerks were promoted as Security Officers. Promotion process for 424 vacancies of Scale I was held and the posting orders for the selected candidates were issued. This was a follow-up process to the last years process in which 1852 clerical staff were elevated to officer cadre. One time conversion facility was extended to Specialist Officers having 3 years in their present scale and 5 years service in the Bank and have been absorbed in the main stream. 8 Rajbhasha

Officers were promoted from II to III. Promotional postings of 1056 officers from Scale I to II and 420 officers from Scale II to III (which was initiated during the last financial year) were released alongwith their postings. Further, a fresh Promotion process from Scale I to II and II to III have been initiated for 1758 and 637 vacancies respectively. Promotion Process for 118 Scale IV vacancies, 47 Scale V vacancies, 14 Scale VI vacancies and 7 Scale VII vacancies have been conducted.

SUCCESSION PLANNING ENDEAVOURS :

In order to build up a healthy succession to address the managerial gaps timely, the Bank had initiated promotion process for various cadres on large scale and also initiated recruitment of IT officers and MBAs in various disciplines.

VISIT BY HR COMMITTEE CONSTITUTED BY GOVERNMENT OF INDIA:

The Khandelwal Committee constituted by the Government of India to study HR issues of the Public Sector Banks visited the Bank and interacted with the Chairman and Managing Director and other executives of the Bank to ascertain the Bank's viewpoint on some of the important issues flowing from the terms of reference of the committee. In concluding interactions, the Chairperson and members of the Committee said that the HR is the key to the organizational effectiveness. And going by the presentation made and the interactions had in the said meeting, despite many constraints, the Bank has since taken a host of initiatives on HR and Training front and made rapid strides in this score.

While observing that these initiatives have started yielding positive results as reflected in the business growth, the Chairperson and Committee members expressed their profound hope that the growth story of the Bank prompted them to foresee a better future on HR front and the Bank would continue its initiatives and efforts to bring the HR at the center stage of the Bank's business activities. A note on the Committee's visit to the Bank was placed before the Board for information in its meeting and the Board noted the same.

IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Government of India/Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy. In order to effectively implement the Reservation Policy, staff members have been nominated to special training programme conducted by outside agencies like Institute of Public Administration, Bangaluru. During the year, Prof. N M Kamble, Vice Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi paid visit to the Bank for discussing individual issues of certain SC members.

BUSINESS MEETINGS WITH REPRESENTATIVES UNIONS/ASSOCIATIONS:

During the year under review, exclusive meeting was held on 3rd June 2009 at Corporate Office level with major Unions/Associations to discuss solely on the strategies of business development. A joint appeal was made by the Management and four Unions exhorting all staff members to work in unison and putforth their extra efforts to attain the business goals for the current fiscal, towards making the new vision and OPERATION NAVCHETNA a reality.

STAFF WELFARE SCHEMES:

'Welfare of Staff and their families' continues to be the committed endeavour of the management and this endeavour is always kept on the top of the HR agenda of the Bank. Accordingly, an amount of Rs.15 crore has been apportioned during the year towards various Staff Welfare Schemes. Moreover, the schemes have been thoroughly improved upon both in terms of ceilings and coverage.

INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

CENTBANK FINANCIAL SERVICES

The Company's name is changed from 'CentBank Financial & Custodial Services Ltd.' to 'CentBank Financial Services Ltd.'. The Company's object clause has been changed with intention to expand its area of activities to offer all types of financial services such as Merchant Banking, Broking, Underwriting, Distribution of Mutual Funds/Insurance, Loan Syndication, Debenture Trustee, Security Trustee/Security Agent etc. The Company is positioning itself to be one stop financial services provider.

As a result of restructuring, the Company has posted a net profit of Rs. 432.85 lacs during the year ended March 31, 2010 after provision of Tax of Rs. 225.00 lacs as against Net Profit of Rs. 21.67 lacs during the previous year.

CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

The Net Profit of the Company stood at Rs.5.45 crore as at March 2010, as against the level of Rs.3.16 Crore as of March, 2009. The main reason for increase in profit is reduction in interest expenses. The Company has during the year prepaid the entire high cost refinance outstanding with the National Housing Bank. It has after five years again declared a dividend @10% to its shareholders. During the FY, the Company had sanctioned a total amount of Rs.58.50 crore in 974 accounts and disbursed an amount of Rs.54.28 crore in 939 accounts. The loan outstanding increased from Rs.257.88 crore as on March 2009 to Rs.269.88 crore as on March 2010.

The Company has consistently improved its Net Own Funds by adding to the Reserves by sustained generation of profit. Net worth has gone up from Rs.46.21 Crore as on March 2009 to Rs.49.31 Crore as on March 2010. This was due to consistent increase in profit. The installments on Term Loans of Central Bank of India are paid regularly by internal generation of funds through prompt recovery of Installments in borrower accounts and also recovery of overdue amount in Non Performing Accounts. Deposits from public and institutions have increased from Rs.16.16 Crore as on March 2009 to Rs.38.04 Crore as on March 2010. The Company has availed fresh Term Loan of Rs.100 crore from Central Bank of India during 2009-10 till March 2010.

INDO ZAMBIA BANK LTD

The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz., Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. Each Indian Bank is holding 20 per cent equity and the Government of Republic of Zambia holds the balance 40 per cent equity. The Bank continues to perform well under all parameters. We have been receiving dividend from them regularly. The present Managing Director of the Indio Zambia Bank Ltd is Mr.S.R.Shukla from Central Bank of India.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

The Bank had sponsored 8 RRBs covering 55 districts in 7 states with a network of 1726 branches. During the year 2009-10, Government of India vide notification dated 01.01.2010 amalgamated out 2 RRB's namely Ballia Kshetriya Gramin Bank and Etawah Kshetriya Gramin Bank in U.P. to form a new entity with the name as Ballia Etawah Gramin Bank. Thus the number of our sponsored RRBs is reduced to 7 as on 31.03.2010.

In pursuance to directions of the Hon'ble Finance Minister in the respect of branch expansion and equity support to the RRBs having negative net worth as on March 2007, the position of our sponsored RRBs is as under:

a) Branch Expansion :

During the year 2009-10 the RRBs sponsored by us have opened 22 new branches. With this the total number of branches has increased to 1745 as on 31.03.2010. During the year three branches of Vidarbha KGB have been merged in their other branches in the same block.

b) Deposits:

The deposits of RRBs increased from Rs.12575.44 crore as on 31.03.2009 to Rs.14600.02 crore as on 31.03.2010, registering growth of 16.10%.

c) Advances:

The advances of RRBs have increased from Rs.4923.39 crore as on 31.03.2009 to Rs.6071.53 crore as on 31.03.2010.

d) Profitability:

The RRBs have earned profit of Rs.261.63 crore during the year 2009-10 against the previous year's profit of Rs.195.31 crore.

BOARD OF DIRECTORS

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri Arun Kaul has been appointed as Executive Director with effect from April 22, 2009
- Shri Romesh Sabharwal has been re-appointed as a Part-Time Non-Official Director with effect from October 6, 2009
- Major (Retd.)Ved Prakash has been re-appointed as a Part-Time Non-Official Director with effect from October 20, 2009.
- Shri B S Rambabu has been appointed as Workmen Employee Director with effect from March 16 , 2010.

AWARDS & ACCOLADES

- WINNER OF BEST EDUCATION LOAN PROVIDER BY OUTLOOK MONEY –NDTV PROFIT FOR 2009
- NATIONAL LEVEL BEST BANK IN FINANCING KVIC FOR 2009
- BEST CUSTOMER TECHNOLOGY AWARD : IBA –TFDI 2009
- BANKING EXCELLENCE AWARD BY HOSPITALITY INDIA -2009
- IMM AWARD FOR EMINENT ORGANISATION FOR 2010
- SKOCH CHALLENGER AWARD FOR BEST BUSINESS MODEL 2010
- ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3050 – AWARD FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE
- AMONG TOP FIVE MOST TRUSTED BANKS BY A SURVBEY CONDUCTED BY AC NIELSEN & ECONOMIC TIMES

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date : May 22, 2010

S Sridhar
Chairman and Managing Director

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

The thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholder's value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholder's value.

Board of Directors

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are appointed by the Government of India. During the year under review i.e. 2009-10, the composition of the Board was as under:

Shri S. Sridhar (From 02.03.2009)	Chairman and Managing Director
Shri Ramnath Pradeep (From 19.12.2008)	Executive Director
Shri Arun Kaul (From 22.04.2009)	Executive Director
Dr Shashank Saxena (From 10.06.2008)	Government of India Nominee Director
Shri M.K. Bhattacharya (From 27.02.2007)	RBI Nominee Director
Shri M.S. Johar (From 02.01.2008)	Part Time Non-official Director under Chartered Accountant category
Mrs. Indu Singh Pawar (Retired on 01.01.2009)	Part Time Non-official Director
Shri N.K. Pareek (Retired on 07.10.2009)	Officer Employee Director
Shri C.M. Puri (Retired on 04.09.2009)	Workmen Employee Director
Shri Brijlal Kshatriya (From 20.11.2008)	Shareholder Director
Prof. N. Balakrishnan (From 20.11.2008)	Shareholder Director
Shri Romesh Sabharwal (From 06.10. 2009)	Part Time Non-official Director
Major (Retd) Ved Prakash (From 20.10.2009)	Part Time Non-official Director
Shri B S Rambabu (From 16.03.2010)	Workmen Employee Director

All Directors, other than the Chairman and Managing Director and the Executive Directors are Part Time Non-official Directors on the Board.

Brief Profile of the New or re-appointed Directors

Shri Arun Kaul is a professionally qualified banker having 31 years of Business and Management experience. He has worked as Chief General Manager – Credit Administration in Punjab National Bank and has held key assignments in Treasury, Finance, Foreign Exchange, International Banking and Investors' Relations for the Bank. He is also the Director of Centbank Financial Services Ltd.

Shri Romesh Sabharwal aged 47 years, was appointed on 03.03.2006 as a Part-Time Non-Official Director on our Board upto 02.03.09. He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board of the Bank from 06.10.2009. He has a Bachelor's Degree in Arts and Diploma in Engineering.

Major (Retd.) Ved Prakash aged 71 years, was appointed on 06.10.2005 as a Part-Time Non-Official Director on our Board upto 05.10.2008. He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board from 20.10.09. He has a Master's Degree in Arts, Diploma in Business & Advance Intelligent course.

Shri B S Rambabu is a Workmen Employee Director appointed on 16.03.10.

Details of other Directors

Shri S Sridhar, is a banker with more than 36 years experience in commercial and development banking. He is concurrently Chairman and Managing Director of National Housing Bank, the apex financial institution for housing and regulator for housing finance companies. He launched new initiatives like first residential property index, housing micro finance, reverse mortgage etc. Before the stint in NHB, he was Executive Director and Chief Operating Officer of EXIM Bank. In 2006, he led the successful launch of first Samurai Bond issued by an Indian Entity, which marked the re-entry of India into Japanese Bond Market. He has served in various National level committees and task forces involved in framing Financial Sector policies. Shri Sridhar graduated from IIT Delhi and did his Masters from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai. He has completed the fellowship of the Lord Aldington Banking Research in the year 1984, working in UK and France. He has been an invited speaker in UNCTAS, UNHABITAT, UNESCAP, OECD, CBF, Commonwealth etc. He joined Central Bank of India as CMD on 02.03.2009. He is also the Director of Centbank Financial Services Ltd.

Shri Ramnath Pradeep, is a Post Graduate in Economics and LLB and started his career as a Law Officer in MP Financial Corporation. He joined Dena Bank in 1981 before joining Oil and Natural Gas Commission. He again joined Dena Bank as Sr Manager (Legal). During his meritorious service in Dena Bank. He was posted as AGM Bhopal Region and later on as DGM looked after departments like Marketing, Publicity, Legal, Restructuring and Sick Units and follow up of suit filed accounts and recovery under SARFAESI Act. The meritorious career in Dena Bank culminated in his promotion as General Manager in Dena Bank in 1999 and he handled big zones like Mumbai, Delhi. In 2001 he was posted to SBI and BOI as Chief Vigilance Officer. On completion of his tenure as Chief Vigilance Officer, he returned to Dena Bank. As a seasoned banker with vast experience in Operational and policy matters, he has headed IT Dept., Cards Management Department and Implementation of Delivery channels and created breakthroughs in Banking Arena. He joined Central Bank of India on 19.12.2008 as Executive Director. He is also the Director of Centbank Home Finance Ltd., Centbank Financial Services Ltd. and Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.

Dr. Shashank Saksena, is a Post Graduate in Economics, Science and a degree in Law having wide experience in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. He has completed Doctorate in Philosophy. He is in Indian Economic Service cadre, presently working as Director, Ministry of Finance, in the rank of Joint Secretary. He is also a Director representing Government of India in Industrial Investment Bank of India Ltd. and the department of Insurance and Credit Guarantee Corporation. He was Director (B.O.II & Pension) in Ministry of Finance and Department of Financial Services. He is presently Director of Industrial Investment Bank of India and DICGC.

Shri Brijlal Kshatriya, is a specialist in Management of Steel Plant and has extensive training experience in works and HR functions in India and abroad. He has served in top administration of different plants of SAIL, ultimately taking charge as MD of Bokaro Steel Plant. He has won Rajiv Gandhi Excellence Award in 1993, Mother India International Award from NRI World in Dec. 1993 and Glory of India International Award of India in Dec.1993.

Prof N Balakrishnan, is a scientist of highest international repute. He is a BE (in Electronic curriculum) from University of Madras with Ph.D from Indian Institute of Sciences in 1979. He is currently Associate Director of Indian Institute of Sciences and a Professor at the Department of Aerospace Engineering. He played a crucial role in building India's first Super Computer Centre. He has over 200 publications to his credit in the International journals and Conferences. He is the recipient of "Padmashree" award from President of India in 2002, Homi J Bhabha Award for Applied Science in 2004. J C Bose National Fellowship in 2007.

He is currently a member of National Security Advisory Board. Prof N Balakrishnan has given critical inputs in many major National initiatives in IT planning and Information Security.

Shri M.K. Bhattacharya, aged 66 years was appointed as the RBI nominee Director on 27.02.2007. He has a master's degree in Commerce. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has worked in various departments of RBI and was on the board of other Public Sector Undertakings.

Shri M.S. Johar, aged 54 years was appointed as the Director under Chartered Accountant category on 02.01.2008. He has a bachelor's degree in Arts and he is a qualified Chartered Accountant.

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

Names of Directors	Date of Appointment as Director	Area of Expertise	Member of Committees of Board of Central Bank of India		Directorship of other Companies
			Member	Chairman	
Shri S. Sridhar	02.03.2009	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP	i) Chairman, National Housing Bank ii) Chairman, Centbank Financial Services Ltd. iii) Director, Indo Zambia Bank Ltd. iv) Director, Agriculture Finance Corporation Ltd. v) Director, Indian Institute of Foreign Trade.
Shri Ramnath Pradeep	19.12.2008	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC	Nil	i) Director, Cent Bank Home Finance Ltd., ii) Director, Centbank Financial Services Ltd. iii) Director, Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.
Shri Arun Kaul	22.04.2009	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC	Nil	Centbank Financial Services Ltd.
Dr Shashank Saksena	10.06.2008	Economist	ACB, RMC, LVFC	RC	IIBI, DICGC
Shri M.K. Bhattacharya	27.02.2007	Banking	MCB, ACB, RMC, CSC, RC	Nil	Nil
Shri M.S. Johar	02.01.2008	Accountancy	MCB, ACB, CSC, SIGC	ACB, SIGC	-
Shri Brijlal Kshatriya	20.11.2008	Human Resources Development	MC, LVFC, CSC, SIGC	Nil	i) Eco-Tech Management Services Pvt. Ltd. ii) Sanson Association (I) Pvt. Ltd. iii) Strategic H R Services Pvt. Ltd.
Prof N. Balakrishnan	20.11.2008	Information Technology	RMC, ITP	Nil	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Bharat Electronics Ltd.
Shri Romesh Sabharwal	06.10.2009	Businessman	MC, RMC, LVFC, CSC, REMU	Nil	Nil
Major (Retd.) Ved Prakash	20.10.2009	Social Worker	CSC, SIGC, ITPA	Nil	Nil
Shri B S Rambabu	16.03.2010	Banking	Nil	Nil	Nil

MC	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITP	-	Information Technology Project in the Bank
SIGC	-	Shareholders'/Investors' – Grievances Committee
RC	-	Remuneration Committee
IFRS	-	International Financial Reporting Standards
ITPA	-	Internal Training Policy Advisers

Remuneration of Directors:

The Directors are paid sitting fees of Rs.5,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and Rs.2,500/- for attending every meeting of various Committees of the Board, apart from reimbursement of usual travelling and halting expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India.

During the financial year 2009-10, the following amounts have been paid to the Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr. No.	Name	Rupees
1.	Shri S Sridhar	13,53,200
2.	Shri Ramnath Pradeep	12,95,595
3.	Shri Arun Kaul	9,98,790

In addition to the above salary, allowances and perks, the Remuneration Committee of the Board approved the payment of performance-linked incentive amounting to Rs.50,000/- to Shri S Sridhar, CMD, Rs.4,50,000.00 to Ms. H.A. Daruwalla, ex-CMD, Rs.1,12,000/- to Shri Ramnath Pradeep, E.D., Rs.2,00,000.00 to Shri K. Subbaraman, Ex. ED and Rs.1,33,000/- to Shri Albert Tauro, Ex. E.D., in respect of the financial year 2008-09.

During the year under review, the Bank has paid Rs.4,20,000/- to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.5,15,000/- towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Conduct of Board Meetings

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

27/28.04.2009	16.05.2009	11.06.2009	24.06.2009	27.07.2009
29.08.2009	21.09.2009	30.10.2009	05.12.2009	21.12.2009
28.01.2010	18.03.2010	31.03.2010		

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From-To)	Whether attended last AGM on 04.08.2009
Shri S. Sridhar	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES
Shri Ramnath Pradeep	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES
Shri Arun Kaul	12	13	22.04.2009 – 31.03.2010	YES
Dr Shashank Saksena	11	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES
Shri M.K. Bhattacharya	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010	NO
Shri M.S. Johar	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES
Shri Brijlal Kshatriya	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From-To)	Whether attended last AGM on 04.08.2009
Prof N. Balakrishnan	08	13	01.04.2009 – 31.03.2010	YES
Shri Romesh Sabharwal	06	06	06.10.2009 – 31.03.2010	N.A.
Major (Retd.) Ved Prakash	06	06	20.10.2009 – 31.03.2010	N.A.
Shri B S Rambabu	02	02	16.03.2010 – 31.03.2010	N.A.
Smt Indu Singh Pawar	10	10	01.04.2009 – 01.01.2010	YES
Shri C M Puri	06	06	01.04.2009 – 04.09.2009	YES
Shri N K Pareek	07	07	01.04.2009 – 07.10.2009	YES

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2010, it comprised of 7 members consisting of the Chairman & Managing Director, Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, Chartered Accountant Director and 2 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 27 times during the year on the following dates:

15.04.2009	27.04.2009	16.05.2009	25.05.2009	10.06.2009
20.06.2009	29.06.2009	11.07.2009	22.07.2009	04.08.2009
21.08.2009	28.08.2009	12.09.2009	26.09.2009	12.10.2009
29.10.2009	09.11.2009	30.11.2009	18.12.2009	29.12.2009
15.01.2010	27.01.2010	09.02.2010	21.02.2010	08.03.2010
16.03.2010	27.03.2010			

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From-To)
Shri S.Sridhar	27	27	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Ramnath Pradeep	26	27	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Arun Kaul	24	26	22.04.2009 – 31.03.2010
Shri M.K. Bhattacharya	26	27	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri M.S. Johar	27	27	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Brijlal Kshatriya	10	13	01.04.2009 – 09.06.2009 10.12.2009 – 31.03.2010
Shri N. Balakrishnan	09	14	10.06.2009 – 09.12.2009
Shri Romesh Sabharwal	06	07	02.01.2010 – 31.03.2010
Smt Indu Singh Pawar	04	04	30.10.2009 – 01.01.2010
Shri C M Puri	10	10	10.05.2009 – 04.09.2009
Shri N K Pareek	04	04	05.09.2009 - 07.10.2009

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- a. Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- b. Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- c. Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- d. Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- e. Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- f. Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- g. Qualifications in the Draft Audit Report;
- h. To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- i. Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy or internal control systems;
- j. Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- k. Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to by the Audit Committee.

The Audit Committee comprises of 6 members viz. Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director two non-official part time Directors. Shri M.S. Johar, Chartered Accountant, is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. He is appointed for a period of 3 years from the date of the appointment i.e. 02.01.2008.

The members of the Audit committee are as under:

1	Shri M S Johar	Chairman
2	Shri Ramnath Pradeep	Member
3	Shri Arun Kaul	Member
4	Dr Shashank Saksena	Member
5	Shri M.K. Bhattacharya	Member
6	Prof N Balakrishnan	Member

During the year, the Audit Committee met 13 times on the following dates:

15.04.2009	28.04.2009	16.05.2009	24.06.2009	11.07.2009	27.07.2009
26.09.2009	30.10.2009	27.11.2009	17.12.2009	06.01.2010	28.01.2010
20.02.2010					

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri M S Johar	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Ramnath Pradeep	13	13	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Arun Kaul	11	12	22.04.2009 – 31.03.2010
Dr Shashank Saxena	10	13	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri M.K. Bhattacharya	12	13	01.04.2009 – 31.03.2010
Prof N Balakrishnan	01	03	02.01.2010 – 31.03.2010
Smt Indu Singh Pawar	10	10	01.04.2009 – 01.01.2010

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Shareholders'/ Investors' Grievance Committee

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/ Investors Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Brijlal Kshatriya, Shareholder Director on the Board of our Bank.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

27.04.2009	29.08.2009	04.12.2009	21.02.2010
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri S.Sridhar	04	04	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Ramnath Pradeep	04	04	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri Arun Kaul	04	04	01.04.2009 – 31.03.2010
Shri M.S.Johar	03	03	01.04.2009 – 20.12.2009
Shri Brijlal Kshatriya	03	04	01.04.2009 – 31.03.2010
Major (Retd.) Ved Prakash	01	01	21.12.2009 – 31.03.2010

The details of Investor Grievances for the year 2009-10 (01.04.2009 to 31.03.2010) is as under:

1	Complaints pending at the beginning of the year	NIL
2	Total Complaint letters received during the year	478
3	Total Complaints received for mutilated cheque/correction	4
4	Total complaints received through NSE during the year	NIL
5	Total complaints received through BSE during the year	NIL
6	Total complaints received through SEBI during the year	26
7	Total Legal Notice/consumer court cases	NIL
8	Total complaints received	508
9	Total complaints resolved/replied during the year	508
10	Total complaints pending at the end of the quarter	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri S C Jhanwar, Deputy General Manager & Principal, Sir S P B T College, Mumbai, is the Compliance Officer of the Bank for Corporate Governance.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consisting of Dr. Shashank Saksena, Government Nominee Director (in the Chair), Shri M.K.Bhattacharya, Reserve Bank of India Nominee Director, Shri M S Johar and Shri Brijlal Kshatriya, met on 29.08.2009 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the year 2008-09.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has increased its paid-up capital by way of issue of Preference Shares in the form of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) to the tune of Rs.450 crore to Government of India. Further, Bank has also raised Rs. 1,000.00 crore in the form of Upper Tier II Bonds. The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised will be utilized for the above purpose.

The PNCPS issues of Rs. 450 crore to the Government of India are not transferable and are not dealt with the Stock Exchanges and accordingly, cannot be traded and/or listed.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were published in the Economic Times in all Editions (English/Gujarati/Hindi) and Loksatta, Marathi (Regional Language) . The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. The text of the same is available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of Insider Trading in Bank's security.

Number of shares of Bank held by Directors is as under:

Sr	Name of Shareholder	Total Shares held	
		Number	As a % of grand total
1	Shri Brijlal Kshatriya	200	0.000049
2	Shri N Balakrishnan	100	0.000024
	Total	300	0.000073

Corporate Social Responsibility

The Bank has formulated schemes under financial inclusion for financially weaker excluded persons of society.

Donations: The Bank has donated a sum of Rs.95.30 lakhs during the year to various Trusts, NGOs, Associations, Charitable Institutions etc.

Initiatives taken during the Year 2009-10 as a part of Corporate Social Responsibility

- The Bank has Implemented Youth Finance Facility in collaboration with Commonwealth Secretariat in 4 backward districts. The aim is to provide integrated financial assistance to youth for setting up micro enterprises.
- Bank provided Technical Assistance through capacity building on Micro-finance in St.Lucia in West Indies.

- c) The Bank had organized inclusive and integrated programme on Small Business Competitiveness Development Programme in Jaipur in collaboration with Commonwealth secretariat.
- d) In order to develop rural entrepreneurship, the Bank launched a Rural Development and Self Employment Training Institute(RUDSETI) at Ambikapur (Chattisgarh), Chhindwara (Madhya Pradesh), Jabalpur (Madhya Pradesh), Jalpaiguri (West Bengal) and Ratlam (Madhya Pradesh). This will provide intensive entrepreneurship training to the rural youth, to enable them to take to vocational activities. The Bank has already set RUDSETIs at Kota, Muzaffarpur and Hoshangabad.

Other Disclosures

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI,SEBI,Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market.

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

The Bank has complied with the stipulated requirement of Clause 49 of Listing Agreement to the extent that the requirements of the clause do not violate the provision of Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Non-Mandatory Requirements (Annexure I D of Listing Agreement)

The Bank has presently not adopted the non-mandatory requirement set out in Annexure-ID to the Clause 49 of the Listing Agreement.

Certificate of Compliance

A certificate of compliance of stipulations and conditions of Corporate Governance as per Clause 49(VII) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges has been obtained and placed on record of the Board.

General Body Meeting

The second Annual General Meeting of the Bank was held on 4th August, 2009 at 3:00 pm at Sir SPBT College, Near Cooper Hospital, JVPD Scheme, Vile Parle (W), Mumbai-400056

A Special Resolution was passed to increase the Authorised Capital of the Bank from Rs.1500 crore to Rs.3000 crore at the General Body Meeting and no resolution was passed through Postal ballot during the year under review.

General Shareholder Information

- 3rd Annual General Meeting of the Bank:
Date: 14th July, 2010 at 3.00 PM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
- The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2009-10
- Date of Book Closure: 10th July 2010 to 14th July, 2010 (Both days inclusive)
- Dividend Payment Date: 19.07.2010
- Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on The Bombay Stock Exchange Limited and The National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2010-11 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2010

Series Particulars	Issue date	Total Value (Rs. in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series VII	25.09.2003	200.00	INE483A09112
Lower Tier II-Series VIII	07.10.2003	70.00	INE483A09120
Lower Tier II-Series IX	08.10.2004	200.00	INE483A09138
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Total		3992.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or Bombay Stock Exchange Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2010-11 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

Month	High Rs.	Low Rs.	Total Traded Qty	NSE Nifty	
				High	Low
April-09	51.70	33.65	15950576	3511	2966
May-09	77.75	43.80	16320948	4509	3479
June-09	99.35	71.15	24515863	4693	4143
July-09	106.00	82.30	11690254	4670	3919
August-09	105.00	84.15	4151825	4744	4359
September-09	163.50	100.00	26334894	5088	4577
October-09	162.10	120.05	17591716	5182	4688
November-09	161.70	125.15	17858745	5138	4539
December-09	171.50	136.70	7337369	5222	4944
January-10	166.70	146.20	6590021	5311	5260
February-10	167.60	142.00	5928750	4992	4675
March-10	165.50	141.70	5203168	5330	4935

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

Month	High	Low	Total Traded Qty	Sensex	
				High	Low
April-09	50.40	33.60	6972809	11492.10	9546.29
May-09	77.60	43.75	7121695	14,930.54	11,621.30
June-09	99.20	72.00	9990718	15,600.30	14,016.95
July-09	106.00	82.00	5506478	15,732.81	13,219.99
August-09	104.50	93.50	2331046	16,002.46	14,684.45
September-09	164.20	100.00	13664683	17,142.52	15,356.72
October-09	161.90	119.30	8208346	17,493.17	15,805.20
November-09	161.50	120.00	8521176	17,290.48	15,330.56
December-09	178.90	136.55	4119731	17,530.94	16,577.78
January-10	168.40	145.05	3302575	17,790.33	15,982.08
February-10	167.70	140.40	3272200	16,669.25	15,651.99
March-10	164.65	142.55	1980306	17,793.01	16,438.45

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg, Bhandup (West)

Mumbai – 400 078

Tel: 022-25963838

Fax: 022-25946969

Email Id: isrl@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

Compliance officer

Central Bank of India

Sir SPBT College, JVPD Scheme

Near Cooper Hospital, Vile Parle (W)

Mumbai 400 056

Contact No. 022- 26207813

Fax No.: 022- 26208680

Email id: ipocell@centralbank.co.in

8. Distribution of shareholdings as on 31.03.2010

No. of Equity Shares held	Folios		Shares	
	Nos.	%	Nos.	%
Upto 500	158999	97.7607	13222646	3.2718
501 to 1000	2051	1.2611	1607878	0.3979
1001 to 2000	860	0.5288	1256935	0.3110
2001 to 3000	233	0.1433	591883	0.1465
3001 to 4000	95	0.0584	340411	0.0842
4001 to 5000	84	0.0516	392880	0.0972
5001 to 10000	126	0.0775	895287	0.2215
10000 to 9999999999	193	0.1187	385833540	95.4699
Total	162641	100.0000	404141460	100.0000

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

Name of the Shareholder	No. of shares	%
Life Insurance Corporation of India	12247090	3.0304
LIC of India – Market Plus	10860442	2.6873
Morgan Stanley Mauritius Company Limited	8749592	2.1650
LIC of India – Money Plus	4222341	1.0448
Total	36079465	8.9274

Shareholding pattern as on 31.03.2010

Category of shareholder	No. of shares		No of shareholders		Total shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government	324141460	-	1	-	324141460	80.2050
Clearing Member	357211	-	266	-	357211	0.0884
Other Corporate Bodies	2752415	-	959	-	2752415	0.6811
Directors	300	-	2	-	300	0.0001
Financial Institutions	29180100	-	6	-	29407397	7.2203
FIs	20884886	-	66	-	7314030	5.1677
Mutual Funds	6416661	-	21	-	1768187	1.5877
Nationalised Bank	17733	-	2	-	335045	0.0044
Non-Nationalised Bank	209564	-	3	-	101783	0.0519
NRI	262186	-	703	-	363679	0.0649
NRI (Non-Repatriable)	78786	-	210	-	91417	0.0195
Public	18815710	2063	160358	16	33924915	4.6562
Trust	26874	-	22	-	14224	0.0066
Insurance Companies	900067	-	3	-	7304349	0.2227
Total	404141127	333	234919	7	404141460	100.0000

Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1	President of India	324141460	80.2050
	Total	324141460	80.2050

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL			

9. Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank has already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2010 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	16	2063	-
NSDL	111019	72983484	18.05
CDSL*	51606	331155913	81.95
Total	162641	404141460	100.00

* Including 3214141460 (80.20%) held by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached.

Acknowledgements

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks Financial Institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, shareholders and also wishes to place on record its appreciation to all staff members, for their dedicated services and contribution to the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date : May 22, 2010

[S Sridhar]
Chairman and Managing Director

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2009-10

Place: Mumbai
Date : May 22, 2010

[S Sridhar]
Chairman and Managing Director

Certification under Clause 49 of the Listing Agreement

To

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2009-10 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2009-10, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - II. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statement and
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Basab Mondal
General Manager (Accounts)

S Sridhar
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date : May 22, 2010

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To

The Members of
Central Bank of India,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended 31st March 2010 as stipulated in clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding on month against the Bank as per the records maintained by the Shareholder's and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has concluded the affairs of the Bank.

For M/s Bhushan Bensal Jain Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003884N

(CA Deepak Kumar Jain)

Partner
M.No. 96980

For M/s.Ummed Jain & Co.

Chartered Accountants
F.R.No. 119250W

(CA U.M.Jain)

Partner
M.No.70863

For M/s. P.G.Bhagwat

Chartered Accountants
F.R.No. 101118W

(CA S.S.Athavale)

Partner
M.No.83374

For M/s.G.S.A. and Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram

Chartered Accountants
F.R.No. 001375S

(CA Thomas Philip)

Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA Vidyasagar Babu)

Partner
M.No.27357

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010

Auditors' Report to the President of India

This Audit Report of Central Bank of India is in supercession of our earlier Audit Report for the year ended 31st march 2010 dated 2nd May 2010. This fresh Audit Report is necessitated due to the change in the Financial Statements, as a result of the increase in proposed dividend from 20% to 22% of the paid up equity share capital of the bank.

1. We have audited the attached Balance Sheet of **Central Bank of India** as at March 31, 2010 and also the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 Branches, 16 Zonal Offices and 28 Regional Offices audited by us, 2876 Branches, 20 Non-Business Offices and 9 CMS Branches audited by branch auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss account are the returns of 681 Branches and 50 Regional Offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 1.91 per cent of advances, 4.26 per cent of deposits, 0.82 per cent of interest income and 3.76 per cent of interest expense. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. Subject to the limitations of the audit indicated in Para 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that :
 - a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the management, have been found adequate for the purpose of our audit.
5. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow statement comply with the applicable Accounting Standards.
6. In our opinion as shown by the books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us :
 - i) The Balance Sheet, read with the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2010, in conformity with Accounting Principles generally accepted in India;
 - ii) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon, shows a true balance of Profit in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India, for the year covered by the Account; and
 - iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

For M/s. Bhushan Bensal Jain Associates

Chartered Accountants
F.R.NO.-003884N

(CA Deepak Kumar Jain)

Partner
M.No. 96980

For M/s. Ummed Jain & Co.

Chartered Accountants
F.R.NO.-119250W

(CA U. M. Jain)

Partner
M.No.70863

For M/s. P. G. Bhagwat

Chartered Accountants
F.R.NO.-101118W

(CA S. S. Athavale)

Partner
M.No. 83374

For M/s. G.S.A. and Associates

Chartered Accountants
F.R.NO.-00257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram

Chartered Accountants
F.R.NO.-001375S

(CA Thomas Philip)

Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates


Chartered Accountants
F.R.NO.-003510S

(CA Vidyasagar Babu)

Partner
M.No.27357

Place: Mumbai

Date : May 22, 2010



**Balance Sheet as on
March 31, 2010 &
Profit and Loss Account
for the Year Ended
March 31, 2010**

Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's omitted)

	Schedule No.	As on 31-Mar-2010 Rs.	As on 31-Mar-2009 Rs.
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1771,14,15	1321,14,15
Reserves and Surplus	2	5921,10,55	5090,91,00
Deposits	3	162107,46,88	131271,84,88
Borrowings	4	7326,63,68	804,25,10
Other Liabilities and Provisions	5	5545,27,12	9167,07,24
TOTAL		182671,62,38	147655,22,37
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	17011,92,88	11036,90,56
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2205,08,50	1214,33,62
Investments	8	50562,86,70	43060,71,66
Advances	9	105383,48,57	85483,19,56
Fixed Assets	10	2343,28,81	2277,98,71
Other Assets	11	5164,96,92	4582,08,26
TOTAL		182671,62,38	147655,22,37
Contingent Liabilities	12	38740,07,66	23404,19,71
Bills for Collection	-	5400,24,08	2833,02,81
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director

For M/s Bhushan Bensal Jain Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003884N

(CA Deepak Kumar Jain)
Partner
M.No. 96980

For M/s.Ummed Jain & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 119250W

(CA U.M.Jain)
Partner
M.No.70863

For M/s. P.G.Bhagwat
Chartered Accountants
F.R.No. 101118W

(CA S.S.Athavale)
Partner
M.No.83374

For M/s.G.S.A. and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram
Chartered Accountants
F.R.No. 001375S

(CA Thomas Philip)
Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA Vidyasagar Babu)
Partner
M.No.27357

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 22, 2010

Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2010

(000's omitted)

	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-2010 Rs.	Year Ended 31-Mar-2009 Rs.
I. INCOME			
Interest Earned	13	12064,30,62	10455,18,91
Other Income	14	1735,24,53	1069,97,06
TOTAL		13799,55,15	11525,15,97
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	9519,01,29	8226,71,54
Operating Expenses	16	2222,01,72	1861,70,02
Provisions and Contingencies		1000,29,34	865,50,16
TOTAL		12741,32,35	10953,91,72
III. PROFIT/ LOSS			
Net Profit for the year		1058,22,80	571,24,25
Profit brought forward		1,12,82	58,33
TOTAL		1059,35,62	571,82,58
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		264,55,70	142,81,06
Investment Reserve		46,62,32	140,72,03
Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
Revenue Reserve		565,90,84	98,00,00
Proposed Dividend - Preference Capital		53,09,40	68,03,85
Proposed Dividend - Equity Capital		88,91,11	80,82,83
Dividend Tax		24,13,38	25,29,99
Balance Carried Over to Balance Sheet		1,12,87	1,12,82
TOTAL		1059,35,62	571,82,58
EPS (Basic & Diluted)		24.65	12.17
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director
For M/s Bhushan Bensal Jain Associates Chartered Accountants F.R.No. 003884N (CA Deepak Kumar Jain) Partner M.No. 96980	For M/s. P.G.Bhagwat Chartered Accountants F.R.No. 101118W (CA S.S.Athavale) Partner M.No.83374	For M/s. Joseph & Rajaram Chartered Accountants F.R.No. 001375S (CA Thomas Philip) Partner M.No. 25844	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003510S (CA Vidyasagar Babu) Partner M.No.27357
For M/s.Ummed Jain & Co. Chartered Accountants F.R.No. 119250W (CA U.M.Jain) Partner M.No.70863	For M/s.G.S.A. and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N (CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.83899		

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 22, 2010

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	As on 31/03/2010 Rs.	Rs.	As on 31/03/2009 Rs.
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3000,00,00		1500,00,00
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	404,14,15		404,14,15	
4041,41,460 Equity Shares of Rs.10 each (includes 3241,41,500 shares held by Central Govt.)				
Perpetual non-cumulative Preference Share capital	<u>1367,00,00</u>		<u>917,00,00</u>	
		1771,14,15		1321,14,15
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	945,57,87		802,76,81	
Additions during the year	<u>264,55,70</u>		<u>142,81,06</u>	
		1210,13,57		945,57,87
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2008,91,59		2038,66,65	
Deductions during the year	<u>46,89,36</u>		<u>29,75,06</u>	
		1962,02,23		2008,91,59
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	316,48,03		175,76,00	
Additions during the year	<u>46,62,32</u>		<u>140,72,03</u>	
		363,10,35		316,48,03
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	736,00,00		736,00,00	
Additions/ Adjustments during the year	<u>0</u>		<u>0</u>	
		736,00,00		736,00,00
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1082,80,69		984,84,13	
Additions during the year	565,90,84		98,00,00	
Less: Deductions during the year	<u>0</u>		<u>3,44</u>	
		1648,71,53		1082,80,69
V. Balance in Profit and Loss Account				
		112,87		1,12,82
TOTAL		5921,10,55		5090,91,00

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	As on 31/03/2010 Rs.	Rs.	As on 31/03/2009 Rs.
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	708,83,83		484,89,55	
ii) From Others	<u>14362,54,74</u>		<u>9627,39,52</u>	
		15071,38,57		10112,29,07
II. Savings Bank Deposits				
III. Term Deposits				
i) From Banks	5427,57,92		4713,89,87	
ii) From Others	<u>100844,97,05</u>		<u>82765,57,98</u>	
		106272,54,97		87479,47,85
TOTAL				
		162107,46,88		131271,84,88
B. i) Deposits of Branches in India				
ii) Deposits of Branches outside India		162107,46,88		131271,84,88
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	0		17,25,46	
ii) Other Banks	45,97,90		55,10,91	
iii) Other Institutions & Agencies	2575,14,78		731,88,73	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2407,30,00		-	
V) Upper Tier II bonds	1585,00,00		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	<u>583,00,00</u>		<u>-</u>	
		7196,42,68		804,25,10
II. Borrowings outside India				
		130,21,00		0
TOTAL				
		7326,63,68		804,25,10
Secured Borrowings included in I & II above				
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		448,41,42		614,26,30
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		-
III. Interest Accrued		727,22,67		338,66,15
IV. Deferred Tax Liability		307,89,00		24,03,00
V. Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated debts for Tier II Capital)*		-		3271,30,00
VI. Others (including provisions) Includes Rs. 583 Crore of IPDI during the year 2008-09)* *Reported under borrowings during the year 2009-10		4061,74,03		4918,81,79
TOTAL				
		5545,27,12		9167,07,24
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		751,87,15		797,37,69
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	16160,05,73		10139,52,87	
In Other Accounts	<u>100,00,00</u>		<u>100,00,00</u>	
		16260,05,73		10239,52,87
TOTAL				
		17011,92,88		11036,90,56

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	As on 31/03/2010 Rs.	Rs.	As on 31/03/2009 Rs.
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	730,07,46		708,25,22	
b) In Other Deposit Accounts	1367,70,00		161,88	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
		2097,77,46		709,87,10
II. Outside India				
a) In Current Accounts	107,17,62		431,38,95	
b) In Other Deposit Accounts	13,42		73,07,57	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		107,31,04		504,46,52
TOTAL		2205,08,50		1214,33,62
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	44845,71,79		37878,42,11	
ii) Other approved Securities	130,52,25		405,38,89	
iii) Shares	599,35,70		502,81,74	
iv) Debentures and Bonds	2830,85,76		3073,20,42	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	247,16,62		242,26,62	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	1908,58,64		957,95,94	
		50562,20,76		43060,05,72
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		65,94		65,94
TOTAL		50562,86,70		43060,71,66
* Investments in India				
Gross Value	52007,63,76		44445,64,64	
Less: Provision for Depreciation	1445,43,00		1384,92,98	
Net Value		50562,20,76		43060,71,66
** Investments outside India				
Gross Value	65,94		65,94	
Less: Provision for Depreciation	0	0	-	
Net Value	65,94	0		65,94

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	As on 31/03/2010 Rs.	Rs.	As on 31/03/2009 Rs.
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	1340,05,12		886,54,29	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	31499,89,63		24026,18,25	
iii) Term Loans	<u>72543,53,82</u>		<u>60570,47,02</u>	
TOTAL		<u>105383,48,57</u>		<u>85483,19,56</u>
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	80993,22,45		63217,60,21	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	5760,65,76		3071,46,28	
iii) Unsecured	<u>18629,60,36</u>		<u>19194,13,07</u>	
TOTAL		<u>105383,48,57</u>		<u>85483,19,56</u>
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	33873,12,96		26830,20,77	
ii) Public Sector	5081,20,04		10125,20,13	
iii) Banks	1015,37,72		687,73,63	
iv) Others	<u>65413,77,85</u>		<u>47840,05,03</u>	
TOTAL		<u>105383,48,57</u>		<u>85483,19,56</u>
(II) Advances outside India				
		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceeding year	2366,37,57		2366,37,57	
Additions during the year	<u>16,63,57</u>		<u>0</u>	
TOTAL	<u>2383,01,14</u>		<u>2366,37,57</u>	
Depreciation to date	<u>334,01,07</u>		<u>315,11,33</u>	
TOTAL		<u>2049,00,07</u>		<u>2051,26,24</u>
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	815,31,19		753,42,84	
Additions / Adjustments during the year	<u>143,84,34</u>		<u>81,91,49</u>	
TOTAL	<u>959,15,53</u>		<u>835,34,33</u>	
Deductions / Adjustments during the year	<u>8,19,76</u>		<u>20,03,14</u>	
Total	<u>950,95,77</u>		<u>815,31,19</u>	
Depreciation to date	<u>656,67,03</u>		<u>588,58,72</u>	
TOTAL		<u>294,28,74</u>		<u>226,72,47</u>
TOTAL (I & II)		<u>2343,28,81</u>		<u>2277,98,71</u>

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	As on 31/03/2010 Rs.	Rs.	As on 31/03/2009 Rs.
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	996,27,89		780,08,78	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	2186,58,21		1827,39,04	
III. Stationery and Stamps	11,96,52		11,33,59	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0		0	
V. Inter Office Adjustments	620,92,20		643,07,63	
VI. Others	1349,22,10		1320,19,22	
TOTAL		5164,96,92		4582,08,26
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1682,43,57		164,00,65
II. Liability for partly paid Investments		27,64,33		27,34,33
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		26529,98,20		16474,39,54
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	5650,07,20		3946,75,37	
b) Outside India	127,50,51		277,18,01	
		5777,57,71		4223,93,38
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		4722,43,85		2514,51,81
VI. Other item for which the bank is contingently liable		0		0
TOTAL		38740,07,66		23404,19,71

Schedules Forming Part of the Profit & Loss Account for the Year Ended March 31, 2010

(000's omitted)

	Year Ended 31-Mar-2010 RS.	Year Ended 31-Mar-2009 RS.
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	8647,84,07	7753,44,64
II. Income on Investments	3307,78,69	2563,18,31
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	102,64,80	131,51,73
IV. Others	6,03,06	7,04,23
TOTAL	12064,30,62	10455,18,91
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	573,54,62	441,95,06
II. Profit on Sale of Investments (Net)	772,38,20	409,76,60
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	0	0
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	-(32,21)	-(35,29)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	45,33,62	67,33,40
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	1,45,64	1,43,01
VII. Miscellaneous Income	342,84,66	149,84,28
TOTAL	1735,24,53	1069,97,06
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	9121,02,10	7913,31,98
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	22,18,36	91,61,85
III. Others	375,80,83	221,77,71
TOTAL	9519,01,29	8226,71,54
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	1544,19,24	1272,58,81
II. Rent, Taxes and Lighting	162,68,78	142,12,73
III. Printing and Stationery	18,92,37	17,88,08
IV. Advertisement and Publicity	17,21,55	15,33,22
V. Depreciation on Bank's property	78,74,82	83,59,01
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,54,31	1,44,56
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	19,57,34	20,40,23
VIII. Law Charges	12,43,45	10,78,17
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	4,71,18	9,71,80
X. Repairs and Maintenance	24,26,53	32,89,21
XI. Insurance	121,20,21	91,41,19
XII. Other Expenditure	216,51,94	163,53,01
TOTAL	2222,01,72	1861,70,02

Schedule 17 - Principal Accounting Policies

1. Accounting Conventions:

The Financial Statements are prepared by following going concern concept on the historical cost basis except as modified by the Revaluation of Premises and conform to the statutory provisions and prevailing practices within the banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

- 3.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Investments in Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

- | | |
|---|---|
| i) Central Government Securities | At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI. |
| ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds | On appropriate yield to maturity basis. |

iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.
iv) Equity Share	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v) Preference Share	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vi) Debentures and Bonds	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vii) Mutual Fund	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 5.2 Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- 5.3 Advances are shown net of provisions, Unrealised Interest and amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.
- Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

6. Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:
- | | |
|---|--|
| i) Premises | At varying rates based on estimated life |
| ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults | 10% |
| iii) Vehicles | 20% |
| iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. | 15% |
| v) Computers including Systems Software | 33.33% |
- (Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)
- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- 7.2 The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- 7.4 The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.
- As per the transition provision of AS-15 (Revised) on 'Accounting for Retirement Benefits in Financial statements of employer' the difference in the liability (as adjusted by related deferred tax) on account of Defined Benefit Plans viz. Pension and Gratuity Plans has been adjusted against the opening balance of Revenue Reserves and Surplus.

8. Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on NPA is accounted for as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 8.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.4 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 8.5 Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

Schedule-18 : Notes Forming Part of the Accounts

These Financial Statements which were approved by the Board of Directors on 02nd May 2010 and authenticated by the Auditors have undergone a change by virtue of Government of India advice dated 07th May 2010 to increase the recommended dividend from 20% to 22% of the paid up equity share capital. The effect of this change on financial statements is an increase in Proposed Dividend on Equity Capital by Rs. 8.08 crore and Dividend Tax by Rs. 1.37 crore and consequent decrease in Revenue Reserves by Rs. 9.00 crore and retained Profit by Rs. 0.45 crore

1. Capital:

The Authorised Capital of the Bank was Rs.1500 crore as on April 01, 2009. The Board of Directors vide Resolution dated July 27, 2009 recommended to increase the Authorized Capital of the Bank from the present Rs.1500 crore to Rs.3000 crore for the approval of shareholders of the Bank and the shareholders in the Annual General Meeting held on August 4, 2009 approved the same.

The Government of India by its official Gazette Notification dated November 27, 2009 increased the authorized Capital from Rs.1500 crore to Rs.3000 crore.

The paid-up Capital of the Bank is increased from Rs.1321.14 crore to Rs.1771.14 crore by issue of Perpetual Non-cumulative preference shares (PNCPS) to the tune of Rs.450 crore to Government of India.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

Reconciliation of Inter-Branch Accounts is in progress. Balancing of Subsidiary Ledgers and reconciliation with General Ledger is also in progress at some branches. Pending final clearance of the above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

The bank is in the process covering all of its branches under the CBS platform. During the year, an additional 324 branches have come under the CBS platform. Certain migration errors in the master data and inherent bugs in the system were noticed in branches remedial action was initiated by the bank's IT department and the service provider. The management is of the opinion that this does not have any material impact on the Financial Statements.

3. Income Tax / Deferred Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes Rs.1507.45 crore (previous year Rs.1366.17 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank/ adjusted by the authorities. Provision for taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.
- 3.3 Out of Rs.1507.45 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of Rs.7.06 crore have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

4. Share Issue Expenses:

Unamortized amount of Rs. 12.12 crore towards share issue expenses are included in Other Assets.

5. Premises:

- 5.1 The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The additional appreciation amounting to Rs.1565.97 crore have been credited to Revaluation Reserve Account.
- 5.2 Premises owned by the Bank include properties costing Rs.10.94 crore revalued at Rs.306.85 crore for which registration formalities are still in progress.

6 Investments:

- 6.1 Gross investments of the Bank have been classified into three categories as under :

	<u>As at</u> 31.3.2010	<u>As at</u> 31.3.2009
Held to Maturity [excluding 2.45% (previous year 2.22%) in exempted category]	69.75%	64.11%
Held for Trading	1.03%	0.03%
Available for Sale	26.77%	33.64%

6.2 In terms of the Guidelines of Reserve Bank of India, the profit of Rs.46.62 crore (net of taxes and statutory reserves) on sale/ redemption of investments in the "Held to Maturity" category has been appropriated to the Investment Reserve.

7. Advances / Provisions:

7.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

7.2 Last year the Bank considered the Floating Provision of Rs.312.43 crore as part of Tier II Capital. In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India the Bank has opted to utilize the Floating Provision for netting off from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.

8 Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008

8.1 Government of India has notified "Agricultural Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008" for Debt Waiver to marginal and small farmers and Relief to other farmers, which has been implemented by the bank. Claims have been preferred with RBI for Agricultural Debt Waiver amounting to Rs.978.54 crore (inclusive of additional claim of Rs.3.71 crore). The Bank has received Rs.631.06 crore being 64.49% of the Claim amount.

8.2 In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Notification dated October 16, 2008 and Reserve Bank of India circular dated November 11, 2008, Interest amounting to Rs.38.05 crore (previous year Rs.15.33 crore) on the amount outstanding under Agricultural Debt Waiver Scheme, 2008, for the period April 2009 to March, 2010, have been accounted in the books as Interest Income.

8.3 In terms of the Reserve Bank of India Circular Ref RBI:2009-10/371/ DBOD.No.BP.BC.82/21.04.048/2009-10 dated March 30, 2010 and vide Government of India Notification No.3/3//208-AC dated April 5, 2010, Bank has extended the Debt Relief Scheme to all eligible farmers upto June 30, 2010. Provision of Rs.6.17 crore is made by the Bank for the loss in present value terms for all receivables from the Borrowers. Claim for reimbursement of 25% Government share is subject to verification by the Statutory Central Auditors.

9. Upper Tier II Debt Instrument:

During the year, Bank has raised Upper Tier II Debt to the tune of Rs.1000.00 crore (previous year Rs.585.00 crore) by issue of Unsecured Redeemable Bonds under Upper Tier II Debt and the amount is shown in Schedule 4 "Borrowings" of the Balance Sheet.

10. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

A. Capital Adequacy Ratio:

Sl.No	Items	31.03.2010	31.03.2009
1.	CRAR (%) Basel-I Basel-II	10.81 12.23	11.75 13.12
2.	CRAR-Tier-I Capital (%) Basel-I Basel-II	6.03 6.83	6.24 6.97
3.	CRAR-Tier-II Capital (%) Basel-I Basel-II	4.78 5.40	5.51 6.15
4.	Percentage of Equity share holding of Govt. of India.	80.20%	80.20%
5.	Amount of Upper Tier-II instruments Raised during the year (Rs. in crore)	1000	585
6.	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier-I capital during the year (Rs. in crore)	NIL	583
7.	Issue of Equity shares through QIP route Share Capital Share Premium (Rs. in crore)	NIL	NIL

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the management and relied upon by the Auditors. In respect of Basel II, the system deficiencies/ data errors noticed / reported were addressed at Central Office. Based on the extensive exercise undertaken, Bank is of the view that, unrectified deficiencies, if any, will not have a significant impact on the overall reported Capital Adequacy.

b. Provisions and Contingencies:

The break up of 'Provisions and Contingencies' appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(Rs. in crore)

		2009-10		2008-09	
a.	Provision for Standard Advances		29.91		44.84
b.	Provision for NPA		288.40		322.34
c.	Provision/ Depreciation on investments (including matured investments)		64.79		90.52
d.	i)	Provision for Taxes	207.45	347.88	
	ii)	Deferred Tax	283.86	(-)0.14	
	iii)	Fringe Benefit Tax	-	6.00	
		Sub Total of (d)	491.31		353.74
e.	Others		125.88		54.06
	TOTAL		1000.29		865.50

c. (i) Investments

(Rs. In crore)

Items		31.3.2010	31.3.2009
1)	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	52008.30	44445.65
	a)	In India	52007.64
	b)	Outside India	0.66
ii)	Provisions for Depreciation	1445.43	1384.93
	a)	In India	1445.43
	b)	Outside India	0.00
iii)	Net Value of Investments	50562.87	43060.72
	a)	In India	50562.21
	b)	Outside India	0.66
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments.		
i)	Opening Balance	1384.93	1341.20
ii)	Add: Provisions made during the year	68.35	70.84
iii)	Less: Write off	7.85	27.11
iv)	Closing Balance	1445.43	1384.93

(ii) Repo Transactions

(Rs. In crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2010
Securities sold under Repo	0.00	1500.00	4.10	1500.00
Securities purchased under Reverse Repo	0.00	11000.00	2285.18	0.00
Ready Forward Repo	0.00	1207.09	56.95	1207.09

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(Rs. In crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	956.37	547.92	0.00	0.00	59.14
ii)	FIs	88.19	88.19	83.19	0.00	83.19
iii)	Banks	818.70	341.43	0.00	0.00	35.00
iv)	Private Corporates	1129.42	783.01	15.00	13.26	425.29
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	247.17	247.17	0.00	247.17	247.17
vi)	Others	2525.20	1982.62	0.00	1797.69	2097.78
	RIDF/RHDF/SIDBI	1024.31	1024.31	0.00	1024.31	1024.31
	Commercial Papers	727.51	727.51	0.00	0.00	727.51
	Mutual Funds	68.50	0.00	0.00	68.50	68.50
	Venture Capital	96.61	96.61	0.00	96.61	96.61
	Shares (incl. Trustee Shares)	608.27	134.19	0.00	608.27	180.85
	TOTAL	5765.05	3990.34	98.19	2058.12	2947.57
	Less: Provision held towards depreciation	48.34				
	Net	5716.71	3990.34	98.19	2058.12	2947.57

Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(including matured investments)

(Rs. In crore)

Particulars	31.3.2010	31.3.2009
Opening Balance	45.98	59.71
Additions during the year	0.48	8.84
Reductions during the year	18.40	22.57
Closing balance	28.06	45.98
Total provisions held	23.32	37.87

d. Derivatives
(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. In crore)

Items	31.3.2010	31.3.2009
i) The Notional Principal of Swap agreements	575.00	500.00
ii) Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.051	Nil
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
Foreign Bank	Nil	Nil
Domestic Bank	0.75	
v) The fair value of the swap book	(-) 29.7644	(-) 72.14

(ii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(Rs. In crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
	a) 18 Dec 2009 (due date)	163.58
	b) 22 Mar 2010 (due date)	48.04
	c) 21 June 2010 (due date)	2.54
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2010 (instrument-wise)	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA

Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**(iii) Qualitative Disclosures**

- The Treasury Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge/ trade is in place.
 - a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics of fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also Tier II bonds hedged for Interest rate swaps which do not have exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Currency Futures and Interest Rate Futures are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.
 - b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. approved by the Board of Directors are in place. These risks are monitored and reviewed regularly. MIS/ Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals is monitored in relation to the underlying asset/ liability on an ongoing basis.
 - c) Accounting Policy
- **Hedge Positions**
 - Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognised as income/ expense.
 - Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals is monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/ liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If the swap is terminated before maturity, the Marked to Market (MTM) loss/ gain and accrual till such data are accounted as expense/ income under Interest paid/ received on IRS.
- **Trading positions**
 - Currency Future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX and NSE.
 - MTM profit/ loss are accounted by credit/ debit to our margin account on daily basis and the same is accounted in bank's Profit & Loss account on daily basis.
 - Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
 - Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/ expense under the above head.

(iv) Quantitative Disclosures

(Rs. In crore)

Sr. No.	Particulars		Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)			
	a)	For hedging		75
	b)	For trading	212	
ii)	Marked to Market Positions (1)			
	a)	Asset (+)	-	0.05
	b)	Liability (-)	-	0.21
iii)	Credit Exposure (2)		-	0.001
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)			
	a)	On hedging derivatives	-	2.19
	b)	On trading derivatives	-	
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year			
	a)	On hedging	-	1.17 1.05
	b)	On trading	-	

e. Asset Quality
(i) Non Performing Assets

(Rs. In crore)

Items		31.3.2010	31.3.2009	
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	0.69%	1.24%	
ii)	Movement of NPAs (Gross)			
	a)	Opening balance	2316	2350
	b)	Additions during the year	1033	873
	c)	Reduction during the year	891	907
	d)	Closing balance	2458	2316
iii)	Movement of Net NPAs			
	a)	Opening balance	1063	1060
	b)	Additions during the year	143	550
	c)	Reduction during the year	479	547
	d)	Closing balance	727	1063
iv)	Movement of Provisions for Net NPAs (excluding provisions on Standard Assets)			
	a)	Opening balance	1214	1250
	b)	Provisions made during the year	288	322
	c)	Write off/ write back / Transfer	291	358
	d)	Closing balance	1211	1214

* Excluding Floating Provision of Rs.312.43 crore

(ii) Particulars of Accounts Restructured:

(Rs. in Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	7	348	4052
	Amt. Outstanding	377.46	170.91	2511.39
	Sacrifice	15.8	8.54	18.64
Sub Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	1	23
	Amt. Outstanding	0	0.04	53.55
	Sacrifice	0	0.01	0.16
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	1	0	8
	Amt. Outstanding	15.95	0	19.97
	Sacrifice	0.35	0	5.24
TOTAL	No. of Borrowers	8	349	4083
	Amt. Outstanding	393.41	170.95	2584.90
	Sacrifice	16.15	8.55	24.04

The amount of 'Sacrifice' for accounts with balance of Less than Rs.1.00 crore is taken at 5% of the outstanding amount.

- (b) During the year, 349 accounts under SME were subjected to Restructuring and the balance outstanding as on March 31, 2010 was Rs.170.95 crore (Previous Year 7527 accounts – Amount Rs.386.22 crore).

(iii) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in Crore)

Items	31.3.2010	31.3.2009
i) No. of accounts	29	Nil
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	Nil	Nil
iii) Aggregate consideration	49.90	Nil
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	Nil	Nil
v) Aggregate gain/ loss over net book value	49.90	Nil

(iv) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased

(Rs. in Crore)

Particulars			31.3.2010	31.3.2009
1	a	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of Non Performing Financial Assets sold

(Rs. in Crore)

Items		31.3.2010	31.3.2009
1	No. of accounts	29.00	Nil
2	Aggregate outstanding	35.18	Nil
3	Aggregate consideration received	49.90	Nil



(v) Provision held for Standard Assets

(Rs. in Crore)

Items	31.3.2010	31.3.2009
Provisions towards Standard Assets	417.42	387.50

f. Business Ratios

Items	2009-10	2008-09
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds *	7.56	8.22
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds*	1.09	0.84
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.29	1.13
(iv) Return on Assets **	0.66	0.45
(v) Business (Deposits plus advances) per employee*** (Rs. In lacs)	711.76	560.28
(vi) Profit per employee (Rs. In lacs)	3.30	1.71

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on fortnightly average of Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

g. Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as of March 31, 2010

(Rs. In crore)

Period	Total Domestic Deposit	Total Domestic Borrowings	Total Domestic Advances	Total Investment	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	2103.25	1544.97	3119.45	30.00	227.64	969.55
2 days to 7 days	4983.32	0.00	1038.79	213.38	0.00	13.86
8 days to 14 days	3280.53	0.00	1814.20	76.68	0.00	6.49
15 days to 28 days	5713.76	0.00	2071.79	593.46	47.68	13.49
29 days to 3 months	21265.10	0.00	6843.74	1099.35	673.28	49.51
Above 3 months to 6 months	16584.71	0.00	8745.31	1092.60	1427.24	307.36
Above 6 months to 12 months	9143.75	868.80	8469.32	1341.14	457.17	1360.52
Above 1 year to 3 years	61236.26	200.01	45946.91	3829.80	23.75	220.02
Above 3 years to 5 years	18689.76	0.62	12224.41	9270.27	0.00	17.56
Above 5 years	17001.71	6.73	12360.08	33016.18	0.00	0.00
Total	160002.15	2621.13	102634.00	50562.86	2856.76	2958.36

Note : - The above data has been compiled on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

h. Lending to Sensitive Sector

(i) Exposure to Real Estate Sector

(Rs. In crore)

Category		31.3.2010	31.3.2009
a)	Direct Exposure		
(i)	Residential Mortgages - [including Rs.4621.73 crore (Previous year Rs.3658.68 crore) individual Housing Loan upto Rs.20 lacs]	5995.47	4965.92
(ii)	Commercial Real Estate -	7376.40	7636.87
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
a.	Residential,	5.13	7.86
b.	Commercial Real Estate.	0.00	0.00
b)	Indirect Exposure		
(i)	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3298.63	4632.67
(ii)	Others	170.73	6.49
	TOTAL	16846.36	17249.81

(ii) Exposure to Capital Market

(Rs. In crore)

	Items	31.3.2010	31.3.2009
i)	Direct Investment in equity shares, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	610.39	599.24
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	8.94	9.31
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	-	0.69
(iv)	Advances for other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e, where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	682.79	981.45
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	35.72	29.45
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against the expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect).	123.57	125.00
	Total Exposure to Capital Market	1461.41	1745.06

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(Rs. In crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31, 2010	Exposure (net) as at March 31, 2009	Provision held as at March 31, 2009
Insignificant	685.91	Nil	2196.96	Nil
Low	511.50	Nil	228.98	Nil
Moderate	76.61	Nil	41.83	Nil
High	29.93	Nil	19.77	Nil
Very High	13.16	Nil	1.30	Nil
Restricted	0.00	Nil	2.20	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	1317.11	Nil	2491.04	Nil

As the Bank's Net funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Nostro/Mirror Credit Balances:

The Bank has transferred Rs. 20.01 Crores to Profit & Loss account during the financial year 2009-10 as net credit balances from unreconciled Nostro/Mirror accounts and appropriated Rs. 9.91 Crores (Net of Tax and Statutory Reserves) towards General Reserves.

(v) Details of Credit Exposure where the Bank has exceeded Prudential Exposure Norms during the year for which necessary Board approval has been obtained.

(Rs. in Crore)

Sr. No	Name of Borrower	Credit Exposure As on 31.3.2010		Outstanding as on 31.03.2010		Investment as on 31.03.10	Total Exposure as on 31.03.10
		FB	NFB	FB	NFB		
1.	Power Finance Corporation	630.00	0.00	633.54	0.00	69.15	702.67
2.	Videocon Industries Ltd. *	1693.50	53.95	1649.04	25.39	8.64	1756.09
3.	Alok Industries Ltd.	510.00	0.00	508.49	0.00	0.00	510.00

* 50% interchangeability allowed between CC and LC Limits

vi. Amount of Provisions made for Income-Tax during the year :

(Rs. In crore)

	2009-10	2008-09
Provision for Income Tax	207.45	348.25
Provision for FBT	0.00	6.00

11. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:
11.1 Concentration of Deposits

(Rupees in Crore)

(a)	Total Deposits of twenty largest depositors	14875.44
(b)	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	9.18%

11.2 Concentration of Advances

(a)	Total Advances to twenty largest borrowers	21390.85
(b)	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	19.97%

11.3 Concentration of Exposures

(a)	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	24352.25
(b)	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.29%

11.4 Concentration of NPAs

(a)	Total Exposure to top four NPA accounts	398.82
-----	---	--------

II. Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	5.25
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	8.74
3	Services	10.02
4	Personal Loans	3.75

III. Movement of NPAs

Particulars	Amount in Rs. Crore
Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	2443.72
Additions (Fresh NPAs) during the year	1032.69
Sub-total (A)	3476.41
Less:-	
(i) Upgradations	177.20
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	409.72
(iii) Write-offs	290.51
Sub-total (B)	877.43
Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	2598.98

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in Rupees Crore)
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

12. Other Disclosures

12 a Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is Rs. 15.56 crores.

12 b Miscellaneous Income includes Rs.31.51 crore being write back of excess depreciation made in the earlier years on Premises.

12 c Gold Coins - During the year the Bank has sold 37,900 Gold Coins along with velvet boxes for a total price of Rs.6746.52 lakhs. The cost of the coins with boxes amounted to Rs.6663.61 lakhs inclusive of Rs.0.95 lakhs VAT paid on purchase of boxes. The Profit accrued on the sale of Gold Coins is Rs.82.91 lakhs, and is accounted for in misc. income.

13. Wage Revision -

The Bank has made a Provision of Rs.200 crore during the current year on adhoc basis towards Wage Revision of Employees.

14. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI has not imposed any penalty on the Bank under Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

15. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 15 (Revised)

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(Rupees in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2010		Year ended March 31, 2009	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2010				
Opening obligations	2705.33	785.08	2612.92	769.04
Service cost	47.98	30.65	68.20	36.20
Interest cost	211.14	62.54	207.00	62.00
Actuarial [gain]/loss	120.04	(58.31)	6.01	(24.35)
Benefits paid	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
Obligations at March 31,2010	2856.49	751.89	2705.33	785.08
Plan assets at March 31, 2010, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	2011.73	819.41	1912.92	837.12
Expected return on plan assets	178.22	62.83	155.43	64.66
Actuarial gain/[loss]	(22.92)	(5.77)	1.43	3.99
Contributions	330.00	--	124.35	--
Benefits paid	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
Plan assets at March 31, 2100, at fair value	2269.03	808.40	2005.33	847.96
Cost for the year ended March 31, 2010				
Service cost	47.98	30.65	68.20	36.20
Interest cost	211.14	62.54	207.00	62.00
Expected return on plan assets	(178.22)	(62.83)	(155.43)	(64.66)
Actuarial [gain]/loss	142.95	(52.54)	4.58	(28.34)
Net cost	223.85	(22.18)	124.35	5.20

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2010		Year ended March 31, 2009	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

b) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2010 (Audited)	Year ended 31.03.2009 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	133397	84459
	2. Retail Banking Operations	446674	410611
	3. Wholesale Banking Operations	799281	656742
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated	603	704
	Total	1379955	1152516
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	85711	69578
	2. Retail Banking Operations	42854	28234
	3. Wholesale Banking Operations	76684	45158
	4. Other Banking Operations	0	0
	Total	205249	142970
c.	Unallocated Income! (Expenses)	603	704
d.	Operating Profit	205852	143674
e.	Provisions & Contingencies	50897	51176
f.	Income Tax	49133	35374
g.	Net Profit	105822	57124
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	3151684	2109255
	2. Retail Banking Operations	4383832	3922925
	3. Wholesale Banking Operations	10513027	8550603
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Assets	218619	182739
	Total	18267162	14765522
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	2844644	1175234
	2. Retail Banking Operations	4298043	4065782
	3. Wholesale Banking Operations	10307294	8861982
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Liabilities	817181	662524
	Total	18267162	14765522



- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of Rs.5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consists of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- iv) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- v) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
 - a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

c) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1. List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel –

	Name	Designation
i)	Mr. S. Sridhar	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. Ramnath Pradeep	Executive Director
iii)	Mr. Arun Kaul	Executive Director

(b) Subsidiaries –

- i) Cent Bank Home Finance Ltd.
- ii) Cent Bank Financial Services Ltd.

(c) Associates –

(I) Regional Rural Banks -

- i) Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara.
- ii) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur.
- iii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- iv) Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
- v) Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia.
- vi) Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota.
- vii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(Rs. in lacs)

(a)	Items	Key Management Personnel	
		2009-2010	2008-2009
	Remuneration paid	36.48	36.82

(b) Statement of Related parties transaction

[Rs. in Crore]

Sl. No.	Related parties	As on	Investment		Purchase of Loan assets		Sale of loan assets		Line of Credit to RRBs	
			Cumulative	Max. during the year	Amt Outstanding	Int. recd	Amt sold	Interest Paid	Amt	Int. Paid
1	Satpura Narmada KGB Chindawara, Madhya Pradesh	31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59
		31.03.09	27.64	27.64	200.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Surguja KGB Ambikapur [Chattisgarh]	31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00
		31.03.09	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar Gramin Bank Muzaffarpur [Bihar]	31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40
		31.03.09	159.09	159.09	500.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vidharbha KGB Akola {Maharashtra}	31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03
		31.03.09	6.22	6.22	47.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ballia Etawah Gramin Bank Ballia [Uttar Pradesh]	31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	11.72	11.72	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hadoti KGB Kota [Rajasthan]	31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00
		31.03.09	2.45	2.45	62.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Uttarbanga KGB Siliguri [West Bengal]	31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02
		31.03.09	230.27	230.27	820.06	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

During the year 2009-10 Ballia KGB and Etawah KGB amalgamated to form Ballia Etawah Gramin Bank in Uttar Pradesh with effect from 01.01.2010. Consequently 8 RRBs as on 31.03.2009 were reduced to 7 RRBs as on 31.03.2010.

(c) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2010	31.3.2009
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (Rs. in Crore)	996.11	491.64
Weighted Average number of Equity Share (No.)	404141460	404141460
Basic Earnings per Share (Rs.)	24.65	12.17
Diluted Earnings per Share (Rs.)	24.65	12.17
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

(d) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crore)

	31.3.2010	31.3.2009
Deferred Tax Asset:		
Provision for NPAs	0.00	40.39
Provision for Leave Encashment	61.24	54.77
Provision for Pension and Gratuity	259.12	266.48
Provision for Wage Revision	108.77	0.00
Total (A):	429.13	361.64
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	15.05	11.94
Interest accrued but not due on Investments	334.98	261.80
Depreciation on Investments	386.99	111.93
Total (B):	737.02	385.67
Net Deferred Tax Liability	307.89	24.03

(e) Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2010, requiring recognition in terms of the Standard.

(f) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) Movement of Provision:

(Rs. in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2009	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2010
Standard Assets	387.51	29.91		417.34
Taxes	1225.97	207.45	7.35	1426.07

ii) Additional Disclosures

Provisions and Contingencies

(Rs. in Crore)

	31.3.2010	31.3.2009
Provisions/ Depreciation on Investment	65	91
Provision towards NPA	288	322
Provision towards Standard Asset	30	45
Provision made for Taxes	491	354
Other Provision and Contingencies	126	54
TOTAL	1000	866

iii) Floating Provisions

(Rs. in Crore)

Particulars	31.3.2010	31.3.2009
a Opening balance in the Floating Provisions account	312.43	384.66
b The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c Amount of draw down made during the Accounting Year.	--	72.23
d Closing balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43

(Rs. in Crore)

iv)	Movement of Provision for Liabilities:	31.3.2010	31.3.2009
		Other Legal Cases	Other Legal Cases
	Opening Balance	3.83	3.76
	Additions during the year	-	0.07
	Amount used during the period	-	-
	Closing Balance	3.83	3.83
	Timing of any resulting outflow	N.A.	N.A.

16. Details of Complaints

	Customer Complaints	No. of complaints	
		31.03.2010	31.03.2009
a)	Pending at the beginning of the year	151	188
b)	Received during the year	3613	1963
c)	Redressed during the year	3168	2000
d)	Pending at the end of the year	596	151

No complaints remained unattended/ pending for more than 30 days.

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2010	31.03.2009
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	Nil
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	8	2
c)	No. of Awards implemented during the year	6	2
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	2	NIL

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2010	31.03.2009
a)	Pending at the beginning of the year	0	21
b)	Received during the year	508	1658
c)	Redressed during the year	508	1679
d)	Pending at the end of the year	00	0

17. Details of Letters of Comfort issued and outstanding as on 31.3.2010

Total Number	Amount outstanding (Rs in Crores)
46	31.45

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

18. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

19. Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director
For M/s Bhushan Bensal Jain Associates Chartered Accountants F.R.No. 003884N	For M/s. P.G.Bhagwat Chartered Accountants F.R.No. 101118W	For M/s. Joseph & Rajaram Chartered Accountants F.R.No. 001375S	
(CA Deepak Kumar Jain) Partner M.No. 96980	(CA S.S.Athavale) Partner M.No.83374	(CA Thomas Philip) Partner M.No. 25844	
For M/s.Ummed Jain & Co. Chartered Accountants F.R.No. 119250W	For M/s.G.S.A. and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003510S	
(CA U.M.Jain) Partner M.No.70863	(CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.83899	(CA Vidyasagar Babu) Partner M.No.27357	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010

Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2010

(Rs. In crore)

Sr. No.	Particulars	31- 03- 2010	31-03-2009
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	1,331.70	924.98
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	68.09	74.44
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	64.79	90.53
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	258.40	322.34
	Provision for Standard Assets	29.91	44.83
	Provision for Other items (Net)	125.87	54.06
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.32	0.35
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	362.32	219.74
	Dividend received from subsidiaries / others (treated separately)	(1.46)	(1.43)
	Sub total	2,239.94	1,729.84
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,835.61	20,952.18
	Increase / (Decrease) in Borrowings	6,522.39	355.15
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(5,092.36)	969.89
	(Increase) / Decrease in Advances	(19,900.29)	(12,808.11)
	(Increase) / Decrease in Investments	(7,566.93)	(11,696.06)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,073.47)	(238.44)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	490.58	(353.74)
	Net Cash from operating activities	4,215.53	(2,819.13)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	6,455.47	(1,089.29)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	8.20	9.98
	Purchase of Fixed Assets	(141.90)	(72.21)
	Income earned by way of Dividend etc. from subsidiaries and associates	1.46	1.43
	Change in Trade related investments (subsidiaries & Others)	-	0
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(132.24)	(60.80)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	450.00	117.00
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	721.00	839.00
	Dividend	(142.00)	(148.87)
	Dividend Tax	(24.13)	(25.30)
	Interest on Subordinated Debt	(362.32)	(219.74)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	642.55	562.09

(Rs. In crore)

Sr. No.	Particulars	31-03-2010	31-03-2009
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	6,965.78	(588.00)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,036.90	11,537.19
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,214.34	1,302.05
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	12,251.24	12,839.24
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	17,011.93	11,036.90
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	2,205.09	1,214.34
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	19,217.02	12,251.24

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director
For M/s Bhushan Bensal Jain Associates Chartered Accountants F.R.No. 003884N	For M/s. P.G.Bhagwat Chartered Accountants F.R.No. 101118W	For M/s. Joseph & Rajaram Chartered Accountants F.R.No. 001375S	
(CA Deepak Kumar Jain) Partner M.No. 96980	(CA S.S.Athavale) Partner M.No.83374	(CA Thomas Philip) Partner M.No. 25844	
For M/s.Ummed Jain & Co. Chartered Accountants F.R.No. 119250W	For M/s.G.S.A. and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003510S	
(CA U.M.Jain) Partner M.No.70863	(CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.83899	(CA Vidyasagar Babu) Partner M.No.27357	

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 22, 2010

Table DF-1

Scope of application

Qualitative Disclosures:

- (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies:

The Bank does not belong to any group.

- (b) In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

a) Subsidiary: Bank's subsidiaries, Cent Bank Home Finance Ltd., and Cent Bank Financial Services Ltd.,

b) Associates:

- I. Seven Regional Rural Banks sponsored by the Bank viz.,

1. Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara
2. Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur
3. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
4. Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
5. Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia
6. Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota
7. Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Bihar

- II. Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries are deducted from Tier I and Tier II capital equally. This disclosure is for the bank as stand alone basis

Quantitative Disclosures:

- (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL

- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.

Table DF-3
Capital Adequacy

Qualitative disclosures	
<p>(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:</p> <p>Reserve Bank of India Master circular No. DBOD.No.BP.BC. 11 /21.06.001/2008-09 dated 1.7.08 on New Capital Adequacy Framework stipulate adoption of Standardized approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risks. As per the framework, Bank is required to maintain a minimum capital adequacy ratio of 9% on Credit, Market and Operational Risks. In terms of the guidelines, the Bank is conducting parallel run exercise every quarter since June 2006 to assess the impact on implementation of Basel II norms and report thereof submitted to RBI every quarter. RBI further stipulated that Banks should maintain Tier I capital of minimum 6% and banks falling short of this ratio should meet the same by 31st March 2010. As per guidelines, the Bank migrated to adopt Basel II norm wef 31/3/09.. The CRAR of the Bank as on 31.03.2010 works out to 12.23%. The Tier I CRAR stands at 6.83%.</p> <p>Bank is in the process of rolling out internationally reputed SAS risk management solution and pending full roll out of the solution, the Bank has developed a structured format in-house for computation of necessary reports and amalgamated at Regional Offices, Zonal Offices and at Central Office for calculation of credit risk. Bank has computed capital charge for Market and Operational Risks at Central Office and arrived at total CRAR. Credit risk mitigation as per RBI guidelines under standardized approach has been adopted. The Bank will raise capital as required to meet the projected growth in business.</p>	
Rs. in crores	
Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk at 9%:	
Portfolios subject to standardised approach –	
■ Fund based	6728.36
■ Non-fund based	539.80
■ Securitisation exposures	Nil
(c) Capital requirements for market risk:	
■ Standardised duration approach:	
- Interest rate risk –	465.59
- Foreign exchange risk (including gold) –	15.92
- Equity risk –	146.52
(d) Capital requirements for operational risk:	
■ Basic indicator approach –	
	412.01
(e) Total capital ratio –	
Tier 1 capital ratio	12.23%
	6.83%

Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

(Rs. in crores)	
<p>Qualitative Disclosures</p> <p>Credit risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. Credit Risk involves inability or unwillingness of a counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, hedging, settlement and other financial transactions.</p> <p>Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy and reviewed the same during February 2009. The policy defines credit risk, risk identification & measurement, risk grading and aggregation, credit risk rating framework and reporting, risk control and portfolio management, mitigation techniques, management of problem accounts, target markets and type of economic activity, credit approval authority, country and currency exposure, maturity patterns, level of diversification, cyclical aspect of the economy, credit risk in off balance sheet exposure, credit risk monitoring procedures managing of credit risk in inter Bank Exposure, country risk and other operational matters.</p> <p>The Bank manages its credit risk through continuous monitoring of risks at group and borrower level. The Bank has outsourced risk rating tools from BCG and CRISIL to cover Large Corporate borrowers and Small and Medium Enterprises. Bank has also introduced manual scoring models in all retail lending schemes and agricultural loans.</p>	
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based:	171392.96
Non-fund based:	39527.08
(b) Geographic distribution of exposures:	
■ Overseas	Nil
■ Domestic	210920.04
(c) Industry type distribution of exposures	
Fund Based (As of 31.03.2010)	107261
Coal	6
Mining	93
Iron and Steel	3070
Other metal and metal products	462
All Engineering	1241
Electricity	142
Cotton Textiles	972
Jute Textiles	32
Other Textiles	1723
Sugar	859
Tea	35
Food Processing	733
Vegetable Oil and Vanaspati	499
Tobacco and tobacco products	33
Paper and paper products	279
Rubber and rubber products	94
Chemical, Dyes and paints	1177
Cement	1053
Leather and leather products	72
Gems and Jewellery	587
Construction	2445
Petroleum	2355

Automobiles including trucks	715
Computer software	65
Infrastructure	24479
Other Industries	7922
Residual Advance to balance	56115
(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:	
Day 1 :	3149.45
2days to 7days:	1252.17
8days to 14days	1890.88
15days to 28days	2665.25
29days to 3months	7943.09
Above 3months to 6months	9837.91
Above 6months to 12months	9810.46
Above 12months to 36months	49776.71
Above 36months to 60months	21494.68
Over 60 month	45376.26
(e) Amount of NPAs (Gross) –	2457.88
■ Substandard	782.93
■ Doubtful	1458.76
■ Loss	216.18
(f) Net NPAs	727.39
(g) NPA Ratios	
■ Gross NPAs to gross advances	2.29%
■ Net NPAs to net advances	0.69%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
■ Opening balance	2443.73
■ Additions	1032.69
■ Reductions	877.43
■ Closing balance as per form 111	2598.99
■ Less URI & credit Balance	141.11
■ NPA (Gross)	2457.88
(i) Movement of provisions for NPAs	
■ Opening balance	1214
■ Provisions made during the period	288
■ Write-off Write-back of excess provisions	291
■ Closing balance	1211
■ Add Floating provision	312
■ Net Closing balance	1523
(j) Amount of Non-Performing Investments	28.11
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	23.37
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
■ Opening balance	1342.12
■ Provisions made during the period	313.56
■ Write-off	Nil
■ Write-back of excess provisions	231.62
■ Closing balance	1424.06

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures	
<p>The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.</p> <p>The Bank has entered into Memorandum of Understanding with four External Credit Rating Agencies identified by the RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., and Fitch Ratings (I) Ltd., to rate the exposures of its clients under Basel II norms.</p> <p>These agencies will rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.</p> <p>In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight to comparable exposures as per the mapping scale provided by RBI.</p>	
Rs. in crores	
Quantitative Disclosures:	
<p>(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Below 100 % risk weight: 125922 ■ 100 % risk weight: 36609 ■ More than 100 % risk weight: 10470 	

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches 1

Qualitative Disclosures	
<p>Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, and plant and machinery etc. Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.</p> <p>RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.</p>	
Rs in crores	
Quantitative Disclosures	
<p>(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ eligible financial collateral; after the application of haircuts- <ul style="list-style-type: none"> Fund based 104642 Non fund based 9766 	

Table DF-7

Securitisation: disclosure for standardized approach

Rs in crores	
Qualitative Disclosures:	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitization, including a discussion of: <ul style="list-style-type: none"> ■ the bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities; <p style="margin-left: 20px;">No securitization activities during the Half year ended 31.03.2010.</p> ■ The nature of other risk (eg. Liquidity risk) inherent in securitized assets; ■ The various roles played by the bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; and NIL ■ A description of the process in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures ■ A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures 	
(b) Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including: <ul style="list-style-type: none"> ■ Whether the transactions are treated as sales or financing ■ Methods and key assumptions applied in valuing positions retained or purchased ■ Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes ■ Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets 	
(c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used. N.A.	
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitised by the bank	NIL
(e) For exposures securitised losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of : <ul style="list-style-type: none"> - On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and- - Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type 	NIL NIL
(j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL



Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of : <ul style="list-style-type: none">- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for : <ul style="list-style-type: none">- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of : <ul style="list-style-type: none">- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-8
Market risk in trading book

Qualitative disclosures	
<p>Bank has well defined Market Risk Management Policy, Investment policy, Asset liability management Policy and equity Investment policy which cover important areas of market Risk management.</p> <p>Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, foreign exchange rates and equity and commodity prices. Under Market Risk management liquidity risk, interest rate risk, equity price risk are monitored.</p> <p>Market rate will also apply to various derivatives products including option, swap, and interest rate swap.</p>	
Policies for management of Market Risk:	
<p>The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management policy for effective management of Market Risk in the Bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are asset Liability Management Policy and Policy on foreign exchange operations.</p> <p>The policies set various prudential exposure limit, risk limits for effective management of market Risk and ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper market Risk Management and Asset Liability Management.</p> <p>The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of 3 main forms of financial risk: Interest Rate Risk and Credit Risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk , limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.</p> <p>Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.</p> <p>Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.</p>	
Rs in crores	
Quantitative disclosures	
(b) The capital requirements for:	
■ interest rate risk –	465.59
■ equity position risk -	146.52
■ foreign exchange risk –	15.92

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement the approach (es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. The Bank has put in place the Board approved Operational Risk Management Policy, which was reviewed during December 2009. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational risks and started collecting data pertaining to loss events and key risk indicators for the past two years. Bank also joined the data pool consortium of IBA to establish loss data consortium 'CORDEX'. The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.10 is Rs.412.01 crores.

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

Management of interest rate risk aims at capturing the risks arising from the maturity and re-pricing mismatches and is measured both from the earnings and economic value perspective. Earnings perspective involves analyzing the impact of changes in interest rates on accrual or reported earnings in the near term. Economic value perspective involves analyzing the impact of interest on expected cash flows on assets minus the expected cash flow on liabilities plus the cash flows on off balance sheet items.

Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 percent of the total turnover).

Impact of 200 basis points shift in interest rates on investment in banking book is Rs.3423.50crore.

(G.B. Songaonkar)

General Manager – RMD

(S. Sridhar)


Chairman & Managing Director

(Ramnath Pradeep)

Executive Director

(Arun Kaul)

Executive Director



**Consolidated Balance Sheet
as at March 31, 2010 &
Consolidated Profit and
Loss Account for the
Year Ended March 31, 2010**

Auditors' Report to the Board of Directors of Central Bank of India on the Consolidated Financial Statements

- We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India ("The Bank") and its subsidiaries and Associates as at March 31, 2010 (collectively referred to as "The Group"), the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Annexed thereto for the year ended on that date.
- These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- We have not audited the financial statements of Bank's Subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs.307.26 Crore as at March 31, 2010 and Total Revenue of Rs.35.42 Crore for the year then ended. The transactions of Associates included in the Consolidated Financial Statements are given below:

(Rs. In crore)

a	Share of earnings in Associates credited to the Consolidated Profit & Loss Account	97.57
b	Investments	421.69

The Financial Statements of Subsidiaries and Associates referred to above have been Audited by other Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion, in so far as it relates to the Amounts included in respect of the Subsidiaries and Associates, is based solely on the report of the other Auditors.

- We report that the Consolidated financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirement of Accounting Standard 21-"Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-"Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines of the Reserve Bank of India and on the basis of the separate Audited Financial Statements of the Bank and its Subsidiaries and Associates included in the Consolidated Financial Statements.
- Subject to our comments above, on the basis of the information and explanations given to us and on the consideration of separate Audit Reports on individual Audited financial Statements of the Bank and its Subsidiaries and Associates, we are of the opinion that:
 - The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the state of affairs of the Group as at March 31, 2010;
 - The Consolidated Profit & Loss Account gives a true and fair view of the results of operations of the Group for the year ended on that date; and
 - The Consolidated Cash Flow statement shows a true and fair view of the Cash Flows of the Group for the year covered by the Statement.

For M/s. Bhushan Bensal Jain Associates
Chartered Accountants
F.R.NO.-003884N

(CA Deepak Kumar Jain)
Partner
M. NO.96980

For M/s.Ummed Jain & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-119250W

(CA U.M.Jain)
Partner
M. NO.70863

For M/s. P. G. Bhagwat
Chartered Accountants
F.R.NO.-101118W

(CA S. S. Athavale)
Partner
M.NO.83374

For M/s.G.S.A. and Associates
Chartered Accountants
F.R.NO.-000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. NO.83899

For M/s. Joseph & Rajaram
Chartered Accountants
F.R.NO.-001375S

(CA Thomas Philip)
Partner
M. NO.25844

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.NO.-003510S

(CA Vidyasagar Babu)
Partner
M. NO.27357

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010

Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's omitted)

	Schedule No.	As at 31-Mar-2010	As at 31-Mar-2009
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1771,14,15	1321,14,15
Reserves and Surplus	2	6141,90,34	5206,64,36
Minorities Interest	2A	19,76,93	17,59,00
Deposits	3	162129,83,86	131279,27,13
Borrowings	4	7325,63,68	876,77,54
Other Liabilities and Provisions	5	5553,86,67	9169,07,67
TOTAL		182942,15,63	147870,49,85
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	17012,08,22	11037,03,07
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2205,28,12	1214,33,62
Investments	8	50740,01,10	43144,26,54
Loans & Advances	9	105462,53,06	85602,76,45
Fixed Assets	10	2343,67,29	2278,38,14
Other Assets	11	5172,77,76	4587,91,95
Goodwill on Consolidation		5,80,08	5,80,08
TOTAL		182942,15,63	147870,49,85
Contingent Liabilities	12	38749,71,00	23419,51,04
Bills for Collection	-	5400,24,08	2833,02,81
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director

As per our report of even date

For M/s Bhushan Bensal Jain Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003884N

(CA Deepak Kumar Jain)

Partner
M.No. 96980

For M/s.Ummed Jain & Co.

Chartered Accountants
F.R.No. 119250W

(CA U.M.Jain)

Partner
M.No.70863

For M/s. P.G.Bhagwat

Chartered Accountants
F.R.No. 101118W

(CA S.S.Athavale)

Partner
M.No.83374

For M/s.G.S.A. and Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram

Chartered Accountants
F.R.No. 001375S

(CA Thomas Philip)

Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA Vidyasagar Babu)

Partner
M.No.27357

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010

Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2010

(000's omitted)

	Schedule No.	Year Ended 31.03.2010 Rs.	Year Ended 31.03.2009 Rs.
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	12078,66,42	10471,55,62
Other Income	14	1741,94,65	1069,41,67
TOTAL		<u>13820,61,07</u>	<u>11540,97,29</u>
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	9522,99,30	8236,15,31
Operating Expenses	16	2225,41,55	1865,80,41
Provisions and Contingencies		1006,16,46	868,59,99
TOTAL		<u>12754,57,31</u>	<u>10970,55,71</u>
III. PROFIT/ LOSS			
Consolidated Net Profit		1066,03,76	570,41,58
Add: Share of earnings in Associates		97,57,02	65,58,98
Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities' Interest		1163,60,78	636,00,56
Add/Less: Minorities Interest		(-) 1,05,61	(-) 15,57
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		<u>1162,55,17</u>	<u>635,84,99</u>
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		146,00,29	80,90,06
Consolidated Net Profit		<u>1308,55,46</u>	<u>716,75,05</u>
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		265,94,70	142,86,06
Investment Reserve		46,62,32	140,72,03
Revenue Reserve		565,90,84	98,00,00
Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
Proposed Dividend -Preference Share Capital		53,09,40	68,03,85
Proposed Dividend -Equity Share Capital @ 22.00%		90,91,11	80,82,83
Tax on Dividend		24,47,37	25,29,99
Balance Carried over to the Balance Sheet		246,59,72	146,00,29
TOTAL		<u>1308,55,46</u>	<u>716,75,05</u>
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			
EPS		27.23	13.76

S.Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director

As per our report of even date

For M/s Bhushan Bensal Jain Associates

 Chartered Accountants
F.R.No. 003884N

(CA Deepak Kumar Jain)

 Partner
M.No. 96980

For M/s.Ummed Jain & Co.

 Chartered Accountants
F.R.No. 119250W

(CA U.M.Jain)

 Partner
M.No.70863

For M/s. P.G.Bhagwat

 Chartered Accountants
F.R.No. 101118W

(CA S.S.Athavale)

 Partner
M.No.83374

For M/s.G.S.A. and Associates

 Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

 Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram

 Chartered Accountants
F.R.No. 001375S

(CA Thomas Philip)

 Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates

 Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA Vidyasagar Babu)

 Partner
M.No.27357

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	AS AT 31-Mar-2010 Rs.	Rs.	AS AT 31-Mar-2009 Rs.
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3000,00,00		1500,00,00
Issued, Subscribed and Paid up Capital : 4041,41,460 Equity Shares of Rs.10 each (includes 3241,41,500 shares held by Central Govt).	404,14,15		404,14,15	
Perpetual non-cumulative Preference Share Capital	1367,00,00		917,00,00	
TOTAL		1771,14,15		1321,14,15
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	953,50,39		810,64,33	
Additions during the year	265,94,70		142,86,06	
		1219,45,09		953,50,39
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2008,91,59		2038,66,65	
Additions on account of revaluation	-		-	
Deductions during the year	46,89,36		29,75,06	
		1962,02,23		2008,91,59
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	316,48,03		175,76,00	
Additions during the year	46,62,32		140,72,03	
		363,10,35		316,48,03
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	736,00,00		736,00,00	
Additions during the year	-		-	
		736,00,00		736,00,00
IV. Revenue and Other Reserves				
Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1045,74,06		940,78,09	
Additions during the year	565,90,84		98,00,00	
Less: Deductions during the year	-		3,44	
Less Transitional Liability for Employee benefits	-		-	
Add: Deferred tax on above	-		-	
Add: Adjustments	3,08,05		6,99,41	
		1614,72,95		1045,74,06
V. Balance in Profit and Loss Account				
		246,59,72		146,00,29
TOTAL		6141,90,34		5206,64,36

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	AS AT 31-Mar-2010 Rs.	Rs.	AS AT 31-Mar-2009 Rs.
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	2,45,00		2,45,00	
Subsequent increase / decrease	<u>17,31,93</u>		<u>15,14,00</u>	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		<u>19,76,93</u>		<u>17,59,00</u>
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	694,22,70		468,44,09	
ii) From Others	<u>14362,54,74</u>		<u>9627,39,52</u>	
		15056,77,44		10095,83,61
II. Savings Bank Deposits		40763,53,34		33680,07,96
III. Term Deposits				
i) From Banks	5436,46,79		4716,67,95	
ii) From Others	<u>100873,06,29</u>		<u>82786,67,61</u>	
		106309,53,08		87503,35,56
TOTAL		<u>162129,83,86</u>		<u>131279,27,13</u>
B. i) Deposits of Branches in India		162129,83,86		131279,27,13
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	-		17,25,46	
ii) Other Banks	45,97,90		55,10,91	
iii) Other Institutions & Agencies	2575,14,78		804,41,17	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2406,30,00		-	
v) Upper Tier II Bonds	1585,00,00		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	<u>583,00,00</u>		-	
		7195,42,68		876,77,54
II. Borrowings outside India		130,21,00		-
TOTAL		<u>7325,63,68</u>		<u>876,77,54</u>
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	AS AT 31-Mar-2010 Rs.	Rs.	AS AT 31-Mar-2009 Rs.
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	448,41,42		614,26,30	
II. Inter Office Adjustments (Net)			-	
III. Interest Accrued	727,30,71		338,68,51	
IV. Unsecured redeemable Bonds (Subordinated debts for Tier II Capital)*	0		3270,30,00	
V. Deferred Tax Liabilities	308,06,50		24,20,98	
VI. Others (including provisions)* (Includes Rs 583 Crore of IPDI during the year 2008-09)* * Reported under borrowings during the year 2009-10	4070,08,04		4921,61,88	
TOTAL		5553,86,67		9169,07,67
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		752,02,49		797,50,20
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	16160,05,73		10139,52,87	
In Other Accounts	100,00,00		100,00,00	
TOTAL		16260,05,73		10239,52,87
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	730,27,08		708,25,22	
b) In Other Deposit Accounts	1367,70,00		1,61,88	
		2097,97,08		709,87,10
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
TOTAL.... I		2097,97,08		709,87,10
II. Outside India				
a) In Current Accounts	107,17,62		431,38,95	
b) In Other Deposit Accounts	13,42		73,07,57	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL.... II		107,31,04		504,46,52
TOTAL.... (I + II)		2205,28,12		1214,33,62

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's Omitted)

	Rs.	AS AT 31-Mar-2010 Rs.	Rs.	AS AT 31-Mar-2009 Rs.
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	44848,99,77		37880,69,49	
ii) Other approved Securities	130,52,25		405,38,89	
iii) Shares	599,35,73		502,81,77	
iv) Debentures and Bonds	2830,85,76		3073,25,89	
v) Investment in Associates	387,30,69		294,43,43	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	<u>1908,58,64</u>		<u>957,95,94</u>	
		50705,62,84		43114,55,41
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	-		-	
ii) Investment in Associates	<u>34,38,26</u>		<u>29,71,13</u>	
		34,38,26		29,71,13
		50740,01,10		43144,26,54
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	52151,05,84		44499,48,39	
LESS: Provision for Depreciation	<u>1445,43,00</u>		<u>1384,92,98</u>	
Net Investments		50705,62,84		43114,55,41
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	34,38,26		29,71,13	
LESS: Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		34,38,26		29,71,13
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted				
	1340,09,74		886,54,29	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand				
	31766,25,33		24013,89,89	
iii) Term Loans				
	<u>72356,17,99</u>		<u>60702,32,27</u>	
		105462,53,06		85602,76,45
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	81086,15,17		63331,91,04	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	5760,65,76		3071,76,28	
iii) Unsecured	<u>18615,72,13</u>		<u>19199,09,13</u>	
		105462,53,06		85602,76,45
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	33937,01,86		26962,06,02	
ii) Public Sector	5081,20,04		10125,20,13	
iii) Banks	1015,37,72		687,73,63	
iv) Others	<u>65428,93,44</u>		<u>47827,76,67</u>	
		105462,53,06		85602,76,45
(II) Advances outside India				
		-		-

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

(000's Omitted)

		AS AT 31-Mar-2010	AS AT 31-Mar-2009
	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS			
I. Premises			
(At cost / revalued cost)			
Balance as at 31st March of the preceding year	2366,37,57		2366,37,57
Additions during the year	16,63,57		-
Additions on account of revaluation during the year	-		-
Total	2383,01,14		2366,37,57
Deduction/Adjustments during the year	-		-
Total	2383,01,14		2366,37,57
Depreciation to date	334,01,07		315,11,33
TOTAL.... I		2049,00,07	2051,26,24
II. Other Fixed Assets			
(Including furniture and fixtures)			
At cost as on 31st March of the preceding year	816,93,46		754,98,35
Additions/Adjustments during the year	143,87,54		81,98,27
Total	960,81,00		836,96,62
Deductions/Adjustments during the year	8,21,75		20,03,15
Total	952,59,25		816,93,47
Depreciation to date	657,92,03		589,81,57
TOTAL.... II		294,67,22	227,11,90
TOTAL.... (I + II)		2343,67,29	2278,38,14
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS			
I. Inter office adjustments (Net).	620,92,20		643,07,63
II. Interest accrued	996,50,22		780,21,61
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	2192,03,25		1832,64,56
IV. Stationery and Stamps	11,96,52		11,33,59
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-
VI. Deferred Tax Assets (Net)	-		-
VII. Others	1351,35,57		1320,64,56
TOTAL		5172,77,76	4587,91,95
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES			
I. Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1682,43,57	164,00,65
II. Liability for partly paid Investments		27,64,33	27,34,33
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		26529,98,20	16474,39,54
IV. Guarantees given on behalf of constituents			
a) In India	5650,07,20		3946,75,37
b) Outside India	127,50,51		277,18,01
		5777,57,71	4223,93,38
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	4722,43,85		2514,51,81
VI. Other items for which the bank is contingently liable	9,63,34		15,31,33
TOTAL		38749,71,00	23419,51,04

Schedules Forming Part of the Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2010

(000's omitted)

	Year Ended 31-Mar-2010	Year Ended 31-Mar-2009
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	8662,00,79	7769,80,52
II. Income on Investments	3307,95,03	2563,18,93
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	102,64,80	131,51,73
IV. Others	6,05,80	7,04,44
TOTAL	<u>12078,66,42</u>	<u>10471,55,62</u>
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	573,54,49	442,16,00
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	772,38,20	409,76,60
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	45,33,62	67,33,40
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(-) 32,21	(-) 35,29
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	-	-
VII. Miscellaneous Income	351,00,55	150,50,96
TOTAL	<u>1741,94,65</u>	<u>1069,41,67</u>
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	9123,03,70	7914,04,15
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	24,22,39	100,33,45
III. Others	375,73,21	221,77,71
TOTAL	<u>9522,99,30</u>	<u>8236,15,31</u>
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	1546,08,82	1273,91,05
II. Rent, Taxes and Lighting	162,91,36	142,31,95
III. Printing and Stationery	18,96,84	17,92,20
IV. Advertisement and Publicity	17,27,38	15,37,15
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	78,85,66	83,71,84
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,64,18	1,44,56
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	19,61,00	20,43,48
VIII. Law Charges	12,57,54	10,82,02
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	4,91,54	9,78,58
X. Repairs and Maintenance	24,33,07	33,29,87
XI. Insurance	121,27,60	91,48,64
XII. Other Expenditure	216,96,56	165,29,07
TOTAL	<u>2225,41,55</u>	<u>1865,80,41</u>

Schedule 17 – Principal Accounting Policies of Consolidated Accounts

A. The Parent Bank

1. Accounting Conventions:

The Financial Statements are prepared on the historical cost basis except as modified by the Revaluation of Premises and conform to the Statutory provisions and prevailing practices within the banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations in Foreign Currencies are translated at year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

- 3.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Investments in Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI .
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper / Investment in RRBs	At carrying cost.
iv)	Equity Share	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted : At market price. b) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale / redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale / redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures / Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard / Doubtful / Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 5.2 Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree / settlement.
- 5.3 Advances are shown net of provisions, Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTMSE/ ECGC.

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others

6. Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)	

- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- 7.2 The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- 7.4 The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.

8. Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on NPA is accounted for as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 8.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.4 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 8.5 Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

B. SUBSIDIARIES**1 Revenue Recognition**

In case of Cent Bank Home Finance Limited, repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMI) comprising of principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the Financial Year. EMIs commence once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMIs, Pre-EMI interest is payable every month.

Income on Performing Assets is recognized on accrual basis and on Non Performing Assets on realization basis. Credits in Non Performing Assets are appropriated first towards interest and thereafter towards Principal.

2. Investments

Investments are considered long term in nature and accounted for at cost.

3 Retirement Benefits

Cent Bank Home Finance Limited makes regular contribution to Provident Fund. Gratuity amount has been set aside on actuarial basis and invested in Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India. The provision for Leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees at the end of each financial year.

Schedule 18 - Notes Forming Part of the Consolidated Accounts:

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (The Parent Bank), its two subsidiaries and Associates consisting of 7 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as "the Group") as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2010
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	59.50%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%
7 Regional Rural Banks (Associates)	India	35.00% in each RRB
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%

2. Basis of Consolidation

- 2.1 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard - 21 (AS-21) "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the Reserve Bank of India thereof. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the International Accounting Standards.
- 2.2 The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared based on line by line consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiaries by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profit/loss.
- 2.3 Investments in Associates have been accounted for in the Consolidated Financial Statements under the Equity Method as per Accounting Standard 23 (AS-23) "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and guidelines issued by Reserve Bank of India thereof.
- 2.4 In the preparation of Consolidated Financial Statements in some of the cases, different accounting policies for like transactions have been followed in respect of associates for which appropriate adjustments have not been made nor the amounts quantified in the absence of necessary information. Items in respect of which different accounting policies have been adopted by the subsidiary and associates are:

Associates

Accounting for depreciation on fixed assets;

- Accounting of certain expenses on cash basis;
- Interest on overdue/matured term deposits;
- Incentive/ Commission received on purchase of investments;
- Accounting of Income Tax/ Deferred Tax.

Minority interest in the net assets of the subsidiary, Cent Bank Home Finance Limited, consists of:

- the amount of equity attributable to minorities, and
- the minorities' share of movements in equity since the day on which parent-subsidiary relationship came into existence.

- 2.5 Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the Bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

3. PARENT BANK

3.1 Capital:

The Authorised Capital of the Bank was Rs.1500 crore as on April 01, 2009. The Board of Directors vide Resolution dated July 27, 2009 recommended to increase the Authorized Capital of the Bank from the present Rs.1500 crore to Rs.3000 crore for the approval of shareholders of the Bank and the shareholders in the Annual General Meeting held on August 4, 2009 approved the same.

The Government of India by its official Gazette Notification dated November 27, 2009 increased the authorized Capital from Rs.1500 crore to Rs.3000 crore.

The paid-up Capital of the Bank is increased from Rs.1321.14 crore to Rs.1771.14 crore by issue of Perpetual Non-cumulative preference shares (PNCPs) to the tune of Rs.450 crore to Government of India.

3.2 Balancing of Books / Reconciliation

The bank is in the process covering all of its branches under the CBS platform. During the year, an additional 324 branches have come under the CBS platform. Certain migration errors in the master data and inherent bugs in the system were noticed in branches remedial action was initiated by the bank's IT department and the service provider. The management is of the opinion that this does not have any material impact on the Financial Statements.

3.3 Income Tax / Deferred Tax

- 3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes Rs.1507.45 crore (previous year Rs.1366.17 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank/ adjusted by the authorities. Provision for taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.
- 3.3.3 Out of Rs.1507.45 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of Rs.7.06 crore have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

3.4 Share Issue Expenses:

Unamortized amount of Rs. 12.12 crore towards Share Issue Expenses are included in Other Assets.

3.5 Premises:

- 3.5.1 The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The additional appreciation amounting to Rs.1565.97 crore have been credited to Revaluation Reserve Account.
- 3.5.2 Premises owned by the Bank include properties costing Rs.10.94 crore revalued at Rs.306.85 crore for which registration formalities are still in progress.

3.6 Advances / Provisions

- 3.6.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured / recoverable to the extent of estimated realisable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
- 3.6.2 Last year the Bank considered the Floating Provision of Rs.312.43 crore as part of Tier II Capital. In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has opted to utilize the Floating Provision for netting off from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.

3.7 Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008

- 3.7.1 Government of India has notified "Agricultural Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008" for Debt Waiver to marginal and small farmers and Relief to other farmers, which has been implemented by the bank. Claims have been preferred with RBI for Agricultural Debt Waiver amounting to Rs.978.54 crore (inclusive of additional claim of Rs.3.71 crore). The Bank has received Rs.631.06 crore being 64.49% of the Claim amount.
- 3.7.2 In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Notification dated October 16, 2008 and Reserve Bank of India circular dated November 11, 2008, Interest amounting to Rs.38.05 crore (previous year Rs.15.33 crore) on the amount outstanding under Agricultural Debt Waiver Scheme, 2008, for the period April 2009 to March, 2010, have been accounted in the books as Interest Income.
- 3.7.3 In terms of the Reserve Bank of India Circular Ref RBI:2009-10/371/ DBOD.No.BP.BC.82/21.04.048/2009-10 dated March 30, 2010 and vide Government of India Notification No.3/3//208-AC dated April 5, 2010, Bank has extended the Debt Relief

Scheme to all eligible farmers upto June 30, 2010. Provision of Rs.6.17 crore is made by the Bank for the loss in present value terms for all receivables from the Borrowers. Claim for reimbursement of 25% Government share is subject to verification by the Statutory Central Auditors.

3.8 Compliance with Accounting Standards

- 3.8.1 The Bank has complied with the Accounting Standards (AS) issued by The Institute of Chartered Accountants of India and disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.
- 3.8.2 There were no material prior period Income/ Expenditure exceeding 1% of the Gross Total Income/ Expenditure during the year requiring disclosure under AS 5 on Net Profit or Loss for the Period, Prior Period and Extraordinary items and changes in Accounting Policies.
- 3.8.3 Income items recognized on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

3.9 Accounting Standard - 15 (Revised)

Employee Benefits:

- (i) Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(Rupees in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2010		Year ended March 31, 2009	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2010				
Opening obligations	2705.33	785.08	2612.92	769.04
Service cost	47.98	30.65	68.20	36.20
Interest cost	211.14	62.54	207.00	62.00
Actuarial [gain]/loss	120.04	(58.31)	6.01	(24.35)
Benefits paid	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
Obligations at March 31, 2010	2856.49	751.89	2705.33	785.08
Plan assets at March 31, 2010, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	2011.73	819.41	1912.92	837.12
Expected return on plan assets	178.22	62.83	155.43	64.66
Actuarial gain/[loss]	(22.92)	(5.77)	1.43	3.99
Contributions	330.00	--	124.35	--
Benefits paid	(228.00)	(68.07)	(188.80)	(57.81)
Plan assets at March 31, 2010, at fair value	2269.03	808.40	2005.33	847.96
Cost for the year ended March 31, 2010				
Service cost	47.98	30.65	68.20	36.20
Interest cost	211.14	62.54	207.00	62.00
Expected return on plan assets	(178.22)	(62.83)	(155.43)	(64.66)
Actuarial [gain]/loss	142.95	(52.54)	4.58	(28.34)
Net cost	223.85	(22.18)	124.35	5.20

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2010		Year ended March 31, 2009	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

- (ii) The Cent Bank Home Finance Ltd. is only Subsidiary Company of the Bank which is having separate set of employees, which are not on parent's bank payroll. The CBHF Ltd. has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of Privilege Leave of the employees as on March 31, 2010.

3.10 Accounting Standard 17 - Segment Reporting (Consolidated) :

(Rs. in lacs)

Sl No.	Particulars	Year ended 31.03.2010 (Audited)	Year ended 31.03.2009 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	143008	91002
	2. Retail Banking Operations	448162	412158
	3. Wholesale Banking Operations	799281	656742
	4. Other Banking Operations	764	34
	5. Unallocated	603	704
	Total	1391818	1160640
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	95217	76121
	2. Retail Banking Operations	43614	28428
	3. Wholesale Banking Operations	76684	45158
	4. Other Banking Operations	754	33
	Total	216269	149740
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	603	704
d.	Operating Profit	216872	150444
e.	Provisions & Contingencies	51082	51351
f.	Income Tax	49535	35508
g.	Net Profit	116255	63585
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	3169978	2117957
	2. Retail Banking Operations	4392418	3935735
	3. Wholesale Banking Operations	10513027	8550603
	4. Other Banking Operations	173	16
	5. Unallocated Assets	218619	182739
	Total	18294215	14787050
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	2844644	110619
	2. Retail Banking Operations	4323937	4407552
	3. Wholesale Banking Operations	10307294	9591775
	4. Other Banking Operations	1159	1230
	5. Unallocated Liabilities	817181	675874
	Total	18294215	14787050

- 3.10.1 The Parent Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.
- 3.10.2 Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- 3.10.3 The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of Rs.5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- 3.10.4 The Corporate/ Wholesale Segment consists of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- 3.10.5 The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- 3.10.6 General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- 3.10.7 Allocation of Costs:
- Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

3.11 Accounting Standard 18 - Related Party Disclosure:

1. List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel -

Name	Designation
i) Mr. S. Sridhar	Chairman & Managing Director
ii) Mr. Ramnath Pradeep	Executive Director
iii) Mr. Arun Kaul	Executive Director

(b) Subsidiaries -

- Cent Bank Home Finance Ltd.
- Cent Bank Financial Services Ltd.

(c) Associates -

(I) Regional Rural Banks -

- Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara.
- Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur.
- Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
- Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia.
- Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota.
- Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo - Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(Rs. in lacs)

Items	Key Management Personnel	
	2009-2010	2008-2009
Remuneration paid	36.48	36.82

(b) Statement of Related parties transactions

(Rs. in crore)

Sl. No.	Related parties	As on	Investment		Purchase of Loan assets		Sale of loan assets		Line of Credit to RRBs	
			Cumulative	Max. during the year	Amt Outstanding	Int. recd	Amt sold	Interest Paid	Amt	Int. Paid
1	Satpura Narmada KGB Chindawara, Madhya Pradesh	31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59
		31.03.09	27.64	27.64	200.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Surguja KGB Ambikapur [Chattisgarh]	31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00
		31.03.09	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar Gramin Bank Muzaffarpur [Bihar]	31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40
		31.03.09	159.09	159.09	500.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vidharbha KGB Akola [Maharashtra]	31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03
		31.03.09	6.22	6.22	47.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ballia Etawah Gramin Bank Ballia [Uttar Pradesh]	31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	11.72	11.72	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hadoti KGB Kota [Rajasthan]	31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00
		31.03.09	2.45	2.45	62.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Uttarbhangra KGB Siliguri [West Bengal]	31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.09	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02
		31.03.09	230.27	230.27	820.06	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

During the year 2009-10 Ballia KGB and Etawah KGB amalgamated to form Ballia Etawah Gramin Bank in Uttar Pradesh with effect from 01.01.2010. Consequently 8 RRBs as on 31.03.2009 were reduced to 7 RRBs as on 31.03.2010.

3.12 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2010	31.3.2009
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (Rs. in Crore)	1162.55	635.85
Weighted Average number of Equity Share (No.)	404141460	404141460
Basic Earnings per Share (Rs.)	27.23	13.76
Diluted Earnings per Share (Rs.)	27.23	13.76
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

3.13 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Parent Bank has recognized Deferred Tax Asset/ Liabilities. The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crore)

	31.3.2010	31.3.2009
Deferred Tax Asset:		
Provision for NPAs	0.00	40.39
Provision for Leave Encashment	61.24	54.77
Provision for Pension and Gratuity	259.12	266.48
Provision for Wage Revision	108.77	
Total (A):	429.13	361.64
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	15.05	11.94
Interest accrued but not due on Investments	334.98	261.80
Depreciation on Investments	386.99	111.93
Total (B):	737.02	385.67
Net Deferred Tax Liability	307.89	24.03

3.14 A substantial portion of the Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard 28 on Impairment of Assets is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets as at March 31, 2010 requiring recognition in terms of the Standard.

3.15 Accounting Standard-29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Movement of Provisions:

(Rs. in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2009	Provision made during the year	Provisions reversed/adjusted	Closing Balance as on 31.03.2010
Standard Assets	387.51	29.91	-	417.42
NPA	1213.55	288.40	290.41	1211.54
Investments	1390.49	314.25	257.31	1447.43
Taxes	1225.97	207.45	7.35	1426.07
Misc. Provision	187.51	136.22	11.23	312.50

4. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5. SUBSIDIARIES :

5.1 Cent Bank Home Finance Ltd.

5.1.1 During the year the Company has written off irrecoverable bad debt amount of Rs.1,62,99,157/- as decided by the Board.

5.1.2 Income Tax assessments have been completed upto A.Y. 2007-08. For the disallowances made, the Company has filed appeals for various years with the Appellate Authorities and the same are pending.

5.2 Cent Bank Financial Services Limited

5.2.1 There are no amounts overdue and remaining unpaid to Small Scale and/ or ancillary Industrial suppliers on account of principal and/ or interest as at close of the year.

6. Previous year's figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

S. Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr.Shashank Saksena Director	M.K.Bhattacharya Director	CA M.S.Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N.Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director

For M/s Bhushan Bensal Jain Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003884N

(CA Deepak Kumar Jain)

Partner
M.No. 96980

For M/s.Ummed Jain & Co.

Chartered Accountants
F.R.No. 119250W

(CA U.M. Jain)

Partner
M.No.70863

For M/s. P.G.Bhagwat

Chartered Accountants
F.R.No. 101118W

(CA S.S. Athavale)

Partner
M.No.83374

For M/s. G.S.A. and Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No.83899

For M/s. Joseph & Rajaram

Chartered Accountants
F.R.No. 001375S

(CA Thomas Philip)

Partner
M.No. 25844

For M/s. Sagar & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA Vidyasagar Babu)

Partner
M.No.27357

Place : Mumbai
Date : May 22, 2010

Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2010

		(Rs. In crore)	
Sr. No.	Particulars	31-03-2010	31-03-2009
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	1,442.96	990.93
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	68.10	74.56
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	64.79	90.53
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	259.73	324.10
	Provision for Standard Assets	29.97	44.83
	Provision for Other items (Net)	125.87	54.06
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.32	0.35
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	362.32	219.74
	Sub total	2,354.06	1,799.10
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,850.57	20,953.74
	Increase / (Decrease) in Borrowings	6,448.87	336.15
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(5,088.84)	394.00
	(Increase) / Decrease in Advances	(19,859.77)	(12,792.57)
	(Increase) / Decrease in Investments	(7,660.54)	(11,760.02)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,078.84)	(246.23)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	493.98	(355.08)
	Net Cash from operating activities	4,105.43	(3,470.01)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	6,459.49	(1,670.91)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	8.22	9.97
	Purchase of Fixed Assets	(141.94)	(72.27)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(133.71)	(62.30)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	450.00	117.00
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	721.00	839.00
	Innovative Perpetual Debt Instrument	0.00	583.00
	Dividend	(144.00)	(148.86)
	Dividend Tax	(24.47)	(25.30)
	Interest on Subordinated Debt	(362.32)	(219.74)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	640.21	1,145.10
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	6,965.99	(588.11)

		(Rs. In crore)	
Sr. No.	Particulars	31-03-2010	31-03-2009
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,037.03	11,537.43
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,214.34	1,302.05
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	12,251.37	12,839.48
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	17,012.08	11,037.03
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	2,205.28	1,214.34
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	19,217.36	12,251.37

S. Sridhar Chairman & Managing Director	Ramnath Pradeep Executive Director	Arun Kaul Executive Director	Basab Mondal General Manager
Dr. Shashank Saksena Director	M.K. Bhattacharya Director	CA M.S. Johar Director	Brijlal Kshatriya Director
N. Balakrishnan Director	Romesh Sabharwal Director	Major Ved Prakash Director	B S Rambabu Director

For M/s Bhushan Bensal Jain AssociatesChartered Accountants
F.R.No. 003884N**(CA Deepak Kumar Jain)**Partner
M.No. 96980**For M/s. Ummed Jain & Co.**Chartered Accountants
F.R.No. 119250W**(CA U.M. Jain)**Partner
M.No. 70863**For M/s. P.G. Bhagwat**Chartered Accountants
F.R.No. 101118W**(CA S.S. Athavale)**Partner
M.No. 83374**For M/s. G.S.A. and Associates**Chartered Accountants
F.R.No. 000257N**(CA Sunil Aggarwal)**Partner
M.No. 83899**For M/s. Joseph & Rajaram**Chartered Accountants
F.R.No. 001375S**(CA Thomas Philip)**Partner
M.No. 25844**For M/s. Sagar & Associates**Chartered Accountants
F.R.No. 003510S**(CA Vidyasagar Babu)**Partner
M.No. 27357

Place : Mumbai

Date : May 22, 2010



**Statement of Account of
Centbank Home Finance Ltd.
(A Subsidiary of Central Bank
of India) for the year ended
31st March, 2010**

Directors' Report 2009-10 to the Members

Your Directors have pleasure in presenting the 19th Annual Report of the Company along with audited accounts for the year ended March 31, 2010.

1. MARKET SCENARIO:

The Gross Domestic Product (GDP) in India expanded at an annual rate of 7.20% in the last quarter. India Gross Domestic Product is worth 1217 billion dollars or 1.96% of the world economy, according to the World Bank. India's diverse economy encompasses traditional village farming, modern agriculture, handicrafts, a wide range of modern industries and a multitude of services.

Further, the Indian housing finance sector reported a compounded annual growth rate (CAGR) of 56% during the period 2003 to 2007, aided by benign interest rates, rising property prices, and increasing income levels. Thereafter, the growth rate slowed down, with steep real estate prices, high interest rates, exit of investors from the market, and a weak operating environment making their impact felt. In the current financial year (2009-10), there has been some revival in buyer sentiment with interest rates declining and property prices witnessing some correction.

Mortgage penetration levels (mortgage loans as percentage of GDP) in India, which had risen from around 2% as in March 2002 to a little over 7% as in March 2007, have remained at the 7% levels till date. This being significantly lower than the penetration rates in developed countries; it appears there is room for further growth. Going forward, some factors that may contribute positively to growth in mortgage penetration in the domestic market are as follows:

1. Decline in rates of interest to 8% - 9% from 12% over the past one year; this amounts to a 15% -25% reduction in the equated monthly instalment (EMI) per lakh of loan.
2. Increase in supply of affordable homes and price correction in the residential real estate market
3. Increase in economic activity
4. Large inventory of unleveraged homes (which could be pledged by borrowers to raise loans)
5. Increase in income of Government employees following implementation of the Sixth Pay Commission's recommendations.

However, it is also likely that a further correction or even stagnation in real estate prices may lead to borrowers deferring home purchase decisions on the expectations of another round of correction. Market still dominated by banks, although HFCs foresee a marginal increase in share. On an average, the mortgage portfolios of HFCs grew at a steady rate of 25% per annum during the period FY2004-FY2007 while those of banks grew at rates at a higher rate during the same period; however both reported a significant slowdown FY2008 onwards. Going forward, banks are likely to maintain a sizeable share of the mortgage market, given their extensive network, access to stable low-cost funds, and their compulsion to meet priority sector targets.

2. FINANCIAL RESULTS

A summary of the financial results of the Company in 2009-10 compared with the previous year is as under:

(Rs. in Crore)



Particulars	For the year ended	
	March 31, 2010	March 31, 2009
Gross Income	27.44	26.60
Profit before Tax	7.22	4.43
Provision for Deferred Tax	0.00	0.00
Provision for Tax	(1.76)	(1.25)
Profit after Tax	5.46	3.18
Adjustment related to Previous Year	(0.01)	(0.02)
Profit for the year	5.45	3.16
Appropriations		
Transfer to Special Reserve	1.39	0.69
Transfer to General Reserve	0.00	0.00
Appropriation for dividend (Including dividend tax, surcharge & cess)	2.34	0.00
Balance carried forward to Balance sheet	1.72	2.47
Total	5.45	3.16

Figures in parenthesis are in negative.



3. PERFORMANCE:



During the year 2009-10 the Company has made Operating Profit of Rs.8.60 Crore as compared to Rs.5.03 Crore in 2008-09 and Profit after Tax (PAT) of Rs.5.45 Crore as against PAT of Rs.3.16 Crore in the previous year.



The Capital Adequacy Ratio of the company has increased from 21.09% in 2008-09 to 22.47% in 2009-10 as against the norm of 12 per cent stipulated by the National Housing Bank (NHB). The increase was due of addition of profit of Rs.3.11 Crore (Profit after appropriation for dividend) in Reserves and surplus.

Earning Per Share of the Company stands at Rs.27.24 per share as on March 31, 2010 as compared to Rs.15.79 as on March 31, 2009.

Cumulative Sanctions have increased from Rs.807.76 Crore to Rs.866.26 Crore while cumulative disbursements have increased from Rs.728.95 Crore to Rs.783.23 Crore as of March 31, 2010. The Company has sanctioned 974 Housing Loans aggregating Rs.58.50 Crore and disbursed Rs.54.28 Crore in 939 housing loan accounts. Due to the fresh disbursement made during the year, the gross loan outstanding has increased to Rs.269.88 Crore as of 31.3.2010 as against Rs.257.88 Crore as of 31.3.2009.



New Products:

With a view to strengthen its product mix, the Company has introduced a new loan scheme viz "Loan Against Property" carrying high band of rate of interest. The Company is expecting to generate additional revenue from this new loan scheme in the next financial year.

4. DIVIDEND

Looking to the increased profitability of the company, Board proposes to pay dividend @10% to its shareholders.

5. RESOURCES

Net Owned Funds of the Company have increased from Rs.46.21 Crore to Rs.49.31 Crore on March 31, 2010 due to the retention of Rs.3.10 Crore for the year 2009-10.

As on 31st March, 2010, total deposits of the Company from public and inter-corporate deposits were of the order of Rs.38.04 Crore as compared with Rs.16.16 Crore at the end of the previous year.

The refinance from the National Housing Bank stood at Rs.NIL as on 31st March, 2010 as compared to Rs.72.52 Crore as on 31st March, 2009. Company has during the year prepaid the entire refinance outstanding with National Housing Bank by raising term loan from Central Bank of India which resulted in saving of Rs.1.34 Crore approx.

The Company has availed Term loan and over draft facilities from Central Bank of India, with outstanding at the level of Rs.169.50 Crore as on 31st March, 2010 as against Rs.114.04 Crore as on 31st March, 2009.


6. UNCLAIMED DEPOSITS

As at 31st March, 2010 public deposits amounting to Rs.56,08,686/- in 129 a/cs have remained unclaimed. The depositors have been advised about the maturity of their deposits with a request either to renew or claim the same.

During the year under review, the unclaimed deposits and interest to the extent of Rs.52,001/- in 9 a/cs for more than 7 years was transferred to the Investor Education and Protection Fund as per Section 205C of the Companies Act, 1956.

7. NON PERFORMING ASSETS

The Company has been pursuing all the available options to recover its dues from non-performing accounts. Company's efforts have resulted in reduction of Rs.11.90 Crore of its gross NPA from Rs.44.64 Crore in March 2009 to Rs.32.74 Crore in March 2010.



With due provision, the net NPA stood at Rs.12.26 Crore as on March 31, 2010 as against Rs.23.26 Crore as of March 2009.

The Company has taken recourse to Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 for recovering the overdues and bringing down the NPA.

8. CREDIT RATING

The deposit schemes of the Company has been rated **"FA-"** with **"Positive"** out look as against the **"Stable"** outlook last year by the Credit Rating Agency, CRISIL.

9. DIRECTORS

Shri I.P.S.Oberoi, Deputy General Manager of Central Bank of India joined the Board as Director on 07.09.2009.

Shri K.A.Somayajulu, General Manager, Mrs. D.Vasundhara Krishnamurthy, General Manager & Shri P.C.Tiwari, General Manager Central Bank of India resigned & ceased to be the Director of the Company w.e.f 07.09.2009.

In accordance with the provisions of Section 256 of the Companies Act, 1956 and Articles of Association of the Company, Shri Surendra Singhai and Shri I.P.S.Oberoi, Directors of the Company, are liable to retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting and are eligible for reappointment.

The Board wishes to place on record the valuable contributions made by Shri. K.A.Somayajulu, Mrs.D.Vasundhara Krishnamurthy & Shri P.C.Tiwari during their tenure as Directors of the Company.

10. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is constituted in terms of the Section 292A of the Companies Act, 1956. The Committee comprises of four members, namely – Shri Ramnath Pradeep - Chairman, Shri I.P.S.Oberoi, Shri Surendra Singhai and Shri Narender Singh as members. The Audit Committee provides direction as also oversees the operation of the total audit functions of the Company.

11. HUMAN RESOURCES

As on March 31, 2010, the Company has 30 employees including 16 officers on secondment from Central Bank of India including Managing Director of the Company while 14 are the staff directly recruited by the Company.

During the year under review the company had no employee whose remuneration exceeded the limits prescribed under the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1973 framed by Central Government under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 and as amended from time to time.



12. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND EXPENDITURE

There was no earning or expenditure in foreign currency. Since the Company does not have any manufacturing activity, other provisions of the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of the Board of Directors) Rules, 1988 are not applicable.

13. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 217(2AA), the Board of Directors report that:-

- (i) in the preparation of the annual accounts for the year 2009-10, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures;
- (ii) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (iii) the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;
- (iv) the directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

14. STATEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

A detailed statement on Corporate Governance of the Company is annexed to the Directors' Report as **Annexure I**.

15. COMPLIANCE WITH GUIDELINES OF NHB

The Company has complied with the guidelines and directions issued by National Housing Bank on asset classification, accounting standards, income recognition, provisioning, capital adequacy, credit rating etc. as amended from time to time.

16. BRANCH NET WORK OF THE COMPANY

As on March 31, 2010, the Company has been operating through 13 Branches spread across the Country.

17. AUDITORS

In exercise of the powers conferred by Section 619(2) of the Companies Act, 1956, the Comptroller and Auditor General of India has appointed M/s Parihar & Sonpar, Chartered Accountants as the auditors of the Company for the year 2009-10.

18. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their appreciation for the continued support and guidance from Government of India, Reserve Bank of India, National Housing Bank, Central Bank of India, HUDCO and Unit Trust of India. The Directors also wish to place on record their appreciation for the continued patronage and support extended to the Company by its clients and depositors and also the contribution made by the members of the staff of the Company.

Place : Bhopal
Date : 11 May 2010

Ramnath Pradeep
Director

ANNEXURE I**Report of Directors on Corporate Governance for 2009-10**

Cent Bank Home Finance Ltd. (CBHFL) is jointly promoted by four premier institutions of the Country namely, Central Bank of India, HUDCO, National Housing Bank and Unit Trust of India. All these institutions believe in strong Corporate Governance culture. CBHFL not only complies with the regulatory requirements on Corporate Governance but also has been responsive to its shareholders, staff, customers, government and non-government bodies, society and all others with whom it has business relations. It strives to achieve excellence in the field of customer satisfaction.

The Board of Directors supports the broad principles of Corporate Governance, professional environment and lays emphasis on transparency, accountability and integrity. A brief report on the practices prevalent in Corporate Governance at CBHFL is given hereunder:-

BOARD OF DIRECTORS**Composition:**

The Board of Directors comprises of 7 members of the Company. Managing Director is on secondment from Central Bank of India, whilst out of the remaining 6 non-executive directors, 3 are nominees of Central Bank of India and 1 nominee each from UTI, HUDCO & NHB. All the Directors are having wide range of skills and experience and are experts in their own fields.

Tenure of Directors:

As per Companies Act, 1956 at least two-thirds of the directors should be retiring directors out of which one-third of the directors should retire by rotation every year and if eligible, they qualify for reappointment.

Subsequent to the 18th Annual General Meeting, no Directors joined the Board.

Shri Surendra Singhai and Shri I.P.S.Oberoi, Directors of the Company, are liable to retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting and are eligible for reappointment.

Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision, apart from those legally required e.g. at every Board Meeting quarterly performance is reviewed, actions on recovery of over dues are recommended, availability of financial resources are ensured, compromise proposals are discussed, strategies for better performance of the Company are framed and discussed and reporting to shareholders is approved. Each member of the Board invariably attends the Board Meeting unless preoccupied with some urgent matters. Hence, decisions of the Board are in true sense plural, transparent and duly accounted for.

Board Meetings

The Board meets at least once in a quarter.

Agenda for the Board meetings are prepared well in advance and detailed agenda papers are circulated among all the Directors. They are free to recommend inclusion of any matter in the agenda for discussion.

During the year 2009-10, four (4) meetings were held on May 22, 2009, September 07, 2009, January 02, 2010 and March 27, 2010. The number of meetings attended by the Directors are mentioned below against their names:-

Sl. No.	Name of the Director	No. of Meetings attended
1.	Shri Ramnath Pradeep	4
2.	Shri K.A.Somayajulu (Ceased to Director on 07.09.2009)	NIL
3.	Shri P.V. Raveendran	2
4.	Mrs. D.Vasundhara K. (Ceased to Director on 07.09.2009)	NIL
5.	Shri V.K. Badami	2



Sl. No.	Name of the Director	No. of Meetings attended
6.	Shri Surendra Singhai	3
7.	Shri P.C.Tiwari (Ceased to Director on 07.09.2009)	1
8.	Shri I.P.S.Oberoi (Joined as Director on 07.09.2009)	3
9.	Shri V.K. Jain	1
10.	Shri D.P. Sinha (Ceased to Director on 22.05.2009)	1
11.	Shri Narender Singh (Joined as Managing Director on 22.05.2009)	4

Audit Committee

Members of the Audit Committee are Shri. Ramnath Pradeep, Shri Surendra Singhai, Shri I.P.S.Oberoi and Shri Narender Singh. All matters relating to finance, accounts and audit are reviewed by the Audit Committee and recommendations placed for Board's consideration and perusal. During 2009-10, 4 meetings of the Audit Committee were held on May 22, 2009, September 07, 2009, January 02, 2010 and March 27, 2010. The detailed agenda for the Audit Committee meetings is prepared and communicated to all Committee members, well in advance.

ALCO Meetings

The ALCO of the Company comprises of Shri Narender Singh, Shri I.P.S.Oberoi, Shri H.R.Tiwari & Shri Ritesh Kumar Jain. ALCO Meetings to review the asset liability management & mismatches, if any, in the assets and liabilities are held on a regular basis and recommendations are given to correct such mismatches.

Review by Comptroller and Auditor General of India

Accounts of the Company, apart from Statutory Audit are also subject to review by the Comptroller and Auditor General of India which forms part of the Annual Report.

Scrutiny by National Housing Bank

National Housing Bank, being the Regulator for Housing Finance Companies, conducts periodical review of the Company's operations and gives report for implementation ensuring better transparency, accountability and standards.

Review and Monitoring by Central Bank of India

Senior Management staff of the Company is on deputation from Central Bank of India, which holds majority of the shares of the Company. Central Bank of India is also one of the principal lenders to the Company for its fund based requirements. It also reviews and monitors the operations of the Company by getting Monthly Progress Reports and placing the quarterly review of the Company in its Board meeting.

Place : Bhopal
Date : 11 May 2010

Ramnath Pradeep
Director

Auditors' Report

To
The Members
Cent Bank Home Finance Ltd.
Bhopal

We have audited the attached Balance Sheet of M/s Cent Bank Home Finance Ltd, Bhopal(the company) as at 31.03.2010, the Profit & Loss account and Cash Flow statement of the Company for the year ended on that date, both annexed thereto. These financial Statements are the responsibility of Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial Statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. The audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the Companies (Auditor's report) order, 2003 as amended by Companies (Auditors' Report) order 2004 (collectively the order) issued by the Company Law Board in terms of section 227(4A) of the Companies Act, 1956.we annex hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.

We report that :

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as it appears from our examination of such books.
3. The Balance Sheet, Profit & Loss account & Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.
4. In our opinion, the Profit & Loss account, Balance Sheet and Cash Flow Statement comply with the accounting standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.
5. On the basis of written representation from the directors and taken by the Board of Directors as on 31st March, 2010 , none of the directors were disqualified, from, being appointed as a director under clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act 1956.
6. In our opinion and on the basis of our information and according to the explanations given to us, read with the notes on accounts together with significant accounting policies, the said accounts based on the documents made available, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a **true and fair view** in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - i. in so far it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Company as at 31.03.2010;
 - ii. in so far as it relates to the Profit & Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date and
 - iii. in the case of Cash Flow Statement, of the **Cash flow of the company** for the year ended on that date.

For **Parihar & Sonpar**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
(Partner)
Membership No. 34577

Place : Bhopal
Date : 11 May 2010

Annexure to Audit Report

CENT BANK HOME FINANCE LTD. BHOPAL

Referred to in paragraph 3 of our report of even-date for the year ended 31-03-2010

I	A	The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.																																												
	B	As informed to us and as per available records, all the fixed assets of the Company have been physically verified by the management during the year and the discrepancies(not material) noticed on such verification have been properly dealt with in the books of account.																																												
	C	During the year company has disposed off some of its fixed assets but they do not affect the going concern status of the company.																																												
II	A	The Company is a Housing Finance Company(HFC);hence clause (ii) of CARO 2003 in respect of inventory records, procedures for physical verification etc are not applicable.																																												
III	A	The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. However the company has placed short term deposits with Central Bank of India, a party listed in the Register maintained Under Section 301 of the Act. In our Opinion this placement of deposits does not amount to granting of loan.																																												
	B	<p>The company has taken secured loans from the parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act,1956, details of the same are as under:</p> <p style="text-align: right;">Amounts (In Rupees)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Outstanding Balance as on 31-03-10</th> <th style="text-align: center;">Maximum Balance O/s during the year</th> <th style="text-align: center;">Period on which Maximum Balance was outstanding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central Bank of India (Term Loan)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TL-1</td> <td style="text-align: center;">NIL</td> <td style="text-align: right;">5,22,40,161/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 06/07/09</td> </tr> <tr> <td>TL-2</td> <td style="text-align: right;">7,13,49,601/-</td> <td style="text-align: right;">14,28,11,766/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 06/07/09</td> </tr> <tr> <td>TL-3</td> <td style="text-align: right;">7,19,03,256/-</td> <td style="text-align: right;">10,75,03,256/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 06/07/09</td> </tr> <tr> <td>TL-4</td> <td style="text-align: right;">39,17,56,569/-</td> <td style="text-align: right;">41,35,00,000/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 06/07/09</td> </tr> <tr> <td>TL-5</td> <td style="text-align: center;">NIL</td> <td style="text-align: right;">15,00,00,000/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 06/07/09</td> </tr> <tr> <td>TL-6</td> <td style="text-align: right;">14,41,89,920/-</td> <td style="text-align: right;">15,02,89,920/-</td> <td style="text-align: center;">30/09/09 to 15/01/10</td> </tr> <tr> <td>TL-7</td> <td style="text-align: right;">99,73,32,503/-</td> <td style="text-align: right;">99,73,32,503/-</td> <td style="text-align: center;">26/03/10 to 31/03/10</td> </tr> <tr> <td>Central Bank of India (Overdraft limit)</td> <td style="text-align: right;">1,85,01,513/-</td> <td style="text-align: right;">14,23,14,532/-</td> <td style="text-align: center;">07/07/09 to 08/07/09</td> </tr> <tr> <td>National Housing Bank (Refinance)</td> <td style="text-align: center;">NIL</td> <td style="text-align: right;">72,52,44,221/-</td> <td style="text-align: center;">01/04/09 to 29/06/09</td> </tr> </tbody> </table>		Outstanding Balance as on 31-03-10	Maximum Balance O/s during the year	Period on which Maximum Balance was outstanding	Central Bank of India (Term Loan)				TL-1	NIL	5,22,40,161/-	01/04/09 to 06/07/09	TL-2	7,13,49,601/-	14,28,11,766/-	01/04/09 to 06/07/09	TL-3	7,19,03,256/-	10,75,03,256/-	01/04/09 to 06/07/09	TL-4	39,17,56,569/-	41,35,00,000/-	01/04/09 to 06/07/09	TL-5	NIL	15,00,00,000/-	01/04/09 to 06/07/09	TL-6	14,41,89,920/-	15,02,89,920/-	30/09/09 to 15/01/10	TL-7	99,73,32,503/-	99,73,32,503/-	26/03/10 to 31/03/10	Central Bank of India (Overdraft limit)	1,85,01,513/-	14,23,14,532/-	07/07/09 to 08/07/09	National Housing Bank (Refinance)	NIL	72,52,44,221/-	01/04/09 to 29/06/09
	Outstanding Balance as on 31-03-10	Maximum Balance O/s during the year	Period on which Maximum Balance was outstanding																																											
Central Bank of India (Term Loan)																																														
TL-1	NIL	5,22,40,161/-	01/04/09 to 06/07/09																																											
TL-2	7,13,49,601/-	14,28,11,766/-	01/04/09 to 06/07/09																																											
TL-3	7,19,03,256/-	10,75,03,256/-	01/04/09 to 06/07/09																																											
TL-4	39,17,56,569/-	41,35,00,000/-	01/04/09 to 06/07/09																																											
TL-5	NIL	15,00,00,000/-	01/04/09 to 06/07/09																																											
TL-6	14,41,89,920/-	15,02,89,920/-	30/09/09 to 15/01/10																																											
TL-7	99,73,32,503/-	99,73,32,503/-	26/03/10 to 31/03/10																																											
Central Bank of India (Overdraft limit)	1,85,01,513/-	14,23,14,532/-	07/07/09 to 08/07/09																																											
National Housing Bank (Refinance)	NIL	72,52,44,221/-	01/04/09 to 29/06/09																																											
	C	In our opinion, the rate of interest and other terms and conditions on which loans have been taken from / granted to companies, firms or other parties listed in the register required to be maintained under section 301 of the companies Act 1956 are prima facie, not prejudicial to the interest of the company.																																												
	D	The payment of principal amounts and interest during the year has been regular/as per stipulations.																																												
IV		In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and nature of its business with regard to purchases of fixed assets and for services. During the course of our audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal controls.																																												
V		To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, there were no contracts or arrangements (excluding items reported under paragraph III B above) that needed to be entered into the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956.																																												
VI		In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provision of sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Companies Act 1956 and Housing Finance Companies(NHB) Directions 2001 with regard to the deposits accepted from the public.																																												

VII		The Company has an Internal Audit system which in our opinion is commensurate with the size and nature of the Company's business.												
VIII		Since the company is a Housing Finance Company clause (viii) of CARO 2003 as regards maintenance of cost records is not applicable.												
IX	A	The company is regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Income Tax Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Cess and any other material dues with appropriate authorities												
	B	Details of the disputed Income Tax demands are given as below: The amounts deposited under protest against the demands disputed amount to Rs.5,04,09,291/-												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Assessment year</th> <th>Demand raised by IT department</th> <th>Forum where matter is pending</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003-04</td> <td>Rs.2,07,21,070/-</td> <td>IT Tribunal Indore</td> </tr> <tr> <td>2004-05</td> <td>Rs.1,38,62,519/-</td> <td>IT Tribunal Indore</td> </tr> <tr> <td>2005-06</td> <td>Rs.6,17,49,979/-</td> <td>IT Tribunal Indore</td> </tr> </tbody> </table>	Assessment year	Demand raised by IT department	Forum where matter is pending	2003-04	Rs.2,07,21,070/-	IT Tribunal Indore	2004-05	Rs.1,38,62,519/-	IT Tribunal Indore	2005-06	Rs.6,17,49,979/-	IT Tribunal Indore
Assessment year	Demand raised by IT department	Forum where matter is pending												
2003-04	Rs.2,07,21,070/-	IT Tribunal Indore												
2004-05	Rs.1,38,62,519/-	IT Tribunal Indore												
2005-06	Rs.6,17,49,979/-	IT Tribunal Indore												
X		In our opinion, the Company has no accumulated losses at the end of the financial year and has not incurred cash losses in the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.												
XI		In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution, bank or debenture holders.												
XII		We are of the opinion that the company has maintained adequate records where the company has granted loans and advance on the basis of security by way of pledge of other securities.												
XIII		Company is a Housing Finance Company and not a chit fund or a nidhi mutual benefit fund/society. Therefore the provisions of clause 4 (xiii) of the order are not applicable to the company.												
XIV		The Company is not dealing in or trading in shares securities debenture and other investments. Accordingly the provisions under clause 4 (xiv) of the order are not applicable to the company.												
XV		To the best of our knowledge and belief and in accordance with the information and explanations given to us, company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.												
XVI		To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, In our opinion the term loans availed by the company have been applied by the company for the purpose for which they were raised.												
XVII		According to the information and explanations given to us an overall examination of the Balance sheet of the company we report that funds raised on short-term basis have prima facie not been utilized for any long-term investment.												
XVIII		According to the information and explanations given to us, the company has not made preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act,1956												
XIX		The company has not issued any debentures which are outstanding as on 31.3.2010; hence the provisions of clause (xix) of CARO 2003 as regards creation of securities are not applicable.												
XX		According to the information and explanations given to us during the period covered by our audit report, the company had not raised any money by way of public issue.												
XXI		In cash flow statement , Housing loans are classified under loans and advances instead of investment activities, for the purpose of deriving cash generated from operations.												
XXII		According to the information and explanations given to us and on the basis of books of accounts and records examined by no frauds were reported during the current year.												

For **Parihar & Sonpar**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
(Partner)
Membership No. 34577

Place : Bhopal
Date : 11 May 2010



Auditor's Report

To
The Directors.
Cent Bank Home Finance Limited
9, Arera Hills, Mother Teresa Road,
Bhopal

We have audited the attached Balance Sheet of Cent Bank Home Finance Ltd. As at 31st March, 2010 and the profit & Loss account of the said company for the year ended on that date and our report addressed to the Members of the Company as required under section 227 of the Companies Act, 1956 is also enclosed herewith. Further as required by the Housing Finance Companies (NHB) directions, 2001 vide notification No. NHB : HFC:DIR:1/CMD/2001 we have to report that:

- i. The company is registered with NHB vide registration certification No. 01.0004.02 dated 31.07.2001.
- ii. The Company has complied with the provisions of section 29 B of National Housing Bank Act, 1987, all the securities are held by the Company
- iii. The company has complied with the provisions of section 29C of National Housing Bank Act, 1987 with regard to the requirement of the reserve fund.
- iv. The company has complied with the directions issued by the Housing Finance Companies (NHB) directions 2001 vide notification No. NHB:HFC:DIR:1/CMD/2001.
- v. The capital adequacy ratio as disclosed in the returns submitted to NHB has been correctly determined and ratio complies with the minimum capital to risk weighted assets ratio as prescribed.
- vi. The company is accepting and holding public deposits and we report that:
 - a. The public deposits accepted by the company are within the admissible limits.
 - b. The total borrowings of the company i.e.deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub clause (iii) & (iv) of sub-section (bb) of section 451 of the RBI Act, 1934 and loans from the NHB are with in the limits prescribed in the said directions.
 - c. The credit rating for deposits i.e.FA- "positive outlook" assigned by the credit rating agency CRISIL. The aggregate amount of deposits outstanding as at any point of time during the year has not exceeded the limits specified by the rating agency.
 - d. The company has not defaulted during the year in paying to its depositor the interest and/or principal amounts of deposits after such interest and/or principal became due.
 - e. The company has during the current financial year upgraded one extension counter at Chiplun as full fledged Branch.

For **Parihar & Sonpar**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
(Partner)
Membership No. 34577

Place : Bhopal
Date : 11 May 2010

Balance Sheet as on March 31st, 2010

Particulars	Schedule	As at March 31, 2010		As at March 31, 2009	
		Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
SOURCES OF FUNDS					
Shareholders' Funds			493143478		462056811
Share Capital	1	200000000		200000000	
Reserve & Surplus	2	<u>293143478</u>		<u>262056811</u>	
Loan Funds			2075398294		2027266647
Secured Loan	3	1695033362		1865672078	
Unsecured Loan	4	<u>380364932</u>		<u>161594569</u>	
Deferred Tax Liability			1746054		1792781
			<u>2570287826</u>		<u>2491116239</u>
APPLICATION OF FUNDS					
Fixed Assets					
Gross Block	5	14830283		14709091	
Less : Depreciation		<u>10568706</u>		<u>10075882</u>	
Net Block			4261577		4633209
Investments	6		42798288		32738388
Current Assets, Loans & Advances	7	2789175712		2670108784	
Less : Current Liabilities & Provisions	8	<u>265947751</u>		<u>216364142</u>	
Net Current Assets			2523227961		2453744642
			<u>2570287826</u>		<u>2491116239</u>
NOTES OF ACCOUNTS	17				
ACCOUNTING POLICIES	18				

Schedule 1 to 18 annexed hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account.

Ramnath Pradeep
Director

V.K. Jain
Director

Narender Singh
Managing Director

Place : Bhopal
Date : May 11, 2010

P.V. Raveendran
Director

Surendra Singhai
Director

V.K. Badami
Director

I.P.S. Oberoi
Director

As per our report of even date
for **PARIHAR & SONPAR**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
Partner
Membership No.34577

Profit & Loss Account for the year ended March 31st, 2010

Particulars	Schedule	For the year ended March 31, 2010 Rupees	For the year ended March 31, 2009 Rupees
INCOME			
Interest Income	9	260634751	257484444
Fees & Other Charges	10	9189008	4742645
Other Income	11	4620479	3743477
		<u>274444238</u>	<u>265970566</u>
EXPENDITURE AND CHARGES			
Interest and Other Charges	12	163816383	193634317
Staff Expenses	13	12262127	11135951
Establishment Expenses	14	5914864	5652196
Auditors' Remuneration	15	275543	284828
Other Expenses	16	5505960	4403597
Bad Debts Written Off		16299157	15468727
Depreciation		654045	575697
		<u>204728079</u>	<u>231155313</u>
PROFIT BEFORE TAX		69716159	34815253
Provision for Tax			
- Current Tax		19100000	12425000
- Deferred Tax		46727	11665
- Fringe Benefit Tax Paid		7339	77100
- Provision W/Back (Previous Year)		1508208	0
PROFIT AFTER TAX but before NPA Provisions		52163755	22301488
Reversal of Provision for NPA (NET)		3049005	9512946
Provision for Standard Non-Housing Loans		610000	0
Adjustments Related to Previous Year		117093	231924
PROFIT FOR THE YEAR		<u>54485667</u>	<u>31582510</u>
Add : Profit Brought forward		97840811	73158301
PROFIT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		<u>152326478</u>	<u>104740811</u>
APPROPRIATIONS :			
- Special Reserve		13900000	6900000
- Proposed Dividend @ 10%		20000000	0
- Tax on Dividend @ 15%		3399000	0
(inclusive of 10% S.C.+2% E.C.+1% H.E.C.)			
Profit Carried to Balance Sheet		<u>115027478</u>	<u>97840811</u>
		<u>152326478</u>	<u>104740811</u>
EARNINGS PER SHARE (NET PROFIT/NO. OF SHARES) (in Rs.)		27.24	15.79
NOTES OF ACCOUNTS	17		
ACCOUNTING POLICIES	18		

Schedule 1 to 18 annexed hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account

Ramnath Pradeep
Director

P.V. Raveendran
Director

V.K. Badami
Director

V.K. Jain
Director

Surendra Singhai
Director

I.P.S. Oberoi
Director

Narender Singh
Managing Director

As per our report of even date
for **PARIHAR & SONPAR**
Chartered Accountants

Place : Bhopal
Date : May 11, 2010

S. Vijayaraghavan
Partner
Membership No.34577

Schedules 1 to 18 Annexed Hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account

	As at March 31, 2010		As at March 31, 2009	
	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)
SCHEDULE - 1 SHARE CAPITAL				
AUTHORISED				
25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each		250000000		250000000
ISSUED				
20,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each		200000000		200000000
SUBSCRIBED				
20,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each		200000000		200000000
PAID-UP				
20,00,000 Equity Shares of * Rs.100/- each, fully paid		200000000		200000000
		200000000		200000000
* Includes 1190000 equity shares of Rs.100/- each fully paid-up held by the holding company				
SCHEDULE - 2 RESERVE & SURPLUS				
SPECIAL RESERVES				
(In terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)		168116000		154216000
Opening Balance	154216000		147316000	
Add : Transfer from Profit & Loss A/c	13900000		6900000	
GENERAL RESERVE				
		10000000		10000000
PROFIT & LOSS A/c				
		115027478		97840811
		293143478		262056811
SCHEDULE - 3 SECURED LOANS				
Refinance from National Housing Bank				
(Pari-Passu Charge with Central Bank of India on all book debts of the Company)		0		725244222
Term Loan from Central Bank of India				
		1676531849		1015873409
Overdraft from Central Bank of India				
		18501513		124554447
		1695033362		1865672078

Note : Both the Term Loans and the Overdraft are secured by Pari-Passu Charge with National Housing Bank on all book debts of the Company.



Schedules 1 to 18 Annexed Hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account

	As at March 31, 2010 (Rupees)		As at March 31, 2009 (Rupees)							
SCHEDULE - 4 UNSECURED LOANS										
DEPOSITS										
(i) Public Deposit	177028038		96936701							
(ii) Institutional Deposit	203336894		64657868							
	380364932		161594569							
SCHEDULE - 5 FIXED ASSETS										
	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET BLOCK		
	As at March 31, 2009	Addi- tions	Deletions/ Transfer	As at March 31, 2010	Upto Previous Year	For the Year	Reversal/ Transfer	Total	As at March 31, 2010	As at March 31, 2009
	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)
Furniture and Fixtures	7702351	95863	166830	7631384	4789127	388789	137780	5040137	2591247	2913224
Office Equipments	1853477	27790	25187	1856080	917336	77351	16348	978339	877741	936141
Motor Vehicle	421565	0	5330	416235	347217	38817	5330	380704	35531	74348
Computer	4731698	196650	1764	4926584	4022202	149088	1764	4169526	757058	709496
TOTAL	14709091	320303	199111	14830283	10075882	654045	161222	10568706	4261577	4633209
Previous Year	14032642	677704	1255	14709091	9501440	575697	1255	10075882	4633209	4531202
	As at March 31, 2010 (Rupees)		As at March 31, 2009 (Rupees)							
SCHEDULE - 6 INVESTMENTS										
UNQUOTED LONG TERM INVESTMENT										
APPROVED INVESTMENT (at cost)										
48710, 6.80% Govt. Securities (2012) @ Rs.100/- each	4948936		4948936							
47100, 7.40% Govt. Securities (2012) @ Rs.100/- each	4979405		4979405							
21810, 7.37% Govt. Securities (2014) @ Rs.100/- each	2461913		2461913							
42390, 7.37% Govt. Securities (2014) @ Rs.100/- each	4946913		4946913							
25100, 7.37% Govt. Securities (2014) @ Rs.100/- each	2927915		2927915							
19400, 12.32% Govt. Securities (2011) @ Rs.100/- each	2473306		2473306							
10, 9.20% Bond Central Bank of India Tier-II Series XII @ Rs.10,00,000/- each	1000000		1000000							
10059, 8.54% Govt. Securities (2020) @ Rs.100/- each	10059900		0							
Grand Total	42798288		32738388							

Schedules 1 to 18 Annexed Hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account

	As at March 31, 2010 (Rupees)	As at March 31, 2009 (Rupees)
SCHEDULE - 7 CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES		
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
Sundry Debtors above six months (Unsecured considered good)	43940	25834
Cash & Bank Balances	1534018	1250764
- Cash/Cheque in hand		
Bank Balances with Scheduled Banks		
(a) Term Deposits	10500000	10500000
(b) Current Accounts	31910387	40396139
(c) Collection Accounts	632734	308087
Other Current Assets		
(i) Interest Accrued But Not Due	1727090	753655
(ii) Interest Due But Not Received	0	128516
Sub-Total	46348169	53362995
LOANS & ADVANCES		
a) Housing Loans/Top-up/Mortgage/LAP		
- Considered good (Secured by tangible assets)	2625171818	2507162345
- Unsecured but considered good	29754672	45626934
- Considered Doubtful	28473322	3979477
b) Loan against Deposits (Secured, Considered Good)	462469	2903767
c) Vehicle Loan (Secured)	27218	64476
d) Personal Loan (Unsecured)	102311	112700
e) Advances Recoverable in Cash of Kind or for Value to be Received	4331547	3892773
f) Income Tax Payments (net of Provisions)	54504186	53003317
Sub-Total	2742827543	2616745789
	2789175712	2670108784



**Schedules 1 to 18 Annexed Hereto
form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account**

	As at March 31, 2010		As at March 31, 2009	
	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)
SCHEDULE - 8 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
CURRENT LIABILITIES				
Bank Overdraft (as per Books)		1328894		1185909
Other Liabilities		42055301		18521652
		43384195		<u>19707561</u>
PROVISIONS				
		222563556		<u>196656581</u>
- Proposed Dividend @ 10%	20000000		0	
- Tax on Dividend @ 15%	3399000		0	
inclusive of 10% S.C. + 2% E.C. + 1% H.E.C.				
- Income Tax (Net of Payments)	5174932		451361	
- Leave Encashment	898676		675267	
- Provisions (as per Prudential Norms)	192468448		195517453	
- Provision for Non-Housing Loans Standard	622500		12500	
		222563556		<u>196656581</u>
		265947751		<u>216364142</u>
SCHEDULE - 9 INTEREST ON HOUSING LOAN				
Individual Loan		254315464		257199947
Corporate Bodies / Professionals		6044778		0
Interest on Demand Loan against Fixed Deposit		262594		266048
Interest on Vehicle Loan		2759		5719
Interest on Personal Loan		9156		12730
		260634751		<u>257484444</u>
SCHEDULE - 10 FEES AND OTHER CHARGES				
Processing Fees		2045328		939931
Administration Fees		2867382		1070969
Sale of Loan Application Form		15400		6430
Other Miscellaneous Charges		3774272		2571909
Conversion Charges		144780		39431
Inspection Fees		341846		113975
		9189008		<u>4742645</u>

Schedules 1 to 18 Annexed Hereto form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account

	As at March 31, 2010		As at March 31, 2009	
	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)	(Rupees)
SCHEDULE - 11 OTHER INCOME				
Interest on Bank Deposits (Inclusive of T.D.S. of Rs.102457/-)		1024559		244436
Interest on Investments (Inclusive of T.D.S. of Rs.112611/-)		2548252		2496919
Insurance Premium Recovered		373558		122900
Profit of Sale of Assets		350		0
Recovery in Write-Off Accounts		673760		879222
		<u>4620479</u>		<u>3743477</u>
SCHEDULE - 12 INTEREST AND OTHER CHARGES				
FIXED DEPOSIT				
		24567127		9877606
i. Non-Cumulative	2749591		1149369	
ii. Cumulative	<u>21817536</u>		<u>8728237</u>	
NATIONAL HOUSING BANK				
- Interest on Refinance (Individual Loans)		20402563		89657576
INTEREST ON TERM LOAN		113422203		88162753
INTEREST ON BANK OVERDRAFT		5266464		5682192
BANK CHARGES		158026		254190
		<u>163816383</u>		<u>193634317</u>
SCHEDULE - 13 STAFF EXPENSES				
Salary and Wages		10623440		10020162
Rent		299254		330347
Medical Reimbursement		211411		142610
Reimbursement of Conveyance Expenses (Central Bank of India)		195969		55376
Entertainment Expenses		1553		0
Gratuity Expenses		87577		4598
Provident Fund		535185		364544
L.T.C. Expenses		261497		123020
Staff Welfare Expenses		0		28487
Group Medical Insurance		32162		40807
Training Expenses		11000		26000
College Fees		3079		0
		<u>12262127</u>		<u>11135951</u>



**Schedules 1 to 18 Annexed Hereto
form part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account**

	As at March 31, 2010 (Rupees)	As at March 31, 2009 (Rupees)
SCHEDULE - 14 ESTABLISHMENT EXPENSES		
Office Rent	1278655	1195896
Electricity Charges	477690	395982
Office Maintenance Expenses	3419518	3314758
Insurance Expenses	739001	745560
	5914864	5652196
SCHEDULE - 15 PAYMENT TO AUDITORS'		
Statutory Audit Fees	38605	38605
Tax Audit Fees	16545	16545
Certification Fees	14339	20683
Internal Audit Fees	206054	208995
	275543	284828
SCHEDULE - 16 OTHER EXPENSES		
Travelling Expenses	854712	748263
Conveyance	131958	125092
Repair & Maintenance (Building)	429000	438000
Repair & Maintenance (Others)	211193	294882
Stationary and Printing	400287	364418
Postage / Telegram / Telephone	629788	675329
Office Expenses	594145	717685
Books & Periodicals	51821	43766
Legal & Professional Expenses	1408827	384942
Meeting Expenses	79887	78534
Vehicle Running & Maintenance	128543	153101
Advertisement & Publicity	552817	378975
Membership & Subscription	0	610
Loss on Sale of Fixed Assets	20992	0
Miscellaneous Expenses	11990	0
	5505960	4403597

Schedule - 17 Notes on Accounts

1. Loans are secured or partly secured by:
 - a. Equitable Mortgage of Property and/ or
 - b. Tripartite agreements and/or
 - c. Second charge on the properties and/ or
 - d. Assignment of Life Insurance Policies and/ or
 - e. Central/ State Govt. guarantees, Company guarantees or Personal Guarantees and/ or
 - f. Negative Lien and/or
 - g. Undertaking to create a security.
2. Loans under "Loan against property" scheme are secured by:
 - a. Equitable Mortgage of Property
3. In respect of employees directly recruited by the company, contribution to Provident Fund is made at the prescribed rate. Provident Fund liability of staff deputed from Central Bank of India has been met by Central Bank of India.
4. Remuneration to Managing Director:

Salary and Allowances:-

Name	2009-10	2008-09
Shri D. P. Sinha (Former Managing Director)	Rs.84265/-	Rs.367418/-
Shri B. Vadhiraan (Former Managing Director)	--	Rs.73071/-
Shri P. Joy Mathew (Former Managing Director)	--	Rs.38869/-
Shri Narender Singh (Present Managing Director)	Rs.411358/-	--
	Rs.495623/-	Rs.479358/-

The Managing Director has been provided with car by the Company for office-cum-personal use as per the service conditions applicable to him under Central Bank officers Service regulation, 1979. An amount of Rs.150/- per month is recovered on account of deductions for provision of car in terms of his service conditions. The Managing Director has been provided with furnished accommodation as per his entitlement under the aforementioned rules and a sum of Rs.348.56 per month is recovered.

5. Traveling expenses of Rs.8,54,712/-(Previous year Rs.7,48,263/-) as shown in Schedule – 16 includes Directors' Traveling Expenses of Rs.2,37,202/-(Previous year Rs.99,142/-)
6. Earnings and expenditure in foreign currency – Nil.
7. The number of employees who are in receipt of remuneration not less than Rs. 24,00,000.00 per year or Rs. 2,00,000.00 per month for a part of the year – Nil.
8. The Loan assets of the Company are Rs.2,68,33,99,812/- (net of Unrealized Interest of Rs.1,24,38,237/-) The assets classification & Provisioning is as per the Norms prescribed by National Housing Bank.

Amount in Rupees

	As at 31-03-10		As at 31-03-09	
	Outstanding Rs.	Provisions Rs.	Outstanding Rs.	Provisions Rs.
LOANS :				
Standard Assets	2368482541	NIL	2128573820	NIL
Sub-Standard Assets	27095803	2709584	37430553	3743053
Doubtful Assets	259348146	129285542	386784906	187794924
Loss Assets	28473322	28473322	3979477	3979477
Floating provision	--	32000000	--	--
Total	2683399812	192468448	2556768756	195517454



Other Provisions:

Provision for standard non housing loans	151608941	610000	3080943	12500
--	------------------	---------------	---------	-------

9. Interest and installments due and receivable on housing loans, project loans have been included in Schedule 7 under the heading 'Loans & Advances'. Loans against Fixed Deposits are also shown in Schedule 7 under the heading Loans & Advances.
10. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances and Investments are of the value stated, if realized in the ordinary course of business.
11. As at 31st March, 2010 Public deposits amounting to Rs.56,08,686/- in 129 accounts have remained unclaimed. During the year, the unclaimed deposits and interest to the extent of Rs.52001/- in 9 a/cs for more than seven years was transferred to the Investor Education and Protection fund as per section 205C of the Companies Act,1956.
12. During the year The Company has written off as irrecoverable bad debts an amount of Rs.1,62,99,157/- which comprises of :
 - a. Balance outstanding in the loan accounts after crediting the sale proceeds of the securities under SARFAESI Act, 2002 and,
 - b. Fraud accounts where realizable value of security is NIL and accounts where chances of recovery are meagre.
13. Figures for the previous year have been regrouped and rearranged wherever necessary.
14. The figures have been rounded off to nearest rupee.
15. As per NHB refinance guidelines, the Company is required to submit monthly statements disclosing their difference between hypothecated book debts and NHB refinance outstanding. The adverse balance, if any, is being paid back to NHB as per their guidelines. For the current year such adverse balance is NIL as the Company has repaid the entire refinance outstanding to National Housing Bank.
16. As per the information available with the Company, there are no amounts payable to any "suppliers" registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
17. Debtors/Creditors/Loans and Advances are subject to confirmation.
18. Central Government Cess payable u/s 441A of the Companies Act, 1956 has not been provided for as the rates are not yet notified.
19. The details of contingent liabilities as on 31st March, 2010.
 - a. The Income Tax department had disallowed the company's claim cumulative amounting to Rs.24,82,90,503 in respect of Provision for NPA (including the amounts written off amounting to Rs.2,57,55,157/-) and has raised a demand of Rs.9,63,33,568/- on account of NPA Provisioning as follows:

Assessment year	Demand raised by Income Tax department
2003-04	Rs. 2,07,21,070/-
2004-05	Rs. 1,38,62,519/-
2005-06	Rs. 6,17,49,979/-
Total	Rs. 9,63,33,568/-

Being aggrieved The Company had filed appeals with the CIT(Appeals) Honorable Commissioner of Income Tax (Appeals) who has partially allowed the company's claim to the extent of 10% on Bad & Doubtful Debts for these Assessments years. Against the order of CIT (appeals) the Income Tax Department, has filed an appeal before Income Tax Appellate Tribunal. The company too filed an appeal against the disallowance of the appeal in full by CIT(appeals). Pending disposal of the appeals and the cross appeals, the company has not made any provision in respect of the demand for tax arising out of the order of the Income Tax Department or CIT(appeals). Against the demand the company has paid.

- b. CMC Limited has raised a bill of Rs.32,05,774/- which is disputed. Company has vide its legal notice has demanded back entire amount of Rs.52,31,000/- paid to M/s CMC Limited towards the project cost along with a penalty of Rs.30,09,600/-

20. Investments are considered long term in nature and accounted for at cost.
21. The Company follows the Accrual method of Accounting as its "Accounting Policy" except in case of NPAs, where the Company is statutorily required to account income on cash receipt basis. The amount of interest accrued and booked as profit has been reversed under the head "Unrealised Interest" in respect of the accounts classified as Non-Performing Assets (NPAs) as per Housing Finance Companies (NHB) Directions 2001.
22. Reporting Under Accounting Standard AS-15 (Revised)- Retirement benefits:
- The Company makes its share of contributions to the Provident Fund as per defined benefit plan. The Company has no further obligations apart from its contributions. Such contributions are recognized as expenditure in the Profit & Loss account.
 - Gratuity:- In accordance with the payment of Gratuity Act 1972, the Company provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability the Company has taken a policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated gratuity liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss account. The disclosures as per As-15 in respect of fair value of planned assets, benefit obligations etc., are not given in the absence of required information from LIC of India.
 - The Provision of leave encashment liability is calculated on the balance-privilege leave of the employees as on 31-03-10. The same is not funded.
 - For the staff deputed from Central Bank of India the gratuity liability and leave encashment has been met/to be met by Central Bank of India. In respect of the eligible retirement/terminal benefits like gratuity, pension and encashment of leave, the same is provided for by the Promoter Bank.
23. There are no separate reportable segments as per Accounting Standards on Segment Reporting (AS-17) as the Company's prime business is to provide loans for purchase, construction, repairs and renovation etc., of house/flats to individuals.
24. The transactions with related parties as per Accounting Standard 18 " Related Party Disclosures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India are furnished below:

Related Party	Relation	Holding %
Central Bank of India	Promoter Bank	59.50%
National Housing Bank	Share Holder	16.00%
Unit Trust of India	Share Holder	16.00%
Housing Urban Development Corporation	Share Holder	8.50%
Mr. D.P.Sinha	Key Management Personnel	
Mr.Narender Singh	Key Management Personnel	

RELATED PARTY DISCLOSURES

	Opening on 31/03/09	Dr.	Cr.	Closing on 31/03/10
Equity Share Capital				
- Central Bank of India	119000000			119000000
- National Housing Bank	32000000			32000000
- HUDCO	17000000			17000000
- UTI	32000000			32000000
Term Loan - Central Bank of India Availed/ Installment Paid	1015873409	339813254	1000471694	1676531849
Refinance from National Housing Bank Availed/ Installment Paid	725244221	725244221	--	0
Bank Balances With Central Bank of India				
Overdraft with Central Bank of India	124554447	1422677651	1316624717	18501513
Current Account	39210230		8628737	30581493
Deposit with Central Bank of India	10500000	--	--	10500000
Investment With Central Bank of India	10000000	--	--	10000000

	Opening on 31/03/09	Dr.	Cr.	Closing on 31/03/10
Interest Paid on Term Loan from Central Bank		113422203	--	113422203
Interest Paid on Central Bank Overdraft		5266464	--	5266464
Interest Paid To NHB		20402563	--	20402563
Interest on Fixed Deposits		--	1024559	1024559
Interest on Investment		--	2548252	2548252
Bank Charges		158026	--	158026
Rent Paid		251076	--	251076
Repairs & Maintenance		429000	--	429000
Salaries reimbursed/paid to Staff on deputation from Central Bank of India		8291815	--	8291815
Staff Expenses		860264	--	860264
Electricity Expenses		329678	--	329678
Locker Rent		7721	--	7721
News Paper Expenses		21620	--	21620
Mr.D.P.Sinha				
Mr.Narender Singh				

Amount written off: Nil Amount written back - Nil All the above are transacted in the normal course of business.

25. The Basic and diluted earnings per share have been calculated based on the profit after tax and the average number of shares during the year. Information in respect of Earning per share (EPS), pursuant to AS-20 is as under:

(In Rs.)

	As on 31-03-10	As on 31-03-09
a) Profit/(Loss) after Tax (in Rs.)	54485667	31582510
b) No. of Shares (In Nos.)	2000000	2000000
c) Basic EPS (a/b) (In Rs.)	27.24	15.79
d) Diluted EPS (a/b) (In Rs.)	27.24	15.79

26. Reporting under Accounting Standard – AS-22: The Major components of deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences are:

Deferred Tax Liability as on 01.04.2009		1792781
Add: Deferred Tax Liability for the year 2009-2010		NIL
-Depreciation	85935	
-Gratuity	NIL	
-Leave encashment	NIL	
-Total Deferred Tax Liability (a)	85935	
Less: Deferred Tax Assets For the Year 2009-2010:		
-Depreciation	NIL	
-Gratuity	NIL	
-Leave encashment	223409	
-Total Deferred Tax Assets (b)	223409	
Net deferred tax assets (a-b=c)	(137474)	
Tax Rate (d)	33.99%	
Deferred Tax assets = (c*d)(for 2009-10)	(46727)	(46727)
Deferred Tax Liability as on 31.03.2010		1746054

- a) Pursuant to the requirement of AS-22, the Deferred Tax assets have been created for Rs.46727/- for the current financial year.

Schedule-18 Accounting Policies

1. GENERAL METHOD AND SYSTEM OF ACCOUNTING

The accounts of the Company are prepared under the Historical Cost Convention using the accrual method of accounting on the accounting principle of going concern and are in line with the relevant laws, guidelines and standards prescribed by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, National Housing Bank and the Institute of Chartered Accountants of India.

As per Company's policy "The date of commencement of EMI shall be the first day of the month succeeding the month in which the disbursement of the loan will have been completed and consequently due date of payment of first EMI shall in such case be the last day of the said succeeding month". Company has therefore considered date of NPA as the last day of Month in which the installment become payable and 90 days are calculated from the first day of the month in which the installment became payable for the purpose of provisioning on NPA accounts.

2. REVENUE RECOGNITION

Repayment of housing loans, home equity loans top-up loans and loan against property are by way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the Financial Year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMIs, Pre-EMI Interest is payable every month.

In line with the guidelines issued by NHB, income on performing assets has been recognized on accrual basis and on non-performing assets on realization basis. Credits in Non Performing Accounts have been appropriated first towards interest and thereafter towards Principal. Company charges penal interest @2%.p.m. for delayed payment of EMI or PEMI which is recognized on receipt basis.

3. PROVISIONS ON LOANS

Provision on loans has been arrived at in accordance with National Housing Bank guidelines and directives. Advances to borrowers are classified into "Performing" and "Non Performing" based on overdue of Principal/Interest. Non-Performing Assets (NPAs) are further categorized as sub-standard, Doubtful and loss assets.

4. FIXED ASSETS

Fixed assets are capitalized at cost. Fixed assets are stated at cost of acquisition plus freight and other charges incurred to bring the assets to its place.

5. DEPRECIATION

Depreciation is calculated on the straight-line method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Fixed assets having value below Rs.5000/- during the year have been fully depreciated.

6. FEES & OTHER CHARGES

Fees and other charges are recognized as per Companies Act.

7. INVESTMENT

Investments are considered long term in nature and accounted for at cost.

8. REIMBURSEMENT OF EXPENSES

Reimbursement of expenses to Central Bank of India has been included under respective heads of accounts in the Profit & Loss Account.

9. The items like stationery etc. have been treated as consumables items and hence they have been charged to the Profit & Loss Account.

10. RETIREMENT BENEFITS

Gratuity amount has been set aside on actual basis and invested in group maturity scheme of Life Insurance Corporation of India.

11. TAXES ON INCOME

Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of the taxable income for the period. Deferred Tax is recognized in accordance with the provisions of Accounting Standard on accounting for taxes on Income. (AS-22).

INFORMATION REQUIRED UNDER PART-IV OF THE SCHEDULE VI OF THE COMPANIES ACT, 1956 FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2010 BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE			
1. REGISTRATION DETAILS:			
Registration Number	6427	State Code 10	
Balance Sheet Date	31.03.2010		
2. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (Amount in Thousands)			
Public Issue	NIL	Right Issue	NIL
Bonus Issue	NIL	Private Placement	NIL
3. POSITION OF MOBILISATION OF FUNDS (Amount in Thousands)			
Total Liabilities	2836236	Total Assets	2836236
Sources of funds			
Paid up capital	200000	Reserves and Surplus	293143
Secured Loans	1695033	Unsecured Loans	380365
Application of funds			
Net Fixed Assets	4262	Investments	42798
Advances recoverable in cash (Housing Loans)	2683400	Other Current Assets	105776
Current Liabilities	265948	Accumulated loss & Misc.Exp.	NIL
Deferred taxation	1746		
4. PERFORMANCE OF COMPANY (Amount in Thousands)			
Turnover	260360	Total Expenditure	204728
Profit Before Tax	72648	Profit after tax and adj.	54486
Earnings per Share (in Rs.)	27.24	Dividend	23399

Ramnath Pradeep
Director

V.K. Jain
Director

Narender Singh
Managing Director

P.V. Raveendran
Director

Surendra Singhai
Director

V.K. Badami
Director

I.P.S. Oberoi
Director

As per our report of even date
for **PARIHAR & SONPAR**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
Partner
Membership No.34577

Place : Bhopal
Date : May 11, 2010

Cash Flow Statement for the Year Ended March 31st, 2010

	March 31, 2010 Rupees	March 31, 2009 Rupees
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET PROFIT BEFORE TAX AND EXTRAORDINARY ITEMS	72155164	44328199
ADJUSTMENTS FOR :		
- Depreciation	654045	574442
- Prior year Income/ (Expenses)	(117093)	(231924)
- Interest on long term Investments	(2548252)	(2496919)
- Provision for NPA reversal & other	(2439005)	(9512946)
- Bad debts written off	16299157	15468727
- Profit on sale of Fixed asset	(350)	0
- Loss on sale of fixed assets	31749	0
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	84035415	48129579
Current Assets	(2772668)	(215879)
Loans and Advances	(140471268)	163162771
Current Liabilities	28623614	(7121659)
CASH GENERATED FROM OPERATIONS	(30584907)	203954812
Direct Taxes Paid/payable	17599131	12502100
NET CASH GENERATED FROM OPERATIONS (A)	(48184038)	191452712
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets	(320303)	(677704)
Sale of fixed assets	6490	1255
Investments	(10059900)	0
Interest on Investments	2548252	2496919
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (B)	(7825461)	1820470
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Long term Borrowings (net of repayments)	48131648	(184661345)
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	48131648	(184661345)
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS A+B+C=(D)	(7877851)	8611837
OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (E)	52454990	43843153
CLOSING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (F)	44577139	52454990

Ramnath Pradeep
Director

V.K. Jain
Director

Narender Singh
Managing Director

P.V. Raveendran
Director

Surendra Singhai
Director


V.K. Badami
Director

I.P.S. Oberoi
Director

As per our report of even date
for **PARIHAR & SONPAR**
Chartered Accountants

S. Vijayaraghavan
Partner
Membership No.34577

Place : Bhopal
Date : May 11, 2010



**Statement of Account of
Centbank Financial Services Ltd.
(A Wholly Owned Subsidiary
of Central Bank of India)
for the year ended
31st March, 2010**

Directors' Report

To the members of

Centbank Financial Services Ltd.

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Eighty-second Annual Report together with the Audited Statements of Accounts for the year ended 31 March 2010.

1. FINANCIAL RESULTS

(Amount in Rupees)

	2009-10	2008-09
Total Income	7,97,70,139	58,02,782
Profit before Tax	6,57,84,891	31,07,409
Provision for Income Tax	2,25,00,000	9,41,000
Net profit after Tax	4,32,85,117	21,66,582
Profit & Loss A/c balance carried forward	6,53,53,921	2,21,68,707

- 1.1 The Company has earned a net profit of Rs.432.85 Lac during the year ended 31 March 2010 as against Rs.21.67 Lac during the previous year.
- 1.2 To strengthen the financial position of the Company, the Directors do not recommend any dividend. The Company has not transferred any amount to the General Reserve.

2. PERFORMANCE DURING THE YEAR

In terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 03 August 2009, the Company has changed its name from CENTBANK FINANCIAL AND CUSTODIAL SERVICES LTD to CENTBANK FINANCIAL SERVICES LTD w.e.f. 14 September 2009.

In terms of the Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 24 June 2009, the Authorised Share Capital has been increased from Rs.20 Lac to Rs.10 Crore. Partly-paid Shares have been fully paid and new 48000 shares have been allotted to Central Bank of India. Paid Up Capital has been raised to Rs.5 Crore.

In terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 24 June 2009, the Company has altered its Object Clause and has *inter alia*, started new Business Activities as under:

1. The Company has obtained Registration from SEBI to act as Debenture Trustee.
2. The Company has become Mutual Fund Advisor and duly Registered with AMFI.
3. The Company has applied for Registration from SEBI to act as Merchant Banker.

Trust and Will accounts with the Company increased from 1989 to 2001 during the year under review and 14 accounts were in process of execution as on 31 March 2010.

3. DIRECTORS

- 3.1 During the year under review, Mr Arun Kaul was appointed as Director in place of Mr K Subbaraman w.e.f. 12 May 2009. The Directors take a note of valuable services rendered by Mr K Subbaraman to the Company during his tenure.
- 3.2 As per Section 256 of the Companies Act 1956, read with Article 155 of the Company's Article of Association, Mr Arun Kaul and Mr K A Somayajulu, Directors, retire by rotation and being eligible, offer themselves for re-appointment.



4. EMPLOYEES

- 4.1 As regards the Statement of Employees required under Section 217(2A) of the Companies Act 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules 1975, the Directors state that the Company is a wholly-owned subsidiary of Central Bank of India (which is a Government of India undertaking). The Company has no staff of its own, but all are on deputation from Central Bank of India, hence no particulars under Section 217(2A) have been furnished in this Report.
- 4.2 The Directors put on record their appreciation of the services rendered by the employees at all levels.

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the provisions of Sec.217(2AA) of the Companies Act 1956, the Directors state that:

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed;
- (b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year under review;
- (c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- (d) the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

6. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As the Company is not a manufacturing or processing or trading concern, no such particulars under section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 are furnished. The Company has not dealt with in foreign exchange.

7. AUDITORS

Under Section 619-B read with Section 619 of the Companies Act, 1956 the Auditors of the Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. Accordingly, the Comptroller and Auditor General of India has appointed Messrs D.N.Shukla & Co., Chartered Accountants, as Auditors of the Company for the financial year ended 31 March 2010.

For and on behalf of the Board

Place : Mumbai
Date : 03rd May 2010

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

Auditors' Report

To,
The Members of
Centbank Financial Services Ltd.
(Formerly: Centbank Financial & Custodial Services Ltd.)
Mumbai.

1. We have audited the attached Balance Sheet of **Centbank Financial Services Ltd.** (Formerly: Centbank Financial & Custodial Services Ltd.) As at 31st March, 2010, the related Profit & Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These Financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:
4. In our opinion, proper Books of Accounts as required by the law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books.
5. The Balance Sheet, Profit & Loss Accounts and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.
6. In our opinion the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in Sub Section (3-C) of Section 211 of the Companies Act, 1956.
7. On the basis of the written representations received from the Directors as on 31st March, 2010, and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the Directors is disqualified as on 31st March, 2010 from being appointed as a Director in Terms of Clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956;
8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the said accounts, give the information required, by the Companies Act, 1956 in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - a. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company, as at 31st March, 2010
 - b. In the case of the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date, and
 - c. In the case of the Cash Flow statement, of the Cash Flow for the year ended on that date.
9. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2003, issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraph 4 and 5 of the said Order.
10. The company has reimbursed Establishments and Other Charges payable annually to Central Bank of India as referred in Schedule J of Notes to accounts for the year for Rs.1,35,10,920/- is as per the resolution passed in the Board Meeting held on 30th January, 2010 based on certain methodology worked on year to year basis by the company in mutual agreement with their parent company Central Bank of India.

For and on behalf of

D. N. SHUKLA & CO.
Chartered Accountants

P. J. MANKAD
(Partner)

Membership No.: 36010

Place : Mumbai
Date : 03rd May 2010

Annexure to the Auditors' Report

Annexure as referred in Auditors Report of even date in paragraph 9 of our report on the accounts of **Centbank Financial Services Ltd. (Formerly: Centbank Financial & Custodial Services Ltd.)** for the year ended 31st March 2010.

- i)
 - a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.
 - b) All the assets have been physically verified by the management during the year-end, in our opinion, it is reasonable having regard to the size of the company and the nature of its assets. No discrepancies were noticed on such verification.
 - c) During the year, the company has not disposed off any part of the Fixed Assets.
- ii) The company is not a manufacturing concern, hence the provisions under clause (ii) (a), (ii) (b), (ii) (c) of the said order relating to Stock Valuation and Verification are not applicable.
- iii) The company has not granted or taken secured/unsecured loan from the companies and other parties listed in the register maintained Under Section 301 of the Companies Act 1956, hence the provisions under clause (iii) (a), (iii) (b), (iii) (c), (iii) (d), (iii) (e), (iii) (f), (iii) (g) of the said order are not applicable.
- iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to Investment activities and trust activities. However the company should further improve the internal system for updating securities holding in physical form on behalf of trust or estate held in fiduciary capacity.
- v)
 - a) According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the transactions that need to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 have been so entered.
 - b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions made in pursuance of contracts or arrangements entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 and exceeding the value of rupees five lakhs in respect of any party during the year have been made at prices which are reasonable having regard to prevailing market prices for such services or similar services been made with other parties.
- vi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not accepted deposits from Public, hence the provisions of sections 58 A and 58 AA of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 are not applicable to the company.
- vii) In our opinion, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- viii) The maintenance of cost records as prescribed by Central Government under section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956 is not applicable to the company.
- ix)
 - a) The entire staff of the company are on deputation from the Central Bank of India, hence the provision under paragraph 4(ix) (a) if CARO 2003 regarding provident Fund and Employees' State insurance dues do not apply to the company. There were no amount payable in respect of income tax, wealth tax, service tax, sales tax, custom duty, excise duty or any other such statutory liability were outstanding as on 31st March 2010 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of sale tax, income tax, custom duty, wealth tax, excise duty and cess which have not been deposited on account of any dispute.
- x) In our opinion, as the company is making profit, Clause (x) for the accumulated losses is not applicable to the company. The company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not availed any loans from financial institutions or Bank or Debenture holders and hence not defaulted in repayment of dues to a financial institution, bank or debenture holders.

- xii) The company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiii) In our opinion, the company is not a chit fund or a nidhi mutual benefit fund/ society. Therefore, the provisions of clause 4 (xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xiv) In our opinion, the company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. The Company is maintaining proper records for the transaction of shares, Securities and other investments held for long-term investments and the same are held in the name of the company.
- xv) In our opinion, the company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
- xvi) In our opinion, the company has not availed any term loans.
- xvii) According to the information and explanations given to us the company has not raised any funds for investment in short term or long term basis.
- xviii) According to the information and explanations given to us, the company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.
- xix) According to the information and explanations given to us, during the period covered by our audit report, the company has not issued any debentures.
- xx) According to the information and explanations given to us, during the period covered by our audit report, the company has not raised any money by way of Public Issue.
- xxi) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

For and on behalf of

D. N. SHUKLA & CO.
Chartered Accountants

P. J. MANKAD
(Partner)
Membership No.: 36010

Place : Mumbai
Date : 03rd May 2010

Balance Sheet as at 31st March, 2010

(000's omitted)

	Schedule	31st March 2010	31st March 2009
Sources of Funds			
Shareholders' Funds			
Share Capital	A	50,000,000	1,000,000
Reserves & Surplus	B	70,893,229	27,708,015
Deferred Tax Liability		4,289	4,515
Total Funds Employed	Rs.	120,897,518	28,712,530
Application of Funds			
Fixed Assets	C		
Gross Block		1,518,049	1,518,049
Less : Depreciation		1,503,716	1,501,519
Net Block		14,333	16,530
Investments	D	3,000	550,000
Current Assets, Loans & Advances	E	256,562,311	151,988,525
Less: Current Liabilities & Provisions	F	136,420,126	123,842,525
Net Current Assets		120,142,185	28,146,000
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted) Preliminary Expenses	G	738,000	-
Total Funds Utilised	Rs.	120,897,518	28,712,530
Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	K		
Schedules referred to above form an integral part of the accounts			

As per our Report attached
For D.N. Shukla & Co.
 Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of
Centbank Financial Services Ltd

P. J. Mankad
 Partner
 Membership No.036010

S. Sridhar
 Chairman & Managing Director

Ramnath Pradeep
 Director

Arun Kaul
 Director

K. A. Somayajulu
 Director

P V Raveendran
 Director

S. P. Dhal
 Chief Executive Officer

H. V. Kamdar
 Company Secretary

Mumbai
 03 May 2010

Mumbai
 03 May 2010

Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2010

(000's omitted)

	Schedule	Year Ended 2009-10	Year Ended 2008-09
Income			
Operating Income	H	76,381,998	3,323,332
Investment Income	I	3,388,141	2,479,450
Other Income		-	-
TOTAL	Rs.	79,770,139	5,802,782
Expenditure			
Operating & Other Expenses	J	13,983,051	2,693,177
Depreciation		2,197	2,197
TOTAL	Rs.	13,985,248	2,695,374
Profit before Tax		65,784,891	3,107,409
Provision for Taxation		22,500,000	941,000
Deferred Tax Liability		(226)	(606)
Fringe Benefit Tax		-	433
Profit after Tax		43,285,117	2,166,582
Add:			
Balance Brought Forward		22,168,707	19,980,876
I. Tax earlier year		(99,903)	21,249
Balance Carried to Balance Sheet		65,353,921	22,168,707
Basic EPS		866	1,083
Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	K		

As per our Report attached
For D.N. Shukla & Co.
 Chartered Accountants

P. J. Mankad
 Partner
 Membership No.036010

For and on behalf of the Board of
Centbank Financial Services Ltd

S. Sridhar
 Chairman & Managing Director

Arun Kaul
 Director

P V Raveendran
 Director

S. P. Dhal
 Chief Executive Officer

Ramnath Pradeep
 Director

K. A. Somayajulu
 Director

H. V. Kamdar
 Company Secretary

Mumbai
 03 May 2010

Mumbai
 03 May 2010

Schedules forming part of the Balance Sheet as on 31st March 2010

(000's omitted)

	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
Schedule : A		
SHARE CAPITAL		
Authorised		
1,00,000 (2,000) Equity Shares of Rs. 1,000 each	100,000,000	2,000,000
Issued Subscribed & Paid Up		
50,000 (2,000) Equity Shares of Rs. 1,000 each, Fully paid up (P.Y. Rs. 500 paid up) (held by Central Bank Of India and its nominees)	50,000,000	1,000,000
TOTAL RS.	50,000,000	1,000,000
Schedule : B		
RESERVES & SURPLUS		
General Reserve	5,539,308	5,539,308
Profit & Loss Account	65,353,921	22,168,707
	70,893,229	27,708,015

Schedule : C

Fixed Assets

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As on 31.03.2009	Add.	Ded.	As on 31.03.10	Upto 31.03.09	For the year	Ded.	Upto 31.03.10	As on 31.03.10	As on 31.03.09
Electronic Data										
Processing System	1,471,791	-	-	1,471,791	1,471,790	-	-	1,471,790	1	1
Office Equipments	46,258	-	-	46,258	29,729	2,197	-	31,926	14,332	16,529
Grand Total	1,518,049	-	-	1,518,049	1,501,519	2,197	-	1,503,716	14,333	16,530
Previous Year	1,518,049	-	-	1,518,049	1,499,322	2,197	-	1,501,519	16,530	18,727

Schedule : D

Investments

(Long Term Investments-Quoted) (BSE)

1) 300 (P.Y. 300) of Rs. 10/-each fully paid up equity shares of HDFC Bank Ltd.

(Market Value Rs.579,750) (Previous Year Rs.292,020)

2) -NIL- (P.Y. 5470) 6.60% Tax Free (ARS) Bonds of Rs. 100/- each

[Market Price Rs. 101.10 each in P/Y]

TOTAL RS.

3,000

3,000

-

547,000

3,000

550,000

Schedules forming part of the Balance Sheet as on 31st March 2010

(000's omitted)

	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
Schedule : E		
1) Current Assets		
i) Interest Accrued on Investments		
1. Bank FDR	505,574	511,678
2. Accrued Commission on remuneration for Debenture Trust Account	274,406	274,406
3. Interest @ 6.60% accrued on ARS Bonds	-	18,051
	(a)	804,135
ii) Balance with Scheduled Banks		
1. Trust Current Account 1787420987	36,313,818	41,043,009
Debenture Trust Current A/c 1787421006	4,976,200	4,976,200
Debenture Trust Current a/c 1787419858	65,156,206	65,296,593
Debenture Trust Current a/c 1787419961	7,361,975	11,498,000
2. i) In Term Deposit A/c	103,950,000	26,250,000
ii) In Current A/c 1787426399	1,724,420	1,028,461
	(b)	150,092,263
Total	(a + b)	150,896,398
2) Loans And Advances		
(Advances recoverable in Cash or in kind or for value to be received:)		
Prepaid Expenses - SEBI Reg.	888,889	22,090
Brokerage on M.F. Receivable	14,776,239	-
Adv. Remuneration chgs Receivable	101,753	
Cenvet Credit Service Tax Receivable	1,854	6,644
	(c)	28,734
Recoverable Expenses (Tungabhadra Ind)	61,442	183,833
Advance Income Tax	20,469,535	879,560
	(d)	1,063,393
Total	(c + d)	1,092,127
Total Rs.	(a+b+c+d)	151,988,525

Schedules forming part of the Balance Sheet as on 31st March 2010

(000's omitted)

	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
Schedule : F		
Current Liabilities & Provisions		
I) Current Liabilities		
1. Trust Account Balances	26,402,140	32,155,780
2. Balance held in Debenture Trust A/c 1787419858	65,156,206	65,296,593
3. Balance held in Debenture Trust A/c 1787421006	4,976,200	4,976,200
4. Balance held in Debenture Trust A/c 1787419961	7,361,975	11,498,000
5. Other liabilities & Provisions (Outstanding exps)	94,794	71,144
6. Sundry Liabilities (unclaimed/unidentified)		
a) Unclaimed Div./ Int.	7,955,782	7,104,879
b) Unlocated/unclaimed proceeds on sale or redemption of Securities	1,588,138	1,588,138
c) Stale cheques (older than 6 months)	367,758	194,212
II) Service Tax payable	17,133	16,579
III) Provision for Taxation	22,500,000	941,000
TOTAL Rs.	136,420,126	123,842,525
Schedule : G		
Preliminary Expenses		
i) Stamp Duty	244,000	-
ii) Registrarion Fees	576,000	-
TOTAL	820,000	-
LESS : Written off During the year	82,000	-
TOTAL	738,000	-

Schedules Forming part of the Profit & Loss A/c for the year ended 31st March, 2010

(000's omitted)

	Year Ended 2009-10 Rupees	Year Ended 2008-09 Rupees
Schedule : H		
Operating Income		
Commision and Fees	145,000	342,690
Collection Charges	3,047,146	2,980,642
Remuneration for acting as Trustees for Debenture-holders / Security Trustee	491,957	-
Brokerage on Mutual Fund	72,697,895	-
TOTAL Rs.	76,381,998	3,323,332
Schedule : I		
Investment Income		
Interest earned/accrued (including Income from Bonds of UTI) (TDS Rs. 373,927/-; previous year Rs. 381,803/-)	3,385,141	2,476,901
Dividend Income	3,000	2,550
TOTAL Rs.	3,388,141	2,479,451
Schedule : J		
Operating & Other Expenses		
Establishment Expenses:		
Payment to and Provision for Employees	6,695,770	2,500,000
Electricity,Telephones, Maintainance, etc.	1,406,040	-
Stationery & Printing	47,492	47,862
Advertisement	29,746	13,686
Auditors' Remumeration:		
Audit Fees	30,000	30,000
Tax Audit Fees	5,000	5,000
Other Expenses	54,715	40,502
SEBI Registration Fees (Deb. Trustee)	111,111	-
SEBI Application Fees (Deb. Trustee)	25,000	-
Conveyance	1,750	3,127
Service Tax adjusted	(1,183)	-
1/10 th Preliminary Exp.	82,000	-
Rent (Including Service Tax)	5,379,110	-
SEBI Application Fees M.B.D.	25,000	-
Maintenance Charges	13,500	18,000
Professional Charges	78,000	35,000
TOTAL Rs.	13,983,051	2,693,177

Schedules Forming part of the Profit & Loss A/c for the year ended 31st March, 2010

Schedule: K

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts for the year ended 31st March, 2010.

(A) Significant Accounting Policies:

1. General:

The Accounts of the Company are prepared under the Historical Cost conventions using the accrual method of accounting, except the commission on Debenture Trustee business of suit filed and BIFR companies are accounted on receipt basis, as well as HDFC Ltd's remuneration towards Debenture Trusteeship will be accounted for on cash basis.

2. Investments:

The Company is holding only long term nature of investment and that are stated at cost. Profit & loss on the sale of the investment is computed with reference to the cost of the investments.

3. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at cost less depreciation.

4. Depreciation:

- i) Depreciation on Fixed Assets has been provided on Straight Line Method at the rates and in the manner specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- ii) Depreciation on assets added/disposed during the year is provided with reference to the date of addition/disposition.

5. Contingent Liabilities:

Contingent Liabilities not provided for are NIL (Nil).

6. Preliminary Expenses:

Preliminary expenses relating to Stamp Duty paid on issue of Equity Shares as a result of increase in authorize capital is written off over a period of ten years and Registration Fees paid to SEBI for Debenture Trustee License is written over a period of 3 years.

(B) Notes to Accounts:

1. The entire staff including Chief Executive Officer of the Company are on deputation from CBI, and the Chief Executive Officer of the Company. Accordingly, as mutually agreed, the Company has reimbursed following expenditure to CBI as per Board Resolution dated 31st January 2010:

Nature		Amount for the Year 2009-10	Amount for the Year 2008-09
1	Establishment Expense	81,01,810	25,00,000
2	Stationary & Printing Charges	30,000	30,000
3	Rent (Including Service Tax)	53,79,110	NIL
	Total Rs.	1,35,10,920	25,30,000

Safe Custody Fees amounting to Rs.33,901/- (previous year Rs.39,953/-) (including Service Tax thereon) reimbursed to Central Bank of India during the F.Y. 2009-10 which is recovered from individual Trust Accounts.

2. Other Income for F.Y. 2009-10 was 1,510/-
3. Sundry debit/credit balances and individual Trust account are subject to confirmation.
4. The Company holds investment in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.
5. There are no amounts overdue and remaining unpaid to Small Scale and /or Ancillary Industrial suppliers on account of principal and/or interest as at close of the year. This disclosure is based on the information available with the Company regarding the status of suppliers as defined under the "Interest on delayed payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertaking Act, 1993."
6. (a) Additional information pursuant to the provision of Paragraphs 3, 4C and 4D of Part II of Schedule VI of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Company during the year. Part IV of Schedule VI is annexed hereto.

(b) Accounting Standard 18: Related Party Disclosures

The Company is subsidiary of Central Bank of India. During the year, the transactions entered with Central Bank of India is as under:

		(Amounts in Rupees)	
		2009-10	2008-09
i)	Expenses:		
	Reimbursed to Central Bank of India		
	- Establishment Expenses	81,01,810	25,00,000
	- Stationery & Printing	30,000	30,000
	- Rent (Including Service Tax)	53,79,110	- NIL -
		1,35,10,920	25,30,000
ii)	Income Received by way of interest on Fixed Deposits	33,81,768	24,17,257
iii)	Deposits with Central Bank of India on 31.03.2010:		
	- Fixed Deposits	10,39,50,000	2,62,50,000
	- Current Accounts		
	* Trust Current A/c No.1787420987	3,63,13,818	4,10,43,009
	* Company's A/c No.1787426399	17,24,420	10,28,461
	* Debenture Trust A/c No.1787421006	49,76,200	49,76,200
	* Debenture Trust A/c No.1787419858	6,51,56,206	6,52,96,593
	* Debenture Trust A/c No.1787419961	73,61,975	1,14,98,000
		11,55,32,619	12,38,42,263
		21,94,82,619	15,00,92,263

(c) The Company has no reportable segments; hence the accounting Standard 17 is not applicable.

(d) The entire staff of the Company is on deputation from Central Bank of India hence accounting for Retirement Benefit & Accounting Standard 15 is not applicable.

7. In compliance of Accounting Standard 22 referred in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956 on accounting for Taxes on Income, the Company has created 'Deferred Tax Liabilities' on account of timing difference of depreciation:

		Opening Balance 01.4.2009	Closing Balance 31.3.2010	Opening Balance 01.4.2008	Closing Balance 31.3.2009
1	Depreciation Difference	14,613	12,617	16,572	14,613
2	Deferred Tax Liabilities	4,515	4,289	5,121	4,515

8. Previous year's figures have been regrouped and arranged wherever necessary.
9. The figures have been rounded off to the nearest rupee.

As per our Report attached
For D.N. Shukla & Co.
Chartered Accountants

P. J. Mankad
Partner
Membership No.036010

For and on behalf of the Board of
Centbank Financial Services Ltd

S. Sridhar
Chairman & Managing Director

Ramnath Pradeep
Director

Arun Kaul
Director

K. A. Somayajulu
Director

P V Raveendran
Director

S. P. Dhal
Chief Executive Officer

H. V. Kamdar
Company Secretary

Mumbai
03 May 2010

Mumbai
03 May 2010



Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2010

		Rs.in Lacs	
Sr. No.	Particulars	2009-10	2008-09
A	Cash Flow from Trusteeship Operations	203.91	156.59
B	Cash Flow from Investing Activities	-	-
C	Cash flow from Financing Activities	490.00	-
		693.91	156.59
D	Cash and cash Equivalents at the beginning of the year	1,500.92	1,344.33
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	2,194.83	1,500.92
	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (D-E)	693.91	156.59
A.	CASH FLOW FROM TRUSTEESHIP OPERATION		
	Interest received during the year from advances, investment etc.	33.88	24.79
	Commission & Fees income -	763.82	33.23
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excluding subordinated debts)	-	-
	Operating Expenses including Provisions and contingencies	139.85	26.95
	Add : Adjustment for Depreciation	0.02	0.02
I.	Cash Profit generated from Trusteeship operation (before tax)	657.87	31.09
	Less : Taxes Paid	226.00	9.20
	Cash Profit generated from Trusteeship Operation (after tax)	431.87	21.89
II.	Cash flow from Operating Assets and Liabilities		
	Increase/Decrease in Deposits	-	-
	Increase/Decrease in Borrowings	-	-
	Increase/Decrease in other Liabilities	125.78	116.81
	Increase/Decrease in Advances	-	-
	Increase/Decrease in Investments	5.47	19.23
	Increase/Decrease in Other Assets	(351.83)	(1.34)
	Increase/Decrease in Miscellance Assets	(7.38)	-
	Cash flow from Operating Assets and liabilities	(227.96)	134.70
	NET CASH FLOW FROM TRUSTEESHIP OPERATION	203.91	156.59
B.	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	-	-
	Sale/Disposal of Fixed Assets	-	-
	Purchase of Fixed Assets	-	-
	Income earned by way of Dividend etc. from subsidiaries and associates	-	-
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	-	-

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2010

Sr. No.	Particulars	Rs.in Lacs	
		2009-10	2008-09
C.	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Proceeds/Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	-	-
	Dividend	-	-
	Dividend tax	-	-
	Interest on Subordinated Debt	-	-
	Proceeds from Increase in Share Capital	490.00	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	-	-
D.	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Balance with Banks	1,500.92	1,344.33
	Net Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,500.92	1,344.33
E.	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Balance with Banks	2,194.83	1,500.92
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	2,194.83	1,500.92

As per our Report attached
For D.N. Shukla & Co.
 Chartered Accountants

P. J. Mankad
 Partner
 Membership No.036010

Mumbai
 03 May 2010

For and on behalf of the Board of
Centbank Financial Services Ltd

S. Sridhar
 Chairman & Managing Director

Arun Kaul
 Director

P V Raveendran
 Director

S. P. Dhal
 Chief Executive Officer

Mumbai
 03 May 2010

Ramnath Pradeep
 Director

K. A. Somayajulu
 Director

H. V. Kamdar
 Company Secretary

Part IV of Schedule VI

Balance Sheet abstract and Company's General Business Profile

(Rupees in Thousands)

I Registration Details

Registration No. 1484

	31	3	2010
Balance Sheet Date	Date	Month	Year

II Capital Raised during the year

Public Issue	Nil
Right Issue	Nil
Bonus Issue	Nil
Private Placement	48000

III Positions of Mobilisation and Deployment of Funds

Total Liabilities	120898
Total Assets	120898

Sources of Funds

Paid-up Capital	50000
Reserves & Surplus	70894
Secured Loans	NIL
Unsecured Loans	NIL
Deferred Tax	4

Application of Funds

Net Fixed Assets	14
Investment	3
Net Current Assets	120142
Miscellaneous Expenditure	738
Accumulated Losses	NIL

IV Performance of Company

Total Income	79770
Total Expenditure	13985
Profit/(Loss) Before Tax	65785
Profit/(Loss) After Tax	43285
Earnings per Share	866
Dividend Rate	NIL

V Generic Names of Three Principal Products/Services of Company (as per monetary items)

Item Code No. (ITC Code)

Not Applicable

Product Description

Offering the following services

- 1) Executor of a Will
- 2) Administrator of an Estate
- 3) Trustee under a Will
- 4) Trustee under Voluntary or Living Trust
- 5) Trustee for Public Charitable, Religious and Other Institutions
- 6) Guardian of a Minor's property, custodian
- 7) Manager or Agent under Power of Attorney
- 8) Broker of Mutual Fund subscription
- 9) Trustee for Debenture/Bond Issues, Security Trustee & Security Agent



आंचलिक कार्यालय / ZONAL OFFICES

आगरा ब्लॉक नं. 37/2/4, संजय प्लेस, आगरा - 282 002.	AGRA Block No. 37/2/4, Sanjay Place, Agra - 282 002.	दूरभाष/Tel.: (0562) 2850154/3424 फैक्स/Fax : 0562 - 2853698/1341 Email : zmagrazo@centralbank.co.in
अहमदाबाद सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, पो. बॉ. नं. 205, लाल दरवाजा, अहमदाबाद - 380 001.	AHMEDABAD Central Bank of India Building, 5th Floor, Post Box No. 205, Lal Darwaja, Ahmedabad - 380 001.	दूरभाष/Tel.: (079) 25503586 फैक्स/Fax : 079 - 25505995 Email : zmahmezo@centralbank.co.in
भोपाल 9, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462 011.	BHOPAL 9, Arera Hill, Jail Road, Bhopal - 462 011.	दूरभाष/Tel.: (0755) 2552023, 2674033-36 फैक्स/Fax : 0755 - 2552019 Email : zmbhopzo@centralbank.co.in
चंडीगढ़ पोस्ट बॉक्स नं. 13, नं. 58-59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़ - 160 017.	CHANDIGARH Post Box No. 13, No. 58-59, Bank Square, Sector 17B, Chandigarh - 160 017.	दूरभाष/Tel.: (0172) 2704787 फैक्स/Fax : 0172 - 2700647 Email : zmchanzo@centralbank.co.in
चेन्नै 48/49, माटिअथ रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008. (तमिलनाडु).	CHENNAI 48/49, Monteit Road, Egmore, Chennai - 600 008. (Tamilnadu).	दूरभाष/Tel.: (044) 23464210 - 214 फैक्स/Fax : 044 - 23464200 Email : zmchenzo@centralbank.co.in
गुवाहाटी जी. एस. रोड, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, भंगागढ़, गुवाहाटी - 781 005.	GUWAHATI G.S. Road, Central Bank Building, Bhangagarh, Guwahati - 781 005.	दूरभाष/Tel.: (0361) 2457651/52 फैक्स/Fax : 0361 - 2452154 Email : zmguwazo@centralbank.co.in
हैदराबाद पोस्ट बॉक्स नं. 522, 710-712, महापात्रम रोड, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद - 500 195.	HYDERABAD Post Box No. 522, 710-712, Mahapathram Road, Bank Street, Koti, Hyderabad - 500 195.	दूरभाष/Tel.: (040) 23468911 - 18 फैक्स/Fax : 040 - 23468902 Email : zmhydezo@centralbank.co.in
कोलकाता सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, 33, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001.	KOLKATA Central Bank Building, 33, Netaji Subhash Road, Kolkata - 700 001.	दूरभाष/Tel.: (033) 22301270/1275 फैक्स/Fax : 033 - 22309864 Email : zmkolkzo@centralbank.co.in
लखनऊ पोस्ट बॉक्स नं. 10, आकाशदीप, 23, विधानसभा मार्ग, लखनऊ - 226 001.	LUCKNOW Post Box No. 10, Akash Deep, 23, Vidhan Sabha Road, Lucknow - 226 001.	दूरभाष/Tel.: (0522) 2611301-04 फैक्स/Fax : 0522 - 2621213 Email : zmluckzo@centralbank.co.in
मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय स्टैंडर्ड बिल्डिंग, पहली मंजिल, डी.एन. रोड, मुंबई - 400 023.	MUMBAI METRO ZONAL OFFICE Standard Building, 1st Floor, D.N. Road, Mumbai - 400 023.	दूरभाष/Tel.: (022) 22047229/7301/7304 फैक्स/Fax : 022 - 22044720 Email : zmmumbzo@centralbank.co.in
मुजफ्फरपुर पावापुरी विहार बिल्डिंग, एन.एच.28, भगवानपुर चौक के नजदीक, मुजफ्फरपुर - 842 001.	MUZAFFARPUR Pawapuri Vihar Building, N.H.28, Near Bhagwanpur Chowk, Muzaffarpur - 842 001.	दूरभाष/Tel.: (0621) 2251855 फैक्स/Fax : 0621-2251784 E-mail : zmmuzazo@centralbank.co.in
नागपुर (महाराष्ट्र) ओरियन्टल बिल्डिंग, (2री मंजिल) कामठी रोड, नागपुर - 440 001.	NAGPUR (MAHARASHTRA) Oriental Bldg., (2nd Floor), Kamptee Road, Nagpur-440 001.	दूरभाष/Tel.: (0712) 2520361/62/63 फैक्स/Fax : 0712-2520365 E-mail : zmnagpzo@centralbank.co.in
नई दिल्ली पो.बॉ.नं. 7007, लिंक हाऊस प्रेस एरिया, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002.	NEW DELHI P.B.No.7007, Link House, Press Area, 3, Bahadurshah Jafar Road, New Delhi - 110 002.	दूरभाष/Tel.: (011) 23318964/23319268/69/80 फैक्स/Fax : 011-23311332, 23712677 E-mail : zmdelhz@centralbank.co.in
पटना दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड पटना - 800 001	PATNA 2nd Floor, Block B, Maurya Lok Complex, Dak Banglow Road, Patna - 800 001.	दूरभाष/Tel.: (0612) 2226607 फैक्स/Fax : 0612-2221898 E-mail : zmpatnzo@centralbank.co.in
पुणे पो.बॉ.नं. 98,317 म.गां. मार्ग, पुणे - 411 001.	PUNE P.B. No.98, 317, M.G. Road, Pune-411 001.	दूरभाष/Tel.: (020) 26131611/17 फैक्स/Fax : 020-26131618 E-mail : zmpunezo@centralbank.co.in
रायपुर पहली मंजिल, ब्लॉक सी, बॉम्बे मार्केट, जी.ई. रोड, रायपुर - 492 001.	RAIPUR 1st Floor, Block 'C', Bombay Market, G.E. Road, Raipur - 492 001.	दूरभाष/Tel : (0771) 2226756 / 2225171 फैक्स/Fax : 0771 - 2224530 E-mail : zmraipzo@centralbank.co.in



www.centralbankofindia.co.in

केन्द्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी बिल्डिंग, नरिमन पॉइंट, मुम्बई - 400 021
Central Office, Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021